दशम माला, खण्ड 35, अंक 21

मंगलवार, 23 अगस्त, 1994
1 भाद्र, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

ग्यारहवां - सत्र
(दसवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 53
Date 24.1.96

(खंड 35 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित हिन्दी कार्यवाहीं ही प्रामाणिक मानी जायगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

माला, खंड 25, ग्यारहवां सत्र, 1994/1916 (शक)

क 21, मंगलवार, 23 अगस्त, 1994/1 भाद्र 1916 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
***तारांकित प्रश्न संख्या :**	401 से 404	1-23
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
***तारांकित प्रश्न संख्या :**	405 से 420	23-52
अतरांकित प्रश्न संख्या :	3950 से 4130	52-190
वैगन इन्डस्ट्री में गंभीर संकट		190-207
श्री सोमनाथ चटर्जी		190
श्री इन्द्रजीत गुप्त		194
प्रो॰ प्रेम धूमल		195
डा॰ देवी प्रसाद पाल		196
श्री चित्त बसु		197
श्री शरद यादव		198
श्री नीतीश कुमार		198
श्री बसुदेव आचार्य		199
श्रीमती गीता मुखर्जी		200
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य		200
श्री राजवीर सिंह		201
श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़		201
भारत में विदेशी प्रचार माध्यमों के प्रवेश को अनुमति देने के कथित प्रयास के बारे में		207-224
सभा पटल पर रखे गए पत्र		224-226
राज्य सभा से सन्देश		227
रेल अभिसमय समिति		227
सातवां प्रतिवेदन–प्रस्तुत		

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित * चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उसी सदस्य ने था।

विषय	पृष्ठ
खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	228
चौथा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश–प्रस्तुत	
कार्य मंत्रणा समिति	228-233
पैंतालीसवां प्रतिवेदन–स्वीकृत	
सहमति के लिए प्रस्ताव	228
श्री पवन कुमार बंसल	229
श्री जार्ज फर्नान्डीज	
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक)मध्य प्रदेश में बाराद्वारा में इस्पात-डोलोमाइट खानें पुन: चालू करने की आवश्यकता	234
श्री भवानी लाल वर्मा	
(दो) उड़ीसा में, विशेषकर राउरकेला और लाठीकाटा के बीच, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 की मरम्मत करने और इसका नवीकरण करने हेतु धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता	234
कुमारी फ्रिडा तोपनो	
(तीन) उत्तर प्रदेश में बरेली में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की आवश्यकता	234
श्री संतोष कुमार गंगवार	
(चार) हाथरस के टेलीफोन एक्सचेंज को इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज में बदलने की आवश्यकता **डा॰ लाल बहादुर रावल**	235
(पांच) बिहार के रोहतास जिले में एक नवोदय विद्यालय और एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता	235
श्री राम प्रसाद सिंह	
(छह) विवेकानन्द आश्रम, साहूदांगी, जलपाइगुड़ी, पश्चिम बंगाल के निकट चौकीदार रक्षित रेलवे फाटक की व्यवस्था करने की आवश्यकता	235
श्री जितेन्द्र नाथ दास	
(सात) उत्तर प्रदेश के बुनकरों को भारत सरकार की पुरानी कपड़ा नीति के अनुरूप जनता कपड़ा उत्पादित करने की अनुमति देने की आवश्यकता	236
श्री राम सागर	

विषय	पृष्ठ
मोटर यान (संशोधन) विधेयक	
राज्य सभा द्वारा यथापारित	236-274
विचार किए जाने हेतु प्रस्ताव	
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	236-241
श्री आनन्द रत्न मौर्य	241-244
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या	244-246
श्री के॰ वी॰ आर॰ चौधरी	246-247
श्री अन्ना जोशी	247-251
डा॰ मुमताज अंसारी	251-253
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	253-256
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	256-258
श्री मोहन सिंह (देवरिया)	258-259
श्री पी॰ सी॰ थामस	259-262
डा॰ विश्वानाथम कैनिथी	262-264
श्री राजागोपाल नायडू रामासामी	264-268
श्री जगदीश टाईटलर	269-273
खंड 2 से 64 और।	273-274
पारित किए जाने हेतु प्रस्ताव	
श्री जगदीश टाईटलर	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पूर्व आयुक्त के अट्ठाईसवें और उन्नीसवें प्रतिवेदनों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के पांचवें, छठे, सातवें और आठवें प्रतिवेदनों के विचारार्थ प्रस्ताव	274-285
श्री के॰ वी॰ तंग्कावालू	274-276
श्री राम सिंह	276-285
श्री अनादि चरण दास	285

लोक सभा

मंगलवार, 23 अगस्त, 1994/1 भाद्र, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

कृषि उपकरण

***401. श्री छेदी पासवान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये कृषि उपकरणों का विकास करने के लिये किये जा रहे परीक्षण-कार्य में प्रगति संतोषजनक पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके परिणाम स्वरूप गत तीन वर्षों के दौरान विकसित किये गये नये कृषि उपकरणों के नाम क्या हैं ?

[अनुवाद]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्णा कुमार) : (क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया है।

[अनुवाद]

विवरण

[हिन्दी]

(क) जी, हां।

(ख) नवीन कृषि यंत्रों के विकास के लिए भा० कृ० अनु० परिषद के निम्न संस्थानों/अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं के माध्यम से भा० कृ० अनु० परिषद अनुसंधान प्रणाली द्वारा अनुसंधान कार्य किया जा रहा है :

1. केन्द्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान, भोपाल।
2. भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।
3. केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक।

4. केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला।

5. केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद।

6. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।

7. "फार्म उपकरण एवं मशीनरी" पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना।

8. "पावर टिलरों के गहन परीक्षण और नई मशीनों के व्यापक उपयोग के लिए उनके अनुसंधान एवं विकास" पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना।

9. "उन्नत दक्षता प्रणाली वाली पशु ऊर्जा के उपयोग" पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपनी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं के माध्यम से कृषि इंजीनियरी से संबंधित कृषि यंत्रों के विकास पर बड़ा जोर दिया है। गत तीन वर्षों के दौरान जुताई से लेकर गहाई तक के सभी कार्यों के लिए विकसित किए गए कृषि यंत्रों/उपस्करों का ब्यौरा संक्षेप में नीचे दिया गया है :

जुताई में काम आने वाले यंत्र :

1. गीली जुताई के लिए हायड्री टिलर।

2. सी॰ आई॰ ए॰ ई॰ का बहुउद्देशीय टूल फ्रेम जिसमें जुताई, मेड़बंदी, निराई-गुड़ाई व मूंगफली की बुवाई करने वाले यंत्र लगाए जा सकते हैं।

3. ट्रैक्टर चालित पी॰ टी॰ ओ॰ हैरो।

4. ट्रैक्टर चालित रोपाई यंत्र।

5. बैल द्वारा खींचा जाने वाला तवेदार हैरो व गीली जुताई वाला यंत्र।

6. ट्रैक्टर चालित मिट्टी के ढेले तोड़ने वाला यंत्र।

बुवाई में काम आने वाले यंत्र :

1. बैल द्वारा खींचे जाने वाले बीज एवं उर्वरक ड्रिल।

2. सरसों, बाजरा जैसे छोटे बीजों के लिए बीज एवं उर्वरक ड्रिल।

3. धान, ज्वार आदि के लिए बैल एवं ट्रैक्टर चालित बीज एवं उर्वरक ड्रिल।

4. देशी हलों के साथ जोड़ने के लिए सी॰ आर॰ आई॰ डी॰ ए॰ की बीज एवं उर्वरक ड्रिल जो बैलों से खींची जाती है।

5. हस्तचालित धान रोपाई यंत्र, ट्रैक्टर से चलने वाले व स्वचालित धान रोपाई यंत्र।

6. ट्रैक्टर चालित गन्ने के पोरे काटने और रोपने वाला यंत्र।

7. ट्रैक्टर चालित आलू रोपाई यंत्र।

निराई-गुड़ाई के यंत्र :

1. गुड़ाई के लिए हस्तचालित "हो"।

2. निराई-गुड़ाई एवं बुवाई के लिए पाहियेदार "हो"।

छिड़काव के यंत्र :

1. कपास के लिए स्वचालित छिड़काव यंत्र (स्प्रेयर)।

2. बैटरी चालित कम आयतन वाले छिड़काव यंत्र (स्प्रेयर)।

कटाई में काम आने वाले यंत्र :

1. स्वचालित रीपर हार्वेस्टर।

2. मूंगफली एवं आलू खोदने वाला यंत्र।

3. ट्रैक्टर से चलने वाला कटाई यंत्र।

गहाई में काम आने वाले यंत्र :

1. बहुफसली गहाई यंत्र (थ्रैशर)।

2. सूरजमुखी गहाई यंत्र (थ्रैशर)।

3. मूंगफली स्ट्रिपर।

अन्य :

माल ढोने वाले पशुओं के लिए उन्नत जुए तथा जोत (हार्नेस)।

(प्रश्न संख्या 401)

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा पूछे गये प्रश्न के भाग-क को देखा जा सकता है जिसमें मैंने स्पष्ट रूप से पूछा था कि क्या नये कृषि उपकरणों का विकास करने के लिये किये जा रहे परीक्षण कार्य में प्रगति संतोषजनक पायी गयी है और मंत्री जी ने उत्तर हां में दिया है जबकि यह सदन को गुमराह करने वाला और भ्रामक उत्तर है। आप जानते हैं कि कृषि संसदीय समिति का जो प्रतिवेदन आया है उसमें कैसे संसदीय समिति ने असंतोष व्यक्त किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है जबकि मंत्री महोदय ने इसे संतोषजनक बताया है तो इसपर सरकार और माननीय मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हर चीज़ के पहले एक्सपैरिमेंट किया जाता है, उसके बाद उसका ट्रायल किया जाता है, उसके बाद फिर उसको प्रतिपादित किया जाता है। उस हिसाब को देखकर हमेशा सुधार के लिये आगे बढ़ते रहते हैं कि क्या-क्या किया जाये। इन वर्षों में हमारे इन्स्टीट्यूशन्स ने जो कार्य किये हैं, उसकी एक लिस्ट आपको दे दी है। यदि उसमें कोई सुधार की गुंजायश रहती है तो उसको भी किया जाता है।

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा गठित संसदीय समिति ने इस पर अपना असंतोष व्यक्त किया है फिर भी मंत्री महोदय उसपर अपना संतोष व्यक्त कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी अपने आपको एक किसान का बेटा कहते हैं तो जानते होंगे कि किसान किसप्रकार से कृषि उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी यह भी जानते होंगे कि उत्पादन को बढ़ाने के लिये और किसानों द्वारा सुविधापूर्वक कार्य और श्रम से अधिक काम करने के लिये नये तकनीकी उपकरणों का होना अत्यंत आवश्यक है। देश में कृषि उपकरणों को आधुनिक बनाने और भारतीय वातावरण के अनुकूल उपकरणों के अनुसंधान की जिम्मेदारी सौपी गयी है, उनकी संख्या में वृद्धि हुई है किन्तु उन्होंने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि प्रतिवर्ष किसानों के नाम पर दिया जाने वाला 16 करोड़ रुपया बेकार जा रहा है। इन पैसों का दिल्ली में वातानुकूलित आफिसेज़ में बैठने वाले आफिसर्स दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कृषि उपकरणों को विकसित करने और उन्हें आधुनिक बनाने हेतु जो संस्थान काम कर रहे हैं, उनकी समीक्षा के दौरान कोई अधिकारी जिम्मेदार पाया गया है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? इसके साथ ही मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कृषि उपकरणों को सस्ता बनाये रखने के लिये वित्त मंत्रालय से कोई बातचीत की है जिससे किसानों को सस्ते मूल्य पर ये कृषि उपकरण मिल सकें।

[अनुवाद]

(श्री एस० कृष्ण कुमार) : महोदय, मुख्य प्रश्न के उत्तर में ही, हमने देश में कृषि उपकरणों में सुधार के लिये किये जा रहे अनुसंधान कार्य तथा अपनी उपलब्धि का ब्यौरा दिया है। उनमें से ये अधिक महत्वपूर्ण हैं।

मंत्रालय की नीति देश की वास्तविक स्थिति को समझने की है। अब भी, 15 प्रतिशत जोतों में, उदाहरण स्वरूप पूर्वोत्तर में कृषि कार्य हस्तचालित साधनों से किया जाता है; लगभग 50 प्रतिशत कार्य अब भी पशु शक्ति द्वारा किया जाता है; और लगभग 30-35 प्रतिशत कार्य अब भी यंत्रीकृत अथवा विद्युतचालित अथवा ऊर्जा चालित साधनों से किया जाता है। इसलिये अनुसंधान कार्य कृषि के सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। भारत में औसत ज़ोत केवल 1.69 हेक्टेयर है। हमें इसे ध्यान में रखना है।

अत:, कृषि उपकरणों अथवा यंत्रों में सुधार लाना एक सतत प्रक्रिया है। मेरे पास अनुसंधान के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों की पूरी सूची है। इसके लिये हम आठवीं योजना में लगभग 51 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। यंत्रों पर 15 करोड़ रुपये; फसल के बाद की प्रौद्योगिकी पर 29 करोड़ रुपये; ऊर्जा उन्नयन पर 7.45 करोड़ रुपये और जल-निकासी के लिये 1.5 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। राज्य स्तर तथा केन्द्रीय स्तर पर अनुसंधान किया जा रहा है।

हमारे यहाँ अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं हैं। हमारे पास एग्रो-मशीनरी निगम हैं। हमने पहले ही अपने देश में साधनों के उत्पादन हेतु आधारभूत ढांचा बना लिया है। हजारों लघु उद्योगों की स्थापना हो गयी है। हमारे दस लाख ग्रामीण कारीगर कृषि के साधनों के उत्पादन हेतु कार्यरत हैं। हमने विश्व के उत्कृष्ट ट्रैक्टर उद्योगों का विकास किया है।

जहां तक अधिकारियों और उनके विरुद्ध शिकायतों का संबंध है यह भी एक सामान्य प्रश्न ही है। यदि कोई विशिष्ट आरोप अथवा ऐसी ही कोई अन्य बात हो तो हम आपको सूचना दे सकते हैं।

डा॰ वसंत पवार : अध्यक्ष महोदय, गन्ना तथा चावल अनुसंधान संस्थान अच्छा कार्य कर रहे हैं। परन्तु महाराष्ट्र से अंगूरों और प्याज के अधिकतम निर्यात को देखते हुए मंत्री महोदय के सभा में घोषणा की है कि दो राष्ट्रीय संस्थान होंगे; एक नासिक में प्याज और लहसुन के अनुसंधान के लिये और दूसरा मांजरी में अंगूरों अनुसंधान के लिये। अपेक्षित भूमि केन्द्रीय सरकार को पहले ही सौंप दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न कृषि उपकरणों के संबंध में है।

डा॰ वसंत पवार : ये संस्थान कब से शुरु किये जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं। इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी।

डा॰ वसंत पवार : महोदय, यह कृषि कार्य से भी संबंधित है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं यादव जी।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ सवाल करना पड़ रहा है कि आज़ादी के पहले बिहार में हमारा जिला आलू के उत्पादन के लिए पूरे विश्व में विख्यात था और पेशावर तक से लोग वहां आते थे।

अध्यक्ष महोदय : यह ऐग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में है, ऐग्रीकल्चर क्रॉप्स के बारे में नहीं है।

श्री विजय कुमार यादव : मैं अनुसंधान के बारे में ही पूछ रहा हूं। यह थोड़ी से भूमिका थी। मेरा कहना यह है कि जो भी नवीन कृषि यन्त्रों के विकास के लिए संस्थान स्थापित किये गए हैं, उसमें भोपाल, लखनऊ, कटक, शिमला, हैदराबाद आदि हैं। इन तमाम स्थानों में से कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां सघन तरीके से उत्पादन होता हो।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मैं उसको भी डिसअलाऊ कर दूंगा।

[अनुवाद]

यह कृषि उपकरणों के संबंध में है। कृपया यह समझें।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : मैं सीधा प्रश्न पर आता हूं। मेरा मंत्री महोदय से पूछना है कि जहां इन अनुसंधान केन्द्रों की ज्यादा गुंजाइश है और जिन इंप्लीमेंट्स की जरूरत है, वैसे स्थानों में बिहार भी आता है। ऐसे स्थानों पर इनफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। क्या ऐसे बिहार जैसे स्थानों में आप अनुसंधान केन्द्र खोलने की बात सोच रहे हैं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुपति भी नहीं है।

डा० बी० जी० जावाली : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं मंत्री महोदय को इतना अधिक अनुसंधान कार्य शुरू करने और समस्त प्रगति के लिये बधाई देता हूं। मैंने सूची को पढ़ा है। एक महत्वपूर्ण पहलू है बैलगाड़ी जो कृषि, विशेष रूप से ग्रामीण कृषि का मूलाधार है। बैलगाड़ी में सुधार करने हेतु कहीं कोई अनुसंधान नहीं किया गया। 40 प्रतिशत दुर्घटनाएं बैलगाड़ी आदि से होती हैं। हड्डियों के अस्पतालों में आपको ग्रामीण क्षेत्रों के रोगी ही मिलेंगे। मामले या तो बैलगाड़ी दुर्घटनाओं के होते हैं अथवा कुछ कृषि उपकरणों के कारण हो जाते हैं।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या उन्हें परिष्कृत बैलगाड़ी प्रणाली में गहन अनुसंधान कराने हेतु कोई प्रस्ताव मिला है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, लगभग 8 करोड़ पशुओं की जीव-ऊर्जा तथा भारवाही क्षमता अभी तक भारतीय कृषि प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसके उन्नयन करने को उच्च प्राथमिकता प्रदान की हो इस विषय से संबंधित कार्य करने वाली अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं हैं। मैं आपको पशु ऊर्जा प्रणाली के प्रमुख उपलब्धियों का परिचय दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मंत्री महोदय। उनका विशिष्ट प्रश्न केवल बैलगाड़ियों के संबंध में ही है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : बैलगाड़ियों की कई नयी किस्में पहले ही विकसित की जा चुकी हैं।

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, बैलगाड़ियों में काफी सुधार हुआ है। इसमें नये परिवर्तन हुए हैं जो अधिक व्यवहार्य हैं। बैलगाड़ियां अधिक बोझ ढो सकती हैं। बैलों पर भार कम पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : रबड़ के टायरों वाली बैलगाड़ियां हैं।

श्री बलराम जाखड़ : इनके कारण यह अधिक व्यवहार्य हो गयी है .....**(व्यवधान)**..... हम अन्यत्र भी बैलगाड़ियों तथा उपकरणों को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री भेरू लाल मीणा : हमारे देश में नई तकनीक के हिसाब से खेती हो रही है। हमारे यहां उदयपुर में सबसे पहले कृषि अनुसंधान परिषद का कालेज चलता था। वहां पर आदिवासियों को नये तरीके से खेती करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। अब उसको हटाकर बीकानेर ले गये हैं। घी में तेल की मिलावट तो हो सकती है, लेकिन तेल में घी नहीं डाला जा सकता। जहां-जहां विकसित क्षेत्र हैं वहां तो खेती के नये तरीके ईजाद किये जाते हैं, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। मेरा सरकार से प्रश्न है कि क्या आदिवासी क्षेत्रों में भी नई तकनीक वहां के किसानों को दी जायेगी जिससे वे अपनी छोटी-छोटी भूमि पर ज्यादा पैदावार कर सकें ?

श्री बलराम जाखड़ : वहां भी नया कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का प्रबन्ध कर रहे हैं।

प्रो० प्रेम धूमल : पहाड़ी क्षेत्रों में आम ट्रैक्टर नहीं चल सकते, क्योंकि खेत ऊपर-नीचे होते हैं। वहां पशुधन भी कम होता जा रहा है और महंगा होता जा रहा है। क्या सरकार कोई ऐसा ट्रेक्टर विकसित करने के लिए हिमाचल प्रदेश को सहायता देगी जो पहाड़ी खेतों में खेतीबाड़ी के काम में आ सके ?

श्री बलराम जाखड़ : आपने बिलकुल सही बात कही है, हम वैसा कर रहे हैं।

श्री राजवीर सिंह : हमारा सारा जोर आधुनिकतम कृषि उपकरणों की तरफ जा रहा है। जैसे गांव-गांव में हार्वेस्टर कम्बाइन जा रहे हैं और वे काम कर रहे हैं। क्या आपको इससे होने वाली हानियां भी पता हैं ? जैसे ऊपर से गेहूं कट जाता है, चारे का अभाव हो जाता है, उसका अनाज जमीन में ही रह जाता है। इसके कारण पशुओं को चारा नहीं मिलता, जिससे उनका भी अभाव होता जा रहा है। क्या आप कोई ऐसा कृषि उपकरण हार्वेस्टर कम्बाइन के स्थान पर बनाना चाहते हैं जिससे भूसे की सुरक्षा हो सके और अनाज भी मिल सके, क्या इस सम्बन्ध में कोई अनुसंधान कर रहे हैं ?

श्री बलराम जाखड़ : क्योंकि एक वक्त में उसकी कटाई नहीं होती और उसी वक्त उसकी सिंचाई और जुताई कर के धान नहीं बो सकते थे। यही सिलसिला सारे देश में चल रहा था। इससे काम शैटर हो जाता था।

जहां तक भूसे की बात है, इसके लिए एक तो हमने नयी प्रणाली निकाल दी है। उसको बेलिंग करके बिलकुल प्रबन्ध कर दिया है। नयी मशीनें भी आई हैं जिनसे यह होगा और इसके बगैर गाड़ी नहीं चल सकती है। आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है।

श्री राजवीर सिंह : मैं आपको और आगे बढ़ाना चाहता हूं।

श्री बलराम जाखड़ : आप जरा मेरी बात सुनिये। जहां कम्बाइन चलता है उस जगह डेली मजदूरी 50 रुपए से 100 रुपए है और जहां हारवेस्टर कम्बाइन इस्तेमाल नहीं करते हैं, जहां कमजोर खेती रहती है, वहां जो बेसिक सैलरी है, वह भी हम पूरी नहीं दे पाते हैं।

इसलिए मैं चाहता हूं कि उत्पादन बढ़े और उत्पादन तभी बढ़ सकता है जब कि हम ज्ञान की वृद्धि करें और उसको अपनाएं और नये उपकरण अपनाएं।

जहां आप यह कहते हैं कि पशुधन की कमी होती जा रही है, ऐसी बात नहीं है। पशुधन हमारे पास सबसे ज्यादा है और उसकी चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

श्री राजवीर सिंह : तो हम बाहर से, विदेश से गोबर क्यों इम्पोर्ट करने जा रहे हैं ?

श्री बलराम जाखड़ : आप कहां से सुन लेते हैं। मैं कहता हूं कि यह बिलकुल गलत है। हमें बाहर से गोबर मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। न हमने बाहर से गोबर मंगाया है और मंगाने जा रहे हैं। पता नहीं, अध्यक्ष जी, ये अफलातूनी बातें कहां से सुन लेते हैं।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकार : अध्यक्ष जी, हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या बहुत अधिक है। इसलिए क्या सरकार छोटे ट्रैक्टर या कम्बाइन हारवेस्टर या कृषि के अन्य उपकरण बना रही है जिससे वे छोटे किसानों के लिए उपयोगी हों और जिनको खरीद सकें क्योंकि अभी तक जितने भी खेती के उपकरण ट्रैक्टर और हारवेस्टर इत्यादि है वे बहुत महंगे हैं जिनको छोटा किसान खरीद नहीं सकता है। आज ट्रैक्टर दो या तीन लाख रुपये से कम में नहीं आता है। यही हाल खेती के अन्य उपकरणों का है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसा छोटा ट्रैक्टर जो 30-40 हजार रुपए में मिल सके, यानी सस्ते दामों पर मिल सके, वैसे ट्रैक्टर सरकार छोटे किसानों को दिलाने की कोशिश करेगी ?

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष जी, जो ट्रैक्टर दे रहे हैं उस पर 30 हजार रुपये सबसिडी दे रहे हैं। छोटा ट्रैक्टर देने की जगह मैं 30 हजार रुपए सबसिडी दे रहा हूं और फिर मैं यह कोशिश भी कर रहा हूं कि यह सबसिडी आगे भी जारी रहे।

श्री राम प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि नये उपकरणों के प्रयोग के बावजूद भी आप खेती में कोई विशेष सुधार नहीं ला रहे हैं। ऐसे ही आपका आंकड़ा है कि प्रोडक्शन ज्यादा होता है। वर्षा अच्छी होती है, तो प्रोडक्शन ज्यादा होता है और वाहवाही आप ले लेते हैं और सूखा होता है तथा खेती कम होती है, तो दोष भगवान पर मढ़ देते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि गांव में जो छोटे-छोटे किसान हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है आपके ये कृषि उपकरण हैं, ये बहुत महंगे होते हैं, इनको छोटे किसान नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है और न ही उनके पास उतनी जमीन होती है, तो मंत्री जी क्या छोटे-छोटे किसानों के लिए सस्ते उपकरण बनाने के लिए सरकारी तौर पर कोई ऐसी इंस्टीट्यूट लगाने जा रहे हैं जिनमें गांव के छोटे-छोटे किसानों को उपकरण बनाने की शिक्षा दी जाए और वे उपकरण बना सकें और वे छोटे किसानों के लिए उपलब्ध हो सकें ?

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, जहां तक जोत का सवाल है, उसके बारे में तो मैं इस हाउस में प्रार्थना कर बैठा हूं कि सोच लो, वरना क्या होगा, ये खेत फुटबाल की फील्ड रह जाएंगे। जहां पहले 34 करोड़ थे वहां अब 90 करोड़ तो आप हैं। जमीन तो भगवान ने एक दफा बनाई थी। यह रोज तो बढ़ती नहीं है। यह तो उतनी ही रहेगी। जितने आप लोग बढ़ते जाएंगे जमीन उतनी ही बंटती जाएगी। इसलिए यह आवश्यक है कि जो जोत है उनसे ज्यादा उत्पादन का तरीका निकाला जाए और उत्पादन बढ़ाया जाए। इसलिए हम छोटे किसानों के लिए उपकरण तैयार करने की चेष्टा कर रहे हैं जिससे उनको वह काम में ला सके। उसके हाथ पड़ सकें और वह एफोर्ड कर सके। इसलिए उसके साथ सबसिडी दे रहा हूं। इम्पलीमेंट के साथ भी सबसिडी दे रहा हूं। यही काम कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मुझे खुशी है कि अन्ततः मुझे आपका ध्यान आकर्षित करने में सफलता मिली।

अध्यक्ष महोदय : यह 'कृषि उपकरणों' के बारे में है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मेरा प्रश्न अत्यंत सुस्पष्ट है। पटसन कृषि का अंग है। क्या कृषि उपकरणों के क्षेत्र में पटसन की खेती से संबंधित व कुछ ऐसी नयी बातें हुयी हैं, जिन पर भारत के किसी संस्थान में, विशेष रूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित बैरकपुर के एक संस्थान में जो पटसन अनुसंधान में रत हैं, अनुसंधान चल रहा है।' क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि विशेष रूप से पटसन की खेती के लिये किस प्रकार के उपकरणों का विकास किया गया है ?

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, खेद की बात है, मुझे कहना पड़ता है और कभी-कभी सोचना पड़ता है कि जूट बन्द कर दूं तो भाव क्या मिलेगा; .....**(व्यवधान)**.....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह [हिन्दी] बात [अनुवाद] सीधे ग्रन्थालय से आयी है, [हिन्दी] खेत [अनुवाद] से नहीं ! यह प्रयोगशाला से भी नहीं, बल्कि ग्रन्थालय से ही आयी है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, नये कृषि उपकरणों के विकास करने के लिए सरकार ने जिस योजना के बारे में चर्चा की है, यह सब जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि से संबंधित क्षेत्र से किसान भी संबंधित है और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले कृषि मजदूर भी इससे संबंधित हैं। नये उपकरणों की जो खोज की जा रही है, चाहे बड़े उपकरण हों या छोटे उपकरण हों, वे पारम्परिक आधार पर कृषि उत्पादन कार्यों में काम आते रहेंगे। देश में 3 हजार किस्म के हल रहे हैं, जोतने और सिंचाई की पारम्परिक प्रक्रिया रही है। कृषि क्षेत्र में काम करने वाली कई मशीन पारम्परिक तरीके से है। मैं समझता हूं कि उसी पारम्परिक तरीकों पर ही आधारित कृषि उपकरणों की खोज हुई है। मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि सरकार जो बड़े मशीनी और छोटे मशीनी उपकरणों की खोज कर रही है। क्या कभी सरकार का ध्यान इस तरफ भी गया है कि जो कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, उनके श्रम का क्या होगा ? इसके लिए उनके श्रम से संबंधित समन्वय की कोई योजना बनाई जा रही है तथा इन मशीनों से बड़ी श्रम शक्ति का संबंध स्थापित करके कोई विशेष कार्य कृषि क्षेत्र में किया जा रहा है ?

श्री बलराम जाखड़ : जहां तक पुरानी बातों की आप बात कर रहे हैं अगर ऐसी बात है तो फिर आकाश मंडल में क्यों जाते हैं, क्या तरक्की करते हैं .....**(व्यवधान)**.....

श्रीमती भावना चिखलिया : आप इसका पता लगाइये। .....**(व्यवधान)**.....

श्री बलराम जाखड़ : मैं सुन रहा हूं और इस बात का ही जवाब दे रहा हूं। उन्होंने पहले जिक्र किया था कि पुराने जमाने में जो काम करते थे, वह आज क्यों नहीं करते। उन पर तरक्की होती है। उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है .....**(व्यवधान)**..... मेरी बात सुन लीजिये। हम इसलिये श्रम शक्ति की बात करते हैं। सरकार जहां प्रोडेक्शन देती है, वहां मजदूरी बढ़ती है। जहां प्रोडेक्शन नहीं देती वहां मजदूरी नहीं बढ़ती। यही उपकरण हैं। मैंने पिछले साल यही जवाब दिया था। .....**(व्यवधान)**..... कैसे बढ़ रहा है मैं यही तो देख रहा हूं कि इससे तरक्की होगी। अगर आप तरक्की नहीं चाहते तो और कोई साधन नहीं है।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि हमारे अनुसंधान संस्थानों ने गत तीन वर्षों के दौरान 20 प्रकार के उपकरणों का विकास किया है, उन्होंने एक सूची भी दी है। मैं जानना चाहता हूं कि इन उपकरणों की किसानों में कितनी मांग है। क्या सरकार को इस पहलू के संबंध में कोई सूचना मिली है ? दूसरे, किन उपकरणों की मांग बढ़ रही है ? क्या सरकार उन उपकरणों पर कोई राजसहायता दे रही है जिनकी मांग है ताकि किसानों में ऐसे उपकरणों की मांग में अधिकाधिक वृद्धि हो ?

श्री बलराम जाखड़ : मांग में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इन उपकरणों की बड़ी मांग है और इनके निर्माण के लिये नये उद्यमी और छोटे कारीगर आगे आ रहे हैं। जहां तक हमारे द्वारा दी जा रही सब्सिडी का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य को इसका ब्यौरा दूंगा।

[हिन्दी]

देवदासी प्रथा

***402. श्री आनन्द रत्न मौर्य :**

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में देवदासियों के संबंध में अध्ययन करने के लिए किसी समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो देवदासियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) देवदासियों के पुनर्वास और उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाने के संबंध में समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) केन्द्रीय सरकार ने बाल वेश्यावृति की समस्या के अध्ययन के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन किया, जिसने अन्य मुद्दों के साथ-साथ देवदासियों की समस्याओं की भी जांच की।

(ख) हालांकि समिति ने देवदासियों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया, द्वितीयक स्रोतों से पता चलता है कि उनकी अधिकतर संख्या कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में है। कर्नाटक के छः जिलों में, जहां देवदासी प्रथा व्याप्त है, अनुमान है कि वर्ष 1991-92 में लगभग 21,000 देवदासियां थीं। 1986 में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला था कि आंध्र प्रदेश में 16,300 जोगिनें थीं। किन्तु, वेंकट्सनिस और बसविए इत्यादि जैसे देवदासियों के अन्य वर्गों, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं कि संख्या ज्ञात नहीं है।

(ग) केन्द्रीय सलाहकार समिति ने सिफारिश की है कि (i) संबंधित राज्य सरकारों को राज्यों में मौजूद देवदासी प्रतिषेध अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिए तथा इन अधिनियमों के कार्यान्वयन के पुनरीक्षण के लिए आवश्यक नियम तैयार करने चाहिए : (ii) इस प्रक्रिया के बारे में बेहतर जानकारी पैदा करने तथा इस समस्या के प्रति समेकित विकासात्मक कार्रवाई को सुगम बनाने के लिए इस समस्या के विभिन्न पहलुओं, जिनमें समर्पण के लिए उत्तरदायी कारकों, देवदासियों के विभिन्न वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, समस्या की व्याप्ति और

विस्तार इत्यादि शामिल हैं, का व्यापक रूप से अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है, (iii) प्रत्येक राज्य सरकार को एक व्यापक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करनी चाहिए, जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों की विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत गैर-सरकारी संगठनों और राज्य-स्तरीय संगठनों द्वारा आर्थिक पुनर्वास के उपाय किए जाने चाहिए। प्रत्येक राज्य सरकार को एक उपयुक्त कार्यान्वयन तंत्र का भी गठन करना चाहिए, जिससे समन्वय उत्पन्न होगा और यह सुनिश्चित होगा कि देवदासियों और बच्चों के आर्थिक विकास संबंधी कार्यकलापों की सहायता के लिए उपयुक्त विपणन संपर्क प्रदान करने की ओर ध्यान देते हुए बहुत से आर्थिक और गैर-आर्थिक विकासात्मक निवेश उन्हें उपलब्ध कराये जायेंगे।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इन सिफारिशों पर सकारात्मक रूप से विचार किया है और संबंधित राज्यों से अनुरोध किया है कि वे उपयुक्त कार्रवाई करें।

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य : अध्यक्ष महोदय, सदन इस बात से सहमत होगा कि देवदासी प्रथा समाज तथा देश के लिए एक सामाजिक कुरीति है। लेकिन इनके बावजूद भी सरकार इस बात को नहीं जानती कि जिन-जिन राज्यों में अभी तक देवदासी प्रथा है, वहां उनकी कितनी संख्या है। इसी से सरकार की उदासीनता उजागर होती है।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मेरा सीधा सा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त किये जाने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम सुनिश्चित किया है ? अगर निश्चित किया है तो उसके क्रियान्वित होने के बाद वर्षवार क्या उपलब्धि हुई है ? क्या सफलता मिली ?

श्री बलराम जाखड़ : जहां तक आपने कहा कि हमें आगे बढ़ना है .....**(व्यवधान)**.....

[अनुवाद]

श्रीमती वासवा राजेश्वरी : उस क्षेत्र में विजयनगर वंश के शासन काल से ही यह प्रथा चल रही थी। मुझे इस बात की जानकारी इतिहास से तब हुई जब में कर्नाटक में समाज कल्याण मंत्री थी। यह प्रथा सैन्य शिविरों की जरूरतें पूरी करने के लिए आरम्भ की गई थी। इसे पूर्णत: स्थानीय रखा गया। महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ ही जिलों में देवदासी प्रथा अभी भी चलन में है। कर्नाटक में इसे देवदासी या बसावी कहते हैं। आन्ध्र प्रदेश में इसे जोगिन या वेंकट सती और महाराष्ट्र में देवदासी के नाम से यह जाना जाता है।

आय के लिए बूढ़ी औरतें ईश्वर के नाम पर 12 से 18 वर्ष की नवयुवतियों को पेश करती थीं। अज्ञान, निरक्षरता, चेतना के अभाव और अन्ध विश्वास के कारण वे लड़कियों को शोषण के लिए पेश करती हैं।

जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है, तो हमने इस प्रथा के उन्मूलन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राज्य सरकारों के अपने कानून हैं और उनका कार्यान्वयन किया जा रहा है। हमने संकट में पड़ी उन महिलाओं के लिए कई पुनर्वास कार्यक्रम आरम्भ किए हैं और उनके बच्चों को पुनर्स्थापित भी किया है।

महोदय, हमने यही कार्यवाहियां की हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं प्रश्न का उत्तर विस्तार में दूं, तो मैं राज्य-वार उत्तर दूंगी। बाल वेश्यावृत्ति संबंधी एक मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि देवदासी प्रथा पर अध्ययन कराया जाए। हमने विस्तार से अध्ययन किया है। विभिन्न राज्यों ने कानून भी बनाए हैं और हमने जो कदम उठाए हैं उनसे परे अलग कदम भी उठाए हैं।

[हिन्दी]

आनन्द रत्न मौर्य : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का मंत्री जी ने बहुत गोलमोल उत्तर दिया है फिर भी मैं आपके माध्यम से दूसरा सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में देवदासियों के पुनर्वास के लिए कितनी स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं, सहयोग दे रही हैं ? वे कौन-कौन सी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं ? क्या उन स्वयंसेवी संस्थाओं को केन्द्र के द्वारा कोई सहायता प्रदान की जाती है और यदि हां तो वर्षवार उसका ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

श्रीमती वासवा राजेश्वरी : महोदय, हमने इस प्रथा का पूर्ण सर्वेक्षण नहीं किया है, पर हम यथाशीघ्र करने जा रहे हैं। 'आरदी' नामक एक सहायक संस्थान् के सर्वेक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि कर्नाटक में 23,000 और आन्ध्रप्रदेश में 16,300 देवदासियां हैं। पुनर्वास कार्यक्रम के संबंध में जहां तक कर्नाटक का प्रश्न है तो कर्नाटक सरकार इन महिलाओं में भूमि का वितरण कर रही है। इन महिलाओं को पट्टे जनता आवास और मकान स्थल भी दिए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य : मैंने स्वयंसेवी संस्थाओं के बारे में पूछा था कि कौन-कौन सी संस्थाएं उनके पुनर्वास में लगी हैं, उसका कोई उत्तर नहीं आया है।

[अनुवाद]

श्रीमती वासवा राजेश्वरी : देवदासी प्रथा के सर्वेक्षण पर केवल एक ही संगठन ने अपनी रिपोर्ट दी है। हमने सर्वेक्षण नहीं किया है। .....**(व्यवधान)**.....

श्रीमती वासवा राजेश्वरी : महोदय, वह यह पूछ रहे थे।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : आदरणीय अध्यक्ष जी माननीय सदस्य ने महाराष्ट्र के विषय में विशेष जानकारी चाही है कि वहां कितनी प्रशासकीय संस्थाएं हैं जो इस काम में लगी हुई हैं, वह जानकारी इस वक्त मेरे पास नहीं है कि अलग अलग प्रदेशों में कितनी शासकीय संस्थाएं काम कर रही हैं और उन्हें प्रदेशों से कितनी सहायता मिल रही है। इसकी जानकारी लेकर हम माननीय सदस्य को दे सकते हैं।

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : अध्यक्ष जी, मैं पहले जानना चाहूंगी कि मैं एक सप्लीमेंटरी पूछ सकती हूं या दो ?

अध्यक्ष महोदय : केवल एक।

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : मैं अपने प्रश्न के दो भाग करके पूछ लेती हूं। मेरे प्रश्न के 'डी' भाग के उत्तर में कहा गया है कि–

[अनुवाद]

"केन्द्रीय सरकार ने इन सिफारिशों पर सकारात्मक रूप में विचार किया है और संबंधित राज्यों से समुचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।"

[हिन्दी]

यहां जिस 'पौजिटिवली' शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका मतलब है कि इस काम की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर छोड़ दी गयी है, स्टेट गवर्नमेंट्स को यह काम करने के लिये कह दिया गया है।

[अनुवाद]

वह राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। केंद्रीय सरकार ने यह केवल परामर्शदाता के रूप में काम किया है। उन्होंने राज्य सरकारों को केवल समुचित कार्यवाही करने को कहा है। इस बारे में केंद्रीय सरकार क्या करने जा रही है ? हम यही जानना चाहते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि देवदासी प्रथा बहुत पुरानी है जिस पर देश और विदेश के अनेक अभ्यासकों ने काफी रिपोर्ट लिखी हैं, चर्चाएं हुई हैं और अनेकों कानून पास किये गये हैं।

इसमें और ज्यादा कोई अभ्यास करने की जरूरत है, ऐसा मैं नहीं समझती। धर्म और देवी-देवताओं के नाम पर चलाई जाने वाली यह प्रथा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और घृणास्पद है। वैसे तो हम इस काम में माहिर हैं कि यदि कोई भी बुरी बात भी करनी हो तो धर्म और भगवान के नाम पर कर लेते हैं। यदि किसी की नरबलि चढ़ानी हो, किसी को वैश्या बनाना हो या किसी को अछूता कहकर उसपर अत्याचार करना हो तो भी हम धर्म का सहारा ले लेते हैं। इससे हजारों-लाखों निष्पाप लोगों की जिन्दगी बर्बाद हो रही है। यह बहुत ही सीरियस बात है। इसलिए प्रिवेन्टिव और क्यूरेटिव, दोनों बातें होने की जरूरत है। मैं जानना चाहूंगी कि क्या केन्द्र सरकार पीज़ीटिवली इस बारे में कुछ करेगी-जिससे छोटी लड़कियां जो देसवासी होने वाली हैं, उनके लिए क्या ऐसे कोई केन्द्रीय स्कूल या नवोदय विद्यालय जैसे स्पैशल स्कूल चलाए जाएंगे जिनमें उनके रहने, खाने का बन्दोबस्त हो, उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वे ऐसी बुरी बात करने पर मजबूर न हो सकें ?

[अनुवाद]

श्रीमती वासवा राजेश्वरी : इस दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं। महिला और बाल विकास विभाग ने 'नौरैड' योजना के अंतर्गत पश्चिमी महाराष्ट्र विकास निगम के लिए दो परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। स्वीकृत परियोजना में 85 देवदासियों को बुनाई का एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया गया है। इन परियोजनाएं के लिए हमने इस निगम के लिए 11,30,000 रुपए की धनराशि का नियतन किया है। उसी संगठन को एक वर्ष के लिए 100

महिलाओं को घड़ी के पेचपुर्जे जोड़ने संबंधी पाठ्यक्रम की एक परियोजना दी गई थी। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकार ने देवदासियों या उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न यह है कि समाज से इस बुराई के उन्मूलन के लिए भारत सरकार क्या सहायता दे रही है।

श्रीमती वासवा राजेश्वरी : महोदय, मैंने इसी प्रश्न का उत्तर दिया है। नौरैड योजना के अंतर्गत पश्चिमी महाराष्ट्र विकास निगम के लिए ये परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : ये दो परियोजनाएं हैं; सरकार का कार्यक्रम या नीति नहीं।

श्रीमती वासवा राजेश्वरी : महोदय, ये दो कार्यक्रम ही हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप अपने ही ढंग से उत्तर दें।

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : महोदय, मैंने विशेष रूप से यह पूछा है कि क्या केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या आई॰ आई॰ टी॰ जैसे कुछ शैक्षिक संस्थान खोले जाते हैं। क्या वास्तव में दुखित लडकियों के लिए हम ऐसी कोई योजना बना सकते हैं ?

श्री अर्जुन सिंह : मेरी समझ से माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि मूलत: यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका समाधान इस घृणित प्रथा के प्रति जागरूकता पैदा कर किया जा सकता है। महिलाओं सहित पूरे समाज में इसके प्रति सामान्य चेतना जागृत करने से इस बुराई का उन्मूलन किया जा सकता है। इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें इस क्षेत्र में काम करना है। केंद्रीय सरकार ने प्रशिक्षण कार्यक्रम देकर राज्य सरकारों की सहायता की है ताकि उन परिवारों को आर्थिक शक्ति मिल सके जिनके सदस्य इस प्रथा में संलिप्त हैं, और वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इससे देवदासी और अन्य प्रथा के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी।

मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि यह समस्या का एकांगी दृष्टिकोण नहीं हो सकता है। सामाजिक संगठनों और राज्य सरकार, दोनों का समस्या के प्रति साकल्यवादी दृष्टिकोण होना चाहिए। केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को यथा सम्भव पूर्णतम सहायता देने को तैयार है ताकि वे कार्यकुशलता और समुचित नियोजन के साथ इस उत्तरदायित्व को निभा सकें।

श्रीमती सुशीला गोपालन : अध्यक्ष महोदय, चेतना जागृत करना एक बात है, वह सबसे महत्वपूर्ण बात सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम आरम्भ करना है। अभी तक किए गए प्रयास अपर्याप्त हैं। जब तक राज्य और केंद्रीय सरकारें संयुक्त रूप से सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम आरम्भ नहीं करते हैं तब तक कोई परिणाम नहीं मिलेगा। क्या सरकार इन देवदासियों के बच्चों को थोड़ी सहायता देने पर विचार करेगी जो स्कूल जाते हैं ? क्या सरकार इन बच्चों की माताओं को थोड़ी सहायता देने पर विचार करेगी ताकि वे अपने बच्चों को, विशेषत: अपनी बालिकाओं को, स्कूल भेज सकें क्योंकि आर्थिक कठिनाइयों के कारण वे घर पर ही रह जाते हैं ? यदि उन्हें अपनी बालिका सन्तानों को स्कूल भेजने के लिए विशेष अनुदान दिया जाए तो कुछ अच्छा परिणाम मिलेगा यदि आप इन आधारों

पर नहीं सोचते, यदि जमीन दी जाती है पर पैसे नहीं दिए जाते हैं तो वे उस जमीन पर खेती कैसे कर पाएंगे ? इन बातों पर समग्र रूप से विचार होना चाहिए। क्या आप इन मुद्दों पर विचार करने का कष्ट करेंगे ?

श्रीमती वासवा राजेश्वरी : महोदया, हमने इस पर पहले ही विचार कर लिया है। कर्नाटक में ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए कई स्कूल खोले गए हैं। उन्हें एकमुश्त अनुदान भी दिया जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले बच्चों को 40 रुपए और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 60 रुपए से 120 रुपए तक अनुदान दिया जाता है। उन्होंने कर्नाटक में अल्पकालिक आवास गृह और किशोर गृह भी आरम्भ किए हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में वृद्ध स्त्रियों को 'स्थान' के साथ-साथ पेंशन भी दी जाती है। कर्नाटक सरकार ने बेलगांव में 384 परिवारों को जनता आवास और अन्य चीजें दी हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इन परिवारों के विद्यार्थियों को 250 रुपये का वज़ीफा भी दिया है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्थान प्रदान करने के अलावा ये कार्य किए गए हैं। अन्य सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम और योजनाएं भी लागू की जा रही हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदया ने बताया कि देवदासियों का अध्ययन करने के बारे में समिति बनायी गई है। समितियों के बारे में तो आपको मालूम ही है। जे॰ पी॰ सी की रिपोर्ट पर जो ऐक्शन टेकन रिपोर्ट आई है, उसके बारे में सब को जानकारी है। जिस प्रकार से टैरारिस्टों के ऊपर 'टाडा' लगता है, क्या ईसी तरीके से आप इसकें सम्बन्ध में कोई कठोर नियम बनाने जा रहे हैं ? अक्सर नाबालिग लड़कियों को उठा लिया जाता है और उनके साथ जबर्दस्ती की जाती है। इसको बंद करने के लिए क्या आप कोई कठोर नियम या कानून बनाने जा रहे हैं ?

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्या ने जो बात कही है, निश्चित रूप से उसके ऊपर विचार होना चाहिये। इस पर विचार हो भी रहा है। इम्मॉरेल ट्रैफिक ऐक्ट को मजबूत और कड़ा बनाने के लिये विचार हो रहा है। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रख कर उस विधेयक में संशोधन किये जायेंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, जहाँ तक इन कलाकारों के पुनर्वास का प्रश्न है तो मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि इस संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

अत: यह स्पष्ट है कि वे महिला नाट्य कलाकार जिन्हें घर से बाहर जाना पड़ता है और जो आसानी से उपलब्ध रहती हैं, के बारे में सामन्ती दृष्टिकोण के कारण इस पद्धति का दुरुपयोग होता है।

इसका कारण इन महिला कलाकारों की आर्थिक स्थिति और निर्धन पारवारिक पृष्ठभूमि है। मैं पूछना चाहती हूं कि ऐसी अन्य महिला कलाकार भी हैं, विशेषरूप से ग्रामीण और लोक कलाकार जिनका विभिन्न राज्यों में इसी प्रकार सामाजिक और यौन शोषण हो रहा है। अतएव मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार

इन कलाकारों के उत्थान या ऐसी महिला कलाकारों, विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली कलाकारों को शोषण से बचाने के लिए कोई व्यापक योजना शुरू करेगी।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, सामान्य स्थिति के बारे में एक विस्तृत प्रश्न है जिससे शायद लोक कलाकार विशेष रूप से महिला कलाकार, प्रभावित हो रहे हों। मैं नहीं समझता कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वह इस प्रणाली के अन्तर्गत आता है। चूंकि कुछ हद तक यह मामला महिला कलाकारों और उनके शोषण से सम्बन्धित है अत: हम इसे दूर करने के उपाय पर विचार करेंगे और यदि इस संबंध में कुछ विशेष कदम उठाने की आवश्यकता होगी तो हम सुनिश्चित करेंगे कि सभी संभव कदम उठाए जाएं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य 'ग' भाग में कुछ सिफारिशें हैं जैसा कि केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति ने संस्तुति की है कि : (1) सम्बन्धित राज्य सरकार को राज्यों में प्रचलित देवदासी प्रतिषेध अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक नियम बनाने चाहिए तथा इस अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करनी चाहिए।

महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि किन-किन राज्य सरकारों ने नियम बना लिए हैं और किन-किन राज्य सरकारों ने अधिनियम के कार्यान्वयन संबंधी स्थिति की समीक्षा की है और इसकी निगरानी के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

श्रीमती वासवा राजेश्वरी : महोदय, कर्नाटक ने सर्वप्रथम ये नियम बनाए थे। महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश को इसकी समीक्षा करनी है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या उन्होंने इसकी समीक्षा की है ?

श्रीमती वासवा राजेश्वरी : हमने उनसे समीक्षा करने के लिए कहा है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : आपने उनसे समीक्षा करने के लिए कहा है लेकिन उन्होंने अभी तक उसकी समीक्षा नहीं की है।

[हिन्दी]

फसल बीमा योजना

***403. श्री लाल बाबू राय :**

डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नई प्रायोगिक फसल बीमा योजना कब कार्यान्वित की गई थी;

(ख) इस समय यह योजना किन-किन राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है;

(ग) क्या तहसील को एक एकक मानने से केवल कुछ ही किसानों और फसलों को वर्तमान योजना का लाभ मिलेगा;

(घ) सभी किसानों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार बाढ़, सूखा और भूकम्प प्रवण क्षेत्रों के लिए फसल बीमा योजना की राशि बढ़ाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) प्रायोगिक फसल बीमा योजना देश में लागू नहीं की गई है।

(ख) से (छ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

श्री लाल बाबू राय : अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के जवाब में बताया है कि प्रश्न ही नहीं उठता है।

भारत किसानों का देश है, जहां पर 75-80 परसेण्ट लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं। करीब 26 करोड़ जनसंख्या बड़ी मेहनत से खेती करती है। इस देश में बाढ़ से, सुखाड़ से, भूकम्प से किसानों की फसल तबाह बर्बाद होती रहती है, जिससे किसान तबाह रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगर भाषण हो गया तो क्वश्चन का उत्तर नहीं आयेगा।

श्री लाल बाबू राय : मैं मूल प्रश्न पर आता हूं। माननीय मंत्री जी अपने को कहते हैं कि मैं किसान हूं और किसानों का भाई हूं, किसानों के हितैषी कहलाने वाले माननीय मंत्री जी हैं। जब किसान की फसल बर्बाद होती है, उसकी आंखों से जब आंसू बहते हैं तो किसान भी अपने दर्द को महसूस करता है।

माननीय मंत्री जी ने फसल बीमा योजना में 10,000 रुपये तक का प्रावधान रखा है लेकिन तम्बाकू, गन्ना और कपास की फसल बीमा योजना आपने लागू नहीं की है। मैं चाहूंगा कि इन फसलों पर भी फसल बीमा योजना को लागू किया जाय। इसमें समिति की सिफारिश भी है, उसकी रिपोर्ट भी कि फसल बीमा योजना की राशि को बढ़ाया जाय। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना की राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाने का विचार आप रखते हैं या नहीं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक उनका प्रश्न यह है कि किसान हूं कि नहीं हूं तो वह बात तो शायद वह भी जानते हैं कि मैं किसान हूं।

प्रश्न इस बात का है कि जो प्रश्न आपने पूछा है, उसका जवाब हमने दिया है .....**(व्यवधान)**..... मैं सवा 6 फुट लम्बा हूं। प्रश्न इतना है कि जो उन्होंने प्रश्न पूछा है, उसका हमने जवाब दिया है। उन्होंने पूछा है कि पायलट स्कीम चालू हुई कि नहीं तो वह अभी अण्डर कंसीडेशन है, उसके लिए विचार-विमर्श हो रहा है। जो आप जिक्र कर रहे हैं, वह पुरानी स्कीम थी। वह पहले भी लागू थी और आज भी लागू है। मैं इस बात के लिए प्रयत्नशील हूं कि हमारी जितनी भी क्राप्स हैं, उनपर बीमा योजना लागू हो लेकिन उसके लिए शोध जारी

है। उसमें कुछ खामियां नजर आती हैं। सारा कुछ देख लिया गया है। उसका शुद्धीकरण करके फिर उसको लागू किया जायेगा। आप किसी दिन दूसरा प्रश्न पूछिएगा, तब आपको बता दूंगा।

श्री लाल बाबू राय : मैं माननीय मंत्री जी से पूरक प्रश्न पूछता हूं।

अभी-अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस योजना को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है और इसको क्रियान्वित करने का विचार है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस योजना को कब तक क्रियान्वित करेंगे।

श्री बलराम जाखड़ : शीघ्रातिशीघ्र कोशिश करेंगे।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न फसल बीमा से संबंधित है। आपने कई बार सदन में स्वीकार किया है कि इसका लाभ सभी किसानों को देना चाहते हैं। मूल रूप से मेरा प्रश्न भी इसी प्रकार का था, किन्तु क्लब होने की वजह से थोड़ा सा भाव बदल गया है। आप केवल कुछ ग्रामों या तहसील को एकक मानकर फसल बीमा योजना के बारे में विचार करते हैं या कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या आप वैयक्तिक आधार पर इस के बारे में विचार कर रहे हैं या इस बारे में आपका विचार है–इसको आप स्पष्ट कीजिए ?

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रैक्टिकल चीज देखनी पड़ती है। इसमें बहुत सी बाधायें हैं। मैं सन् 1972 से इस काम के बारे में सोचता आ रहा हूं, सोचता आ रहा हूं, क्योंकि मैं स्वयं इससे पीड़ित हूं। .....(व्यवधान)..... मैं किसान के नाते से सोचता रहा हूं। .....(व्यवधान)..... इसमें मजाक की कौन सी बात है। .....(व्यवधान).....

एक माननीय सदस्य : पता नहीं कितने वर्ष और सोचते रहेंगे। .....(व्यवधान).....

श्री बलराम जाखड़ : आप किसान होते तो आपको पता लगता कि कैसे क्या होता है। .....(व्यवधान).....

एक माननीय सदस्य : आप क्या सोचते आ रहे हैं, यह बता दीजिए ?

श्री बलराम जाखड़ : सोचने की बात बता रहा हूं। काम करने और कहने में बहुत अन्तर है। कथनी और करनी में फर्क मिटाने की कोशिश की जा रही है। उसमें कितनी बाधायें हैं, कितनी मुश्किलात हैं, उन सारों को सीधा करने के पश्चात किसानों को लाभ हो और फसल बीमा योजना सफलीभूत हो सके और लागू हो सके। आज जो जिस प्रकार की योजना चल रही है, उसमें जो सिर्फ लोनी फार्मर्स है, उन्हीं का करते हैं, दूसरों का नहीं करते हैं। इसके लिए पूरी स्कीम बना करके दी गई है, लेकिन इसमें शोधकरण जासी है। मैं चाहता हूं कि यह जल्दी से जल्दी हो जाए। कैबिनेट कमेटी की स्पैशल कमेटी को सौंपी गई है। आशा है, जल्दी हो जाएगी।

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या अगले सत्र तक संभव होगी ?

श्री बलराम जाखड़ : कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

प्रो॰ उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है। माननीय मंत्री महोदय ने सभा में अनेक अवसरों पर वायदा किया है कि यह योजना लागू की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपसे आन्ध्र प्रदेश की यात्रा के दौरान आश्वासन दिया था कि इस योजना को 1993 के रबी मौसम से लागू किया जाएगा। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि यह योजना कब से लागू की जाएगी और क्या यह योजना राष्ट्रीय कृषि नीति का भाग बनेगी।

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, इसके दो पहलू हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे जानना चाहते हैं कि क्या यह योजना राष्ट्रीय कृषि नीति का भाग बनेगी।

श्री बलराम जाखड़ : कृषि नीति सभा पटल पर रख दी गई है और वे नीति का अध्ययन कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय देश में नई प्रायोगिक फसल बीमा योजना कार्यान्वित करने जा रहे हैं, लेकिन जो पुरानी फसल बीमा योजना है, उसके तहत गुजरात के अन्दर करोड़ों रुपए बकाया पड़े हैं। गुजरात के प्रतिनिधि मंडल के लोगों ने आप से रू-बरू सम्पर्क किया था, फिर भी आज तक कुछ नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, आप यह राशि कब तक दे देंगे ?

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, यह पालिसी से संबंधित प्रश्न है। इसके लिए आप अलग से प्रश्न कीजिएगा। वैसे यह भी हो रहा है, इसमें भी काफी बाधायें हैं। कई महकमे हैं, जिनको देखना पड़ता है कि क्या वाकई इतना हुआ है या नहीं, फसल है या नहीं। इसलिए इस लिए शोधकरण के लिए नई पालिसी को ला रहे हैं, जिससे जो भी व्यवधान है, वे खत्म हो जायें .....(व्यवधान)..... आप सवाल दीजिए, उसका भी जवाब देंगे।

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जो प्रश्न पूछना चाहता हूं, वे उसको गम्भीरता से लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। भारतवर्ष में बहुत विस्तृत क्षेत्र में नदी के किनारे खेती होती है।

खास तौर से मेरे उत्तर प्रदेश संसदीय क्षेत्र में पांचों विधान सभाओं से घाघरा नदी निकलती है। उसमें पहले बाढ़ आती थी तो पानी विस्तृत रूप से फैल जाता था। .....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बहुत लम्बा हो जाएगा।

.....(व्यवधान).....

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : महोदय, मैं इस प्रश्न को कई बार पूछ चुका हूं लेकिन इस पर कोई सही उत्तर नहीं आता है। इस कारण विस्तार आवश्यक है। अब तमाम कृषकों को बचाने के लिए नदी के किनारे बहुत बड़े भू-भाग में बांध बना दिया गया है, उस बांध के बन जाने के कारण जो जल भराव होता है

वह फैल नहीं पाता। उस बांध तथा नदी के बीच में लाखों किसान आ गए हैं वे प्रतिवर्ष बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे किसानों की रक्षा के लिए, उनको बचाने के लिए माननीय कृषि मंत्री जी क्या कोई योजना बना रहे हैं या जो विचारणीय योजना फसल बीमा योजना में है उसमें उनको रखने का विचार कर रहे हैं या नहीं ? मान्यवर, इस पर स्पष्ट उत्तर दिलाने की कृपा करें।

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, प्रश्न इतना ही है कि इस बीमा योजना में जो नई पालिसी

[अनुवाद]

श्री विजय नवल पाटिल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि वे स्थिति पर 1972 से विचार कर रहे हैं। उर्वरकों पर से बड़ी मात्रा में राजसहायता वापस लेने की सरकारी नीति के कारण किसान अत्यधिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

क्या मंत्री महोदय पायलट परियोजनाओं को शीघ्र शुरू करने पर विचार करेंगे ? इन परियोजनाओं को लागू करने के दौरान उन्हें इनकी कमियों का ज्ञान हो जाएगा। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान अर्जित व्यावहारिक अनुभव किसानों के लिए उपयोगी रहेगा। पायलट परियोजनाओं के बारे में विचार करने के बजाय क्या वे इन योजनाओं को अगले वर्ष से शुरू करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है।

श्री बलराम जाखड़ : मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है।

श्री पी० सी० थॉमस : नगदी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारी क्षति हो रही है। मुआवजे में दी जाने वाली राशि बहुत ही कम है। उदाहरणार्थ, जब नारियल का पेड़ पूर्णरूप से नष्ट हो जाता है तो सरकार द्वारा सिर्फ 40 या 100 रुपये का मुआवजा दिया जाता है जो किसान द्वारा किए गए परिश्रम और लागत की तुलना में बहुत ही कम है।

क्या आप एक नीति बना सकते हैं जिसके अन्तर्गत किसान नगदी फसलों के लिए फसल बीमा ले सकते हैं ताकि बार-बार घटने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण पीड़ित किसानों को राहत प्रदान की जा सकती है।

श्री बलराम जाखड़ : हमने मुआवजे की राशि को 25000 रुपये से बढ़ाकर 45000 रुपये कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 404–श्री एस० एम० लालजान वाशा-उपस्थिति नहीं हैं।

श्री चेतन पी० एस० चौहान : मैं इस प्रश्न को उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यदि श्री चौहान इस प्रश्न को उठाना चाहते हैं तो मैं उन्हें इसकी अनुमति देता हूं।

भूतपूर्व ओलम्पिक खिलाड़ियों को सहायता

*404. **श्री चेतन पी० एस० चौहान** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जुलाई, 1994 के "टाइम्स आफ इंडिया" में, भूतपूर्व ओलम्पिक खिलाड़ियों के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने सभी भूतपूर्व ओलम्पिक खिलाड़ियों की वर्तमान दशा और आर्थिक स्थिति के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो कितने भूतपूर्व ओलम्पिक खिलाड़ी आर्थिक अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं; और

(घ) ऐसे कितने खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता दी गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उन भूतपूर्व ओलम्पिक खिलाड़ियों की संख्या के बारे में विभाग के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है जो आर्थिक अभाव की स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं।

(घ) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही "प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पेंशन के लिए खेल कोष" की नई योजना के अंतर्गत तीन ओलम्पिक खिलाड़ी 2000/- रुपये प्रतिमाह की दर से आजीवन पेशन प्राप्त कर रहे हैं। समाचार में उल्लिखित श्री मैनुअल फ्रेडरिक्स सहित 37 और ओलम्पिक खिलाड़ी भी शीघ्र भारतीय जीवन बीमा निगम से इसी दर पर पेंशन प्राप्त करेंगे।

[हिन्दी]

.....(व्यवधान).....

श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है, जैसा कि मंत्री जी ने बताया है कि इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण या सर्वे नहीं किया गया कि कितने खिलाड़ी नौकरी में हैं, काम कर रहे हैं और कितने बेरोजगार हैं, कितनों की हालत दयनीय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खिलाड़ी अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जवानी खेल के लिए, अपने देश के लिए दे देता है और वह अपने देश के लिए खेलता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह का कोई सर्वे करावाएंगे कि ओलंपिक में भाग लेने वाले कितने खिलाड़ी बेरोजगार हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है और क्या इसकी जानकारी हम लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी ?

[अनुवाद]

श्री मुकुल वासनिक : हमने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पेंशन देने के लिए जो योजना शुरू की है उसमें ओलम्पिक खेलों में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ी शामिल हैं और इन खिलाड़ियों की संख्या 126 है।

जहाँ तक एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का संबंध है, उनकी संख्या 139 है। इन खिलाड़ियों को पेंशन उनकी वित्तीय स्थिति को नजरअंदाज करते हुए दी जाएगी। जिन खिलाड़ियों की स्थिति खराब है उनके लिए हमने अलग से एक योजना चलायी है जो कि पिछले कुछ वर्षों से चालू है और हम ऐसे

खिलाड़ियों की आवश्यकताओं को अलग से पूरा करते हैं। अत: जब कभी भी किसी खिलाड़ी की खराब स्थिति का मामला सामने आता है तो हम मासिक पेंशन देते हैं अथवा यदि जरूरत पड़ती है तो एक मुश्त अनुदान भी देते हैं।

श्री चेतन पी० एस० चौहान : महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि केवल पदक विजेताओं को ही पेंशन दी जाएगी। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनका भूतपूर्व सैनिकों की तरह से इन खिलाड़ियों के मामले में भी कोई आरक्षण करने का विचार है। जैसा कि मैंने कहा है कि खिलाड़ी अपने यौवन को देश के लिए समर्पित कर देते हैं। क्या आपका इन खिलाड़ियों को कोई आरक्षण देने का विचार है अथवा क्या आप इसके लिए सरकार या सरकारी संगठनों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सरकारों को कोई निर्देश देंगे ताकि इन खिलाड़ियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें ?

महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनका स्वर्ण पदक विजेताओं की तरह अर्जुन पुरस्कार पाने वालों को भी पेंशन देने का विचार है क्योंकि मुझे भी अर्जुन पुरस्कार मिला है।

अध्यक्ष महोदय : आपको संसद से पेंशन मिलेगी।

श्री चेतन पी० एस० चौहान : महोदय, प्रश्न यह है कि अनेक प्रकार के खेल हैं और इनमें से कुछ खेल हैं जिनमें हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं नहीं टिकते इसलिए हमें इन खेलों में कोई पदक नहीं मिल सकता है। ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिन्हें इन खेलों में भी अर्जुन पुरस्कार मिला है। क्या मंत्री महोदय इसके बारे में भी विचार करेंगे ?

श्री मुकुल वासनिक : महोदय, मैं इसके बारे में एक बार और स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। पदक विजेताओं को पेंशन एक योजना है और जिन खिलाड़ियों की स्थिति खराब है उनकी पेंशन एक दूसरी योजना है। दूसरी योजना के अन्तर्गत हमने 58 खिलाड़ियों को पेंशन और 92 खिलाड़ियों को एकमुश्त सहायता दी है।

जहाँ तक अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को पेंशन देने का संबंध है, महोदय आपने कह ही दिया कि चौहान जी को तो पेंशन संसद से ही मिल सकती है। यद्यपि वह विपक्ष के सदस्य हैं लेकिन फिर भी हम यह नहीं चाहते कि वह जल्दी से पेंशन भोगी बनें। परन्तु हम अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों के लिए भी एक योजना बना रहे हैं ताकि उन्हें भी कुछ लाभ मिल सके ? यह योजना तैयार की जा रही है परन्तु इस समय मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता हूं।

श्री चेतन पी० एस० चौहान : महोदय, आरक्षण के बारे में आपका क्या विचार है ? उसका मुझे उत्तर नहीं मिला।

श्री मुकुल वासनिक : महोदय, कार्मिक विभाग ने सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों को खिलाड़ियों के लिए कुछ पद आरक्षित रखने के निर्देश दे दिए हैं।

श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ : महोदय, मैं पश्चिमी महाराष्ट्र मैं अपने जिले का एक उदाहरण उद्धृत करना चाहता हूं। एक पहलवान ने हेलसिंकी में कांस्य पदक जीता था उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उसे सीधे निरीक्षक भर्ती कर दिया। दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। उसका नाम श्री खसोबा जादव है। शायद

मंत्री महोदय को याद होगा कि उनकी पत्नी ने कहा था कि वह बहुत परेशानी में है इसलिए वह उनका पदक बेचेगी। मैं कुश्ती संघ का वाइस प्रेजीडेंट हूं। हम सबने मिलकर उसे कुछ धनराशि दी। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी कुछ धनराशि दी। उसे कुछ नहीं मिल रहा है, वह चाहती है कि उसके एक पुत्र को कोई रोजगार मिल जाए। श्री चेतन पी० एस० चौहान ने ठीक यही कहा है।

दूसरे, श्री मंगारे को भी, जिन्होंने हेलसिंकी खेलों में चौथा स्थान प्राप्त किया था, कुछ नहीं मिल रहा है। क्या मंत्री महोदय चतुर्थ स्थान प्राप्त करने के लिए इन ओलम्पिक खिलाड़ियों को भी पेंशन तथा उनके परिजनों को कोई रोजगार देने पर विचार करेंगे ?

श्री मुकुल वासनिक : जहां तक श्रीमती के० डी० जादव का संबंध है, उनके लिए हमने 1500 रुपये की मासिक पेंशन मंजूर कर दी है। यह पेंशन श्रीमती जादव को अक्तूबर, 1992 से मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी।

जहां तक रोजगार का संबंध है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

उपभोक्ता संगठन

*405. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपभोक्ता मामलों संबंधी नीति तैयार करने में उपभोक्ता अधिकार संगठनों को सम्बद्ध करने से पूर्व उनकी वैधता और सदस्य संख्या की जांच पड़ताल करती है;

(ख) यदि हां, तो उनकी सदस्य संख्या और पंजीकरण की जांच किस प्रकार की जाती है; और

(ग) उपभोक्ता संगठनों की सदस्य संख्या और वैधता के निर्धारण के लिए सरकार द्वारा इस समय क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए० के० एंटनी) : (क) से (ग) उपभोक्ता मामलों के बारे में नीतियां तैयार करने में यह मंत्रालय केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की राय-सिफारिशों को ध्यान में रखता है। इस परिषद् में देश के विभिन्न भागों के अनेक उपभोक्ता संगठनों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। परिषद् में उपभोक्ता संगठनों को नामित करने के लिए मूलभूत मानदण्ड यह है कि उन्हें उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए।

राष्ट्रीय महिला संदर्शी योजना

*406. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारों से राष्ट्रीय महिला संदर्शी योजना में की गई सिफारिशें क्रियान्वित करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है और प्रत्येक राज्य में इन सिफारिशों को कहां तक क्रियान्वित किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) महिला एवं बाल विकास विभाग की तत्कालीन राज्य मंत्री की अध्यक्षता में जनवरी 1987 में गठित कोर ग्रुप ने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना 1988-2000 ई. का प्रारूप तैयार किया था। कोर ग्रुप ने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना विभाग को 9 अक्तूबर, 1988 को प्रस्तुत की। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना एक समग्र दीर्घकालिक नीति निर्देशक दस्तावेज है, जो भारतीय महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए संवैधानिक उपबंधों, विकास प्रक्रिया से संबंधित सिद्धान्तों तथा निर्देशों से निर्देशित है। इस योजना का उद्देश्य सभी महिलाओं के लिए समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करते हुए महिलाओं का समग्र विकास करना तथा उन्हें अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल करना है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में 353 सिफारिशें हैं जो कि ग्रामीण विकास, कृषि, रोजगार तथा प्रशिक्षण, समर्थन सेवाएं, ईंधन, चारा पानी, शिशुगृह/दिवस देखभाल केन्द्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार, कल्याण, विधायी, राजनीतिक भागीदारी तथा निर्णय निर्माण मीडिया और संचार तथा स्वैच्छिक कार्रवाई से संबंधित है। इनमें से कुछ सिफारिशें दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक नीति और वित्तीय मामलों से संबंधित है, जबकि अन्य सिफारिशें विधायी मामलों से संबंधित हैं। इन सिफारिशों का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है, ताकि महिलाओं को राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके।

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना की मुख्य सिफारिशों के राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रशासनों द्वारा कार्यान्वयन की स्थिति नीचे दर्शाई गई है :

संस्थागत विकास

(1) आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में अलग से महिला एवं बाल विकास विभाग स्थापित किए जा चुके हैं।

(2) आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और चण्डीगढ़ में महिला विकास निगमों की स्थापना की गई है ताकि महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें तथा महिला उद्यमशीलता का विकास किया जा सके।

(3) राष्ट्रीय महिला आयोग की भांति असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली तथा पंजाब में राज्य महिला आयोगों की स्थापना की गई है।

राजनैतिक शक्तिसम्पन्नता

(4) 73वे संशोधन के अनुसार, सभी निर्वाचित पदों में से एक तिहाई तथा सभी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के सभी पदों मे से एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।

आर्थिक शक्तिसम्पन्नता

(5) परती भूमि को लीज़ पर देने, सीलिंग, अतिरिक्त भूमि के लिए संयुक्त पट्टे जारी किए जाने की सिफारिश कार्यान्वित की जा रही है।

(6) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षण को 1 अप्रैल 1992 से 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।

(7) महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता, रोजगार और आयोत्पादक उत्पादन एकक, राष्ट्रीय महिला कोष जैसी आयोत्पादक परियोजनाओं को बढ़ावा देना तथा कामकाजी महिला होस्टल, अल्पावास गृह, निराश्रित महिलाओं का पुनर्वास, शिशुगृहों के संचालन की स्कीम जैसे महिला विकास कार्यक्रमों में गैर सरकारी संगठनों को सक्रिय रूप से शामिल किया जा रहा है।

(8) आंध्र प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली राज्यों और पांडिचेरी और चण्डीगढ़ केन्द्र शासित प्रदेशों में "क्राइम अगेंस्ट वीमेन" सेलों की स्थापना की गई है।

अभावग्रस्त क्षेत्र

*407. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष राज्य-वार कौन-कौन से क्षेत्र अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं;

(ख) इन क्षेत्रों में राहत-कार्य चलाने के लिए प्रत्येक राज्य ने कितनी-कितनी केन्द्रीय सहायता की मांग की है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से प्राप्त रिर्पोटों के अनुसार, वर्तमान वर्ष के दौरान सूखाग्रस्त घोषित क्षेत्रों का ब्यौरा इस प्रकार है।

(क) आन्ध्र प्रदेश	–	12 जिलों के हिस्से।
(ख) गुजरात	–	5 जिलों में 2562 गाँव।
(ग) महाराष्ट्र	–	13 जिलों के 2367 गाँव।
(घ) राजस्थान	–	25 जिलों में 22586 गाँव।

प्रभावित जिलों का विवरण संलग्न है।

राहत खर्च के लिये धन व्यवस्था करने की योजना में प्रत्येक राज्य को एक प्राथमिक आपदा राहत कोष मुहैया कराया गया है, जिसमें 75 प्रतिशत अंश भारत सरकार का है। सूखे सहित प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत पर होने वाला खर्च राज्य को आपदा राहत कोष से वहन करना होता है। इसलिये राज्य सरकारों ने किसी सहायता का अनुरोध नहीं किया है। लेकिन गुजरात सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ था कि सूखे की स्थिति से निपटने

के लिए उदार सहायता दी जाए। अत: इसे ध्यान में रखते हुए वर्ष 1994-95 के लिये आपदा राहत कोष में केन्द्रीय अंश की कुल 31.875 रुपये की दूसरी तथा तीसरी किस्तें माह जून, 1994 में अग्रिम रूप से गुजरात सरकार को दे दी गई थी।

विवरण

सूखाग्रस्त घोषित जिलों की सूची

(1) **आन्ध्र प्रदेश** : 1. श्री काकुलम 2. विजियानगरम् 3. विशाखा पट्टनम 4. पूर्वी गोदावरी 5. पश्चिमी गोदावरी 6. करीम नगर 7. नालगौंडा 8. अनन्तपुर 9. महबूब नगर 10. मेडक 11. रंगरेड्डी 12. कृष्णा।

(2) **गुजरात** : 1. कच्छ 2. जामनगर 3. जूनागढ़ 4. राजकोट 5. भावनगर।

(3) **महाराष्ट्र** : 1. पुणे 2. सांगली 3. सतारा 4. नासिक 5. धूले 6. जलगांव 7. अहमद नगर 8. बीड 9. उस्मानाबाद 10. लटूर 11. बुलडाना 12. भण्डारा 13 औरंगाबाद।

(4) **राजस्थान** : 1. अजमेर 2. अलवर 3. बांसवाडा 4. बाडमेर 5. भीलवाडा 6. बीकानेर 7. बूंदी 8. चित्तौडगढ़ 9. चूरू 10. दौसा 11. धौलपुर 12. डूंगरपुर 13. गंगानगर 14. जयपुर 15. जैसलमेर 16. जालौर 17. झुनझुन 18. जोधपुर 19. नागौर 20. पाली 21. राजसामंड 22. सिरोही 23. सवाई माधोपुर 24. टोंक 25. उदयपुर।

[हिन्दी]

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

***408. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :**

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **पर्यावरण** और **वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने अधिक सुविधाएं दिए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 'प्रदूषण नियंत्रण मशीनरी को सुदृढ़ बनाने की दिशा में' शीर्षक से एक अभिगम पत्र तैयार किया है। बोर्ड ने पर्यावरणीय प्रदूषण के विभिन्न पहलुओं से एक समन्वित ढंग से निपटने के लिए वित्तीय स्थिति की संभाव्यता, अवसंरचनात्मक और संगठनात्मक पुनर्संरचना से संबंधित ब्यौरों और आवश्यक वित्तीय सहायता की जांच करने के लिए एक उप-दल का गठन किया है जिसमें पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्ष/सदस्य सचिव शामिल हैं।

(ख) अभिगम पत्र में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को पर्यावरणीय सुरक्षा प्राधिकरणों/बोर्डों के रूप में नामोदिष्ट

करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है ताकि ये पर्यावरणीय सुरक्षा प्राधिकरण/बोर्ड निम्नलिखित कार्य अधिक कुशलतापूर्वक कर रहे सकें :

1. मृदा, जल (सतही और भूमिगत जल) तथा वायु सहित पर्यावरणीय गुणवत्ता के लिए मानक तैयार करना;

2. विभिन्न स्रोतों के पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जनों या विसर्जनों के लिए मानक तैयार करना;

3. पर्यावरणीय सुरक्षा और सुधार से संबंधित प्रणाली-विज्ञान/प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अनुसंधान करना और अध्ययन प्रायोजित करना;

4. मृदा, जल और वायु के संदर्भ में पर्यावरणीय गुणवत्ता की स्थिति और प्रवृत्ति से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े और रिपोर्ट प्रकाशित करना;

5. पर्यावरणीय मानदण्ड के आधार पर क्षेत्रों का वर्गीकरण और जीनिंग;

6. प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करना एवं कतिपय गतिविधियों को जरूरी सुरक्षा उपायों के साथ अनुमति देना;

7. औद्योगिक तथा अन्य परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के लिए तकनीकी निवेश और आंकड़े सृजित करना;

8. प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार से संबंधित नियम पुस्तकें तथा संहिताएं तैयार करना;

9. परिसंकटमय पदार्थों से संबंधित नियमों को लागू करना जैसा कि पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम में अधिसूचित किया गया है;

10. पर्यावरणीय संपरीक्षा करने और पर्यावरणीय विवरणों का मूल्यांकन करने के लिए उद्योगों को तकनीकी सहायता देना;

11. स्वच्छ प्रौद्योगिकियों तथा संसाधनों के संरक्षण, अपशिष्टों के उपयोग तथा पुन: प्रयोग के बारे में आंकड़ा आधार और सूचना प्रणाली की स्थापना करना;

12. परिसंकटमय अपशिष्ट निपटान, ओजोन का ह्रास करने वाले पदार्थों को धीरे-धीरे समाप्त करने तथा गंगा कार्य योजना, राष्ट्रीय नदी कार्य योजना और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना जैसे स्वच्छता कार्यों के प्रभाव का पता लगाने के लिए निगरानी के साथ-साथ पर्यावरणीय दृष्टि से मृदा, जल और वायु की गुणवत्ता की स्थिति और प्रवृत्ति का मूल्यांकन करने के लिए एक निगरानी नेटवर्क की स्थापना करना;

13. कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता देना तथा नाजुक संवेदनशील क्षेत्रों में प्रदूषण के उपशमन और पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना;

14. विभिन्न स्तरों पर कार्मिकों का प्रशिक्षण और व्यापक जागरूकता गतिविधियां। अभिगम पत्र में तकनीकी सेवाओं, आयोजना, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास तथा पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए उपकर लगाकर बोर्डों को निधियां उपलब्ध कराकर उन्हें मजबूत बनाने की सिफारिश भी की गई है।

(ग) उप-समिति, जिसका गठन अभिगम पत्र को अंतिम रूप देने के लिए किया गया है, कि बैठक 24-25 अगस्त, 1994 को होनी है। आशा है कि समिति इसके बाद एक मास के अंदर अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेगी, उस पर निर्णय लेने के लिए जिसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

भारतीय खाद्य निगम को हानि

*409. श्री गुमान मल लोढा :

श्री नीतिश कुमार :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों के परिवहन और भंडारण में हुई हानि औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानदंडों से अधिक थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निगम द्वारा चावल और गेहूं पर प्रतिवर्ष किए जाने वाले विभिन्न खर्चों में वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान चावल और गेहूं पर प्रति क्विंटल खर्च की जाने वाली वास्तविक धनराशि की तुलना में कितनी राशि का अतिरिक्त व्यय किया गया ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां। यह वर्ष 1992-93 के मामले में सही है। वर्ष 1993-94 के लेखों का संकलन किया जा रहा है।

(ख) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के मानदण्डों की तुलना में 1992-93 के दौरान मार्गस्थ और भण्डारण हानियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

हानियां

मानदण्डों के अनुसार		वास्तविकता के अनुसार	
लाख मीटरी टन	करोड़ रुपए	लाख मीटरी टन	करोड़ रुपए
2.14	94.83	5.02	223.33

(ग) से (ङ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा दो प्रकार के जो परिचालन किए जाते हैं, वे हैं–वसूली और वितरण। वसूली लागत में खाद्यान्नों की लागत, वसूली प्रासंगिक खर्चे शामिल थे। खाद्यान्नों की वितरण लागत में वितरण खर्च और स्टाक रखने की लागत शामिल होती है। 1991-92 से 1993-94 के दौरान गेहूं और धान/चावल पर किए गए वसूली प्रासंगिक खर्चे निम्नानुसार हैं, इन खर्चों में मंडी लेवी, बोरी प्रभार, मंडी मजदूरी, ढुलाई और वसूली कार्य में लगी अन्य एजेन्सियों को किए गए भुगतान शामिल होते हैं :

रुपए प्रति क्विंटल

	गेहूं			धान/चावल		
	1991-92	1992-93	1993-94 (सं.अ.)	1991-92	1992-93	1993-94 (सं.अ.)
कुल खर्च	68.95	73.05	75.02	32.69	31.53	36.47
पिछले वर्षों की तुलना में हुई वृद्धि की प्रतिशतता	7.2%	5.9%	2.7%	3%	कमी	15.5%

उपर्युक्त अधिकांश खर्चे या तो अनिवार्य हैं अथवा अपरिहार्य हैं। मजदूरी और ढुलाई सम्बन्धी खर्च प्रतिस्पर्धी निविदाओं के जरिए नियन्त्रित किया जाता है।

जहां तक वितरण और बफर स्टाक को रखने की लागत का सम्बन्ध है, इस खर्च में भाड़ा, ब्याज प्रभार, बोरियों की हैंडलिंग, भण्डारण प्रभार, प्रशासनिक खर्च और हानियां शामिल होती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस खाते पर किए गए खर्च का ब्यौरा निम्नानुसार है :

रुपए प्रति क्विंटल

	1991-92		1992-93		1993-94 (सं. अ.)	
	वितरण लागत	बफर स्टाक रखने की लागत	वितरण लागत	बफर स्टाक रखने की लागत	वितरण लागत	बफर स्टाक रखने की लागत
कुल खर्च	91.90	77.55	120.02	103.65	111.57	99.13

खर्च के विभिन्न घटकों में वृद्धि के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं :-

(1) रेल भाड़े में 54% की वृद्धि होने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 1993-94 के दौरान ढुलाई प्रभारों में वृद्धि हुई है।

(2) 1993-94 में बफर स्टाक पर ब्याज प्रभारों में काफी वृद्धि हुई है क्योंकि बफर स्टाक 1992-93 के 43.49 के 43.49 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1993-94 में 115.50 लाख मीटरी टन हो गया। 1991-92 की तुलना में 1992-93 के दौरान ब्याज में वृद्धि बैंक की ब्याज दर में वृद्धि होने के कारण हुई थी।

(3) 1992-93 के दौरान क्षमता उपयोग घटकर 53 प्रतिशत रह गया। 1991-1992 में क्षमता उपयोग 58 प्रतिशत हुआ था जिसके फलस्वरूप भण्डारण लागत में वृद्धि हुई थी।

(4) वेतन संशोधन को कार्यान्वित करने पर स्टाफ को बकाया राशि का भुगतान करने के कारण प्रशासनिक प्रभारों में वृद्धि हुई है।

(5) इसके अलावा, खर्चों में सामान्य वृद्धि मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण हुई है।

[अनुवाद]

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ समझौता

*410. **श्री शरत पटनायक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए हाल ही में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) अमरीका की ऊर्जा मंत्री सुश्री हैजल ओ लियरी की हाल की भारत यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच पर्यावरण सुधारक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक संयुक्त मंतव्य पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। संयुक्त मंतव्य पत्र का विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत गणतंत्र के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा संयुक्त राज्य अमरीका के ऊर्जा विभाग के बीच एक संयुक्त मंतव्य पत्र

जबकि, भारत गणतंत्र का पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा संयुक्त राज्य अमरीका का ऊर्जा विभाग, जिनको इसमें इसके बाद प्रतिभागी कहा जाएगा, भारत में ऊर्जा प्रौद्योगिकी सहयोग परियोजनाओं की आयोजना, विकास और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक साथ मिलकर काम करने तथा परामर्श करने में जिनका पारस्परिक हित है जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय गुणों में सुधार होगा, ग्रीन हाऊस गैसों के कुल उत्सर्जन में कमी होगी और उत्पादन प्रौद्योगिकी सुधरेगी और इस क्षेत्र में उनके दो देशों के बीच निरन्तर सहयोग बना रहेगा।

जबकि, प्रतिभागी यह महसूस करते हैं कि परस्पर पर्यावरणीय सुरक्षा में वृद्धि करने विशेष रूप से, जलवायु परिवर्तन पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों को सीमित करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए विश्वव्यापी समाधान की आवश्यकता है जिसके लिए हमारे दोनों देशों के पास महत्वपूर्ण किन्तु विभिन्न योगदान देने के अवसर हैं।

जबकि, प्रतिभागी यह महसूस करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों को सीमित करने वाली बहुत सी पद्धतियां और प्रौद्योगिकियां आर्थिक विकास और स्थानीय और क्षेत्रीय पर्यावरणीय समस्याओं के नियंत्रण में भी योगदान करती हैं, जहां व्यक्तियों और संगठनों के संभव वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के साथ कम से कम लागत पर प्रतिक्रियात्मक समाधान उपलब्ध हैं ऐसी कमी को प्रोत्साहित करके विश्व-व्यापी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी की जा सकती है।

जबकि, प्रतिभागी यह महसूस करते हैं कि जलवायु परिवर्तन संबंधी ढांचा कन्वेंशन, एजेण्डा 21, तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय करार जिनमें हमारे दोनों देश पक्षकार हैं, देशों को सहकारी, परस्पर स्वैच्छिक परियोजनाएं, विशेष रूप से, प्रौद्योगिकी सहयोग परियोजनाओं को एक सतत् विकास के मार्ग में प्रगति को गति प्रदान करने और सशक्त और टिकाऊ आर्थिक उन्नति कायम रखने के एक साधन के रूप में कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

जबकि, प्रतिभागी यह महसूस करते हैं कि पर्यावरण सुधारक ऊर्जा गतिविधियों का कार्यान्वयन भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग संबंधी करार, जिस पर भारत और अमरीका के बीच सहमति होनी है, के अनुसरण में किया जाएगा।

जबकि, प्रतिभागी पर्यावरण सुधारक और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने वाली प्रौद्योगिकियों के प्रयोग और उपयोग में सहयोग से परस्पर लाभान्वित होंगे।

(1) प्रतिभागी ऐसे तरीके से सहयोग करने के अपने इरादे की घोषणा करते हैं जिससे द्विपक्षीय गतिविधियों और पर्यावरण सुधारक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, खासतौर पर ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने वाली प्रौद्योगिकी के विपणन की सुविधा होगी। इन संकल्पित द्विपक्षीय गतिविधियों को एक समझौता-ज्ञापन के तहत कार्यान्वित किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे किन्तु यह इन्हीं तक सीमित नहीं रहेगा :

(क) वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा विचार-विमर्श करना ताकि द्विपक्षीय परियोजनाओं की आयोजना की अनुमति देने और सतत् विकास को प्रोत्साहन देने के लिए समन्वित संसाधन आयोजना सहित सहयोगी गतिविधियों के विकास के लिए बाधाओं के निवारण के लिए अवसरों संबंधी आयोजनों में भाग लेकर समझौते को सुविधाजनक बनाया जा सके;

(ख) उन परियोजनाओं का द्विपक्षीय तकनीकी मूल्यांकन, जिनके द्वारा प्रौद्योगिकीय सहयोग परियोजनाओं के लिए भारत द्वारा स्वीकृति के माडल विवरण के विकास सहित जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र ढांचा कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन द्वारा विकसित परियोजना चयन के लिए मापदण्डों को पूरा किए जाने की संभावना है।

(ग) अल्प लागत पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा की क्षमता में सुधार करने, तथा वाणिज्यिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी विकल्पों पर आंकड़ों सहित सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तकनीकी और आर्थिक आंकड़ों का आदान-प्रदान, जिससे पर्यावरण में सुधार होता है और टिकाऊ विकास हासिल करने में सहयोग मिलता है;

(घ) नई प्रौद्योगिकी सहायता प्रणाली को मजबूत बनाने और ऊर्जा प्रौद्योगिकी सहकारी परियोजनाओं संबंधी सूचना आवश्यकताओं को पुष्ट करने के लिए दूरसंचार, कम्प्यूटर प्रणालियों तथा इन्टरनेट, जैसी सहायक प्रणालियों के उपयोग सहित सूचना प्रणालियों का द्विपक्षीय विकास;

(ङ) हमारे दोनों देशों, गैर-सरकारी और वाणिज्यिक हितों के लिए लाभदायक, अन्य संभाव्य एवं विद्यमान प्रौद्योगिकी सहकारिता तथा प्रौद्योगिकी अंतरण परियोजनाओं का द्विपक्षीय समर्थन;

(च) संबंधित मानव संसाधनों और संस्थागत अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने तथा द्विपक्षीय सरकारी/उद्योग गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए संबंधित प्रौद्योगिकियों में कर्मिकों के लिए प्रशिक्षण और इनटर्नशिप कार्यक्रम सहायता।

(2) प्रतिभागी अपने इरादे की घोषणा करते हैं कि इस संयुक्त मंतव्य पत्र को कार्यान्वित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन में यह व्यवस्था की जाएगी कि इस सहयोग के परिणामस्वरूप आने वाली सभी लागतों को परस्पर सहमति से वहन किया जाएगा।

(3) इस संयुक्त वक्तव्य को कार्यान्वित करने के लिए समझौता-ज्ञापन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के संबंध में संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार और भारत गणतंत्र की सरकार के बीच करार को अंतिम रूप दिए जाने तक लागू नहीं होगा।

आज दिनांक 13 जुलाई, 1994 को नई दिल्ली में दो प्रतियों में हस्ताक्षरित किया गया।

(कमल नाथ)
भारत गणराज्य के पर्यावरण और
वन मंत्रालय की ओर से

(हैजल ओ लियरी)
संयुक्त राज्य अमरीका के ऊर्जा विभाग
की ओर से

[हिन्दी]

उर्वरक

*411. **श्री राजेश कुमार :**

श्रीमती शीला गौतम :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान उर्वरकों की कितनी मांग होने का अनुमान है और प्रत्येक राज्य को इनकी कितनी मात्रा सप्लाई किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में उर्वरकों की मांग की तुलना में उनकी सप्लाई में कमी रह जाने की कोई आशंका है; और

(ग) यदि हां, तो उर्वरकों की मांग और सप्लाई के बीच अन्तर को पूरा करने के लिये ठोस कदम उठाने का विचार किया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों पर से 25 अगस्त, 1992 से नियंत्रण हटा लेने के बाद से, खरीफ (अप्रैल-सितम्बर) तथा रबी (अक्तूबर से मार्च) में से प्रत्येक फसल मौसम से पहले प्रत्येक राज्य-संघ शासित क्षेत्र के लिये उर्वरक क्षेत्रीय सम्मेलन में केवल नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों को आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाता है और आबंटन किए जाते हैं। लेकिन, प्रत्येक फसल मौसम से पहले राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों से फास्फेट युक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों को सम्भावित आवश्यकता के बारे में भी सूचना मंगवा ली जाती है। खरीफ, 1994 मौसम के लिये यूरिया, अमोनियम, सल्फेट, अमोनियम

क्लोराइड तथा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को मूल्यांकित राज्यवार आवश्यकता संलग्न विवरण-1 तथा राज्यों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों को सम्भावित आवश्यकता के बारे में संलग्न विवरण-II में बताया गया है। रबी, 1994-95 के लिये आवश्यकता का मूल्यांकन आगामी उर्वरक क्षेत्रीय सम्मेलन में किया जायेगा जो 24 से 27 अगस्त, 1994 के दौरान करने का प्रस्ताव है। केवल यूरिया के लिये ही आबंटन किए जाएंगे, क्योंकि 10 जून, 1994 से केवल इसी उर्वरक को मूल्य/वुलाई नियंत्रणाधीन लाया गया है।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर और गुजरात के कुछ भागों को छोड़कर उर्वरकों को उपलब्धता, विशेषकर, यूरिया को, जो मूल्य और वुलाई नियंत्रणाधीन है, कुल मिलाकर संतोषजनक है। इन राज्यों में किसानों की मांग सही समय पर पूरी करने के लिये स्वदेशी संसाधनों और आयात से आपूर्ति बढ़ाने के लिये व्यवस्था की गई है। देश में फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों की उपलब्धता संतोषजनक है और हमें इन उर्वरकों की कमी की कोई सूचना नहीं मिली है।

विवरण-I

खरीफ, 1994 के लिये अनियंत्रित उर्वरकों की मूल्यांकित आवश्यकता

(हजार मीटरी टन में)

राज्य	यूरिया	एमो क्लो.	एमों सल्फेट	सी. ए. एन.	नाइट्रोज
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	825.00	10.00	67.00	66.00	412.30
कर्नाटक	395.39	5.00	25.00	25.00	194.53
केरल	70.00	0.41	18.50	–	36.11
तमिलनाडु	240.00	19.00	24.00	4.50	121.22
पाण्डिचेरी	7.86	0.89	0.99	–	4.04
अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0.50	–	–	–	0.23
योग	**1538.75**	**35.30**	**135.49**	**95.50**	**768.43**
गुजरात	380.00	-	90.00	44.00	204.34
मध्य प्रदेश	584.00	-	15.00	2.50	272.36
महाराष्ट्र	950.00	2.00	27.00	20.00	448.06
राजस्थान	330.00	–	3.00	8.00	154.42
गोवा	3.10	–	–	–	1.43

1	2	3	4	5	6
दमन व दीव	0.20	–	0.05	–	0.10
दादर व नगर हवेली	1.20	-	0.16	–	0.58
योग	**2248.50**	**2.00**	**135.21**	**74.50**	**1081.29**
हरियाणा	470.00	–	–	12.00	219.20
पंजाब	875.00	28.00	4.50	46.00	421.93
उत्तर प्रदेश	1625.00	5.00	10.00	26.00	757.31
हिमाचल प्रदेश	25.00	–	0.10	28.00	18.52
जम्मू व कश्मीर	56.00	–	–		25.76
दिल्ली	8.00	0.30	0.30	3.40	3.92
चण्डीगढ़	0.30	–	–	0.10	0.16
योग	**3059.30**	**33.30**	**14.90**	**112.50**	**1446.80**
बिहार	520.00	–	10.00	25.00	247.51
उड़ीसा	200.00	–	10.00	30.00	101.56
पश्चिम बंगाल	320.00	3.00	10.00	20.00	155.01
योग	**1040.00**	**3.00**	**30.00**	**75.00**	**504.08**
असम	23.16	–	–	–	10.65
त्रिपुरा	7.57	–	–	–	3.48
मणीपुर	18.00	–	–	–	8.28
मेघालय	2.20	–	–	–	1.01
नागालैण्ड	0.30	–	–	–	0.14
अरूणाचल प्रदेश	0.23	–	–	–	0.11
सिक्किम	1.00	–	–	–	0.46
मिजोरम	0.40	–	–	–	0.18
चाय बोर्ड (उ० पू०)	35.00	–	–	-	16.10
कुल योग	**87.86**				**40.41**
अखिल भारत	7974.41	73.60	315.60	357.50	3841.01

खरीफ, 1994 के लिये फास्फेट युक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों की सम्भावित मांग

विवरण II

(हजार मीटरी टन में)

राज्य	डी॰ ए॰ पी॰	एस॰ एस॰ पी॰	आर॰ सी॰ के॰	10:26:26	12:32:16	14:35:14	15:15:15	16:20:0	17:17:17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	319.60	140.00	–	12.00	–	5.00	15.00	12.00	100.00
कर्नाटक	180.00	40.00	16.56	15.00	8.00	–	35.00	40.00	98.00
केरल	0.80	2.15	27.00	3.00	–	–	2.40	0.15	8.00
तमिलनाडु	80.00	53.00	8.00	20.00	–	–	11.00	21.00	100.00
पांडिचेरी	1.50	0.70	0.50	0.20	–	–	–	0.50	2.00
अंडमान और निकोबार	0.11	0.02	0.12	–	–	–	–	–	–
द्वीपसमूह द॰ क्षे॰ योग	582.01	235.87	52.18	50.20	8.00	5.00	63.40	73.65	308.00
गुजरात	165.00	37.00	–	–	30.00	–	4.00	–	–
मध्य प्रदेश	175.00	250.00	–	–	40.00	–	7.00	2.50	–
महाराष्ट्र	150.00	250.00	–	70.00	10.00	–	115.00	–	–
राजस्थान	160.00	40.00	–	–	10.00	–	5.00	–	–
गोआ	0.58	–	0.40	0.50	–	–	0.40	–	–
दमन और दीव	0.07	–	–	–	–	–	–	–	–
दादर व नगर हवेली	1.10	–	–	–	–	–	–	–	–
पू॰ क्षेत्र योग	651.75	577.00	0.40	70.50	90.00		131.40	2.50	
हरियाणा	110.00	20.00	–	–	1.00	–	–	–	–
पंजाब	100.00	138.00	–	–	6.00	–	–	–	–

अनियंत्रित उर्वरकों का
एन॰ पी॰ के॰

19:19:19	20:20:0	23:23:0	28:28:0	एम॰ ओ॰ पी॰	एस॰ ओ॰ पी॰	एन॰	पी॰	के॰	एन॰+पी॰+के॰
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6.00	170.00	4.00	100.00	66.32	4.00	144.66	260.00	66.00	470.66
30.00	48.00	5.00	–	76.18	3.00	79.62	145.00	80.00	304.62
–	44.10	–	–	68.36	–	11.01	16.92	43.52	71.45
–	–	–	–	170.00	–	38.41	74.77	125.85	239.03
–	1.20	–	–	2.50	–	0.95	1.62	1.89	4.46
–	–	–	–	0.28	–	0.02	0.08	0.17	0.27
36.00	263.30	9.00	100.00	383.64	7.00	274.67	498.39	317.43	1090.49
–	40.00	–	–	32.00	–	41.90	100.02	5.40	147.32
–	25.00	1.00	12.00	10.00	–	46.34	143.44	26.65	216.43
40.00	160.00	50.00	–	90.00	4.00	103.55	198.75	52.65	354.95
–	20.00	–	–	2.00	–	34.75	87.95	56.35	179.05
3.00	1.40	–	–	0.50	–	1.06	1.38	1.96	4.40
–	–	–		–	–	0.01	0.03	0.30	0.34
–	–	–	–	0.15	–	0.20	0.51	0.09	0.80
43.00	246.40	51.00	12.00	134.65	4.00	227.81	532.08	143.40	903.29
–	20.00	–	–	10.00	–	23.92	58.11	6.16	88.20
–	15.00	–	–	8.40	–	21.72	73.00	6.00	100.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तर प्रदेश	175.00	200.60	–	–	50.00	–	15.00	–	–
हिमाचल प्रदेश S	1.00	–	–	–	2.50	–	0.90	–	–
जम्मू और कश्मीर R	15.00	–	–	–	–	–	–	–	–
दिल्ली	2.00	0.10	–	–	–	–	–	–	–
चण्डीगढ़	0.08	0.20	–	–	–	–	–	–	–
उ० क्षे० योग	403.06	358.90			59.50		15.90		
बिहार	75.00	75.00	–	–	15.00	–	5.00	–	5.00
उड़ीसा	34.00	35.00	–	10.00	–	–	5.00	2.00	–
पश्चिम बंगाल	100.00	135.00	–	50.00	–	–	30.00	–	–
पू० क्षेत्र योग	209.00	245.00		60.00	15.00		40.00	2.00	5.00
असम	5.06	8.30	0.50	–	–	–	–	–	–
त्रिपुरा	1.53	5.55	1.20	–	–	–	1.00	–	–
मणिपुर	6.00	4.00	–	–	–	–	–	–	–
मेघालय	0.80	2.20	–	–	–	–	–	–	–
नागालैंड	0.16		–	–	–	–	–	–	–
अरूणाचल प्रदेश	0.18	0.12	–	–	–	–	0.01	–	–
सिक्किम	0.40	–	–	–	–	–	–	–	–
मिजोरम	0.60	02.00	–	–	–	–	–	–	–
उ० पू० क्षेत्र योग	14.73	20.37	1.70				1.01		
अखिल भारत	1860.57	1437.14	54.28	180.70	172.50	5.00	251.71	78.15	313.00

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
–	45.00	–	–	50.00	–	48.75	139.85	40.25	228.85
–	–	–	–	0.10	–	0.62	1.40	0.60	2.62
–	–	–	–	1.70	–	2.70	6.90	1.02	10.62
–	–	–	–	0.05	–	0.36	0.94	0.03	1.33
–	–	–		0.01	–	0.01	0.07	0.01	0.09
	80.00			70.26		98.08	280.28	54.07	432.43
–	10.00	–	4.00	25.00	–	20.02	56.02	19.00	95.04
–	3.00	–	44.00	35.00	–	21.11	37.91	24.35	83.37
–	15.00	–	20.00	54.17	–	36.10	93.70	50.00	179.80
	28.00		68.00	114.17		77.23	187.63	93.35	358.21
–	–	–	–	5.46	–	0.91	3.75	3.28	7.94
–	–	–	–	2.41	–	0.43	1.96	1.60	3.99
–	–	–	–	1.00	–	1.08	3.40	0.60	5.08
–	–	–	–	0.30	–	0.14	0.72	0.18	1.04
–	–	–			–	0.03	0.07	0.04	0.10
–	–	–	–	0.06	–	0.03	0.10	0.04	0.17
–	–	–		0.10	–	0.07	0.18	0.06	0.31
–	–	–	–	0.30	–	0.11	0.31	0.18	0.60
				9.63		2.80	10.49	5.94	19.23
79.00	617.70	60.00	180.00	712.35	11.00	680.59	1508.87	614.19	2803.65

पशुधन विकास परियोजना

*412. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी सहायता से शुरू की गई पशुधन विकास परियोजना का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विश्व बैंक और अन्य विदेशी सहायता से शुरू की जाने वाली कुछ नई पशुधन विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक मामले में मिलने वाली सहायता की राशि कितनी है ?

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (घ) वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान विदेशी सहायता के साथ आरंभ किए गए पशुधन विकास परियोजनाओं/अध्ययनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान विदेशी सहायता से शुरू की गई पशुधन विकास परियोजनाओं/अध्ययनों के ब्यौरे को दर्शाने वाली तालिका

क्रम संख्या	राज्य	परियोजना/अध्ययन	सहायक एजेन्सी	वर्ष जिसमें शुरू की गई	परियोजना/ अध्ययन की अवधि (वर्ष में)	सहायता की मात्रा (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	उड़ीसा	एकीकृत पशुधन विकास परियोजना	डेनिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास सहायता	1992-93	5	9.69
2.	राजस्थान	कृषि विकास परियोजना (पशु पालन घटक)	विश्व बैंक	1992-93	5	33.70*
3.	सिक्किम	भारत स्विस पशु पालन विकास परियोजना (पूर्व-चरण)	स्विस विकास निगम	1993-94	$1\frac{1}{2}$	0.50
	तमिलनाडु	कृषि विकास परियोजना (पशुधन घटक)	विश्व बैंक	1991-92	7	42.00*

1	2	3	4	5	6	7
5.	अखिल भारत	क. पशुधन रोग नियंत्रण हेतु पशुचिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण	यूरोपीय समुदाय आयोग	1992-93	6	153.40
		ख. पशुधन विकास-परियोजना अध्ययन	जापान	1993-94	2 (लगभग)	1.97
		ग. पशुधन नीति परिप्रेक्ष्य में अध्ययन	स्विस विकास निगम	1994-95	$1\frac{1}{2}$	0.78

(* पशुधन घटक के लिए सहायता)

[अनुवाद]

मरुभूमि-विस्तार संबंधी अभिसमय

*413. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव :

क्या **पर्यावरण** और **वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992 में 'रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन' में जैव-विविधता संबंधी अभिसमय पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देश मरुभूमि-विस्तार संबंधी अभिसमय पर भी हस्ताक्षर करेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत भी मरुभूमि-विस्तार परिभाषा की परिधि में आता है, क्योंकि देश का चालीस प्रतिशत भू-भाग भूमिक्षय के कारण मरुभूमि का रूप ले रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस अभिसमय से भारत को क्या-क्या लाभ मिलने की संभावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, नहीं। दोनों कन्वेंशनों के उद्देश्य भिन्न-भिन्न हैं, परन्तु यह तो हो सकता है कि बहुत से देश दोनों कन्वेंशनों पर हस्ताक्षर कर दें।

(ग) और (घ) मरुस्थलीकरण को रोकने संबंधी कन्वेंशन के अंतिम प्रारूप दस्तावेज के साथ चार क्षेत्रीय अनुलग्नक हैं। इसके पाठ में अन्य बातों के साथ-साथ सभी पक्षकार देशों के लिए समान उद्देश्य, अभिगम, प्रस्तावित कार्रवाई तथा उनके दायित्व दिए गए हैं। चार क्षेत्रीय अनुलग्नक अफ्रीका एशिया लेटिन अमरीका एवं कैरीबियन देशों तथा उत्तरी भूमध्यसागरीय देशों के लिए हैं।

भारत प्रारूप पाठ में अपनाई गई परिभाषा के अनुसार एक 'प्रभावित देश' के रूप में पात्र देश है क्योंकि इसमें मरूस्थलीकरण से प्रभावित या उसकी आशंका वाले क्षेत्र हैं।

(ङ) प्रारूप कन्वेंशन में मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के प्रयासों के लिए समन्वय एवं सहयोग तथा इसके लिए अनुसंधान, प्रौद्योगिकी अंतरण, क्षमता निर्माण, जागरूकता उत्पन्न करने तथा ऐसी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के प्रावधान हैं। इनसे मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के भारत के प्रयासों में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों का निजीकरण

*414. **श्री रामटहल चौधरी :**

श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने रेलवे स्टेशनों का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निजीकरण किया गया है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप सरकार को प्रतिवर्ष कितना लाभ हो रहा है;

(ग) क्या सरकार कुछ और रेलवे स्टेशनों का पूर्णरूप से या आंशिक रूप से निजीकरण करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार ने अपने पास क्या अधिकार रखे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) से (घ) बेहतर सौन्दर्यकरण/अनुरक्षण तथा वाणिज्यिक विज्ञापनों में राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय रेलों ने 10 स्टेशनों के अनुरक्षण/सौन्दर्यकरण के लिए ठेका किया है। वाणिज्यिक विज्ञापनों से प्रतिवर्ष लगभग 26.23 लाख रुपये की आमदनी बढ़ी है, इसके अलावा, अनुरक्षण पर होने वाले खर्च में लगभग 12.22 लाख रुपये की बचत होने की आशा है। क्षेत्रीय रेलों द्वारा सौन्दर्यकरण/अनुरक्षण के लिए और अधिक स्टेशनों की पहचान की जा रही है, स्टेशन की कार्यप्रणाली रेल प्रशासन के अधीन ही रहेगी और ठेकेदार को रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार वाणिज्यिक विज्ञापनों के प्रदर्शन का एकाधिकार प्रदान किया गया है, यदि ठेकेदार करार की शर्तों का उल्लंघन करता है तो रेलवे को ठेका समाप्त करने का अधिकार है,

[अनुवाद]

बागवानी/कृषि उत्पाद

*415. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**

श्री मंजय लाल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कृषि/बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार फलों, फूलों और सब्जियों आदि जैसे शीघ्र खराब हो जाने वाले कृषि बागवानी उत्पादों के निर्यात हेतु कोई विशेष सुविधा प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रति किसान चार हैक्टेयर भूमि के लिए दी जा रही राजसहायता अब प्रति किसान एक हैक्टेयर भूमि तक को सीमित कर दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार इस मामले को पुनरीक्षा करेगी और पूर्व निर्धारित सीमा बहाल करेगी ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (ग) सरकार कृषि/बागवानी उत्पादों के निर्यात में वृद्धि को विशेष महत्व देती है। एकीकृत विनिमय दर लागू करना, निर्यात-आयात नीति, 1992-97 में किया गया उदारीकरण, कृषि क्षेत्र को अपेक्षित कुछेक आदानों और सामग्री पर आयात शुल्क में कमी, निर्यातोन्मुखी इकाइयों/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की योजना के अन्तर्गत इकाइयों को सुलभ लाभों का विस्तार, कृषि जिंसों के निर्यातकों को अपने उत्पाद का 50 प्रतिशत तक अंश स्वदेशी टेरिफ क्षेत्र में बेचने की अनुमति, 1993-94 के दौरान प्रायोगिक तौर पर कृषि उत्पादों के हवाई भाड़े पर राजसहायता, आदि देना जैसे कदम कृषि/बागवानी उत्पादों के निर्यात में सुधार लाने और उसे बढ़ाने के लिए उठाए गए हैं।

(घ) और (ङ) "ड्रिप सिंचाई पर राजसहायता" को योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 से अधिकतम क्षेत्र सीमा चार हैक्टेयर से कम करके एक हैक्टेयर प्रति लाभार्थी कर दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिल सके।

(च) यह मामला विचाराधीन है।

राज्य-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

***416. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **पर्यावरण** और **वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के प्रमुखों की हाल ही में एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय गए;

(ग) प्रदूषण को, विशेष रूप से औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने संबंधी समस्या से निपटने के लिए क्या-क्या नए प्रयास किए जाने का विचार है;

(घ) क्या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा राज्य स्तर के अन्य संगठनों को मजबूत करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण समितियों के अध्यक्षों और सदस्य सचिवों की 39वीं बैठक दिनांक 2-3 अगस्त, 1994 की नई दिल्ली में हुई थी।

(ख) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) बैठक में निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई थी;

1. अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली उद्योगों की अभिनिर्धारित 17 श्रेणियों की प्रदूषण नियंत्रण स्थिति।
2. राज्य बोर्डों की 1994-95 की कार्य योजना।
3. पर्यावरणीय गुणवत्ता की बहाली के लिए समस्याग्रस्त क्षेत्रों के लिए कार्य योजना का कार्यान्वयन।
4. जल उपकर के उपयोग के लिए प्रारूप दिशा-निर्देश।
5. जन शिकायतों का निपटान और हर तिमाही में जन शिकायतें प्रस्तुत करना।
6. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 की अनुसूची-I में उद्योगों की अधिक श्रेणियों को शामिल करना।
7. भारत में तटीय और आफ-शोर जल के प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्य योजना।
8. राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों का कार्यान्वयन।
9. राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता, निगरानी स्टेशनों की पुनरीक्षा।
10. उद्योगों के पर्यावरणीय रूप से अनुकूल स्थान निर्धारण के लिए क्षेत्र तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश।
11. जल और वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों से संबंधित राष्ट्रीय सूची।
12. प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों का दर्जा बढ़ाना/स्थापित करना।
13. "प्रदूषण नियंत्रण मशीनरी को सुदृढ़ बनाने की दिशा में" एक अभिगम पत्र पर भी बैठक में चर्चा की गई।

लिए गए निर्णय : जिन मामलों पर बैठक में चर्चा की गई उनके बारे में लिए गए निर्णय निम्नलिखित थे :-

1. चूंकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सरकार को प्रस्तुत करने के लिए अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली 17 अभिनिर्धारित उद्योग श्रेणियों में 30 जून, 1994 के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण अनुपालन की स्थिति तैयार कर रहा है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि वे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिन्होंने आवश्यक सूचना नहीं भेजी है, उसे तत्काल भेज दें।
2. कुछ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने 1994-95 के लिए कार्य योजनाएं तैयार करके उन्हें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेज दिया है। यह निर्णय लिया गया कि सूचना के आदान-प्रदान के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को परिचालित करने के लिए दस्तावेज तैयार करने के उद्देश्य से सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को वार्षिक कार्य योजनाएं संकलित करे।

3. यह निर्णय लिया गया था कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समस्याग्रस्त क्षेत्रों के लिए कार्यवाही योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति को मूल्यांकन करने के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई कार्यवाही रिपोर्ट के बारे में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शीघ्र अपना उत्तर भेजें।

4. उपकर एकत्रीकरण में हिस्सेदारी के बारे में, यह निर्णय लिया गया कि इसे राज्य पर्यावरण मंत्रियों की जल्दी ही होने वाली बैठक में चर्चा के लिए भेजा जाए।

5. प्रदूषण से संबंधित जन शिकायतों का राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा निपटान किए जाने के बारे में यह निर्णय लिया गया कि उन पर विचार करने और उनका निपटान करने के बारे में एक प्रक्रिया तैयार की जाए।

6. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 की अनुसूची-1 में अधिक उद्योग श्रेणियों को शामिल करने के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि अनुसूची-1 में शामिल किए जाने के लिए कुछ उद्योग श्रेणियों के संबंध में सरकार को सिफारिश भेजी जाए।

7. महासागर विकास विभाग के प्रतिनिधि ने भारत के तटीय तथा आफ-शोर जल में मेरीन प्रदूषण की स्थिति संबंधी रिपोर्ट के बारे में प्रतिनिधियों को संक्षिप्त ब्यौरा दिया। यह निर्णय लिया गया कि भागीदार इस बारे में आगे की जरूरी कार्रवाई करेंगे।

8. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हाल ही में अधिसूचित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के कार्यान्वयन के लिए निगरानी बढ़ाने का सुझाव दिया गया। तथापि, यह निर्णय लिया गया था कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस बारे में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अपने विचार देगा।

9. राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी परियोजना के तहत कार्यरत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों के बारे में यह बताया गया कि इस समय 290 में से केवल 185 निगरानी केन्द्र कार्य कर रहे हैं। यह निर्णय लिया गया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सभी केन्द्रों को चालू करवाने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

10. उद्योगों के पर्यावरण के अनुकूल स्थान-निर्धारण के उद्देश्य से एक एटलस तैयार करने हेतु दिशा-निर्देश तैयार करने के बारे में सदस्यों ने इस विषय पर चर्चा करके निम्नलिखित निर्णय लिए :

    (1) उद्योगों के पर्यावरण के अनुकूल स्थान-निर्धारण के लिए जिलावार आंचलिक एटलस तैयार किए जाने की आवश्यकता है तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को चाहिए कि वे एक ऐसी क्रियाविधि संहिताएं एवं सोफ्टवेयर का उपयोग करें।

    (2) प्रत्येक इच्छुक राज्य को चाहिए कि वह दो वरीयता प्राप्त जिले निर्धारित करे जिनमें कार्य

आरम्भ करके वह केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस संबंध में आवश्यक जन शक्ति, समय, वित्त इत्यादि के साथ एक परियोजना प्रस्तुत करें।

(3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को चाहिए कि वे उन्हें परिचालित प्रारूप दिशा-निदेशों के बारे में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अपनी टिप्पणियां/प्रातिक्रिया भेजें।

(4) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को चाहिए कि वे सोफ्टवेयर और जोनिंग एटलस के बारे में प्रशिक्षित किए जाने वाले व्यक्तियों के नाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजें।

11. जल और वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की सूचीकरण के फार्मेट को सरल बनाया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अपने संबंधित राज्यों में प्रदूषण फैलाने वाले सभी उद्योगों की सूची बनानी चाहिए।

12. प्रयोगशालाओं तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों की स्थिति पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सूचना के एकत्रीकरण के प्रयोजन के लिए तैयार एक प्रश्नावली को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को भेजा गया तथा यह निर्णय लिया गया था कि उन्हें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यथाशीघ्र सूचना मुहैया करानी चाहिए।

13. प्रदूषण नियंत्रण मशीनरी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक उप दल गठित किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि इसकी बैठक अगस्त में दिल्ली में होनी और इसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अपनी सिफारिशें देगी।

(ग) औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण के लिए प्राथमिक कार्रवाई करने के उद्देश्य से सरकार ने इससे पूर्व बड़े और मझौले क्षेत्रों में अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली उद्योगों की 17 श्रेणियों की पहचान की थी। सरकार ने एक राजपत्र अधिसूचना भी जारी की थी जिसमें निर्धारित मानकों के अनुपालन के लिए प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिए एक समय-बद्ध कार्यक्रम का उल्लेख किया था।

लघु उद्योगों के मामले में सरकार ने विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजना के अंतर्गत छोटे उद्योगों के समूहों के लिए साझे बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने की एक स्कीम चलाई थी। इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों से साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र मुहैया कराने के लिए 50% उपदान जिसकी अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपए है, दी जाती है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से 30% उदार ऋण दिया जाता है तथा शेष 20% प्रमोटरों द्वारा मुहैया कराया जाना है।

इसी विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा भी प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं स्थापित करने के लिए बड़े और मझौले उद्योगों के लिए उदार ऋण दिया जाता है।

लघु उद्योगों में स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने की स्कीम के अंतर्गत अपशिष्ट न्यूनीकरण सर्कलों की स्थापना के जरिए अपशिष्ट न्यूनीकरण के लिए कदम उठाए गए हैं।

स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए एक राष्ट्रीय क्लिएरिंग केन्द्र की स्थापना करने के एक प्रस्ताव को विश्व बैंक प्रदूषण निवारण परियोजना, चरण-2 के लिए वित्तीय सहायता हेतु अनुमोदित किया गया है।

सरकार ने 1991 में पर्यावरण–अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों पर इको-लेबलिंग की एक स्कीम आरम्भ की थी। स्कीम के पहले चरण में उपभोक्ता उत्पादों की 16 श्रेणियों की पहचान की गई थी। अब तक चार श्रेणियों के संबंध में अंतिम मानदण्ड अधिसूचित किए गए हैं और एक उत्पाद को लाइसेंस दे दिया गया है।

सरकार ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के संसाधनों को बढ़ाने तथा उद्योगों द्वारा पानी की बर्बादी पर रोक लगाने के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के तहत उपकर की दरों में वृद्धि की है। इस संबंध में पर्यावरण के मानदण्डों का पालन करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(घ) और (ङ) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण की चरण-1 व चरण-2 की परियोजनाओं के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की केन्द्रीय/क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को मजबूत बनाने की मदद भी है। विश्व बैंक परियोजना चरण-I के तहत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को शामिल किया गया है और चरण-2 में आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों को चुना गया है। इस परियोजना के तहत निधियों का राज्यवार आवंटन नीचे दिया गया है :

राज्य	राशि मिलियन अमरीकी डालर में
उत्तर प्रदेश	3.0
महाराष्ट्र	3.0
तमिलनाडु	3.0
गुजरात	3.0
मध्य प्रदेश	4.8
राजस्थान	4.8
आन्ध्र प्रदेश	4.8
कर्नाटक	4.8

[हिन्दी]

डेयरी विकास

***417. श्री काशीराम राणा :**

डा॰ असीम बाला :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान डेयरी विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत, राज्यवार क्या उपलब्धि रही;

(ख) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में शुरू की गई योजनाओं की समीक्षा की है और उन पर निगरानी रखी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या सरकार का विचार डेयरी उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु कोई नई प्रौद्योगिकी अपनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) डेयरी उद्योग के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ शुरू किये जा रहे संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान ऑपरेशन फ्लड और उत्तर केरल डेयरी परियोजना के राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत हुई उपलब्धियां संलग्न विवरण में राज्यवार दी गई हैं।

(ख) और (ग) सरकार इस क्षेत्र में शुरू की गई योजनाओं की समीक्षा और प्रबोधन समय-समय पर करती है तथा जहां कहीं आवश्यक हो, उचित और उपचारात्मक उपाय निरंतर रूप से किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। डेयरी फार्मिंग को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से नई प्रौद्योगिकीय एवम् प्रबंधकीय हस्तक्षेप किए जा रहे हैं और दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं।

(1) बढ़िया पशुओं के हिमित वीर्य से कम उत्पादक विजातीय गोपशुओं का चयनित प्रजनन और संकर प्रजनन के जरिए दुधारू पशुओं की महत्वपूर्ण नस्लों का आनुवंशिक सुधार;

(2) संतति परीक्षण कार्यक्रम जो प्रजनक सांडों के चयन की प्रक्रिया को तेज करता है;

(3) गोपशुओं और भैंसों में गुणन अंडाणु-उत्पादन और भ्रूण अंतरण की नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रसार;

(4) चारा विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में हाल ही में जारी की गई चारा फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग करते हुए विविध निदर्शन;

(5) यूरिया और शीरा से उपचार करके फसल अवशेषों के इस्तेमाल को बढ़ाना;

(6) यूरिया मोलेसिस ब्लॉक के उपयोग को चारा अवशेषों के साथ पशु आहार के लिए एक पूरक आहार के रूप में विकसित करना और उसको बढ़ावा देना;

(7) बाइपास प्रोटीन गोपशु आहार शुरू करना;

(8) पशुओं के टीकाकरण रोकथाम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे अच्छी गुणवत्ता वाले टीकों और जैवों के उत्पादन के उद्देश्य से एक संयंत्र स्थापित करना; और

(9) टीकों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा मानक नुस्खा।

(10) हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी के विस्तार के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का कार्यान्वयन।

(च) डेयरी उद्योग क्षेत्र में संयुक्त उद्यम

क्र॰ सं॰	एकक	विनिर्माण का मद
1.	इण्डियाना डेयरी स्पेशलिटीज लिमिटेड, बंगलौर	केसीन
2.	विशाल लेक्टो (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली	लेक्टोज
3.	लेक्टो प्रोटीन (आई॰) लिमिटेड नई दिल्ली	लेक्टोज
4.	नेसले इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली	डेयरी व्हाइटनर, इन्फेन्ट वीनिंग फूड्स
5.	डायनामिक्स डेयरी इण्डस्ट्रीज, बम्बई	लेक्टोज, केसीन, ह्युमनाइज्ड बेबी फूड
6.	सीफम मिल्क स्पेशलिटीज लिमिटेड, नई दिल्ली	केसीन और लेक्टोज

[अनुवाद]

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान आपरेशन फ्लड और उत्तर केरल डेयरी विकास परियोजना के राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हुए उपलब्धियां

राज्य	आयोजित डी. मार्च 92	आयोजित सी. मार्च 93	आयोजित एस. मार्च 94	कृषक सदस्यता मार्च 92	कृषक सदस्यता मार्च 93	कृषक सदस्यता मार्च 94	अधिप्राप्ति ('000 कि. ग्रा.') प्रतिदिन 91-92	अधिप्राप्ति ('000 कि. ग्रा.') प्रतिदिन 92-93	अधिप्राप्ति ('000 कि. ग्रा.') प्रतिदिन 93-94	विपणन 000 कि. ग्रा. प्र. दिन 91-92	विपणन 000 कि. ग्रा. प्र. दिन 92-93	अधि-प्राप्ति 93-94	टी.एल.पी. डी. क्षमता मार्च 92	टी.एल.पी. डी. क्षमता मार्च 93	टी.एल.पी. डी. क्षमता मार्च 94
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
गुजरात	10337	10631	10819	1663543	1752552	1796244	2774	3101	3231	1113	1078	1208	1985	4185	4435
महाराष्ट्र	4712	4852	5118	883842	985050	1027245	1847	2866	1841	506	520	529	2125	2215	2215
मध्य प्रदेश	3926	3892	4032	185825	199717	202064	196	213	262	252	209	208	1000	1000	1030
गोवा	138	245	148	12806	13838	14173	16	18	22	39	42	41	30	30	75
तमिलनाडु	7238	7825	7752	1721805	1762611	1240186	1074	1109	1368	421	439	457	1021	1041	1041
कर्नाटक	5891	6284	6544	1107524	1185952	1238177	907	1095	1181	911	912	982	1090	1100	1410
आन्ध्र प्रदेश	4979	5143	5212	606919	645059	675102	797	907	888	606	661	637	1737	1737	1737
केरल	1487	1620	1702	328990	355388	390655	252	333	378	295	318	383	455	415	445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
पंजाब	5975	6752	5708	323607	323729	317615	480	665	602	170	187	207	1235	1410	1410
राजस्थान	4849	4180	4829	342112	353921	353901	300	333	372	142	165	169	900	900	900
उत्तर प्रदेश	8044	7776	8357	401021	437850	449740	445	581	576	307	313	345	780	780	780
हरियाणा	2002	2181	2170	263351	256388	251839	110	131	120	85	55	84	350	350	350
हिमाचल प्रदेश	175	185	162	14829	15114	14073	13	12	14	19	18	13	20	30	30
जम्मू व कश्मीर	105	105	57	4530	4350	4330	1	1	1	1	2	1	10	10	10
बिहार	2134	2184	2405	106128	104969	113611	88	105	119	107	106	127	416	416	416
पश्चिमी बंगाल	1211	1227	3290	82604	82344	69247	48	55	230	25	23	19	160	160	160
उड़ीसा	790	841	905	50821	55038	60533	40	47	68	67	72	75	100	115	125
सिक्किम	104	104	104	4292	4260	4270	5	4	4	4	4	4	25	25	25
त्रिपुरा	73	73	74	3991	3991	4070	2	2	3	6	5	4	10	10	10
असम	118	122	222	2023	2174	2174	4	4	4	10	6	5	60	60	60
नागालैण्ड	22	22	22	672	691	591	2	1	1	2	1	1	0	0	0

अरावली-पर्वतमाला

*418. **श्री अवतार सिंह भड़ाना :**

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **पर्यावरण** और **वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अरावली-पर्वतमाला में पूर्णत: वृक्षहीन वनों का कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अरावली पर्वतमाला में पर्यावरण के सुधार और वनों के विकास के लिए सरकार द्वारा शुरू की जा रही योजना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) अभी तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) निकट भविष्य में आरम्भ की जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

बहुराज्य सहकारी संस्थाएं

*419. **श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बहुराज्य सहकारी संस्थाओं को कंपनी का दर्जा देने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रस्तावित संरचनात्मक और अन्य संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे किन उद्देश्यों को पूरा किया जायेगा;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में प्रमुख सहकारी संस्थाओं, सहकारी संस्था विशेषज्ञों कंपनी कार्य विभाग और अन्य संबंधित व्यक्तियों के विचारों का पता लगा लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (ङ) बहुराज्यीय सहकारी समितियों को बहुराज्यीय सहकारी कम्पनियों में परिवर्तित करने की व्यवस्था करने के लिए सरकार को कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। ये सुझाव उदारीकृत आर्थिक वातावरण में बहुराज्यीय सहकारी समितियों का अन्य आर्थिक उद्यमों के समान प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाने के विचार से दिए गए हैं। भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों और विभागों से तथा उन संगठनों से परामर्श करके इन प्रस्तावों के सभी पहलुओं और ब्यौरे की जांच की जा रही है। जिन से इनका सम्बन्ध है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

*420. **श्री संदीपान भगवान थोरात :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "गैट" की चुनौतियों का सामना करने के लिये हाल ही में की गयी समीक्षात्मक पुनरीक्षा के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यकरण में सुधार करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि उत्पादन में बाधक क्षेत्रीय समस्याओं का पता लगाने के लिये सभी कृषि विश्वविद्यालयों के प्रमुखों की बैठक बुलाई है; यदि हां, तो इस संबंध में किए गये उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मंत्रालय के अंतर्गत चल रही उन प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं के नाम क्या हैं, जिनके लिये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग उपलब्ध हैं और उनके अंतर्गत कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कार्य प्रणाली की समय-समय पर समीक्षा की गयी है और भा॰ कृ॰ अ॰ प॰, विश्व व्यापार संगठन/"गैट" पर हुए समझौते के अनुसार आधुनिक विश्व बाजार में कृषि के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन और सार्वजनिक एजेंसियों के पास खाद्यान्न के रिकार्ड भण्डारण में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा द्वारा किया गया योगदान भा॰ कृ॰ अ॰ प॰ की सफलता का द्योतक है।

(ग) आठ बड़े सस्य-जलवायवीय क्षेत्रों के लिए भा॰ कृ॰ अ॰ प॰ क्षेत्रीय समितियों की प्रक्रिया के माध्यम से, सभी आठों क्षेत्रों के लिए बैठकें आयोजित की गयी जिनमें राज्य कृषि मंत्रियों, राज्य सरकारों के सचिवों, कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्यकी के प्रभारियों, सभी कृषि विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों और संबंधित क्षेत्रों में स्थिति भा॰ कृ॰ अ॰ प॰ के संस्थानों के निदेशकों को हिस्सा लेने के लिए आंमत्रित किया गया। इन उच्च स्तरीय बैठकों में अनेक सिफारिशें की गयीं और इस मामले से संबंधित केन्द्र-राज्य समन्वय पर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तैयार की गयी।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत जिन प्रमुख अनुसंधान प्रायोजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्राप्त है, इस प्रकार है :

1. राष्ट्रीय अनुसंधान प्रायोजना, दूसरा चरण। इसे आठवीं योजना में विश्व बैंक द्वारा 135 करोड़ रु॰ की आर्थिक सहायता दी गयी है।
2. विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही राष्ट्रीय बीज प्रायोजना।
3. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के क्षेत्र में 64 अनुसंधान प्रायोजनाएं जिन्हें संयुक्त राज्य भारत निधि के तहत 11.66 करोड़ रु॰ की वित्तीय सहायता दी जा रही है।

राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रयोजनाओं को राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय अनुसंधान संबंधी क्षमताओं को सुधारने और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है ताकि देश के 120 सस्य-जलवायवीय क्षेत्रों में स्थान विशिष्ट के लिए उपयुक्त एवं उत्पादनोन्मुख अनुसंधान किए जा सकें। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना के पहले चरण में बारानी परिस्थितियों में खाद्यान्नों, अनाजों, दलहनों और तिलहनों पर अनुसंधान की मजबूती प्रदान करने पर जोर दिया गया। दूसरे चरण के दौरान, परियोजना के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया गया ताकि इसके तहत बागवानी और व्यावसायिक फसलों, कृषि-वानिकी, पशु-पोषण तत्वों और पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले खेती के

यंत्रों को शामिल किया जा सके। राष्ट्रीय बीज प्रायोजना को देश में प्रजनक और फाउण्डेशन बीज उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया। राष्ट्रीय बीज प्रायोजना द्वारा 17,000 क्विंटल प्रजनक और फाऊण्डेशन बीज तैयार किया गया जो वर्ष 1992-93 के दौरान विभिन्न राज्यों की कुल मांग से कहीं ज्यादा है।

भारतीय खेल प्राधिकरण

3950. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल विकास प्राधिकरण ने मादक औषध नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना हेतु 33 लाख रुपये से अधिक के उपस्कर आयात किए थे,

(ख) क्या भारतीयखेल विकास प्राधिकरण ने इस प्रयोगशाला हेतु अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से मान्यता प्राप्त कर ली है और इसके द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा किया है,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जी, नहीं। मान्यता के लिए चिकित्सा आयोग अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई॰ ओ॰ सी॰) द्वारा निर्धारित शर्तों जैसे कि सभी औषधियों का मानकीकरण तथा सभी अपेक्षित उपस्करों को प्राप्त करने के बाद ही मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। औषधियों के मानकीकरण और अपेक्षित उपस्करों को प्राप्त करने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

प्लास्टिक पैकेजिंग

3951. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **पर्यावरण** और **वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी देशों ने प्लास्टिक पैकेजिंग प्रणाली को पर्यावरण के अनुकूल नहीं माना है और भारत से उन देशों को भेजी गई काफी सामग्री ऐसे कारणों से लौटाई जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने प्लास्टिक थैलियों और पैकेजिंग प्रणाली, जिन्हें पुन: प्रयोज्य प्रक्रिया हेतु उपयुक्त नहीं माना जाता, का प्रयोग रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है और जिसके परिणामस्वरूप इनके निपटान करने में देश को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और जिसके कारण मुख्यत: जलमल निकास प्रणाली में बाधा खड़ी हो रही है;

(ग) क्या पश्चिमी देशों और यूरोपीय समुदाय के देशों द्वारा प्लास्टिक पैकेजिंग के प्रयोग का निषेध करने के संबंध में जारी किए गए विभिन्न अध्यादेशों को देखते हुए भारत पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए इसी प्रकार के ठोस कदम उठाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) पश्चिमी देशों ने यह नहीं कहा है कि प्लास्टिक पैकेजिंग प्रणाली का प्रयोग पारिस्थितिकी के अनुकूल नहीं है। उन्होंने केवल पैकेजिंग में प्रयुक्त प्लास्टिक के पुन:प्रयोग या पुनश्चक्रण की आवश्यकता पर बल दिया है। जर्मन पैकेजिंग अध्यादेश के अनुसार, पैकज की हुई वस्तुओं के विनिर्माताओं तथा वितरकों को, उन वस्तुओं के मूल ध्यान में रखे बिना, प्रयुक्त पैकेज सामग्रियों को वापस लेना तथा उनका पुनर्प्रयोग करना होता है। चूंकि भारतीय निर्यातकों के लिए प्रयुक्त पैकेज सामग्री वापस लेने तथा उनका पुर्नप्रयोग या पुनश्चक्रण आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है, वे अपने जर्मन खरीददारों अथवा जर्मनी में किसी अन्य पार्टी की सहायता ले सकते हैं।

(ख) से (घ) पॉलियस्टर और पॉलिएथिलीन सहित अधिकांश प्लास्टिक पुर्नप्रयोग किये जा सकते हैं। पुर्नप्रयोग प्रणालियों के संबंध में प्रौद्योगिकी का प्रति वर्ष विकास हो रहा है। भारत सरकार ने इको-लेबलिंग स्कीम के तहत इको-मार्क के लिए उपयुक्त प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्रियों के लिए प्रारूप मानदण्ड अधिसूचित किए हैं। यह प्लास्टिक सामग्री के पुनर्प्रयोग की क्षमता पर आधारित है तथा इसे देश के भीतर तथा निर्यात के लिए पारिस्थितिकी के अनुकूल प्लास्टिक के प्रयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत में कबाड़ी, प्लास्टिक के पुनर्प्रयोग की प्रक्रिया में मदद करते हैं जिससे देश के भीतर प्रयुक्त प्लास्टिक के पुनर्प्रयोग की क्षमता में वृद्धि होती है। चूंकि कबाड़ी कूड़े के ढेरों से सभी प्रकार के प्लास्टिक को एकत्र करते हैं और क्योंकि भारत में प्रयुक्त अधिकांश प्लास्टिक पुन:प्रयोग किए जाने योग्य हैं, अत: आम तौर पर प्लास्टिक बहकर मल-जल प्रणाली में नहीं जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू उत्पादकों को सहायता

3952. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कर्नाटक के तम्बाकू उत्पादकों के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के पास कर्नाटक के तम्बाकू उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक योजना तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) जी, हॉ। तम्बाकू उत्पादों के

उपयोग संबंधी विज्ञापनों पर रोक लगाने के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लाए जा रहे प्रस्तावित विधान के प्रतिकूल प्रभाव पर आशंका व्यक्त करते हुए कर्नाटक किसान संघ सहित तम्बाकू उत्पादकों से कई अभ्यावेदन कृषि मंत्रालय को प्राप्त हुए हैं। ऐसे विधान को अंतिम रूप देते समय सरकार सभी पक्षों और संबंधितों के बारे में एक संतुलित राय बनाती है।

(ग) और (घ) कृषि मंत्रालय किसानों को बीज और पौधों के वितरण के लिए सहायता दे रहा है। इसके अलावा, तम्बाकू बोर्ड क्वालिटी बीजों का वितरण करके किसानों को प्रशिक्षण देकर तथा तम्बाकू आदि के परिशोधन के लिए बखार स्थल पर कोयले की आपूर्ति करके कर्नाटक राज्य सहित फ्लू क्यूर्ड विर्जिनिया तम्बाकू उत्पादकों को सहायता दे रहा है।

उर्वरकों का प्रयोग

3953. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गतमाह किसानों में फास्फेट तथा नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए संघन अभियान छेड़ने हेतु कार्य-योजना बनाने के उद्देश्य से राज्यों से कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन-किन मुख्य बातों पर चर्चा की गई;

(ग) इस बैठक में अन्य किन-किन मुद्दों पर विचार हुआ; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में की जा रही अनुवर्ती कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) हाल ही में राज्य मंत्री (रसायन और उर्वरक) और केन्द्रीय मंत्री (रसायन और उर्वरक) की अध्यक्षता में खरीफ, 1994 में उर्वरक की आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य कृषि मंत्रियों की एक बैठक हुई।

(ख) और (ग) बैठक में उर्वरकों की उपलब्धता की स्थिति पर विचार विमर्श किया गया। सरकार ने राज्यों के लिए उर्वरकों की समय पर आपूर्ति का आश्वासन दिया बैठक के दौरान राज्य सरकारों पर इस बात के लिए जोर दिया गया कि वे नियंत्रण रहित उर्वरकों की बिक्री से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन करते समय फास्फेट युक्त और पोटास युक्त उर्वरको के उपयोग को बढ़ावा दें।

(घ) भारत सरकार उर्वरक की उपलब्धता की स्थिति का नियमित रूप से अनुवीक्षण करती है। राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि वे फास्फेट युक्त और नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू करें।

प्रदूषण नियंत्रण

3954. श्री धर्मभिक्षम : क्या **पर्यावरण** और **वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदूषणकारी उद्योगों की 17 श्रेणियों में से राज्यवार कितने एककों ने अब तक प्रदूषणरोधी उपाय किए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : अभिनिर्धारित 17 श्रेणियों में बड़े एवं

मझौले क्षेत्र की जिन यूनिटों ने 30 जून, 1994 तक पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं संस्थापित कर ली थीं उनका राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	राज्य	17 श्रेणियों के अंतर्गत अभिनिर्धारित यूनिटों की कुल संख्या	जिन यूनिटों ने प्रदूषण निवारण सुविधाएं संस्थापित कर ली हैं
1.	आन्ध्र प्रदेश	173	107
2.	असम	15	09
3.	बिहार	62	37
4.	गोवा	06	06
5.	गुजरात	177	167
6.	हरियाणा	43	32
7.	हिमाचल प्रदेश	09	09
8.	जम्मू और कश्मीर	08	01
9.	कर्नाटक	85	47
10.	केरल	28	20
11.	मध्य प्रदेश	78	55
12.	महाराष्ट्र	335	293
13.	मेघालय	01	00
14.	उड़ीसा	23	13
15.	पंजाब	45	32
16.	राजस्थान	49	42
17.	सिक्किम	01	00
18.	तमिलनाडु	119	109
19.	चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	01	01
20.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	05	02
21.	पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र	06	02
22.	उत्तर प्रदेश	224	127
23.	पश्चिम बंगाल	58	13

[हिन्दी]

पश्चिमी रेलवे में स्टालों का आवंटन

3955. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92, 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान पश्चिम रेलवे में किन-किन रेलवे स्टेशनों

पर खान-पान और विभिन्न अन्य ठेके बिना बारी के दिए हैं; और

(ख) वर्षवार, ऐसे कुल कितने ठेके दिए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) एक विवरण संलग्न है :

(ख)	वर्ष	लाइसेंसधारियों की संख्या
	1991-92	9
	1992-93	24
	1993-94	18
	1994-95	5

विवरण

पश्चिम रेलवे में जिन स्टेशनों पर, बिना बारी के खान-पान/वेंडिंग लाइसेंस आवंटित किये गये हैं, वे नीचे दिए गए हैं :-

1. अहमदाबाद
2. बावल
3. आगरा फोर्ट
4. अलवर
5. वलसाड़
6. रींगस
7. बम्बई सेन्ट्रल
8. अंधेरी
9. गोरेगांव
10. उज्जैन
11. सान्ताक्रुज
12. न्यु. बान्द्रा टर्मिनस
13. वसई रोड
14. जयपुर
15. आबू रोड
16. विरार
17. सवाईमाधोपुर
18. दहीसर
19. मैरीन लाइंस
20. मारवाड
21. नालासोपारा
22. मीरा रोड
23. नागदा
24. बान्द्रा
25. बोईसर
26. चित्तौड़गढ़
27. सिन्द्रा
28. बडोदरा
29. सूरत
30. भीलड
31. ग्रांट रोड
32. नीमच
33. लोअर पारेल
34. एलफिंस्टोन रोड
35. पालघाट
36. कोटा

[अनुवाद]

रेलवे में पटरियों की आवश्यकता

3956. श्री अमल दत्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक जोनल रेलवे में पटरियों की आवश्यकता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) आवश्यकतानुसार कितनी पटरियों का क्रयादेश दिया गया और विभिन्न निर्माताओं से कितने यात्री डिब्बे प्राप्त किए गए और इनका मूल्य कितना-कितना है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) क्षेत्रीय रेलों की पटरियों की आवश्यकता

(हजार टन में)

रेलवे	1992-93	1993-94	1994-95
मध्य	52	42	36
पूर्व	43	37	28
उत्तर	62	67	40
पूर्वोत्तर	18	08	15
पूर्वोत्तर सीमा	23	02	04
दक्षिण	54	48	42
दक्षिण मध्य	65	86	70
दक्षिण पूर्व	66	56	62
पश्चिम	33	33	38
जोड़	416	379	335

(ख) 1992-93, 1993-94, और 1994-95 के लिए दिए गए क्रयादेशों का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	निर्माताओं के नाम मैसर्स	मात्रा हजार टन में दिए गए क्रयादेशों की मात्रा	प्राप्त मात्रा	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1992-93	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि॰	330	330	417.00
	चाइन मेटलर्जिकल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कार्पोरेशन, पंमांग ब्रांच, चीन	40	40	47.46
	सिडनी स्टील कार्पोरेशन, सिडनी नोवा स्कोशिया, कनाडा	46	46	5726
1993-94	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि॰	379	379	506.00
1994-95	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि॰	335		प्रगति पर है।

मूंगफली में तेल की मात्रा

3957. श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं में मूंगफली में तेल की मात्रा बढ़ाने हेतु नए तरीके इजाद किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए मूंगफली की निम्नलिखित 5 नई किस्मों का पता लगाया गया है। वे इस प्रकार हैं :

1. आर॰ एस॰ एच॰ वाई-I -यह किस्म उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश के लिए 1991 में रिलीज की गयी थी। इसमें 49 से 52% तेलांश होता है।

2. जी॰ जी॰-3 -इन्हें मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के लिए 1992 के दौरान रिलीज किया गया था। इसमें 51% तेलांश होता है।

3. जी॰ जी-20 -यह किस्म गुजरात में उगाने के लिए उपयुक्त है। इसे 1993 में रिलीज किया गया था। इसमें 50% तेलांश होता है।

4. बी॰ ए॰-13 यह किस्म 1993 के दौरान देशभर में उगाने के लिए रिलीज की गई थी। इसमें 49 से 52% तेलांश होता है।

5. डी॰ आर॰ जी-7-1994 के दौरान हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में उगाने के लिए रिलीज की गई। इसमें 50-52% तेलांश होता है।

[हिन्दी]

महिला और बाल विकास कार्यक्रम

3958. श्री तेजसिंहराव भोंसले : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश के सभी जिलों में महिला और बाल विकास कार्यक्रमों को शुरू करने का है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के कितने जिलों का चयन किया गया है :

(ग) इन योजनाओं को अन्य जिलों में कब तक लागू किया जाएगा; और

(घ) महाराष्ट्र में इस कार्यक्रम हेतु सरकार, यूनीसेफ और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास की स्कीम तथा बाल उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश के सभी जिलों में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास की स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1994-95 तक 431 जिलों तथा वर्ष 1995-96 में बकाया जिलों को कवर किया जाएगा। महाराष्ट्र के सभी जिले इस स्कीम के अन्तर्गत कवर किए जा चुके हैं।

बाल उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र में 18 जिलों सहित कुल 255 जिले वित्तीय वर्ष 1994-95 तक कवर कर लिए जाएंगे और बकाया जिलों को वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान कवर किया जाएगा। इस कार्यक्रम के सुरक्षित मातृत्व घटक को अधिक शिशु मृत्यु दर/मातृ मृत्यु दर वाले केवल छः राज्यों अर्थात्, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित किया जा रहा है। किन्तु महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले के निदर्शन जिले के रूप में शामिल किया गया है।

उपर्युक्त कार्यक्रमों के अलावा, समेकित बाल विकास सेवा स्कीम देश के 65 प्रतिशत समुदाय विकास ब्लॉकों अर्थात् 3430 ब्लॉकों और 240 प्रमुख शहरी बस्तियों में कार्यान्वित की जा रही है। जून, 1994 की स्थिति के अनुसार देश में 3657 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 1285 अतिरिक्त ब्लॉकों अर्थात् कुल 77 प्रतिशत ब्लॉकों को कवर करने का प्रस्ताव है। 25 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में 180 फोकल जिलों में से महाराष्ट्र के 14 जिले इस स्कीम के अंतर्गत पूरी तरह कवर कर लिये गये हैं। महाराष्ट्र में 298 बाल विकास ब्लॉकों में से 230 ब्लॉकों को 255 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं के जरिए कवर किया जा चुका है।

इसके अलावा, सरकार ने मार्च 1994 में 19.90 करोड़ रुपए की कोरपस निधि से एक राष्ट्रीय शिशुगृह कोष की स्थापना की है। इस निधि की सहायता से और अधिक शिशुगृह खोलने तथा कुछ आंगनवाड़ियों को आंगनवाड़ी-सह-शिशुगृह केन्द्रों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, वर्ष 1993-94 में निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए एक नई स्कीम भी शुरू की गई है। प्रारंभ में अधिक जनसंख्या वाले 11 नगरों अर्थात् दिल्ली, कलकत्ता मद्रास, बम्बई, पुणे, नागपुर, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, लखनऊ और कानपुर में कार्यान्वित इस स्कीम को 26 और नगरों अर्थात् 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों और राज्यों की बकाया सभी राजधानियों में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास की स्कीम के अंतर्गत महाराष्ट्र के लिए केन्द्रीय सहायता और यूनिसेफ के हिस्से के रूप में वर्ष 1992-93, 1993-94 के दौरान किया गया वित्तीय आबंटन इस प्रकार है :-

वर्ष	(रु. लाखों में)
1992-93	65.65
1993-94	45.45
1994-95	60.60

बाल उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1992-1993 से महाराष्ट्र के लिए कुल आवंटन इस प्रकार है :–

(रु. लाखों में)

वर्ष	नकद	वस्तु	योग
1992-93	193.15	483.25	676.40
1993-94	196.70	949.25	1145.95
1994-95	197.70 (65.90 नियुक्त की जा चुकी है)	949.25 (अनन्तिम)	1146.95

महाराष्ट्र राज्य सरकार को वर्ष 1993-94 के दौरान 3,484.91 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। वर्ष 1993 के लिए समेकित बाल विकास सेवा के अन्तर्गत पूरे देश के लिए यूनिसेफ का आवंटन 100.50 लाख अमरीकी डॉलर (लगभग 3210.98 लाख रु.) है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यूनिसेफ का राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता।

छात्राओं को छात्रावास सुविधाएं

3959. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं को भोजन और आवास सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रत्येक राज्य को 1994-95 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : वर्ष 1993-94 में मंत्रालय ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए भोजन-व्यवस्था तथा छात्रावास की सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए एक योजना शुरू की जिसके अंतर्गत स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे वर्तमान छात्रावासों में रहने वाली छात्राओं के भोजन संबंधी खर्चे को पूरा करने के लिए आवर्ती सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत संस्वीकृतियां सीधे ही स्वैच्छिक एजेंसियों को जारी की जाती हैं। चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 में इस योजना के अंतर्गत अभी तक कोई सहायता किसी स्वैच्छिक एजेंसी को प्रदान नहीं की गई है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों को रद्द किया जाना

3960. श्री राम नाईक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा के क्षेत्र से गुजरने वाली सभी रेलगाड़ियों को एक वर्ष के लिए रद्द करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गोवा के यात्रियों और माल परिवहन की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु क्या वैकल्पिक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाएंगे ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लार्ड कार्नवालीस स्मारक

3961. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गाजीपुर जिले में स्थित लार्ड कार्नवालीस स्मारक के रख-रखाव हेतु धनराशि आवंटित करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) क्या कुछ लोगों ने इस स्मारक की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, हां।

(ख) लार्ड कार्नवालिस मकबरा, गाजीपुर के रखरखाव और संरक्षण पर हुआ खर्च इस प्रकार है :-

1991-92	37,700/-रु॰
1992-93	22,004/-रु॰
1993-94	18,574/-रु॰

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उपरिपुल का निर्माण

3962. श्री द्वारका नाथ दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर करीम गंज रेलवे जंक्शन स्टेशन के पास समपार पर उपरिपुल बनाने के संबंध में बहुत दिनों से चली आ रही मांग से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में कार्यवाही किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) सीमा सड़क कृतक बल में (i) राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 44 के बाईपास पर करीम गंज और (ii) बदरपुर–करीम गंज खंड पर दो समपारों को ऊपरी सड़क पुलों में बदलने का प्रस्ताव प्रायोजित किया है। ये कार्य निक्षेप शर्तों पर किए जाने हैं। सामान्य करार आरेखणों के अनुमोदन के बाद ऊपरी सड़क पुल के अनुमान, फ़रवरी'' 92 में सीमा सड़क कृतक बल को स्वीकृति हेतु भेजे गए थे।

(ग) बी आर टी एफ से अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

जलगांव स्टेशन पर गाड़ियों के रुकने की व्यवस्था

3963. डा॰ गुणवन्त रामभाऊ सरोदे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जलगांव स्टेशन पर कर्नाटक, साकेत और महानगरी एक्सप्रेसों के रुकने की व्यवस्था करने का है;

(ख) क्या जलगांव और भुसावल स्टेशनों के आरक्षण कोटे में भी वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिला

3964. डा॰ विश्वनाथम कैनिथी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के दाखिले में सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान पिछड़े वर्गों के कितने छात्रों का दाखिला किया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय में 15% और 7½% नए दाखिले क्रमश: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए प्रवेश में कोई आरक्षण नहीं है।

कर्नाटक में मसालों की खेती

3965. श्री एस॰ बी॰ सिदनाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में मसालों की खेती करने की बड़ी संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में किस संभावना का पता लगाया है तथा अब तक किस-किस क्षेत्र को मसालों की खेती के अंतर्गत लाया गया है; और

(ग) राज्य में किस-किस प्रकार के मसाले उगाये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) राज्य में मसालों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने की दृष्टि से राज्य में समन्वित मसाला विकास के लिये एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चलाई जा रही है जिसका 8वीं योजना में परिव्यय 815.68 लाख रुपये है। इस योजना के अंतर्गत शुरू किये गये प्रमुख कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ रोपण सामग्री का उत्पादन तथा वितरण, कालीमिर्च के पुराने बगीचों का पुनरुद्धार कृषकों के खेत पर प्रदर्शन प्लाट तैयार करना, अंत: फसल के रूप में काली मिर्च की खेती को बढ़ावा देना, अदरक, हल्दी, व मिर्च के लिये प्रदर्शन व बीज बहुलीकरण प्लाट तैयार करना, अदरक, हल्दी व मिर्च के लिये क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम मिर्च के लिये पौध रक्षण, गौण मसालों तथा वृक्ष से प्राप्त होने वाले मसालों का विकास करना आदि शामिल हैं। 1992-93 के दौरान राज्य में विभिन्न मसालों के अंतर्गत कवर किये गये क्षेत्र का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्रम सं॰	फसल	कवर किया गया क्षेत्र (हजार हैक्टे॰ में)
1.	काली मिर्च	2.92
2.	मिर्च	148.50
3.	हल्दी	3.70
4.	धनिया	17.60
5.	अदरक	1.98
6.	लहसुन	2.88
7.	इलायची	25.22

खाद्यान्नों की चोरी

3966. श्री प्रबीन डेका : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को न्यू गुवाहाटी रेलवे साइडिंग में रेल वैगनों से खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं की चोरी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इस कार्य में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इस संबंध में उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) 1993-94 के दौरान न्यू गुवाहाटी रेलवे साइडिंग पर रेल मालडिब्बों से खाद्यान्न और अन्य पण्यों की चोरी के 4,240/-रू॰ मूल्य की संपत्ति की चोरी से सम्बद्ध छः मामले, दर्ज किए गए हैं;

(ग) और (घ) जी हां, चुराई गई पूरी संपत्ति बरामद हो गई है तथा इन मामलों में संलिप्त 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जांच की गई हैं और अदालत में मामला दर्ज कर दिया गया है।

(ङ) न्यू गुवाहाटी रेलवे साइडिंग में रेल संपत्ति से संबंधित अपराधों को नियंत्रण करने हेतु अपराधियों और चोरों से निपटने के लिए रेलवे सुरक्षा बल, राज्य रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस द्वारा विभिन्न स्तरों पर यार्डों में गहन गश्त, चोरों पर छापे मारने, अपराध खुफिया कर्मचारी तैनात करने जैसे उपाय किए जा रहे हैं। चोरियों की रोकथाम और अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष दस्तों द्वारा बहुधा अचानक जांच की जाती हैं।

साहित्य अकादमी

3967. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साहित्य अकादमी के आज की तिथी तक प्रकाशित गैर-आवधिक प्रकाशनों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) प्रकाशनों में भाषा-वार, कुल कितनी मूल कृतियां सम्मिलित हैं;

(ग) उपर्युक्त (क) में सम्मिलित प्रकाशनों में मूल भाषाओं के ब्यौरे के साथ कितने अनुवाद हैं;

(घ) प्रत्येक भाषा में कितनी कृतियों का अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है और प्रत्येक मामले में जिन-जिन भाषाओं में अनुवाद किया गया उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में अकादमी का वार्षिक बजट अनुदान कितना रहा और उमें गैर-आवधिक प्रकाशनों के लिए कितनी धनराशि नियत की गई थी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) 2287

(ख) मूल कृतियों की संख्या 643 है, ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) प्रकाशनों के संबंध में भाषा-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) विवरण निम्न प्रकार है :

(लाख रुपयों में)

वर्ष	वार्षिक बजट अनुदान	गैर आवधिक प्रकाशनों के लिए आवंटन
1991-92	318.46 रु०	90.41 रु०
1992-93	322.97 रु०	75.77 रु०
1993-94	299.12 रु०	46.65 रु०

विवरण-I

क्रम सं०	भाषाएं	प्रकाशित मूल (भाषा-वार) कृतियों की संख्या
1	2	3
1.	असमी	10
2.	बंगला	15
3.	डोगरी	8
4.	अंग्रेजी	254
5.	गुजराती	15
6.	हिंदी	76
7.	कन्नड़	20
8.	कश्मीरी	21
9.	कोंकणी	5
10.	मैथिली	13
11.	मलयालम	6
12.	मणिपुरी	2

1	2	3
13.	मराठी	38
14.	नेपाली	6
15.	उड़िया	2
16.	पंजाबी	18
17.	राजस्थानी	11
18.	संस्कृत	22
19.	सिंधी	22
20.	तमिल	20
21.	तेलुगू	12
22.	तिब्बती	1
23.	उर्दू	43
24.	शब्दकोश	3
	कुल	643

विवरण-II

क्रम सं.	भाषाएं	अन्य भाषाओं में अनुदित पुस्तकों की संख्या (भाषा-वार)
1	2	3
1.	असमी	58
2.	बंगला	83
3.	देवनागरी	11
4.	डोगरी	10
5.	अंग्रेजी	69
6.	गुजराती	81
7.	हिंदी	296
8.	कन्नड़	132
9.	कश्मीरी	8
10.	कोंकणी	18

1	2	3
11.	मैथिली	46
12.	मलयालम	113
13.	मणिपुरी	7
14.	मराठी	74
15.	नेपाली	21
16.	उड़िया	65
17.	पाली	1
18.	पंजाबी	98
19.	राजस्थानी	4
20.	संस्कृत	1
21.	सिंधी	46
22.	तमिल	152
23.	तेलुगू	140
24.	उर्दू	109
	कुल	1644

विवरण-III

क्रम सं.	भाषाएं	गैर-आंवधिक प्रकाशनों की कुल संख्या (भाषा-वार)
1	2	3
1.	असमी	68
2.	बंगला	98
3.	देवनागरी	11
4.	डोगरी	18
5.	अंग्रेजी	323
6.	गुजराती	96
7.	जर्मन	1
8.	हिंदी	372

1	2	3
9.	कन्नड़	152
10.	कश्मीरी	29
11.	कोंकणी	23
12.	मैथिली	59
13.	मलयालम	119
14.	मणिपुरी	9
15.	मराठी	112
16.	नेपाली	27
17.	उड़िया	67
18.	पाली	1
19.	पंजाबी	116
20.	राजस्थानी	15
21.	संस्कृत	23
22.	सिंधी	68
23.	तमिल	172
24.	तेलुगू	152
25.	तिब्बती	1
26.	उर्दू	152
27.	शब्दकोश	3
	कुल	2287

क्रम सं.	भाषाएं	प्रकाशित मूल (भाषावार) कृतियों की संख्या
1	2	3
1.	असमी	10
2.	बंगला	15
3.	डोगरी	8
4.	अंग्रेजी	254

1	2	3
5.	गुजराती	15
6.	हिंदी	76
7.	कन्नड़	20
8.	कश्मीरी	21
9.	कोंकणी	5
10.	मैथिली	13
11.	मलयालम	6
12.	मणिपुरी	2
13.	मराठी	38
14.	नेपाली	6
15.	उड़िया	2
16.	पंजाबी	18
17.	राजस्थानी	11
18.	संस्कृत	22
19.	सिंधी	22
20.	तमिल	20
21.	तेलगू	12
22.	तिब्बती	1
23.	उर्दू	43
24.	शब्दकोश	3
	कुल	643

क्रम सं.	भाषाएं	अन्य भाषाओं में अनुदित पुस्तकों की संख्या (भाषा-वार)
1	2	3
1.	असमी	58
2.	बंगला	83
3.	देवनागरी	11

1	2	3
4.	डोगरी	10
5.	अंग्रेजी	69
6.	गुजराती	81
7.	हिंदी	269
8.	कन्नड़	132
9.	कश्मीरी	8
10.	कोंकणी	18
11.	मैथिली	46
12.	मलयालम	113
13.	मणिपुरी	7
14.	मराठी	74
15.	नेपाली	21
16.	उड़िया	65
17.	पाली	1
18.	पंजाबी	98
19.	राजस्थानी	4
20.	संस्कृत	1
21.	सिंधी	46
22.	तमिल	152
23.	तेलुगू	140
24.	उर्दू	109
	कुल	1644

अखिल भारतीय मैथिली लेखक सम्मेलन

3968. श्री भोगेन्द्र झा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय मैथिली लेखक सम्मेलन वैदेही समिति, दरभंगा, बिहार द्वारा पर्यावरण पारिस्थितिकी तथा अन्य समस्याओं के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और क्या उन्होंने 'बॉटिनिकल गार्डन' के सर्वेक्षण तथा विकास और दुर्लभ जंगली वृक्षों व पौधों आदि को संरक्षण प्रदान करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विशिष्ट बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नए स्टेशन भवन

3969. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसंबर, 1988 में पश्चिमी रेलवे के वडोदरा स्टेशन पर नए स्टेशन भवन की आधारशिला रखी गई है;

(ख) यदि हां, तो भवन के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) भवन निर्माण में अत्यधिक विलंब के कारण क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) से (घ) यद्यपि वडोदरा में पश्चिम साइड पर स्टेशन की नई इमारत के निर्माण के लिए दिसंबर, 1988 में शिलान्यास किया गया था परन्तु पुनर्विचार करने के बाद इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया था। नयी स्टेशन इमारत के लिए की जाने वाली व्यवस्था के अंतर्गत कुछ सुविधाओं की उपयुक्त रूप से व्यवस्था कर दी गयी है। ऊपरी पैदल पुल का विस्तार करके पश्चिम साइड में प्रवेश की व्यवस्था की गयी है। स्टेशन पर एक टर्मिनल के अतिरिक्त शहर में दो कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण टर्मिनलों की व्यवस्था के अलावा एक बुकिंग कार्यालय का निर्माण किया गया था।

[हिन्दी]

पिरोटोन मैरीन नैशनल पार्क

3970. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिरोटोन मैरीन नेशनल पार्क गुजरात के रख-रखाव में गंभीर अनियमितताएं बरती जा रही हैं और मछुआरे वन विभाग के कर्मचारियों के साथ सांठ-गांठ से समुद्री खाद्य पदार्थों को बेचते रहे हैं;

(ख) क्या संसद सदस्यों अथवा किन्हीं अन्य लोगों से इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पार्क के रखरखाव और संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) पिरोटोन मैरीन नेशनल पार्क जामनगर के अनेक द्वीपों में से एक है। गुजरात सरकार के मुख्य वन्य जीव वार्डन ने पार्क के संबंध में ऐसी किसी गंभीर अनियमितताओं के बारे में सूचना नहीं भेजी है।

(घ) भारत सरकार मैरीन नेशनल पार्क के विकास एवं संरक्षण के लिए गुजरात सरकार को सहायता देती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ दी गई राशि निम्नानुसार है :

1991-92	6.36 लाख रुपए
1992-93	6.00 लाख रुपए
1993-94	3.33 लाख रुपए

रेलवे भूमि पर अतिक्रमण

3971. श्री राजनारायण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने 1985 में सभी रेलवे जोनों को रेलवे की भूमि को अतिक्रमणों से खाली कराने के लिए कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किए थे परन्तु इसके बावजूद अगस्त 1991 तक उत्तर रेलवे में रेलवे की भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुए हैं;

(ख) क्या उत्तर रेलवे ने 1993 में भूमि को संबंधित राज्य सरकार को स्थानांतरित करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमति दे दी थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव में क्या-क्या खामियां और अच्छाइयां थीं; और

(ग) सतर्कता आयोग के समक्ष ऐसे कितने मामले आए हैं जिनमें अतिक्रमणों में रेलवे कर्मचारी लिप्त पाए गए तथा इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) ऐसा कोई मामला सतर्कता आयोग के नोटिस में नहीं आया है।

[अनुवाद]

मालडिब्बों के उपयोग संबंधी समिति

3972. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने वैगनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए हाल ही में सलाहकारों की एक समिति गठित की है;

(ख) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नही।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन

3973. डा० आर० मल्लू : क्या **पर्यावरण** और **वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में जैव विविधता, जैव चोरी और तीसरी दुनिया के देशों को बीजों के पेटेंट से संबंधित विषयों पर गैर-सरकारी संगठनों और नई दिल्ली स्थित 'सोसायटी फॉर सिटिजन कन्सर्न्स' द्वारा उपलब्ध कराए गए कई सुविदित लेख 'रफी' विज्ञाप्ति और 'रफी' प्रेस रिलीज में छपे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि 'सोसायटी फॉर सिटिजन कन्सर्न्स' नई दिल्ली, भारत में उक्त कार्यों को अन्तर्राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फाउन्डेशन (आर० ए० एफ० आई०) के लिए बढ़ावा दे रही है;

(घ) क्या सरकार इन गैर-सरकारी संगठनों को सहायता दे रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सामान्य बीजों, पौधों की किस्मों, पशुधन और नस्लों, मुख्य फसलों, फलों, सब्जियों और औषधीय पौधों की कोई सूची तैयार की गई है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें प्रभारी अधिकारी कौन-कौन हैं; और

(च) क्या इन स्वदेशी किस्मों की कीट प्रतिरोध क्षमता के बारे में कोई जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मसालों हेतु प्रौद्योगिकी मिशन

3974. श्री दत्ता मेघे : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से राज्यों में मसालों के विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिन्होंने सहायता मांगी है और वह मांगी गई सहायता कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

आरक्षण में अनियमितताएं

3975. श्री भीम सिंह पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जून, 1994 के "राष्ट्रीय सहारा' के दिल्ली संस्करण में "कमाई का जरिया बन गया है वी आई पी आरक्षण कोटा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर रेलवे में आरक्षण में विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं को रोकने हेतु सरकार ने कार्रवाई की है/ करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) समाचार में छपी खबरें इस प्रकार हैं :–

(i) गर्मी की भीड़-भाड़ की निकासी के लिए पर्याप्त प्रबंध नहीं किए गए हैं जिसके फलस्वरूप आपातकालीन कोटा भ्रष्टाचार का जरिया बन गया है।

(ii) दिल्ली, नई दिल्ली और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर अनियमितताओं की जांच के लिए पर्याप्त अधिकारी/कर्मचारी तैनात नहीं किए गए थे।

(iii) दिल्ली, नई दिल्ली और निजामुद्दीन स्टेशनों पर सवारी डिब्बों के दरवाजे विलंब से खुलना।

(iv) गाड़ियों के चालन के बारे में सूचना देने की व्यवस्था अपर्याप्त है।

(v) उत्तर रेलवे पर वी॰ आई॰ पी॰ कोटा रिलीज़ करने की ड्यूटी सम्हालने वाले कर्मचारियों को काफी समय से स्थानांतरित नहीं किया गया है।

(ग) निम्नलिखित कार्रवाई की गई थी।

(i) वर्तमान ग्रीष्म ऋतु के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़-भाड़ से निपटने के लिए पिछले वर्ष के दौरान चलाई गई 116 गाड़ियों की तुलना में 187 गाड़ियां चलाई गई। कार्य घंटे बढ़ाने के अलावा दिल्ली क्षेत्र में नौ अतिरिक्त काउंटर परिचालित किए गए।

(ii) 17.5.94 से 30.6.94 के दौरान दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों पर व्यस्त अवधि के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को ड्यूटी अधिकारियों के रूप में तैनात किया गया था।

(iii) आपातकालीन कोटा नामांकित अधिकारियों द्वारा निर्धारित अनुदेशों के अनुसार रिलीज़ किया जा रहा है। अत: इस कोटे के गलत उपयोग की कोई संभावना नहीं है।

(iv) आपातकालीन कोटे के आबंटन से संबंधित कार्य सम्हालने वाले किसी कर्मचारी ने उत्तर रेलवे में किसी पद विशेष पर 4 वर्ष से अधिक की सेवा नहीं की है।

(v) सवारी डिब्बे समय से खोलने और गाड़ी चालन के बारे में सूचित करने के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रबंध किए गए थे।

(vi) अचानक जांच भी की जाती है और जब कभी अनियमितता का कोई मामला नोटिस में आता है तो इसके लिए जिम्मेवार कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई शुरू की जाती है।

यूरिया की कमी

3976. डा॰ महादीपक सिंह शाक्य :

श्री नीतिश कुमार :

श्री संनत कुमार मंडल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खरीफ के लिए यूरिया की कमी के कारण विभिन्न उर्वरकों की कीमतों में गत तीन वर्षों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो यूरिया के उत्पादन में कमी के क्या कारण है;

(ग) जून, 1993 और जून, 1994 के दौरान देश में पोटैसिक, फास्फेटिक और यूरिया उर्वरकों की कीमतें कितनी-कितनी रहीं;

(घ) 1991-92 और 1993-94 के दौरान देश में इन उर्वरकों का अलग-अलग कितना उत्पादन हुआ;

(ङ) सरकार का उर्वरकों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने और साथ ही इनकी जमाखोरी करने वाले डीलरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(च) यूरिया की अनुमानित कमी को पूरा करने हेतु चालू वर्ष के लिए 2.5 मिलियन टन यूरिया के अनुबंधित आयात की वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विवरण-I संलग्न है।

(घ) विवरण-II संलग्न है।

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने की एक योजना के अंग के रूप में और मांग और उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन के बीच के अन्दर को कम करने के लिए भी, इस समय दो अमोनिया संयंत्र-एक बबराला (उत्तर प्रदेश) तथा दूसरा शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) में, निजी क्षेत्रों के अन्तर्गत लगाये जा रहे हैं। इनके अलावा, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड और भारतीय कृषक सरकारी लिमिटेड (इफ्को) ने क्रमश: विजयपुर (मध्य प्रदेश) तथा आंवला (उत्तर प्रदेश) स्थित गैस पर आधारित संयंत्रों की क्षमता को दुगुना करने की परियोजनायें आरम्भ की हैं। मद्रास उर्वरक लिमिटेड के संयंत्रों का पुनरुद्धार होने से भी उर्वरक उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। कृष्णा-गोदावरी बेसिन (आन्ध्र प्रदेश) में भी मध्यम आकार के अमोनिया यूरिया संयंत्र के लिए गैस की उपलब्धता के संकेत मिले हैं।

विनिर्माताओं/डीलरों द्वारा उर्वरकों की जमाखोरी किये जाने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(च) चालू वर्ष में 2.5 मिलियन मीटरी टन यूरिया का आयात करने का कोई भी समझौता नहीं किया गया है।

विवरण-I

जून, 93 और जून, 94 के दौरान रहने वाले उर्वरकों के खुदरा मूल्य

	उर्वरक का नाम	मू० प्रति टन (रु०)	
		जून, 1993 के दौरान	10.6.1994 से लागू
	1	2	3
1.	यूरिया (46% एन)	2760	3320
2.	अमोनियम सल्फेट (20.6% एन०)	1920	××
3.	कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (25% एन०)	2000	××
4.	कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (26% एन०)	2080	××
5.	मक्यूरेट ऑफ पोटाश (60% के०)	×	×
6.	सल्फेट ऑफ पोटाश (50% के०)	×	×
7.	डाई० अमोनियम फॉस्फेट (18:46:0)	×	×
8.	एन० पी० के० (17:17:17)	×	×
9.	एन० पी० के० (15:15:15)	×	×
10.	एन० पी० के० (19:19:19)	×	×
11.	अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट (20:20:20)	×	×
12.	नाइट्रो फास्फेट (20:20:0)	×	×
13.	नाइट्रो फास्फेट (23:23:0)	×	×
14.	अमोनियम फास्फेट सल्फेट (16:20:0)	×	×
15.	यूरिया अमोनियम फास्फेट (24:24:0)	×	×
16.	यूरिया अमोनियम फास्फेट (28:28:0)	×	×
17.	एन० पी० के० (14:28:14)	×	×
18.	एन० पी० के० (14:35:18)	×	×

1		2	3
19.	एन॰ पी॰ के॰ (10:26:26)	×	×
20.	एन॰ पी॰ के॰ (12:32:16)	×	×
21.	ट्रीपल सुपर फास्फेट	×	×
	(46% पी 202 कणीय)	×	×
22.	त्रिपल सुपर फास्फेट (पाउडर)	×	×
23.	सिंगल सुपर फास्फेट	×	×
	(पाउडर) 14% पी 205)		
24.	सिंगल सुपर फास्फोगेट	×	×
	(पाउडर) (16% पी 205)		
25.	सिंगल सुपर फास्फेट	×	×
	(ग्रेन्युलर) (16% पी 205)		
26.	अमोनियम क्लोराइड (25% एन)	2000	××
27.	एनहाइड्रोअस अमोनिया	4420	5300
28.	जिंककेटिड यूरिया	3940	4480

× सांविधिक नियंत्रण मूल्य में से। मूल राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न रहे।

×× 10.6.94 से लागू सांविधिक मूल्य नियंत्रण से लिया गया।

विवरण-I

1991-92 व 1993-94 के दौरान विभिन्न उर्वरकों का उत्पादन

(हजार मी॰ टन में)

उत्पादन का	उत्पादन 1991-92			उत्पादन 1993-94		
नाम	मात्रा	एन॰	पी॰	मात्रा	एन॰	पी॰
1	2	3	4	5	6	7
यूरिया	1283.7	5902.1	0.0	13148.3	6048.2	0.0
ए/एस॰	547.0	114.9	0.0	621.9	130.6	0.0
सीएएन	447.2	111.8	0.0	666.2	166.6	0.0
ए/सी	112.6	28.1	0.0	130.7	32.7	0.0
डी ए पी	2865.3	515.8	1318.0	1950.6	351.1	897.3

1 2	3	4	5	6	7	
20:20	654.5	130.9	130.9	882.9	176.6	176.6
एस॰ एस॰ पी॰	3009.0	0.0	481.4	1900.0	0.0	304.0
15:15:15	336.1	50.4	50.4	303.1	45.5	45.5
ए एन पी (20:7:20.7)	276.8	57.3	57.3	267.3	55.3	55.3
17:17:17	695.0	118.2	118.2	483.7	54.4	82.2
10:26:26	335.5	33.6	87.2	251.0	25.1	65.3
12:32:16	323.2	38.8	103.4	193.2	23.2	61.8
14:35:14	1.88	2.6	6.6	10.6	1.5	3.7
19:19:19	175.6	33.4	33.4	129.4	24.6	24.6
28:28	382.2	107.0	107.0	284.2	79.6	79.6
16:20	103.2	16.5	20.6	87.8	14.0	17.6
23:23	140.3	32.3	32.2	10.2	2.3	2.3
18:28:14	55.0	7.7	15.4	0.0	0.0	0.0
योग	23308.0	7301.3	2562.2	21321.0	7231.2	1815.7

[अनुवाद]

सुपर बाजार कर्मचारियों के विरुद्ध मामले

3977. श्री छीतू भाई गामीत : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध 1993-94 के दौरान कितने मामले जांचाधीन हैं; और

(ख) कितने मामलों को अंतिम रूप से निपटाया गया और कितने मामलों पर कार्यवाही की गई ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि वर्ष 1993-94 के दौरान सुपर बाजार के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध 130 मामलों को जांच की गई है। 125 मामलों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और 83 पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

खाद का उत्पादन

3978. श्री मणिकराव होडल्या गावीत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मवेशियों तथा मानव के मलोत्सर्ग तथा अन्य ऐसे अनुपयोगी पदार्थों, जिसका उपयोग खाद के रूप में किया जा सकता है, की कुल वार्षिक मात्रा का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) उक्त उत्पादों का कितना प्रतिशत खाद बनाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त उत्पादों के महत्तम उपयोग के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, नहीं। फिर भी, अनुमान है कि देश में लगभग 650 मिलियन टन ग्रामीण कम्पोस्ट तथा 16 मिलियन टन शहरी कम्पोस्ट की क्षमता है।

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, देश में लगभग 272 मिलियन टन ग्रामीण कम्पोस्ट और 6.7 मिलियन टन शहरी कम्पोस्ट को खाद के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

(ग) और (घ) देश में जैविक खाद के उपयोग को अनुकूल बनाने के लिए, राज्य सरकारों को समय-समय पर, यथा संभव खाद का उत्पादन करने तथा इसका उपयोग करने के लिए सभी प्रयास करने की सलाह दी जाती है। जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, कृषि और सहकारिता विभाग 8वीं पंच वर्षीय योजना के दौरान उर्वरकों के संतुलित तथा समन्वित उपयोग पर एक योजना कार्यान्वित कर रहा है।

चीनी मिलें

3979. श्री एम० कृष्ण स्वामी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के पास तमिलनाडु के तिरूवन्नामलाई सैम्बूरयार जिले के पोलूर स्थान पर सहकारी चीनी मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या तमिलनाडु में तीन सहकारी मिल स्थापित किये जाने संबंधी आशयपत्र लम्बित रखे गये थे;

(ग) क्या पोलूर में सहकारी चीनी मिल स्थापना संबंधी आशयपत्र जारी कर दिया गया है या सहकारी क्षेत्र के हितों के उपेक्षा करते हुए यह आशयपत्र किसी निजी संस्था को जारी किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से तमिलनाडु के तिरूवन्नामलाई सैम्बूरयार जिले में पोलूर स्थान पर एक नई चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए चार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मै० तमिलनाडु सहकारी चीनी परिसंघ लि० से केवल एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जो कि बाद में राज्य सरकार ने छोड़ दिया था।

(ख) सहकारी चीनी मिलों को जारी किए गए तीन आशय-पत्रों में ऐ एक आशय-पत्र रद्द माना गया है क्योंकि उक्त सहकारी मिल ने परियोजना के कार्यान्वयन में कोई प्रगति नहीं की। दो आशय-पत्र कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) और (घ) चूंकि तमिलनाडु सरकार ने मै॰ तमिलनाडु सहकारी चीनी परिसंघ लि॰ के पोल्लूर में नई चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के प्रस्ताव को छोड़ दिया था इसलिए मै॰ धरनी शुगर्स एडं कैमिकल्स लि॰ को निजी क्षेत्र में एक आशय-पत्र जारी कर दिया गया है।

मदर डेरी द्वारा आइसक्रीम की बिक्री

3980. श्री नवल किशोर राय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आइसक्रीम के प्रस्तावित बिक्री के लिए मदर डेरी दिल्ली ने दिल्ली में अपने सभी बूथों पर आइसक्रीम फ्रिजों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फ्रिजों की खरीद बिना मूल्य सूची आमंत्रित किए ही गुजरात के एक पसंदीदा निर्माता से की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा आइसक्रीम बनाने हेतु लगाई गई मशीनों को जिनसे स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए आइसक्रीम की पूर्ति की जानी थी राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के कहने पर गुजरात की एक पार्टी को स्क्रैप के रूप में बेच दिया गया; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठन

3981. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठन स्थापित किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठनों को उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए; और

(ग) पुरस्कार विजेताओं का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) इस समय देश में 500 से अधिक उपभोक्ता संगठन कार्य कर रहे हैं। इन उपभोक्ता संगठनों के नाम और पते की निदेशिका संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ता संरक्षण के बारे में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले उपभोक्ता संगठनों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1990

पुरस्कार प्राप्त करने वाले उपभोक्ता संगठनों के नाम	श्रेणी
1. कंज्यूमर एजूकेशन एंड रिसर्च सेंटर, अहमदाबाद	प्रथम पुरस्कार
2. मुम्बई ग्राहक पंचायत, बम्बई	द्वितीय पुरस्कार
3. त्रिची डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर काउंसिल त्रिपी	तृतीय पुरस्कार
4. कॉमन कॉज, नई दिल्ली	विशेष पुरस्कार

वर्ष 1991

पुरस्कार प्राप्त करने वाले उपभोक्ता संगठनों के नाम	श्रेणी
1. कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल तिरूअनन्तपुरम	प्रथम पुरस्कार (संयुक्त विजेता)
2. उड़ीसा कंज्यूमर एसोसिएशन काउंसिल, मदुरई	प्रथम पुरस्कार (संयुक्त विजेता)
3. कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल, मदुरई	द्वितीय पुरस्कार (संयुक्त विजेता)
4. दि सिटिजन्स फोरम, हुबली	द्वितीय पुरस्कार (संयुक्त विजेता)

वर्ष 1992

पुरस्कार प्राप्त करने वाले उपभोक्ता संगठनों के नाम	श्रेणी
1. कंज्यूमर एक्शन ग्रुप मद्रास	प्रथम पुरस्कार
2. जागृत ग्राहक, बड़ोदरा	द्वितीय पुरस्कार (संयुक्त विजेता)
3. प्रगतिशील महिला समिति, नई दिल्ली	द्वितीय पुरस्कार (संयुक्त विजेता)
4. मेघालय स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वैलफेयर, शिलॉंग।	तृतीय पुरस्कार

[अनुवाद]

ऐतिहासिक स्मारकों का पुनः नामकरण

3982. **प्रो॰ के॰ वी॰ थामस** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में फोर्ट विलियम जैसे ऐतिहासिक स्मारकों के नाम बदलने हेतु कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने वर्ष 1989 में कलकत्ता के "फोर्ट विलियम" का नाम बदलने के प्रस्ताव पर विचार किया था, किन्तु इसे स्वीकार नहीं किया।

[हिन्दी]

साहिबगंज में यात्री सुविधाएं

3983. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहिबगंज के लोकोशेड के विस्तार और स्टेशन पर अन्य यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या विक्रमशिला एक्सप्रेस को भागलपुर से साहिबगंज तक बढ़ाने, क्यूल से साहिबगंज तक मौर्य एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त डिब्बा लगाने, स्टेशन का आरक्षण कोटा बढ़ाने, साहिबगंज को हावड़ा मंडल में शामिल करने और स्टेशन पर एक डीजल शेड लगाने की भी मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) साहिबगंज स्टेशन पर कुछ अतिरिक्त यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, लोकोशैड के विस्तार के लिए नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) एक वितरण संलग्न है।

विवरण

1. विक्रम शिला एक्सप्रेस का भागलपुर से साहिबगंज तक विस्तार : परिचालनिक आकस्मिकताओं के कारण विक्रम शिला एक्सप्रेस को साहिबगंज तक बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है।

2. मौर्य एक्सप्रेस में क्यूल से सहिबगंज तक एक बोगी लगाना : क्यूल और साहिब गंज के बीच सीधी गाड़ियां पहले ही उपलब्ध हैं। मौर्य एक्सप्रेस में क्यूल से साहिबगंज तक एक बोगी लगाना परिचालनिक कारणों से व्यावहारिक नहीं है।

3. स्टेशन के आरक्षण कोटे में वृद्धि : साहिबगंज स्टेशन से दिल्ली, हवड़ा, गुवाहाटी, न्यू जलपाईगुड़ी,

बम्बई, दानापुर और अमृतसर की ओर जाने वाली विभिन्न गाड़ियों में आरक्षण कोटा पहले से ही उपलब्ध है और समग्र आरक्षित स्थान और मांग के पेटर्न को ध्यान में रखते हुए इन कोटों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इस समय सीमित स्थान उपलब्ध होने के कारण मौजूदा कोटे को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

4. साहिबगंज को हवड़ा मंडल में शामिल करना : साहिबगंज को हवड़ा मंडल में शामिल करने के सुझाव का अध्ययन और जांच की जा रही है।

5. स्टेशन पर एक डीज़ल शेड की स्थापना : साहिब गंज में डीज़ल शेड की स्थापना करना परिचालनिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं है।

6. साहिब गंज स्टेशन पर अतिरिक्त यात्री सुविधाएं : प्लेटफार्म सं. 2 सायबान की व्यवस्था करने, दो जल शीतकों और एक विश्राम कक्ष की व्यवस्था करने का कार्य पहले ही स्वीकृत कर दिया गया है।

शताब्दी एक्सप्रेस

3984. श्री बृज भूषण शरण सिंह :

श्री पंकज चौधरी :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली-जयपुर और दिल्ली-अमृतसर के बीच शताब्दी एक्सप्रेस शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) नई दिल्ली-अमृत्सर शताब्दी एक्सप्रेस पहले ही 11.8.94 से चला दी गई है। दिल्ली और जयपुर के बीच सभी आवश्यक तकनीकी प्रबंध कर लिये जाने के बाद शताब्दी एक्सप्रेस चलाने के बारे में सिद्धांत रूप में निर्णय लिया जा चुका है।

[अनुवाद]

यात्रियों को किराये के अन्तर की राशि की वापसी

3985. श्री अनिल बसु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर. ए. सी. यात्रियों को अन्ततः शायिका न मिलने की स्थिति में किराये के अन्तर की राशि वापस नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) से (ग) आर. ए. सी. तथा पुष्ट टिकटों के किरायों में कोई अंतर नहीं है। अतः उन आर. ए. सी. यात्रियों को धन-वापसी का प्रश्न नहीं उठता जिन्हें अंततः शायिकाएं नहीं दी जाती।

अहमदाबाद और भुसावल के बीच एक्सप्रेस रेल गाड़ी

3986. श्री गाधाजी मंगाजी ठाकुर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यात्रियों की सुविधा के लिए अहमदाबाद और भुसावल जंक्शन (खानदेश रीजन) के बीच एक नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़) : (क) फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी तथा यातायात की दृष्टि से औचित्य न होना।

विद्यालयों को सम्बद्ध करना

3987. श्री हाराधन राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्यालयों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध करते समय रखे गए शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी० बी० एस० ई०) से सम्बद्धन प्राप्त करने के इच्छुक स्कूलों को बोर्ड के सम्बद्धन उप नियमों में निर्धारित की गई विभिन्न शर्तों को पूरा करना अपेक्षित होता है। स्कूल की औपचारिक मान्यता तथा सम्बन्धित राज्य/संघशासित क्षेत्र सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जारी किया जाना, पर्याप्त भूमि का अधिग्रहण, स्कूल को चलाने वाले प्रबन्ध का गैर-स्वामित्व स्वरूप, सुशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धित राज्य/संघशासित क्षेत्र सरकार द्वारा निर्धारित किये गये वेतनमानों से कम वेतन का भुगतान न किया जाना सम्बद्धन उपनियमों में निर्धारित मुख्य शर्तें हैं।

(ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी० बी० एस० ई०) में सम्बद्धन प्राप्त स्कूलों की संख्या की राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र-वार सूची संलग्न विवरण में दी हुई है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र का नाम	सम्बद्धन प्राप्त स्कूलों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	182
2.	असम	57
3.	बिहार	180

1	2	3
4.	गुजरात	61
5.	हरियाणा	187
6.	हिमाचल प्रदेश	65
7.	जम्मू और कश्मीर	53
8.	कर्नाटक	87
9.	केरल	122
10.	मध्य प्रदेश	176
11.	महाराष्ट्र	98
12.	मणिपुर	15
13.	मेघालय	14
14.	नागालैण्ड	6
15.	उड़ीसा	69
16.	पंजाब	135
17.	राजस्थान	147
18.	सिक्किम	78
19.	तमिलनाडु	148
20.	त्रिपुरा	8
21.	उत्तर प्रदेश	380
22.	अरूणाचल प्रदेश	120
23.	मिजोरम	4
24.	पश्चिम बंगाल	84
25.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	65
26.	चंडीगढ़	101
27.	गोवा	8
28.	पांडिचेरी	5
29.	दादरा और नगर हवेली	2
30.	दमन और दीव	2
31.	लक्षद्वीप	2
32.	दिल्ली	1231
	कुल	3892

हरिनघाट में पशु अनुसंधान केन्द्र

3988. श्री सुव्रत मुखर्जी :

श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने नदिया जिले में हरिनघाट में कोई पशु अनुसंधान केन्द्र खोलने का अनुरोध किया है;

(ख) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) सरकार ने देश में किन-किन स्थानों पर ऐसे केन्द्र खोले हैं ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्णा कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में कार्यरत मवेशी अनुसंधान केन्द्रों के नाम निम्नलिखित हैं :-

(1) राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा।

(2) भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश।

(3) मवेशी प्रायोजना निदेशालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश।

(4) राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान, करनाल, हरियाणा।

(5) राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, करनाल, हरियाणा।

दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण

3989. श्री भूपेन्द्र सिंह हूड्डा :

श्री मंगलराम प्रेमी :

श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण, विशेषकर नज़फगढ़, नई दिल्ली-43 के क्षेत्रों में अनुमत्य स्तर से काफी अधिक है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में समस्या की गंभीरता का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आवासीय क्षेत्रों में लाउडस्पीकरों पर लगाए गए प्रतिबंधों को किसी प्राधिकारी द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या निवारक कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली सहित देश के प्रमुख महानगरों में विभिन्न स्थानों पर परिवेशी शोर स्तरों का सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चलता है कि दिल्ली में औसत शोर स्तर निर्धारित मानकों से अधिक है। नजफगढ़ में शोर प्रदूषण के स्तर के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी, हां। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1989-90 में दिल्ली, बम्बई, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद, कानपुर और जयपुर के आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और चुने हुए अन्य क्षेत्रों में परिवेशी शोर स्तरों के संबंध में सर्वेक्षण किए थे। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1992-93 में दिल्ली, कोच्ची, वडोदरा, विशाखापत्तनम, कानपुर, लखनऊ इन्दौर तथा वृहद कलकत्ता महानगर क्षेत्र में शोर स्तरों का दूसरा सर्वेक्षण किया था इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1992 में "दिवाली" के अवसर पर शोर के बढ़े हुए स्तरों को मापने के लिए एक विशेष सर्वेक्षण किया था।

(ग) सर्वेक्षण किए गए सभी शहरों में दर्ज औसत शोर स्तर निर्धारित मानकों से अधिक पाये गए थे। जागरण, और चुनाव प्रचार अभियान के दौरान सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली के उपयोग के कारण शोर स्तर अनुज्ञेय सीमाओं से अधिक पाया गया।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली से उत्पन्न शोर प्रदूषण के नियंत्रण के लिए एक प्रक्रिया संहिता का विकास किया है। संबद्ध स्थानीय अधिनियमों के तहत कार्यान्वित करने के लिए इसे सभी राज्य सरकारों को प्रेषित कर दिया गया है। दिल्ली में, दिल्ली पुलिस ने हस्पतालों, शिक्षण संस्थाओं, न्यायालयों तथा आवासीय क्षेत्रों के आसपास शांत क्षेत्र घोषित किए हैं। स्थानीय पुलिस उन लोगों के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है जो दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत बने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र लाउडस्पीकर लाइसेंसिंग और नियंत्रण विनियमावली, 1980 के उपबंधों का उल्लंघन करते हैं।

[हिन्दी]

'अक्षय' शैक्षिक योजना

3990. **श्री एन॰ जे॰ राठवा** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने स्कूली शिक्षा योग्य निर्धन बच्चों के लाभार्थ 'अक्षय' योजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) 1993-94 के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान राज्यवार कितनी-कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) ऐसी किसी योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

रेल संपर्क

3991. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के कितने जिले रेलमार्ग द्वारा राज्य की राजधानी से जुड़े हैं;

(ख) उक्त राज्य में कितने जिलों और राज्य की राजधानी के बीच रेल संपर्क नहीं हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) 18

(ख) डांग, जिसका मुख्यालय आहवा में है।

(ग) संसाधनों की संगी के कारण इस जिले को राज्य की राजधानी से जोड़ने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

हावड़ा रेलवे स्टेशन

3992. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हावड़ा रेलवे स्टेशन पर रेल संपत्ति के रख-रखाव तथा सुरक्षा का कार्य निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपने का निणर्य लिया है अथवा लेने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम

3993. श्री खेलन राम जांगडे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के ऊपर कम धनराशि खर्च की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस परियोजना पर खर्च की गई धनराशि क्या है और किए गए कार्य का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत 28 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में काम करने के लिये 8वीं योजना में 1100 करोड़

रु० का आबंटन किया गया है। राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों ने 36.72 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में परियोजनाओं का काम शुरू कर दिया है जिनकी अनुमानित लागत 1082.36 करोड़ रु० है। परियोजना के कार्यान्वयन के आरम्भिक वर्ष भारत सरकार/राज्य सरकारों द्वारा माइक्रो पनधाराओं की पहचान, तैयारी और अनुमोदन में लग गये। इसके बाद के वर्षों में परियोजना के कार्यान्वयन को गति में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस परियोजना के तहत शुरू किये गये विभिन्न क्रियाकलापों में कम लागत के वानस्पतिक उपायों को अपनाकर मृदा व जल का संरक्षण करके कृषि तथा गैर-कृषि भूमि तथा निकास नालियों को ठीक करना तथा घरेलू आय देने वाले सहायक क्रियाकलापों सहित उत्पादन पद्धतियों को प्रोत्साहन देना शामिल है।

शुरू की गई परियोजनाओं, काम के लिये प्रस्तावित क्षेत्र और परियोजनाओं की अनुमानित लागत का राज्य/संघ शासित क्षेत्र वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को दी गई धनराशि पिछले वर्षों में उनकी प्राथमिकता पर आधारित है। जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	विकास के लिये चयनित सूक्ष्म पनधाराओं की कुल संख्या	राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत सूक्ष्म पनधाराओं की संख्या	आबंटित क्षेत्र (है०)	अनुमानित लागत (रुपये लाखों में)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	94	94	191949	6772.230
2.	अरूणाचल प्रदेश	12	1	2800+	133.000+
3.	असम	110	110	106184	2508.059
4.	बिहार	209	157	81460	2273.986
5.	गोआ	4	4	4880	170.800
6.	गुजरात	168	168	334261	9776.180
7.	हरियाणा	5	5	18725	644.058
8.	हिमाचल प्रदेश	58	38	21845	977.090
9.	जम्मू और कश्मीर	31	31	15436	576.790
10.	कर्नाटक	85	85	357607	13710.870
11.	केरल	114	114	88276	3583.576
12.	मध्य प्रदेश	385	385	749641	14127.439
13.	महाराष्ट्र	266	266	443827	12787.490

1	2	3	4	5	6
14.	मणिपुर	5	5	6821	252.720
15.	मेघालय	8	8	3925+	186.000+
16.	मिजोरम	20	20	17666	798.670
17.	नागालैंड	28	28	14125	637.000
18.	उड़ीसा	258	248	385108	10680.910
19.	पंजाब	13	13	19271	539.470
20.	राजस्थान	205	215	372284	12285.462
21.	सिक्किम	12	12	7031	347.970
22.	तमिलनाडु	84	84	89025+	4151.000+
23.	त्रिपुरा	17	17	7694	247.000
24.	उत्तर प्रदेश	188	188	224000+	6904.000
25.	पश्चिम बंगाल	170	116	104800	3020.800
26.	दादर और नगर हवेली	3	3	692	18.735
27.	दमन और दीव	–	–	–	–
28.	अंडमान और निकोबार	4	4	2669	125.308
	योग	2556	2419	3672002	108236.600

+ लक्ष्य दर्शाता है, वास्तविक क्षेत्र आवरण और लागत के आंकड़े प्रतीक्षित हैं।

विवरण-II

1991-92 से 1993-94 तक के तीन वर्षों में किए गए खर्च का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991-92		1992-93		1993-94	
		आवंटित	दी गई राशि	आवंटित	गई राशि	आवंटित	दी गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश		1120.000		1238.000		1462.000
2.	अरूणाचल प्रदेश		18.000		18.000		–
3.	असम		350.000		350.000		460.000
4.	बिहार		780.000		130.858		–
5.	गोआ		17.000		2.733		–

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	गुजरात		1180.000		1180.000		1370.000
7.	हरियाणा		240.000		38.552		–
8.	हिमाचल प्रदेश		80.000		80.000		–
9.	जम्मू और कश्मीर		60.000		60.000		192.000
10.	कर्नाटक		1420.000		1380.000		3149.999
11.	केरल		300.000		300.000		1360.000
12.	मध्य प्रदेश		2600.000		980.053		1900.000
13.	महाराष्ट्र		2590.000		742.673		2000.000
14.	मणिपुर		15.000		73.000		–
15.	मेघालय		25.000		28.000		100.000
16.	मिजोरम		10.000		66.000		398.000
17.	नागालैंड		25.000		28.000		306.000
18.	उड़ीसा		775.000		772.187		1750.000
19.	पंजाब		95.000		120.000		120.000
20.	राजस्थान		1940.000		2350.000		1900.000
21.	सिक्किम		25.960		10.000		108.000
22.	तमिलनाडु		508.110		84.887		1664.000
23.	त्रिपुरा		35.000		35.000		60.000
24.	उत्तर प्रदेश		1150.000		1300.000		1450.000
25.	पश्चिम बंगाल		540.000		91.244		–
26.	दादर और नगर हवेली		0.465		0.500		10.000
27.	दमन और दीव		0.465		0.500		–
28.	अंडमान और निकोबार		–		–		25.000
	कुल	17000.00	15900.000	11650.00	11520.187	20800.00	19784.999

[अनुवाद]

आवासीय परिसर सम्पत्ति-किराया

3994. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील :

श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली में पट्टे पर लेते समय रिहायशी उद्देश्य से भवन का किराया कितना निर्धारित किया गया तथा वर्तमान समय में कितना दिया जा रहा है;

(ख) क्या ये किराए वर्तमान बाजार भाव के अनुरूप हैं;

(ग) क्या सरकार गत तीन वर्षों के किरायों में वास्तविक बाजार-मूल्य और दिए जाने वाले किराए के बीच के अन्तर को मालिकों को वित्तीय राहत के रूप में देने की सोच रही है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) सूचना निम्नानुसार है :-

ईस्ट ऑफ कैलाश में रिहायशी प्रयोजन के लिए किराए पर लिए गए परिसरों का ब्यौरा	किराए पर लेने के समय भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित किया गया किराया	आजकल अदा किया जा रहा किराया
(1) डी-74, ईस्ट ऑफ कैलाश	2000/-	2000/-
(2) एफ-40, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली	2100/-	2100/-

(ख) से (ङ) भारतीय खाद्य निगम ने किराए में वृद्धि करने और भू-स्वामियों को दीर्घकालिक पट्टाविलेख/अनुबंध करने के लिए सहमत करने के लिए सम्बन्धित भू-स्वामियों के साथ बातचीत करने के लिए एक समिति का गठन किया था। तदनुसार, शक्ति प्राप्त समिति द्वारा ईस्ट ऑफ कैलाश के परिसरों के मालिकों को दिनांक 26.7.93 को समझौता करने के लिए बुलाया गया था। समिति ने वर्तमान किराए में 1.6.92 से 25% की वृद्धि करने की पेशकश की थी। इस पेशकश का उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

रेलवे एट-ए-ग्लांस में कथित अनियमितता

3995. श्री मोहन रावले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 जुलाई, 1994 के राष्ट्रीय सहारा में "भारतीय रेलवे एट-ए-ग्लांस में उल्टा छपा है राष्ट्रीय ध्वज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन लापरवाहियों के लिए जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या प्रकाशन की प्रतियां वापस ले ली गई हैं तथा राष्ट्रीय ध्वज की सही तस्वीर वाली प्रतियों से उन्हें बदल दिया गया है; और

(ङ) इसके फलस्वरूप क्या अतिरिक्त खर्चे किए गए ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) मौजूदा "गाड़ियां एक नजर में" के आवरण पृष्ठ पर कुछ महत्वपूर्ण स्मारकों यथा ताजमहल, हवामहल तथा लाल किले का कलात्मक चित्रण किया गया है, जिस पर लाल किले के ऊपर लगे ध्वज के रूप में एक ऐसे छोटे ध्वज को प्रतीकात्मक ढंग से प्रदर्शित किया गया है जिसमें राष्ट्रीय ध्वज के विशिष्ट रंग और प्रतीक रह गए थे। जब मामला ध्यान में आया तो राष्ट्रीय ध्वज के विशिष्ट रंगों तथा प्रतीकों सहित ध्वज की दृश्यता में सुधार के लिए तत्परतापूर्वक कार्रवाई की गई थी। "गाड़ियां एक नजर में" के अनुवर्ती मुद्रण, जो कुल मांग का बहुत बड़ा भाग है, में राष्ट्रीय ध्वज की विशिष्टता को प्रमुखता से दर्शाया गया है। कोई अतिरिक्त खर्च नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

ताजमहल

3996. **डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी अमरीकी इंस्टीट्यूट ने ताजमहल को प्रदूषण से बचाने में रुचि दिखाई है;

(ख) क्या इस ऐतिहासिक भवन को प्रदूषण से बचाने के लिए इंस्टीट्यूट द्वारा कोई विशिष्ट योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) युनाइटेड स्टेट्स नेशनल पार्क सर्विसेज के केन्द्रीय/राज्य पर्यटन विभागों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग तथा आगरा विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर "ताज नेशनल पार्क" हेतु परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए आगरा के पर्यावरणीय मूल्यांकन पर एक भारत-अमरीकी कार्यशाला का आयोजन किया।

(ग) और (घ) कार्यशाला की मुख्य सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) एक उपयुक्त प्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय निकाय बनाना।

(2) मथुरा में बैराज का निर्माण कार्य पूरा करना।

(3) यमुना कार्य योजना को पूरा करना।

(4) आगरा को निर्बाध बिजली सप्लाई मुहैया करना।

(5) 52 कि॰ मी॰ राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 2,3 और 11 को चौड़ा करना।

(6) ढलाई तथा अन्य औद्योगिक प्रचालनों को उन्नत बनाना।

(7) फतेहपुर सीकरी और ताजमहल को जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण करना।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालयों और उत्तर प्रदेश सरकार से मिलकर सिफारिश सं॰ 2,3,4,5 और 6 पर पहले ही कार्य आरम्भ कर दिया है। मंत्रालय ने सिफारिश संख्या 1 और 7 पर विचार नहीं किया है।

डिब्बाबंद वस्तुएं

3997. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

श्री कांशीराम राणा :

श्री महेश कनोडिया :

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिब्बाबंद वस्तुओं को सरकार किस तरह विनियमित करती है;

(ख) गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रावधान के उल्लंघन के लिए जिन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई, उनके नाम क्या हैं और की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ मदों के डिब्बाबंद किए जाने पर लगे प्रतिबंध को हटाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मद-वार ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) पैकेज में रखी वस्तुएं, बाट तथा माप, मानक पैकेज में रखी वस्तुएं, नियम, 1977 के उपबंधों के अनुसार विनियमित की जाती हैं,

(ख) सूचना, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में इन नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार संबंधित प्राधिकारियों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) कुछ वस्तुओं के लिए पैक आकारों की रोक हटाने हेतु 20 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 591 (अ॰) द्वारा इन नियमों में संशोधन किया गया था। अब पैक आकारों में प्रतिबंध से मुक्त वस्तुओं की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

अब पैक आकारों के प्रतिबंध से मुक्त वस्तुओं की सूची :

क्रम सं.	वस्तुएं
1	2
1.	पनीर
2.	अन्न उत्पाद
3.	फुल फुले (फलफी) स्वरूप का खाने हेतु तैयार एक्सट्रडेड अल्पाहार
4.	सिगरेट, सिगार तथा वैसी ही वस्तुएं
5.	सफाई और स्वास्थ्य-घोल पदार्थ
6.	सफाई पाउडर
7.	संघनित दूध
8.	कोको
9.	प्रसाधन सामग्री और इत्र जिसमें सभी प्रकार की क्रीम सम्मिलित है, सिवाय दंत क्रीम और दाढ़ी बनाने की क्रीम के।
11.	केश तेल (सुगंधित)
12.	शहद
13.	आइसक्रीम (बिक्री रूप में)
14.	आइसक्रीम (कप में)
15.	जैसे, चटनी/कैचअप तथा इसी प्रकार की सामग्री।
	(क) केचअप, चटनी तथा इसी प्रकार की सामग्री।
	(ख) जैम, मुरब्बा तथा जैली, खुले मुंह वाले साफ सुथरे आधानों में।
	(ग) जैम, मुरब्बा और जेली बोतलों में।
	(घ) शरबत, चाशनी (सिरप) तथा क्रशेज।
	(ङ) फलों के रस और सब्जियों के रस खुले मुंह के साफ सुथरे आधानों में।
	(च) बोतलों में फलों के रस और सब्जियों के रस।
	(छ) परोसे जाने के लिए तैयार पेय।
16.	दुग्ध द्रव-मीठा किया हुआ, मीठा रहित जायका युक्त।
17.	नट्स, बोल्ट, कीलें, स्क्रू और वैसी ही वस्तुएं (बक्शों में)
18.	दाढ़ी बनाने के ब्लेड।

1	2
19.	दाढ़ी बनाने की क्रीम।
20.	मिनरल वाटर।
21.	मसाले।
22.	चीनी, चीनी के क्यूब, खांडसारी।
23.	टॉफियां, उबली हुई कन्फैक्शनरी।
24.	चॉकलेट तथा चॉकलेट उत्पाद।
25.	टूथपेस्ट।
26.	जर्दा
27.	पान मसाला।

[अनुवाद]

केरल में मुख्य अभियंता का कार्यालय

3998. **श्री वी. एस. विजयराघवन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में मुख्य अभियंता (निर्माण) का कार्यालय खोलने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य में मुख्य अभियंता के कार्यालय की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) किसी राज्य में मुख्य इंजीनियर (निर्माण) का कार्यालय खोलना उस राज्य में तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में चल रहे कार्यों की मात्रा पर निर्भर करता है। केरल और उसके आस-पास के क्षेत्रों में चल रहे कार्य की मात्रा को देखते हुए फिलहाल केरल में मुख्य इंजीनियर का कार्यालय स्थापित करने का औचित्य नहीं है।

चीनी मिलें

3999. **डा. वसंत पवार** :

श्री शिव चरण वर्मा :

श्री दत्ता मेघे

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान देश में नए चीनी मिलों की स्थापना हेतु राज्य-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए थे;

(ख) राज्यवार कितने आवेदनों को निपटाया गया;

(ग) क्या किसी सहकारी सार्वजनिक चीनी मिल को बेहतर प्रबंध के लिए निजी पार्टियों को सौंपा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) पिछले वर्ष 1992-93 (अक्तूबर-सितंबर) के दौरान देश में नई चीनी मिलें स्थापित करने हेतु औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से प्राप्त राज्यवार आवेदनों की संख्या और इन आवेदनों के संबंध में 30.6.1994 तक जारी किए गए आशय-पत्रों का विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) इस संबंध में निर्णय संबंधित सहकारी चीनी मिलों/राज्य सरकारों को लेना है।

विवरण

पिछले चीनी वर्ष 1992-93 (अक्तूबर-सितंबर) के दौरान नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए राज्यवार प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों की संख्या और इन आवेदन-पत्रों के संबंध में 30.6.1994 तक जारी किए गए आशय-पत्रों को दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं.	राज्य	प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या	विचार किए गए आवेदन-पत्रों की संख्या	जारी किए गए आशय-पत्रों की सं.
1.	उत्तर प्रदेश	59	50	3
2.	महाराष्ट्र	7	2	–
3.	पंजाब	2	1	–
4.	बिहार	1	1	–
5.	आन्ध्र प्रदेश	4	4	2
6.	कर्नाटक	3	2	–
7.	तमिलनाडु	8	6	1
8.	उड़ीसा	5	5	–
9.	मध्य प्रदेश	1	1	–
10.	अरूणाचल प्रदेश	1	1	–
	जोड़	**91**	**73**	**6**

साइबेरियाई सारस बचाओ परियोजना

4000. श्री तारा सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साइबेरियाई सारस बचाओ परियोजना के अंतर्गत कितने सारसों को पकड़ कर रखा गया है;

(ख) क्या हाल में उनमें से कुछ की जयपुर चिड़ियाघर में मृत्यु हो गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या साइबेरियाई सारसों को बचाव के लिए सरकार का कुछ और परियोजनाओं को स्थापित करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इन प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) भारत में बंदी अवस्था में किसी साइबेरियाई सारस का जन्म नहीं हुआ है। तथापि वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान इंटरनेशनल क्रेन फाउंडेशन, संयुक्त राज्य अमरीका से दो रूस से बंदी अवस्था में पैदा किए गए चार साईबेरियाई सारसों के चूजे केवलदेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में किए जा रहे साइबेरियाई सारस प्रयोग के लिए लाए गए थे।

(ख) और (ग) खबर मिली है कि दो आयातित चूजे मर गए हैं। भरतपुर उद्यान में मृत सारसों की मृत्यु का कारण अन्य पक्षियों द्वारा गरदन में चोट पहुंचाने से हुआ रक्तस्राव बताया जाता है। जयपुर चिड़ियाघर में एक अन्य सारस की मृत्यु का कारण इसके दौड़ने अथवा उड़ने से लगी चोट की वजह से आंतरिक रक्तस्राव था।

(घ) से (च) चल रहे प्रयोग जिसका लक्ष्य साइबेरियाई सारसों के पश्चिमी झुण्ड की कम हो रही संख्या में वृद्धि करना है उनका प्रवासी मार्ग स्थापित करना है, को जारी रखने का प्रस्ताव है। यह प्रयोग वन विभाग, राजस्थान सरकार, इंटरनेशनल क्रेन फाउण्डेशन संयुक्त राज्य अमरीका, जापान की वन्य पक्षी सोसायटी तथा रूस के पक्षिविज्ञानियों के सहयोग से किया गया है। इन सारसों के संरक्षण और भारत में इनके ज्ञात शरदकालीन स्थलों के लिए वित्तीय और कानूनी सहायता भी दी जा रही है।

मद्रास और दिल्ली के बीच गाड़ियां

4001. श्री एम. कृष्णा स्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास और दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस के आने-जाने के समय में कमी करने तथा मद्रास और दिल्ली के बीच चलने वाली गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन गाड़ियों में यात्री सुविधाओं में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वातानुकूल कुर्सी यानों को उत्तरोत्तर वातानुकूल 3 टियर सवारी डिब्बों से बदला जा रहा है। यात्री

सुविधा समिति की यथा संस्तुत अन्य सुविधाओं की निर्धारित अनुरक्षण के दौरान व्यवस्था कर दी जाती है। वा॰ ता॰ 3 टियर सवारी डिब्बों में बिस्तर उपलब्ध कराने के प्रबन्ध भी किए जा रहे हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर

4002. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री बी॰ श्रीनिवास प्रसाद :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में अब तक स्नातकोत्तर उपाधियों और पी॰ एच॰ डी॰ के लिए न्यूक्लीयर कैमिस्ट्री पाठ्यक्रम में शिक्षा प्रदान की जा रही है;

(ख) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के पास इस विषय में अनुसंधानकर्ताओं हेतु पर्याप्त साधन सामग्री थी;

(ग) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर ने संस्थान में प्रगतिशील विषय विशेष को अचानक बंद कर दिया है और इससे छात्रों के इस विषय में अध्ययन हेतु प्रवेश पर रोक लग गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) प्राप्त सूचना के अनुसार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर का रसायन विज्ञान विभाग एम॰ एस॰ सी॰ (10+2 के बाद संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से समेकित पाँच-वर्षीय पाठ्यक्रम) और एम॰ एस॰ सी॰ (बी॰ एस॰ सी॰ के बाद दो वर्षीय पाठ्यक्रम) के स्तर पर नाभिकीय रसायन विज्ञान में एक पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है। पहले इसे अनिवार्य और वैकल्पिक पाठ्यक्रम, दोनों रूप में, प्रदान किया जाता था। अवर-स्नातक पुनरीक्षा समिति के प्रतिवेदन के आधार पर अब इसे अनिवार्य विषय के रूप में प्रदान नहीं किया जा रहा है क्योंकि बहुत से छात्रों की इसमें रुचि नहीं है।

नाभिकीय रसायन विज्ञान हेतु अधिकांश उपकरण साधारण किस्म के हैं और उन्हें अब प्रयोगों/अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान की सुविधाएं संस्थान के भौतिक विज्ञान में और नाभिकीय इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के साथ भी उपलब्ध है।

[हिन्दी]

ग्रामीण महिलाओं के लिये वयस्क शिक्षा केन्द्र

4003. श्रीमती भावना चिखलिया :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं के लिये जुलाई, 1994 तक स्थापित किये गये वयस्क शिक्षा केन्द्रों के राज्यवार संख्या कितनी है,

(ख) इन केन्द्रों में गत तीन वर्षों के दौरान कितनी महिलाओं को शिक्षा दी गयी,

(ग) क्या ऐसे प्रत्येक वयस्क केन्द्र में रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों को भी लागू किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन केन्द्रों को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी; और

(च) चालू वित्त वर्ष के दौरान गुजरात में ऐसे कितने नये केन्द्र खोले जाएंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम कहा जाने वाला केन्द्र आधारित प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम अप्रैल, 1991 से समाप्त कर दिया गया है क्योंकि समीक्षाओं ने यह दर्शाया कि यह अधिक प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो रहा था और लागत प्रभावी नहीं था। प्रौढ़ साक्षरता की पहुंच अब पूर्ण साक्षरता अभियानों के जरिए है जो कि क्षेत्र विशेष, समयबद्ध, स्वयंसेवी आधारित और लागत प्रभावी हैं। तथापि, उन कठिन और पिछड़े क्षेत्रों के लिए जहां ऐसे अभियान शीघ्र शुरू नहीं किए जा सकते, वहां अब एक संशोधित ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। केन्द्र आधारित कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 से 1992-93 के दौरान 40,23,730 महिलाओं को साक्षर किया गया है।

(ग) और (घ) अपने आर्थिक स्तर में सुधार तथा सामाजिक कल्याण के लिए विकासात्मक कार्यक्रम के प्रति जागृति के सृजन तथा राष्ट्रीय एकता के मूल्यों पर्यावरण संरक्षण एवं छोटे परिवार की प्रवृत्ति को आत्मसात करने के साथ-साथ शिक्षार्थियों को प्रदान की जाने वाली कार्यात्मक साक्षरता का आशय पठन लेखन तथा गणना (रीडिंग, राइटिंग और न्यूमेरेसी) इन 3 आर के माध्यम से साक्षरता और सांख्यिकी में आत्मनिर्भता प्राप्त करना है।

(ङ) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1990-91 से 1992-93 के दौरान निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी गई :-

1990-91	1991-92	1992-93
32.75 करोड़	17.30 करोड़	1.37 करोड़

(च) गुजरात में केन्द्र आधारित प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पूर्ण साक्षरता अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात के सभी 19 जिलों को शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

4004. डा॰ खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात राज्य में अनन्य रूप से महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में महिलाओं के उत्थान के लिए कोई अन्य योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवराजेश्वरी) : (क) और (ख) महिलाओं को प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता देने हेतु महिला एवं बाल विकास द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के अन्तर्गत गुजरात अथवा किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए राशि का कोई अलग से आबंटन अथवा लक्ष्य नहीं रखे गए हैं। फिर भी, आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों अर्थात् 1992-93 और 1993-94 के दौरान विभाग ने गुजरात में 8000 महिलाओं को हस्तशिल्प के क्षेत्र में और 820 महिलाओं को अन्य व्यवसायों में प्रशिक्षण देने के लिए गैर सरकारी संगठनों/अन्य संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। इस अवधि के दौरान महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार हेतु सहायता तथा महिलाओं के लिए रोजगार-सह-आयोत्पादक इकाइयों की स्थापना नाम स्कीमों के लिए कुल 356.97 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है।

(ग) और (घ) तैयार की गई और गुजरात में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख परियोजनाओं/स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम	वर्ष	कार्यक्रमों/ परियोजनाओं आदि की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त राशि
1.	सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम	1993-94	23	245	25.82 लाख रुपए
2.	प्रौढ़ महिलाओं हेतु शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	1993-94	54	1350	20.68 लाख रुपए
3.	ग्रामीण और निर्धन महिलाओं के लिए जागृति विकास परियोजनाएं	1992-93	43	1075	2.54 लाख रुपए
4.	कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों का निर्माण	स्कीम के प्रारंभ से आज तक	23	1039	----
5.	महिलाओं और लड़कियों के लिए अल्पावास गृह	स्कीम के प्रारंभ से आज तक	6	180	---
6.	डी० डब्ल्यू० सी० आर० ए०	स्कीम के प्रारंभ से 31.3.1994 तक	2675 ग्रुप	38001	313.71 लाख रुपए

7. समेकित ग्रामीण विकास परियोजना	1993-94	--31427 (महिलाएं)		
8. ट्राय सेम	1993-94	---	12037	
9. शिल्पी प्रशिक्षण स्कीम	(31.3.94 की स्थिति (के अनुसार	8	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कन्या स्कन्ध)	613 -
	(31.3.94 की स्थिति (के अनुसार	3	(केवल महिलाओं के लिए सहायता प्राप्त प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र)	145 ---

*इन कार्यक्रमों की महिला लाभार्थियों के लिए व्यय के आंकड़ों का अलग से संकलन नहीं किया गया है।

मुजफ्फरपुर जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना

4005. श्री बीर सिंह महतो :

श्री चित्त बसु :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुजफ्फरपुर जेल (बिहार) में खुदीराम बोस को फांसी देने के लिए प्रयोग की गई बेदी को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखने का सरकार का कोई विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) खुदीराम बोस की शहादत को चिरस्मरणीय रखने के लिए सरकार का अन्य कौन से कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह बेदी "प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958" की सीमा के अन्तर्गत नहीं आती है, क्योंकि इसकी ऐतिहासिकता 100 साल से कम है।

(ग) इस समय केन्द्र सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

प्योर-लाइन पोल्ट्री ब्रीडिंग

4006. श्री गया प्रसाद कोरी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में "प्योर-लाइन पोल्ट्री ब्रीडिंग" कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत क्या-क्या उपलब्धियां रहीं; और

(ग) योजना के अंतर्गत लक्ष्य पाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुछ प्रजाति प्रजनन कार्यक्रम शुरू किए हैं।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश में व्हाइट लेग हॉर्न प्रजातियों का इस समय अध्ययन किया जा रहा है। परिणामों से दोनों रामलक्षणी और जीनरूप स्तरों पर अधिकांश आर्थिक विशेषताओं में सुधार दिखलायी दिया है। मांस वाले पशुधन (स्टॉक) के लिए नौ पद्धतियों और नियन्त्रित संख्या का परीक्षण चल रहा है। 6-7 सप्ताह में नए पशुओं के शरीर का वजन कुछ अधिक रहा है। उत्तरदायित्व भी सन्तोषजनक रहा है।

मध्य प्रदेश में बौने ब्रॉयलर फीमेल लाइन का विकास करने के लिए अब तक अध्ययन के तीन दौर पूरे हो चुके हैं ताकि वाणिज्यिक ब्रॉयलरों की कार्यक्षमता बढ़ायी जा सके।

गन्ने का उत्पादन

4007. डा॰ परशुराम गंगवार :

श्री अन्ना जोशी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समय कौन-कौन से राज्य इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं;

(ग) 1993-94 और 1994-95 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को और तकनीकी जानकारी देने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) देश में गन्ने के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजना अभी कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ आठवीं पंच वर्षीय योजना की शेष अवधि में गन्ने से सम्बन्धित एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत नव विकसित उत्पादन प्रौद्योगिकी, प्रदर्शन, गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन, उन्नत उपकरणों का वितरण आदि के सम्बन्ध में महिलाओं सहित कृषकों और फार्म पर काम करने वाले श्रमिकों को प्रशिक्षण देने पर बल देने का प्रस्ताव है।

मध्य प्रदेश में पर्यावरण परियोजना

4008. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में केन्द्र सरकार तथा विदेशी सहायता से शुरू की जा रही पर्यावरणीय तथा वानिकी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे प्रत्येक मामले में कितनी सहायता प्राप्त हुई; और

(ग) अब तक हुई परियोजनावार प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय एवं विदेशी सहायता के साथ चलाई जा रही पर्यावरणीय एवं वानिकी परियोजनाओं तथा उनकी वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(लाख रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/परियोजना का नाम	मुख्य उद्देश्य	भारत सरकार	स्थिति	पिछले तीन वर्षों, 1991-92 1992-93 और 1993-94 के दौरान उपलब्धि वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7
केन्द्रीय सहायता प्राप्त स्कीमें						
1.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	वित्तीय सहायता के जरिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास में राज्य को सहायता देना	100%	जारी	345.54	72 राष्ट्रीय उद्यान/ अभयारण्य कवर किए गए हैं।
2.	हाथी परियोजना	हाथियों की दीर्घकालिक उत्तर-जीवितता सुनिश्चित करना	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	जारी	17.92	लक्ष्य वित्तीय बंटनों के अनुसार नियत हैं।
3.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास पारि-विकास	राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास रहने वाले समुदायों को वैकल्पिक जीविका प्रदान करना	100% अना॰ 50% आ॰	जारी	57.86	3 राष्ट्रीय उद्यान/ अभयारण्य कवर किए गए हैं।
4.	बाघ परियोजना	बाघों की जीवनक्षम आबादी का अनुरक्षण सुनिश्चित करना	100% अना॰ 50% आ॰	जारी	272.69	4 बाघ रिजर्व कवर किए गए हैं।
5.	बाघ परियोजना क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य-जीव अभयारण्यों के आदिवासी गांवों के लिए लाभभोगी उन्मुख स्कीम	पुनर्वास योजना के तहत आदिवासियों तथा अन्य परिवारों का पुनर्वास करना	100%	जारी	19.43	2 ग्राम कवर किए गए हैं।

1	2	3	4	5	6	7
6.	समेकित वनीकरण एवं पारि-विकास स्कीम	वनीकरण और पारि-विकास को बढ़ावा देना	100%	जारी	1323.13	17,445 हेक्टेयर
7.	क्षेत्रोन्मुख ईंधन एवं चारा परियोजना स्कीम	ईंधन की कमी वाले अभिनिर्धारित जिलों में ईंधन की लकड़ी और चारे की आपूर्ति का विस्तार करना	50%	चालू	690.00	37.627 है।
8.	बीज विकास स्कीम	उन्नत बीजों के लिए अवसंरचना का विकास	100%	चालू	11.86	लक्ष्य वित्तीय बंटनों के रूप में तय किए जाते हैं।
9.	हवाई बीजीकरण	कठिन और अगम्य क्षेत्रों में पुनः वनस्पति उगाना	100%	चालू	31.15	3195 है
10.	औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद	औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद पैदा करना	100%	चालू	129.83	4786 है
11.	पर्यावरण वाहिनी स्कीम	जनता की सक्रिय भागीदारी से पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना।	100%	चालू	4.99	8 जिलों में स्थापित
12.	अवक्रमित वनों की वनीकरण में अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों का सहयोग	जैव-मास संसाधन में सुधार के लिए अवक्रमित वनों के वनीकरण में अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों का सहयोग लेना।	100%	चालू	31.69	354 है
13.	भोज नमभूमि का संरक्षण और प्रबंध	नमभूमियों के संरक्षण के लिए उचित नीतियां अपनाना।	100%	चालू	198.19	लक्ष्य वित्तीय बंटनों के रूप में तय किये जाते हैं
	विदेशी सहायता प्राप्त नई परियोजनाएं					
14.	विश्व बैंक की सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण निवारण परियोजना	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सुदृढ़ीकरण	4 मिलियन अमरीकी डालर की राशि प्रदान की गई है। परियोजना 1995-2001 के दौरान कार्यान्वित की जाएगी।			
15.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का सुदृढ़ीकरण-जर्मनी की	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के लिए उपकरण, सिविल निर्माण और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।	यह परियोजना अक्तूबर, 1994 से शुरू होगी।			

[अनुवाद]

अधिक पैदावार देने वाली नारियल किस्म

4009. प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल की लक्षद्वीप और फिलीपीन्स को साधारण किस्में लगातार अधिक पैदावार देती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये किस्में केरल क्षेत्र में उगाए जाने के लिए उपयुक्त पाई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या ये किस्में किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) नारियल की एक साधारण किस्म लक्षद्वीप की चन्द्रकल्प के नाम से जारी किया गया था। यह एक अच्छी उत्पादक किस्म है जिससे औसतन प्रति वृक्ष प्रतिवर्ष 93 फल या प्रति पाम प्रतिवर्ष 18 कि॰ ग्रा॰ कोपरा की पैदावार प्राप्त होती है। साधारण किस्म फिलीपीन्स का अभी मूल्यांकन किया जा रहा है और अभी तक इसकी सिफारिश नहीं की गयी है।

(ग) और (घ) केरल के किसानों को लक्षद्वीप नामक साधारण किस्म के पौधों की आपूर्ति लक्षद्वीप विकास निगम तथा नारियल विकास बोर्ड द्वारा वास्तविक कीमतों पर की जाती है।

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र

4010. श्री अनंतराव देशमुख :

श्री परसराम भारद्वाज : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में देश भर में फैले क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के कार्यकरण की समीक्षा करने हेतु हाल ही में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस विशेषज्ञ समिति के गठन और शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके सदस्यों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(घ) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) (1) डा॰ यू॰ आर॰ अनंतमूर्ति	अध्यक्ष
(2) श्री कोमल कोठारी	सदस्य
(3) श्री वी॰ के॰ किचलू	सदस्य
(4) श्री मंजीत बावा	सदस्य

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के कार्यकरण की समीक्षा करना तथा इसमें और सुधार करने के तरीकों के संबंध में सुझाव देना उच्च अधिकारी प्राप्त पुनरीक्षण समिति के विचारार्थ विषय हैं।

(ग) समिति के सदस्यों का चयन प्रदर्शन, साहित्यिक और दृश्य कलाओं के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी प्रतिष्ठा और विशेषज्ञता के आधार पर किया गया है।

(घ) समिति को अपनी रिपोर्ट चार माह के अंदर प्रस्तुत करनी होगी।

पूर्वी रेलवे में रेल गाड़ियों का पटरी से उतरना

4011. डा० राम चन्द्र डोम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन दिनों पूर्वी रेलवे के साहिबगंज के खाना और सैथिया भाग के बीच गाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाएं आम बात हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) अप्रैल से जुलाई 94" के दौरान पूर्व रेलवे पर साहिब गंज लूप के खाना-सैथिया खंड पर गाड़ी के पटरी से उतरने की 2 घटनाएं हुई। इन दोनों दुर्घटनाओं में जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। एक दुर्घटना 3153 अप गौर एक्सप्रेस से तथा दूसरी मालगाड़ी से संबंधित थी। इन दोनों दुर्घटनाओं का कारण "रेलपथ की खामी" रही है।

(ग) इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए जा रहें उपायों में से कुछ उपाय इस प्रकार हैं:-

(i) सभी टर्न आउटों के नवीकरण के साथ-साथ, खाना सैथिया खंड पर रेल पथ नवीकरण को 1994-95 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

(ii) रेलपथ की खराबियों का पता लगाने के लिए नियमित अंतरालों पर पराश्रव्य जांच की जा रही है।

(iii) इस खंड पर गाड़ियों के सुरक्षित चालन के लिए रेलपथ तथा अन्य उपकरणों का समुचित अनुरक्षण सुनिश्चित करने हेतु उपाय।

पुष्पक एक्सप्रेस

4012. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 8 जून, 1994 को पुष्पक एक्सप्रेस 24 घंटे के विलंब से चल रही थी और अन्ततः उसे रद्द कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बम्बई जाने वाली इस गाड़ी से जाने वाले यात्रियों को अगले दिन की गाड़ी में आरक्षण नहीं मिला;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हाँ।

(ख) भारी वर्षा के कारण अप और डाउन पुष्पक एक्सप्रेस का असामान्य रूप से विलंब से चलना।

(ग) और (घ) अगले दिन लखनऊ जंक्शन में किसी यात्री को स्थान नहीं दिया जा सका था क्योंकि उस दिन नियमित गाड़ी में कोई आरक्षण उपलब्ध नहीं था।

(ङ) रेलों के नियंत्रण के बाहर अपरिहार्य कारणों की वजह से गाड़ी रद्द कर दी गयी थी।

व्यावसायिक शिक्षा संस्थान

4013. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के अंतर्गत केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रयोजनार्थ किस स्थान का चयन किया गया है;

(ग) उक्त संस्थान में किस प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी और इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने संबंधी मानदण्ड क्या होंगे;

(घ) क्या सरकार का विचार सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भी ऐसा ही संस्थान स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान जुलाई, 1993 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अधीन भोपाल (मध्य प्रदेश) में स्थापित किया गया है।

(ग) माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत देश की चुनिन्दा स्कूलों में +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा शुरू की गई है। विकास कार्यकलापों को करता है और राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को शैक्षिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में द्वितीय पारी

4014. डा॰ साक्षीजी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में द्वितीय पारी में कितने विद्यालय चल रहे हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्यों में भी केन्द्रीय विद्यालयों में द्वितीय पारी चलाने का है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में केन्द्रीय विद्यालयों में द्वितीय पारी शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि दिल्ली में 12 केन्द्रीय विद्यालयों में दो पारियां चल रही हैं।

(ख) जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ केन्द्रीय विद्यालयों में भी दो पारियां चलाई जा रही हैं ताकि केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए बढ़ रही मांग को पूरा किया जा सके।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव, फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

झींगा (मछली) पालन के कारण पर्यावरण संबंधी खतरा

4015. श्री रवि राय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न वाणिज्यिक फार्मों द्वारा भारत के समुद्र तट पर अंधाधुंध झींगा (मछली) पालन के कारण तटीय पारिस्थितिकी के लिए पर्यावरण संबंधी खतरा उत्पन्न होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि मंत्रालय से विचार-विमर्श करके इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) सरकार को तटीय क्षेत्रों में झींगा (मछली) पालन के बारे में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, ये झींगा पालन के विपरीत पर्यावरणीय प्रभावों जैसे जल की गुणवत्ता में खराबी आना, जैविक विविधता को हानि पहुंचना, मछली उत्पादन में कमी आना, खारेपन के कारण मृदा अवक्रमण, भूमि जल का प्रदूषण, वनस्पतिजात एवं प्राणिजात का नष्ट होना वायरल बीमारियों के फैलने से संबंधित हैं।

(ग) और (घ) कृषि मंत्रालय ने पर्यावरण और वन मंत्रालय सहित सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की संबंधित एजेंसियों के परामर्श से जलजीव पालन फार्म प्रबंधन हेतु दिशा-निर्देश तैयार करने के उद्देश्य से कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान

4016. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 के दौरान विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जा रही सहायता-अनुदान की राशि कम कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य विश्वविद्यालयों के खर्च के वहन हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य विधानमंडल के अधिनियमों द्वारा की जाती है तथा प्राथमिक रूप से यह सम्बन्धित राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है कि वे उन्हें पर्याप्त योजनागत व योजनेतर अनुदान की राशि प्रदान करें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य विश्वविद्यालयों को प्रस्तावित मानदण्डों के अनुसार केवल विकास अनुदान प्रदान करता है और वह भी केवल उनकी आवश्यकताओं के एक भाग के रूप में।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 8वीं योजना के दौरान अवर स्नातक/स्नातकोत्तर शिक्षण व शोध सुविधाओं के विकास के लिए विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के स्तर को और अधिक उदार बना दिया है। आठवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालयों को विस्तार कार्यक्रम, पुस्तकालय भवन व महिला छात्रावास के निर्माण के लिए 100% आधार पर जबकि 7वीं योजना में 75% के आधार पर तथा प्रयोगशालाओं, कक्षा गेस्ट हाऊसों, लड़कों के छात्रावासों स्टाफ क्वार्टरों, अध्यापकों के होस्टलों आदि जैसे अन्य सभी भवनों के निर्माण के लिए 75% के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है जबकि 7वीं योजना में यह 50% के आधार पर दी जाती थी।

रेल राजस्व

4017. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे को अलग-अलग और राज्य-वार किन-किन राज्यों से अधिकतम राजस्व और किन-किन राज्यों से न्यूनतम राजस्व मिलता है; और

(ख) किस राज्य में रेल लाइन की लम्बाई अधिकतम है और किस राज्य में न्यूनतम है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) राजस्व की राज्य-वार सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) 31.3.93 को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में रेल लाइन (मार्ग किलोमीटर) मार्ग लंबाई अधिकतम है और राज्य अरुणाचल प्रदेश में (मार्ग किलोमीटर) मार्ग लंबाई न्यूनतम है।

[अनुवाद]

लुप्तप्राय प्रजातियों का प्रजनन

4018. श्री विजय कृष्ण हांडिक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लुप्तप्राय प्रजातियों की संख्या में और कमी को देखते हुए इन प्रजातियों के प्रजनन तथा उन्हें उनके प्राकृतिक वास के चुनिन्दा क्षेत्रों में फिर से पालने जैसे पुनर्वास उपायों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो हिमालय क्षेत्र में कस्तूरी मृग, मणिपुर के यमीन (तैरने वाले मृग) तथा हरिण श्रृंग मृग के विशेष उल्लेख सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) बंदी अवस्था में पैदा की गई संकटापन्न प्रजातियों को फिर से उनके प्राकृतिक वासस्थल में बसाना एक दुस्कर प्रक्रिया है जिसमें अनुसंधान, सावधानीपूर्ण नियोजन और अत्यधिक सख्त एवं सतर्क क्रियान्वयन और मानीटरी के जरिए उत्तम तकनीक और प्रणाली की अपेक्षा होती है। प्रकृति में वन्य जीव-जन्तुओं की संख्या में ऐसी कोई गंभीर कमी नहीं आई है जिससे कि उन्हें बंदी अवस्था में प्रजनित करके ऐसी प्रजातियों को उन्हें बचाने हेतु फिर से खुले में छोड़ने की आवश्यकता हो। जहां इनकी संख्या में गिरावट आई है वहां उनके वासस्थलों की सुरक्षा, उनके अवैध शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करके उनके स्वस्थाने परिरक्षण के जरिए इन प्रजातियों की संख्या को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तथापि,कस्तूरी मृग और हरिण श्रृंग मृग के संबंध में बंदी अवस्था में जन्मे जीव-जन्तुओं को जंगल में छोड़ने की तकनीक को पूर्ण बनाने के उद्देश्य से कुछ अनुसंधान कार्यक्रम चलाने पर विचार किया जा रहा है।

झींगा पालन

4019. श्री एन. डेनिस :

श्री के. प्रधानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में झींगा और झींगा की खेती को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों से परम्परागत मछुआरों को कितना लाभ हुआ है;

(ग) देश में झींगा अंडज उत्पत्तिशाला राज्य-वार कहां-कहां स्थापित की गई हैं; और

(घ) प्रत्येक अंडज उत्पत्तिशाला में अनुमानत: कुल कितना वार्षिक उत्पादन होता है ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) सरकार द्वारा उठाये गये कुछ प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं :-

1. खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसियों की स्थापना करके झींगा मछली पालन का विकास;

2. सरकारी/सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में समन्वित झींगा मछली फार्मों तथा सहायक सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहन;

3. झींगा खाद्य के कर मुक्त आयात की अनुमति देना आदि।

इसके अलावा, 75 करोड़ रु. की लागत से 1500 हैक्टे. क्षेत्र का विकास करके संबंधी कुवैत कोष से सहायता प्राप्त झींगा मछली संवर्धन परियोजना तथा आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य में 239.87 करोड़ रु. की कुल लागत से 3829 हैक्टे. खारा जल क्षेत्र का विकास करने के लिये विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक अन्य झींगा मछली संवर्धन परियोजना भी शुरू की गई है।

(ख) देश के 38 तटवर्ती जिलों के लिए मंजूर की गई खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसियों के माध्यम से पारम्परिक मछुआरों को झींगा पालन की शुरूआत करने के लिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है। खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसियों मछुआरों सहित सभी वर्गों के मत्स्य पालकों के लिये तकनीकी वित्तीय तथा विस्तार सहायता देती हैं। आठवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान विश्व बैंक से सहायता प्राप्त झींगा मछली संवर्धन परियोजना के अन्तर्गत मछुआरों/मत्स्य पालकों के कुल 9000 परिवारों तथा खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसियों से सम्बन्धित कार्यक्रम के अन्तर्गत मछुआरा मत्स्यपालकों के लगभग 14000 परिवारों को लाभ पहुंचाया जायेगा।

(ग) और (घ) फिलहाल देश में लगभग 45 झींगा अंडज उत्पत्ति शालाएं (हैचरियां) (तमिलनाडु-15, आन्ध्र प्रदेश-11, कर्नाटक-3 गोवा-1, उड़ीसा-3, महाराष्ट्र-3 और गुजरात-1) और हैं कुल उत्पादन क्षमता लगभग 1 मिलियन डिंब प्रति वर्ष है।

पशु पालन और डेरी आयोग के लिए धन-राशि का नियतन

4020. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशु पालन और डेरी उद्योग क्षेत्रों के लिए 1994-95 के बजट अनुमानों में 1993-94 के बजट की तुलना में कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके विशेष कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) (करोड़ रुपये में)

बजट प्राक्कलन 1993-94	बजट प्राक्कलन 1994-95
543.64	383.89

(ग) 1993-94 बजट प्राक्कलन की तुलना में बजट प्राक्कलन 1994-95 में कमी का मुख्य कारण दिल्ली दुग्ध योजना के लिए, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव है, कम प्रावधान करना तथा विदेशी सहायता के रूप में कम सामग्री प्राप्त होना है।

[हिन्दी]

आलू का उत्पादन

4021. श्री राम पूजन पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992-93 और 1993-94 के दौरान आलू और शलगम के उत्पादन के बारे में जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में आलू की खपत की तुलना में इसके अधिक उत्पादन को देखते हुए निर्यात नीति को उदार बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) तथा (ख) 1992-93 के दौरान आलू उत्पादन के राज्यवार प्राक्कलन संलग्न विवरण में दर्शाये गये हैं। 1993-94 के दौरान आलू के लिये तथा 1992-93 और 1993-94 के दौरान शलजम के लिये उत्पादन प्राक्कलन उपलब्ध नहीं है।

(ग) तथा (घ) वर्तमान आयात निर्यात नीति के तहत आलू के मुक्त रूप से निर्यात की अनुमति है।

विवरण

1992-93 के दौरान आलू का राज्यवार उत्पादन

क्र. सं.	राज्य	उत्पादन (हजार मी. टन में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.9
2.	अरूणाचल प्रदेश	35.5
3.	असम	387.5
4.	बिहार	1557.7
5.	गुजरात	444.3
6.	हरियाणा	174.1
7.	हिमाचल प्रदेश	150.9
8.	जम्मू व कश्मीर	3.0
9.	कर्नाटक	452.4
10.	मध्य प्रदेश	367.0
11.	महाराष्ट्र	64.5
12.	मणिपुर	23.1

1	2	3
13.	मेघालय	153.2
14.	मिजोरम	1.1
15.	नागालैंड	23.0
16.	उड़ीसा	107.0
17.	पंजाब	823.0
18.	राजस्थान	23.5
19.	सिक्किम	32.0
20.	तमिलनाडु	127.5
21.	त्रिपुरा	65.5
22.	उत्तर प्रदेश	5907.6
23.	पश्चिम बंगाल	4779.1
24.	दिल्ली	0.6
	अखिल भारत	15718.0

[अनुवाद]

एफ॰ सी॰ आई॰ मिल को पुनः चालू करना

4022. श्री बी॰ एन॰ रेड्डी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के नलगोण्डा जिले में एफ॰ सी॰ आई॰ की मिरियाल गुडा मिल को काफी पहले बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके बन्द करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसे पुनः चालू करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां। मिल को बन्द करना पड़ा था क्योंकि संयंत्र और मशीनरी पुरानी होने, स्थानीय तौर पर कुटाई योग्य धान उपलब्ध न होने, श्रम तथा धान की हैंडलिंग और दुलाई से सम्बन्धित अन्य सम्बद्ध समस्याओं और तैयार उत्पादों और बारम्बार बिजली में कटौती जैसे तथ्यों के कारण इसका परिचालन अलाभकारी हो गया था।

(ग) जी, हां। खुले बाजार से खरीदी गई धान की सप्लाई कर मिल को पुनः खोलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) भारतीय खाद्य निगम ने यह देखने के लिए कि क्या इस मिल को खुले बाजार से वाणिज्यिक दरों पर खरीदी गई धान की सप्लाई करके चलाया जा सकता है, इस यूनिट की आर्थिक सक्षमता का मूल्यांकन करने के लिए तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किया है। इस मूल्यांकन के आधार पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा आगे की जाने वाली कार्रवाई के बारे में अभी निर्णय किया जाना है।

नए अभ्यारण्य/राष्ट्रीय उद्यान

4023. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न वन्य प्रजातियों की रक्षा के लिए बाघ अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना हेतु उनके मंत्रालय के पास कुछ प्रस्ताव लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी राशि आवंटित की गई; और

(घ) इस संबंध में सरकार कब तक निर्णय लेगी ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत राज्य सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य स्थापित करने के लिए सक्षम हैं, परन्तु इनमें ऐसे मामले शामिल नहीं हैं जिनमें भूमि केन्द्रीय सरकार को पट्टे पर या अन्यथा अंतरित की गई हो।

हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने पन्ना (मध्य प्रदेश) और दम्फा (मिजोरम) को बाघ रिज़र्वों के रूप में शामिल करने का अनुमोदन किया है। मंत्रालय में बाघ रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क या किसी अभ्यारण्य की स्थापना के लिए अन्य कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिरला स्टेशन पर हावड़ा-बंबई एक्सप्रेस के रुकने की व्यवस्था

4024. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दक्षिण-पूर्व में बिरसा रेलवे स्टेशन पर हावड़ा-मुम्बई और मुम्बई-हावड़ा एक्सप्रेसों के रुकने की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यातायात का औचित्य न होना।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम

4025. श्री जी॰ एम॰ सी॰ बालयोगी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम बनाने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार क्या है,

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में युवा गतिविधियों के विकास के लिए आठवीं योजना में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है, और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) और (ख) युवा कार्यक्रम और खेल विभाग खेल की बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए अनुदान की योजना कार्यान्वित करती है। राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन, स्थानीय वैद्यानिक निकाय और पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे राज्य में खेल की बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। स्टेडियम का निर्माण केन्द्रीय सहायता के लिए मात्र खेल सुविधाओं में से एक है। सहायता 50 : 50 के अनुपात में समान आधार पर परंतु निर्धारित सीमा के अंतर्गत दी जाती है। पहाड़ी एवं जनजातीय ब्लाकों के मामले में केन्द्रीय सहायता निर्धारित सीमा के अधीन कुल लागत का 75 प्रतिशत तक दी जाती है। विभाग की दूसरी योजना ग्रामीण खेल कार्यक्रम की योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों में वृहत सहभागिता और खेल जागरूकता पैदा करती है। प्रत्येक ब्लाक में किसी प्रमुख स्वैच्छिक खेल क्लब, खेल केन्द्र को गैर-उपभोज्य और उपभोज्य खेल उपस्करों के लिए 30,000/- रुपये तक एक मुश्त अनुदान के रूप में सहायता दी जाती है। इसी प्रकार ग्रामीण स्कूलों को अनुदान अन्य योजना में माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को गैर-उपभोज्य खेल उपस्करों की खरीद और खेल मैदानों के विकास के लिए 1 लाख रुपये का एक मुश्त अनुदान प्रदान किया जाता है।

इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार आवंटन नहीं किया जा रहा है। किसी राज्य से व्यावहारिक प्रस्ताव प्राप्त होने पर केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है।

(ग) और (घ) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के लिए वर्षवार आबंटन संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

		1992-93	1993-94	1994-95
1.	खेल की बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए अनुदान की योजना	5.24 करोड़	6.24 करोड़	6.23 करोड़
2.	ग्रामीण स्कूलों को अनुदान की योजना	100 लाख	106 लाख	115 लाख
3.	ग्रामीण खेल कार्यक्रमों की योजना	53 लाख (गैर-योजना)	25 लाख	100 लाख

चार लाइनों का निर्माण

4026. श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिम रेलवे में बोरीवली और विरार के बीच चार लाइनों का निर्माण करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं। बहरहाल, बोरीवली और वीरार के बीच चौहरी लाइनें बिछाने संबंधी परियोजना, बंबई शहरी परिवहन परियोजना-11 के अंतर्गत शुरू की जाने वाली पहचानी गई रेल परियोजनाओं में से एक है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैसूर में जवाहर लाल नेहरू खेल अकादमी

4027. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर जिले के पेरियापटना में जवाहर लाल नेहरू खेल अकादमी स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार इस प्रयोजनार्थ आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने को राजी हो गई है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अकादमी के लिए कितनी धनराशि दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इसकी स्थापना कब तक हो जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड

4028. श्री अनादि चरण दास : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में आपरेशन ब्लैकबोर्ड के लिए सरकार ने कितनी राशि मंजूर की है और कितनी राशि दी गई;

(ख) क्या सरकार को किसी राज्य से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित राशि का दुर्विनियोजन/दुरुपयोग करने संबंधी शिकायत मिली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा मणिपुर राज्यों में निधियों के दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों ने इन शिकायतों की जांच करने के आदेश दिए हैं। मुक्त की गई निधियों का ठीक से उपयोग करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों को हिदायतें जारी की गई थी।

विवरण

आपरेशन ब्लैकबोर्ड की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1987 से आज तक जारी की गई राज्य-वार राशि

क्र. सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश	लाख रु. में
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	11394.78
2.	अरूणाचल प्रदेश	403.68
3.	असम	4080.08
4.	बिहार	13600.82
5.	गोवा	163.53
6.	गुजरात	3548.58
7.	हरियाणा	616.34
8.	हिमाचल प्रदेश	2130.39
9.	जम्मू और कश्मीर	1607.00
10.	कर्नाटक	7274.45
11.	केरल	613.57
12.	मध्य प्रदेश	7055.66
13.	महाराष्ट्र	125424.00
14.	मणिपुर	276.00
15.	मेघालय	668.43
16.	मिजोरम	136.49
17.	नागालैण्ड	107.00
18.	उड़ीसा	9939.90
19.	पंजाब	1595.01

1	2	3
20.	राजस्थान	12678.10
21.	सिक्किम	75.50
22.	तमिलनाडु	3756.55
23.	त्रिपुरा	227.24
24.	उत्तर प्रदेश	9165.57
25.	पश्चिम बंगाल	4115.12
26.	दिल्ली	118.37
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12.09
28.	चंडीगढ़	1.17
29.	दादरा एवं नगर हवेली	17.96
30.	दमन और दीव	1.19
31.	लक्ष्यदीप	0.48
32.	पांडिचेरी	64.94

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की खरीद

4029. श्री भवानी लाल वर्मा : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्वर्ण माशरी किस्म के चावल को मोटे अनाज की श्रेणी में रखकर मध्य प्रदेश में चावल की खरीद की जा रही है;

(ख) क्या अन्य राज्यों में इस किस्म के चावल को बढ़िया किस्म का चावल माना जाता है;

(ग) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण हैं;

(घ) क्या राज्य सरकार ने इस किस्म के चावल की खरीद के लिए पिछले वर्ष अधिक समर्थन मूल्य की घोषणा की थी; और

(ङ) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से स्वर्ण माशरी चावल की खरीद के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित करने का अनुरोध किया है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) मध्य प्रदेश राज्य में वसूली के प्रयोजन के लिए "मसूरी" नामक किस्म को "बढ़िया" किस्म के रूप से वर्गीकृत किया गया है। मंत्रालय द्वारा "स्वर्ण मसूरी" किस्म को मध्य प्रदेश के लिए वर्गीकृत नहीं किया गया है। वर्गीकरण न किए जाने की स्थिति में पेश

किए गए चावल के स्टाक में चावल की लम्बाई/चौड़ाई के अनुपात के आधार पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की अवर्गीकृत किस्म स्वीकार की जाती है।

(ख) उड़ीसा राज्य के लिए "स्वर्ण मसूरी" नामक धान की किस्म "बढ़िया" किस्म के रूप में वर्गीकृत की हुई है।

(ग), (घ) और (ङ) स्वर्ण मसूरी को "बढ़िया" किस्म के रूप में पुन: वर्गीकृत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार से विश्लेषण के लिए धान की स्वर्ण मसूरी किस्म के प्रामाणिक नमूने भेजने के लिए अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार से कहा गया है कि वे सही किस्म की पहचान करें और धान की "स्वर्ण मसूरी" किस्म के प्रामाणिक नमूने भेजें तथा इन्हें विश्लेषण एवं वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए उपलब्ध करवाएं। प्रयोगशाला विश्लेषण के बिना वर्गीकरण को "साधारण" से "बढ़िया" में परिवर्तित करना सम्भव नहीं है। राज्य सरकार से प्रामाणिक नमूने प्राप्त हो जाने पर आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में उगाई जा रही धान की स्वर्ण मसूरी किस्म की 330 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर वसूली करने का निर्णय स्वयं ही ले लिया है। जोकि खरीफ विपणन मौसम, 1993-94 के लिए धान की बढ़िया किस्म के लिए निर्धारित की गई दर है।

[अनुवाद]

नैतिक शिक्षा

4030. श्री रमेश चेन्नितला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्यालयों और महाविद्यालयों में नैतिक शिक्षा प्रारम्भ करने के प्रस्ताव को मूर्तरूप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब शुरू किया जायेगा और इसकी विशेष बातें क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) नैतिक शिक्षा विकसित किए जाने वाले कतिपय मौलिक मूल्यों पर बल देने वाली एक समग्र अवधारणा है। अनिवार्य नैतिक शिक्षा के लिए यह अनिवार्य है कि इन अनिवार्य मूल्यों का बोध सम्पूर्ण पाठ्यचर्या और स्कूली कार्यकलापों के कार्यक्रम में व्याप्त हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा पाठ्यचर्या–एक ढांचा में सामाजिक और नैतिक मूल्यों के विकास का मुख्य विषय के रूप में उल्लेख किया गया है। इस ढांचे में निरूपित निर्धारणों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 1989-92 के दौरान अपनी पाठ्यपुस्तकों को संशोधित किया और उनमें नैतिक शिक्षा के विभिन्न विषयों को समेकित किया।

विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रथम डिग्री स्तर पर पाठ्यक्रमों को पुनर्गठित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ आधार पाठ्यक्रमों का प्रावधान किया

गया है। आधार पाठ्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ नैतिक शिक्षा के विकास के अध्ययन का प्रावधान किया गया है।

अनुसंधान वैज्ञानिकों का चयन

4031. श्री बलराज पासी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान वैज्ञानिकों के पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा 16 दिसम्बर, 1993 को साक्षात्कार लिए गए थे;

(ख) क्या परिणाम का एक भाग रोक लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो किन परिस्थितियों के कारण पूरा परिणाम प्रकाशित नहीं किया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचनानुसार, शोध विज्ञानवृत्ति (साइंटिस्टशिप) प्रदान करने हेतु अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए आयोग ने 15-16 दिसम्बर, 1993 को साक्षात्कार किए थे।

(ख) और (ग) दो स्लैबों अर्थात 2300-3500 रू. और 4000-6500 रू. में शोध विज्ञानवृत्ति (साइंटिस्टशिप) प्रदान करने के लिए चयन का परिणाम घोषित नहीं किया जा सका चूंकि दो अभ्यर्थियों ने, जिन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया था, निचले न्यायालय में एक घोषणात्मक याचना दायर कर दी। निचले न्यायालय ने स्थगन आदेश देकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इसके द्वारा दिसम्बर, 1993 में किए गए चयन के परिणाम घोषित करने से रोक दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त स्थगन के विरुद्ध दिल्ली के उच्च न्यायालय में एक परिशोधन याचिका दायर कर दी। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि "याचिका-दाता चयन का परिणाम घोषित कर सकता है तथापि वादियों/प्रतिवादियों के विषय में दो स्थान अगली पेशी तक खाली रखे जाएंगे।"

तत्पश्चात, उच्च न्यायालय ने 25-3-94 को आदेश दिया कि याचिका-दाता दोनों प्रतिवादियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेगा और वे दिल्ली में उपन्यायाधीश की अदालत में लम्बित पड़ी याचना को वापस ले लेंगे। तदनुसार, इतिहास में, जो प्रतिवादियों का विषय था, दो स्थान आरक्षित रख के 23 सफल सफल अभ्यर्थियों की एक सूची घोषित की गई। चयन-संबंधी पत्र 24-3-1994 को जारी कर दिए गए।

रेलगाड़ियों में सुधार

4032. श्री अमर रायप्रधान :

श्री द्वारका नाथ दास :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महिनों के दौरान गाड़ियों में यात्री सुविधाओं में सुधार के संबंध में, जिनमें दार्जिलिंग मेल/ब्रह्मपुत्र मेल और नई दिल्ली और गुवाहाटी के बीच हाल में चलाई गई राजधानी एक्सप्रेस में दी जाने वाली खान-पान की सुविधाएं शामिल हैं, संसद सदस्यों से कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या राजधानी एक्सप्रेस में गुवाहाटी, न्यू जलपाईगुड़ी और बराक घाटी में आरक्षण कोटे में वृद्धि करने की भी मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) पिछले छः महीनों के दौरान ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जी हां।

(ग) गुवाहाटी के लिए राजधानी एक्सप्रेस हाल ही में चलाई गई है, अतः अतिरिक्त कोटे की व्यवस्था करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

नवयुग विद्यालय

4033. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली नगर पालिका के अन्तर्गत नवयुग विद्यालयों में कार्यरत चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों, जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारी भी शामिल हैं, से आधारभूत सुविधा ढांचे की अनुपलब्धता के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा तथ्य क्या है; और

(ग) संबंधित अधिकारियों द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्दी न दिए जाने के बारे में नवयुग स्कूल शैक्षिक सोसाइटी को हाल में एक अभिवेदन प्राप्त हुआ है। सोसाइटी के शासी निकाय ने सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी देने का पहले ही निर्णय ले लिया है। इस आशय के अनुदेश स्कूलों के प्रमुखों को जारी कर दिए गए हैं।

जगन्नाथ संस्कृत विद्यालय, पुरी

4034. श्री के॰ प्रधानी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने जगन्नाथ संस्कृत विद्यालय, पुरी के उन्नयन के लिए क्या कदम उठाए हैं, और

(ख) केन्द्रीय संस्कृत संस्थान ने 1993-94 के दौरान इसके विकास हेतु कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) सरकार की सहायता अनुदान सूची में ऐसी कोई संस्था नहीं है। तथापि, सरकार द्वारा श्री जगन्नाथ वैदिक शिक्षानुष्ठान, पुरी नामक एक संस्था को एक स्वैच्छिक संगठन के रूप में अनुदान प्रदान कर रही है। इस संस्था ने अपनी संस्था को एक वेद पाठशाला के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए एक आवेदन

भेजा है।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान, सरकार ने श्री जगन्नाथ वैदिक शिक्षा अनुष्ठान, पुरी को स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने की योजना के अन्तर्गत 21,600/- रुपये का अनुदान प्रदान किया है।

मानित विश्वविद्यालय

4035. श्री राम निहोर राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन संस्थानों का ब्यौरा क्या है जिन्हें मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है तथा उनके द्वारा कौन-कौन से पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं; और

(ख) उन संस्थानों के नाम क्या हैं जिन्होंने मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के लिए आवेदन किए हैं और अप्रैल, 1994 तक ऐसे कितने आवेदन लंबित थे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आयकर दाताओं को वंचित करना

4036. श्री अन्ना जोशी : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने आयकर दाताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभों से वंचित कर दिया है; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप राजसहायता में प्रतिमाह कितनी बचत होती है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली सर्वव्यापी स्वरूप की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु प्रचालनात्मक जिम्मेदारी, जिसमें हकदारी, पात्रता के मानदण्ड आदि निर्धारित करना शामिल है, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। गुजरात, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों ने सूचित किया है कि आयकरदाताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दिए जाने वाले खाद्यानों की सुविधा से बाहर कर दिया गया है।

इन राज्यों को खाद्यान्नों के आवंटन में कमी नहीं की गई है। आयकरदाताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों की आपूर्ति से बाहर किए जाने के पीछे मंतव्य आबादी के जरूरतमंद और पात्र वर्गों को खाद्यान्नों की ज्यादा तथा अधिक सार्थक मात्रा की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। अत: इस निर्णय के कारण राजसहायता में कोई कमी नहीं की गई है।

रेलवे की भूमि

4037. कुमारी सुशीला तिरिया :

श्री गुरूदास कामत :

श्री पी. कुमारासामी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी कम्पनियों की भागीदारी में "रेलवे की खाली पड़ी भूमि पर" वन लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत तमिलनाडु में कितना भू-क्षेत्र निर्धारित किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) स्टेशनों के बीच खाली पड़ी रेलवे भूमि के उपयुक्त टुकड़ों पर वनरोपण के लिए निजी पार्टियों, विशेषकर उन उद्योगों को जो कच्ची सामग्री के रूप में लकड़ी या लकड़ी की लुग्दी का उपयोग करते हैं, को शामिल करने का निर्णय वृहत वृक्षारोपण तथा बाद में पौधों की बेहतर देखभाल, जिससे वे पनप सकें, के उद्देश्य से लिया गया है। इस पर रेलवे को कोई खर्च नहीं करना है परन्तु बड़े पेड़ों की पैदावार से मिलने वाले लाभ में रेलों का हिस्सा होगा।

(ग) भूमि के उपयुक्त टुकड़ों की पहचान करने की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है परन्तु इस योजना के लिए किसी क्षेत्र की पहचान नहीं की गयी है।

उचित दर की मॉडल दुकानें

4038. श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुछ उचित दर की मॉडल दुकानें खोली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है, स्थान-वार इनका कार्य समय क्या है और इन दुकानों में कौन-कौन सी चीजें बेची जाती हैं;

(ग) क्या उचित मूल्य की ये मॉडल दुकानें दिल्ली में आवास को नजरअंदाज करते हुए सभी कार्ड धारकों को उचित मूल्य की दुकानों वाली चीजों की बिक्री करती हैं;

(घ) क्या "आपूर्ति भवन" की उचित मूल्य की मॉडल दुकानों में जुलाई, 1994 में आवश्यक धनराशि जमा किए जाने के बावजूद भी 13 अगस्त, 1994 तक चीनी का भंडार उपलब्ध नहीं था;

(ङ) क्या अगस्त, 1994 के दौरान आपूर्ति भवन की उचित मूल्य की मॉडल दुकानों के चीनी के कोटे में कमी कर दी गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि आराम बाग, रोहिणी और सिविल लाइन्स में तीन आदर्श उचित दर दुकानें कार्य कर रही हैं। यह सूचित किया गया है कि ये उचित दर दुकानें दिल्ली में आवास को नजरअंदाज करते हुए सभी कार्डधारियों को, गेहूं, चावल चीनी जारी कर रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने आगे यह सूचित किया है कि आदर्श उचित दर दुकानें पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 7.00 बजे तक कार्य करती हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि आपूर्ति भवन (आराम बाग) स्थित आर्दश उचित दर दुकान में 13 अगस्त, 1994 तक चीनी का स्टॉक उपलब्ध नहीं था। जबकि उसके लिए धनराशि जुलाई, 1994 में जमा कर दी गई थी। इसके साथ ही उन्होंने यह पुष्टि भी की है कि अगस्त, 1994 के दौरान इस उचित दर दुकान के लिए चीनी का कोटा, पूर्ववर्ती महीने के दौरान उनके द्वारा उठाई गई मात्रा के आधार पर घटा दिया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को सलाह दी है कि वे भारतीय खाद्य निगम के उन गोदामों से चीनी उठाएं जहां स्टॉक उपलब्ध हों।

मिट्टी के तेल के डिपो

4039. श्री पी. सी. चाक्को : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने उन स्थानों पर मिट्टी के तेल के नए थोक डिपो खोलने का अनुरोध किया है जहां पहले से मौजूद डिपुओं ने कार्य करना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार केरल को उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए इस मामले पर केंद्रीय सरकार के सम्बद्ध विभाग के साथ चर्चा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अवैध शिकार

4040. श्री परसराम भारद्वाज : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में विशेष रूप से सिपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में गत एक वर्ष के दौरान वन्य प्राणियों के अवैध शिकार की घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में वन्य प्राणियों के शिकार पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य वन्यजीवन वार्डन, उड़ीसा सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 1993-94 के दौरान अवैध शिकार के मामलों की कुल संख्या इस प्रकार है :-

(क) सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान 15

(ख) अन्य संरक्षित क्षेत्र 41

कुछ मामलों को न्यायालय में दायर किया गया है जबकि कुछ अन्य मामलों में अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई।

(ग) वन्यजीव जन्तुओं के अवैध शिकार पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

1. संवेदनशील क्षेत्रों में रात-दिन गश्त।

2. अपराधियों को पकड़ने में वन विभाग के कर्मचारियों की सहायता करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों के अंदर और बाहर रहने वाले ग्रामवासियों को (सामूहिक संपर्क, जागरूकता शिविर लगाकर, बैठकों, स्थानीय भाषाओं में पर्चियां बांटकर) शिक्षित किया जा रहा है।

3. वन्यजीव आपराधिक मामलों संबंधी सूचना के शीघ्र संप्रेषण के लिए दूरस्थ क्षेत्रों, बीट/सेक्सन मुख्यालय को वी.एच.एफ. सेटों से जोड़ना।

4. आवश्यकता होने पर सशस्त्र पुलिस/आरक्षण बल की तैनाती।

5. संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश पर प्रतिबंध।

इको-लेबल लगाना

4041. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री इको लेबलिंग के बारे में 15 मार्च, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2681 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की इको-लेबलिंग संबंधी योजना के अंतर्गत खाद्य योज्य के इको-लेबलिंग संबंधी मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल उत्पादों की लेबलिंग स्कीम के तहत खाद्य संयोजियों पर पारिस्थितिकी लेबल लगाने हेतु मानदण्डों को उप तकनीकी समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया था और प्रारूप अधिसूचना दिनांक 15 फरवरी, 1993 के सा० का० नि० सं० 67 (अ)-68(अ) के अधीन प्रकाशित की गई है। अंतिम अधिसूचना संचालन समिति के अनुमोदन के बाद जारी की जाएगी।

रेल लाइन का दोहरीकरण

4042. श्री प्रबीन डेका : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू बोंगाईगांव और गुवाहाटी के बीच दोहरी रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जोगीघोपा और गुवाहाटी के बीच एक नई लाइन निर्माणाधीन है जो 1996-97 में पूरी हो जाएगी तथा इससे न्यू बोंगाईगांव और गुवाहाटी के बीच दूसरी लाइन की व्यवस्था हो जायेगी जिससे इन दोनों स्टेशनों के बीच दोहरीकरण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

[हिन्दी]

रतलाम में रेलगाड़ी सेवाएं

4043. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि् :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान रतलाम डिवीजन में यात्री रेलगाड़ी सेवाओं के विस्तार के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्यां कार्यवाही की गई है/की जाएगी ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) 106/107 इन्दौर-उज्जैन पैसेंजर को तागदा तक तथा 129/126 अजमेर-नसीराबाद शटल को विजयनगर तक बढ़ाने के लिए क्रमश: श्री एस॰ एन॰ जटिया, संसद सदस्य और श्री कृष्ण गोपाल कोगता, विधायक से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(ग) 106/107 पैसेंजर को नागदा तक बढ़ाने के संबंध में विचार किया जा रहा है, तथापि, 129/126 अजमेर-नसीराबाद शटल को विजयनगर तक बढ़ाना वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

ए॰ एच॰ व्हीलर एंड कम्पनी

4044. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए॰ एच॰ व्हीलर एंड कम्पनी के साथ करार के नवीकरण के समय सभी 258 रेलवे स्टेशनों के लिए संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग अन्य पार्टियों से भी निविदाएं आमंत्रित की गई/प्राप्त की गई और उन पर भी विचार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो ए॰ एच॰ व्हीलर एंड कम्पनी को ठेका देने का क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सुपर बाजार

4045. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय भंडार की तुलना में सुपर बाजार में लाभ की दर अधिक है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुपर बाजार ने कुछ मदों के साप्ताहिक तुलनात्मक मूल्यों का प्रकाशन कराना बंद कर दिया है जैसा विगत में किया जा रहा था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सुपर बाजार ने मूल्यों का प्रकाशन किस तिथि से बंद किया है और इनका प्रकाशन कब से आरंभ हो जाएगा ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सुपर बाजार और केन्द्रीय भण्डार दो अलग-अलग संगठन हैं जिनकी क्रय-नीति और क्रय के स्रोत भिन्न-भिन्न हैं। वे संस्थाएं अपने लाभ का मार्जिन, वस्तुओं की लागत और ऊपरी खर्चों को ध्यान में रखकर निर्धारित करती हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आई॰ सी॰ डी॰ एस॰ पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

4046. श्री एस॰ बी॰ सिदनाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में आई॰ सी॰ सी॰ डी॰ एस॰ पदाधिकारियों के लिए कितने प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं :

(ख) क्या बेलगाम और धारवाड जिलों में ऐसे केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है :

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उपरोक्त दोनों जिलों के लिए अब तक कितने बालवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं : और

(ङ) राज्य के पिछड़े जिलों में बालवाड़ी केन्द्रों की स्थापना के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) कर्नाटक में 26 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण केन्द्र तथा 2 मध्य स्तरीय प्रशिक्षण

केन्द्र कार्यरत हैं तथा समेकित बाल विकास सेवा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का बंगलौर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र भी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

(ख) और (ग) बेलगाम तथा धारवाड़ जिलों में नए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र अथवा मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यद्यपि इन दोनों जिलों में एक-एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत हैं।

(घ) बेलगाम और धारवाड़ जिलों में क्रमश: 17 और 26 बालवाड़ियां स्वीकृति की गई हैं।

(ङ) बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम एक अविस्तारणीय कार्यक्रम है तथा अब कोई नई बालवाड़ियां नहीं खोली जा रही हैं। कार्यान्वयन ऐजेंसियों को यह निदेश जारी किए गए हैं कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि ऐसे ब्लॉकों में कार्यरत बालवाड़ियों को, जिनमें आई॰ सी॰ डी॰ एस॰ परियोजना स्वीकृत की जा चुकी हैं, गैर-आई॰ सी॰ डी॰ एस॰ क्षेत्रों में अंतरित कर दें।

[हिन्दी]

महात्मा गांधी का जन्मस्थल

4047. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने महात्मा गांधी के जन्म स्थलपरिसर में निर्मित कीर्ति मंदिर के भवन को गिराने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन सुझावों पर गुजरात के स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों हेतु स्थानान्तरण नीति

4048. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा स्थानान्तरण नीति का समान रूप से अनुसरण किया जाता है;

(ख) क्या संगठन द्वारा इस संबंध में अपवादों को उनके मंत्रालय की जानकारी में लाया जाता है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में नीतिगत सिद्धान्तों का अनुपालन नहीं किया गया था और ऐसा करने के क्या कारण थे;

(घ) क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय संगठन शिक्षक संगठन ने हाल ही में केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा 5 वर्षीय स्थानान्तरण नीति का हाल ही में विरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) संगठन की मांगों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि सभी मामलों में स्थानांतरण करते समय स्थानांतरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) शिक्षकों के लिए पांच वर्षीय स्थानांतरण नीति आरंभ करने के लिए फिलहाल केन्द्रीय विद्यालय संगठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विज्ञान की चल-प्रदर्शनी

4049. श्री दत्ता मेघे : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र द्वारा महाराष्ट्र में किन-किन स्थानों पर विज्ञान की चल प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं; और

(ख) इनका उद्देश्य क्या है और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) नेहरू विज्ञान केन्द्र, बम्बई एवं रमण विज्ञान केन्द्र, नागपुर ने, जो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की संघटक इकाइयां हैं, महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अपनी-अपनी चल विज्ञान प्रदर्शनी इकाइयों के माध्यम से चल विज्ञान प्रदर्शनियां आयोजित की थीं। चल विज्ञान प्रदर्शनी इकाइयों ने जिन स्थानों का दौरा किया, उनके नाम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को घर घर विज्ञान का संदेश पहुंचाना है। चल विज्ञान प्रदर्शनी इकाइयां उन विषयों को प्रस्तुत करती हैं, जो ग्रामीण समुदाय के लिए प्रासंगिक हों। यह लोगों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विज्ञान के रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करने हेतु आयोजित की जाती हैं, ताकि उन्हें विज्ञान एवं रोजमर्रा की घटनाओं के बीच के संबंधों की जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जा सके।

प्रदर्शों की लागत सहित 3 चल विज्ञान प्रदर्शनी वाहनों पर 19.97 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

विवरण

जिला पुणे

पुणे, इन्दापुर, भिगवान, वाल चान्दनगर, दाउन्द, राजगुरू नगर, लोनेवाला, फलतान, तालगांव, दाभेदे, मंदारने,

जेजूरी, देहू रोड़, पावाना, बेवदा, भेर, खदाकी, फिरकी, सिरूर, बारामती, शकरापुर, मोरगड, खेद, जून्नार, गोधनदी, चेकन, वदगांव, पिम्परी, शलेगांव, सिधी, सस्वाद, मसरापुर।

जिला सतारा

करार, सतारा, बाल्वा, गन्दावेला, महाबलेश्वर, बाई, कुओल, नागोथाने, तारले, कसहील, पटान, उम्बराज, मासूर, वाथार, धुन्ध, वेदूज, कोरेगांव, पिम्पोडे, खण्डाला, शिरवल, सरूर, गुलुम्ब, पंचागन, भुईन्ज शेभोर, अधिथ, काशिल।

जिला सांगली

सांगली, अटपड़ी, सिराल्ला, इस्लामपुर, विटा, जाट।

जिला कोल्हापुर

गढ़ीन्गलज, हाज़रा, कोल्हापुर, चान्दगढ़, शेहुवादी, वरनानगर, मुरगढ़, अधकुर, कोगल, जयसिंहपुर, इकोलकरंजी, बहुबली।

जिला सिन्धुगढ़

सावन्तवाड़ी, कानेकवाली, देवगढ़, मेलवन, कुदाल, खारेपटन,

जिला रत्नागिरी

राजापुर, रत्नगिरी, चिपलन, मंदनगांव, मुहागढ़, लेनजा, संगमेश्वर, खेड़, स्वारडे हेदवी डिमोली, केलसी।

जिला रायगढ़

मइद, भीरा, अलीबाग, रेसायनी, खालापुर, सस्वाने, मनगांव, गोरेगांव, करजाट, वारन्ध, चौक, पैन, देवले, उरान, अजीवाली, शीलफटे, अलीबाग, खण्डला, पोचनाद, नेगोथाने, पाली, रोह, मुरूद, कोलाद, ताला, श्रीवर्धन, पेलादपुर, पेनवल, वावोशी, जम्बुलपाडे, दीवा, अगार, घोशोले, नन्दगांव, रोहा, सुदकोली, नागांव, खेडाडा, पेलास्पी, नेरे।

जिला नासिक

मालेगांव, सतना, इगातपुरी, नासिक, निपहाद, येओला, देवलाली, हन्दवाद नन्दगांव, देवलाली उजार, गुथी, नासिक रोड़, सिन्नार, असलगांव, मन्माड केलवान, वाणी, दिनदोरी, त्रियम्बकेश्वर, लेहाराबाद, रावलगांव, साउनदाने, विंचूर, पिम्पलगांव, चांदो।

जिला औरंगाबाद

औरंगाबाद, गंगापुर, एलौरा सिल्लोद, अजंता, वानेग, खलताबाओ, कान्नेड, खण्डाला, बाइजापुर, गंगापुर, घाटनान्दरा, हतनूर

जिला जालना

जालना, पारतूर, शाहगढ़, अम्बाद, मोन्था, नेर, जाफरबाद, मेहारा, भोकारदन, बदनापुर।

जिला परभनी

जिन्तूर, परभनी, हिन्गोली, गंगाखेड।

जिला बीड़

परली, बैज़नाथ, बीड़, गेओराय, मेंणलगांव, अम्बाजोगाई, पार्ली, अस्थी, पेपेटोड़ा, काईज़, होलेश्वर, वेदावाणी।

जिला लातूर

लातूर, उदगीर वाईगांव, अहमदपुर, किनगांव, चाकूर, मुरूद, भटनगली, नेलेगांव, सिरूर, तेजबन्ध, इकूर्का रोड, शिरोल जानपूर, दियोनी बक, नीलांगा, आउसा, खिल्लारी, खारोसा, वेलकुन्ड, निटूर कशारतिरसी, शिरोध, दियोनी, हन्दारगुली, नलगीर, भटनगली, बोरगांव।

जिला ओसमानाबाद

ओसमानाबाद, परान्दालोनी, भूम, तरखेदा, यरमादा, कोलम्ब, टेडावले, धोकी, उमेरगा, जलबोट, अस्था तुलजापुर, सोनारी, वाशी, मेस्सा, वधगांव, मंगरूर, अनध अन्धूर, गुनजोटी, नालदुर्ग।

जिला सोलापुर

सोलापुर, फन्डारपुर, संगोला, अस्थी, मंगलवेधा, शिवने, कुर्दुवाडी, वरसी, अक्कालकोट, मोहोल, तेमभुरनी, करमाला, भोस माधा, अकलुज, मेलसिरास।

जिला धूले

सोनगीर, श्रीपुर, धूले, साकरी, प्रकाशा, नन्दूरबार, बेला पुर, सिन्धखेड़ा, डोंडाईचा, शाहेडा, तेलोड़ा, नोवापुर, तहराबाद।

जिला वर्धा

वर्धा, सेवाग्राम, अर्वी।

जिला नागपुर

नागपुर, कोण्डली, केचारी, सेवांगा, हिगोणघाट, पान्धार, कंवड़ा, भीवापुर।

जिला भंडारा

भंडारा, पवानी, ब्रह्मपुर।

जिला चन्द्रपुर

चन्द्रपुर, वारोरे, सिन्धवाडी।

जिला यवतमाल

यवतमाल, दिगरास, पुसाद, दारवहा, चिकहाली, वायनी, केलापुर।

जिला नांदेड

नादेंड

अहमदनगर

शेवगांव, अहमदनगर, श्रीरामपुर, संगमनेट, श्रीगोण्डा, परनार, नेवासा, अकोला, भालवाणी, अशाक नगर, तसगांव, पथारदी, रूईच्यातिती, मिराजगांव, माही-जलगांव, जमखेद, अधालगांव, बेलवादी, सूपा, कोपारगांव, करजात, अधेलगांव।

जिला थाने

पोखरम, चिंचनी, देहानु, कोसबाद, बोरदी, धानू, अम्बरनाथ, उल्लासनगर, कल्याण, वसई, वाशी, पलमार, तारापुर, नरपोल, अगार, तेलासरी, वादा, निर्मल, अरनाला, कान्हेड़, सेफले, अगारवादी, केलवा, तारापुर, महागांव, वनगांव, रमशेट चिकाले, कासा, विक्रमगढ़, साकरे, जवाहर, मोखाडा, खोडाले, पराली कोनहाव, कोने, खानीवाली, थाने, सिवंडी, वशिष्ट, शाहपुर, अटगांव, आसनगांव, शेनवो, दोसकुम्ब, किन्हावली, तेलगांव, टकावाडे, सरलगांव, ससाने, मुरबा, बादलपुर, मन्दा, रायटे, मुम्बरा, मलयान, नवपाडा, वेडा, पोखरन, नरपाद, वाशीकेलवर, विरार, विजरेश्वरी, मानोर, कसारा।

जिला जलगांव

जलगांव, भुसावल, मलकापुर, अमलनेर, पारोला, एरानडोल, धेरानगांव, चालीसगांव, मादगांव, चोपडा, वावल, रावेर, वरषगांव, जमनेर, दाहिवाड़ अदाबाद, इडानाबाद, बोदवाड़, फतेहपुर, महुम्बारे, कासोडे, पचोहरा, शेनधुरी, पाहुट नेरी।

जिला अकोला

अकोला, मूर्तिजापुर, बालापुर, करनजा, मंगेरूलपीर, वाशिम, मालेगांव।

जिला अमरावती

दरयापुर, अमरावती, बदनेरे।

जिला बुलधाने

चिकहाली, देयुलगांव, राजा खामगांव, बुलढ़ाना, लोनार।

तिलहन पेराई एकक

4050. श्री नीतिश कुमार :

गुमान मल लोढा :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले** और **सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तिलहन पेराई उद्योग को अधिष्ठापित क्षमता तिलहनों के उत्पादन की तुलना में अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1994 की तिथि के अनुसार तिलहन पेराई उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) वनस्पति उद्योग के 25 जुलाई, 1991 से लाइसेंसमुक्त कर दिए जाने के फलस्वरूप देश में तिलहनों की पेराई हेतु संस्थापित क्षमता के बारे में कोई प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध अनन्तिम सूचना के अनुसार संस्थापित क्षमता तिलहनों के रूप में 350 लाख मी० टन के आस-पास प्रतीत होती है।

[अनुवाद]

कपास का उत्पादन

4051. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान राज्यवार तथा स्टेपल-वार कपास का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार ने उपरोक्त अवधि के दौरान कपास के उत्पादन में कोई कमी महसूस की है;

(ग) यदि हां, तो इस उत्पादन में कितनी कमी आयी है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कपास का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितनी भूमि पर कपास की खेती किए जाने की सम्भावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) 1992-93 में कपास के उत्पादन का राज्यवार तथा रेशेवार उत्पादन तथा 1993-94 के लिये कपास के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 1993-94 के लिये कपास उत्पादन का रेशेवार ब्यौरा राज्यों से अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) तथा (ग) 1992-93 के दौरान कपास की प्रत्येक 170 किग्रा की 11.58 मिलियन गाठों का रिकार्ड उत्पादन हुआ था। 1993-94 के दौरान भी उत्पादन इस स्तर के लगभग है और 1990-91 तथा 1991-92 के स्तरों की तुलना में बहुत अधिक है।

(घ) 1996-97 को समाप्त होने वाली 8वीं पंच वर्षीय योजना के लिए कपास उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य प्रत्येक 170 किग्रा की 14 मिलियन गाठें हैं। इस योजना में कपास के तहत 7.5 मिलियन हैक्टे० के मौजूदा क्षेत्र का विस्तार करने के बजाय उत्पादकता में वृद्धि करके उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देना है।

विवरण

(प्रत्येक 170 किग्रा.)

राज्य	1992-93						1993-94
	श्रेष्ठ लम्बे	लम्बे	श्रेष्ठ लम्बे	मध्यम	छोटे	कुल	
आन्ध्र प्रदेश	781	–	123	–	290	1194	1368
गुजरात	1271	53	619	45	–	1988	1800
हरियाणा	–	–	1276	–	130	1406	1300
कर्नाटक	796	29	150	–	–	975	975
मध्य प्रदेश	40	9	180	7	125	361	412
महाराष्ट्र	204	865	435	–	304	1808	2504
पंजाब	–	–	2173	–	141	2314	1727
राजस्थान	–	–	661	28	327	1016	839
तमिलनाडु	284	–	188	–	–	472	421
अन्य	3	–	22	1	23	49	50
अखिल भारत	3379	956	5827	81	1340	11583	11396

पेनोरमा परियोजना

4052. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या मानव विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार श्री कृष्ण के जीवन और गीता के तथ्यों के प्रसारण हेतु कुरूक्षेत्र में पेनोरमा परियोजना शुरू करने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस परियोजना पर अनुमानत: कितना खर्च आएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) वैदिक और उत्तर वैदिक साहित्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार, परियोजना में प्राचीन भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी स्थिति पर प्रकाश डाला जायेगा।

(ग) परियोजना के प्रथम चरण के लिए 5.00 करोड़ रुपये की राशि का अनुमान लगाया गया है और पूर्ण वातानुकूलन के लिए 5.00 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान भी रखा गया है।

[हिन्दी]

प्रकाश टंडन समिति

4053. श्री छेदी पासवान :

श्री लाल बाबू राय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रकाश टंडन समिति ने किस तिथि को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी;

(ख) इस संबंध में की जा रही कार्यवाहियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार स्वीकृत सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित करने पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) समिति ने मार्च, 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

(ख) और (ग) सिद्धांत के तौर पर ग्रुप "क" सेवाओं में भर्ती के एकीकरण, क्षेत्रीय रेलों को शक्तियों के हस्तांतरण, पूंजी पुनर्संरचना और लागत तथा लाभ केन्द्र शुरू करने से संबंधित सिफारिशें मान ली गई हैं। इनके कार्यान्वयन हेतु मानदण्ड और प्रक्रिया निर्धारण के लिए उच्च स्तरीय समितियां गठित की गई हैं। इसके बाद एक समय सीमा निर्धारित की जाएगी।

[अनुवाद]

मिल्क फिश

4054. प्रो॰ के॰ वी॰ थामस : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय समुद्र तट पर "मिल्क फिश" (चौस-चौस) को उपलब्धता मे कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रजनन के माध्यम से तालाबों में अधिक मूल्य वाली इस मछली की संख्या बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्णा कुमार) : (क) और (ख) केन्द्रीय समुद्री अनुसंधान संस्थान जो समुद्री मछलियों के पकड़े जाने का रिकार्ड रखता है, ने जानकारी दी है कि उनके पास मछली उत्पादन के इस प्रकार के कोई आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि यह मछली भारतीय समुद्रों से पकड़ी जाने वाली मछलियों में बहुत ही कम होती है।

(ग) केन्द्रीय समुद्री मीन अनुसंधान संस्थान द्वारा दी गयी जानकारियों के आधार पर पकड़ी गयी मछलियों में "मिल्क फिश" के ब्रूड़ स्टाक का विकास और प्रजनन 1987 तक किया गया लेकिन कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई।

सरकार इस समय कैन्टिव प्रजनन के माध्यम से प्राकृतिक रूप में "मिल्क फिश" की संख्या में सुधार लाने का कोई कार्यक्रम नहीं चला रही है।

[हिन्दी]

खाद्यान्न भण्डार

4055. डा॰ महादीपक सिंह शाक्य :

श्री गुमान मल लोढा :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने रबी की फसल के दौरान जून, 1994 तक उत्पादित खाद्यान्नों की खरीद की थी;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में जून, 1994 के अन्त तक गेहूं तथा चावल कितनी-कितनी मात्रा में उपलब्ध थे;

(ग) क्या सरकार खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता को देखते हुए गेहूं और चावल का निर्यात करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए गेहूं तथा चावल की आर्थिक लागत क्या थी;

(ङ) क्या भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत की प्रतिपूर्ति गेहूं तथा चावल के निर्यात से की जाएगी; और

(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) जून, 1994 के अन्त में केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखे गए गेहूं और चावल की अनन्तिम मात्रा निम्नानुसार थी;

गेहूं	–	94.47* लाख मीटर टन
चावल	–	132.60 लाख मीटर टन

*केन्द्रीय खाते की ओर से पंजाब और हरियाणा में राज्य की एजेंसियों द्वारा रखे गए 69.70 लाख मीटरी टन गेहूं को छोड़कर।

(ग) से (च) केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का निर्यात करने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वर्ष 1993-94 (संशोधित बजट) के लिए गेहूं और चावल की आर्थिक लागत निम्नानुसार है :–

गेहूं	–	559.40 रुपए प्रति क्विंटल
चावल	–	687.46 रुपए प्रति क्विंटल

[अनुवाद]

राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव

4056. श्री अनिल बसु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के वर्तमान ठहराव झाझा के स्थान पर मधुपुर में कोई हाल्ट बना दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) जनता की मांग।

तकनीकी सहयोग

4057. श्री एस॰ एम॰ लालजान वाशा :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सरकार ने इस बात पर बल दिया है कि खाद्य एवं कृषि संगठन विकासशील देशों में चलाए जा रहे अपने "तकनीकी सहयोग" कार्यक्रम में आमूल-चूल परिवर्तन करें;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में खाद्य एवं कृषि संगठन की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने भी खाद्य एवं कृषि संगठन की भारी खर्च वाली परापर्शदात्री परियोजनाओं पर आपत्ति की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) खाद्य एवं कृषि संगठन की परामर्शदात्री योजना में आमूल-चूल परिवर्तन परिवर्तन किए जाने से भारत को कितना लाभ मिल रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ङ) सरकार ने विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए खाद्य और कृषि संगठन से कोई अनुरोध नहीं किया है और न ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने खाद्य एवं कृषि संगठन की परामर्शी परियोजना पर कोई आपत्ति की है। फिर भी खाद्य एवं कृषि संगठन ने विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए विकास शील देशों के बीच तकनीकी सहयोग के लिए विशेषज्ञ के उपयोग से संबंधित नई योजना प्रायोजित की है; ताकि वर्तमान विशेषज्ञता का और अधिक उपयोग हो सके। इस योजना के तहत खाद्य एवं कृषि संगठन विकास शील देशों में तकनीकी विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्त करने पर होने वाले खर्च के लिए धन देने वाली सरकार को अंतर्राष्ट्रीय विमान भाड़ा, आंतरिक यात्रा चिकित्सा बीमा की लागत, विशेषज्ञ के वेतन तथा दैनिक भत्ता के लिए भुगतान अंशदान की प्रतिपूर्ति करेगा। विशेषज्ञ प्राप्त करने वाले देश को केवल स्थानीय अतिथि सत्कार पर होने वाला व्यय वहन करना होगा।

विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग की योजना के अधीन सामान्यतया अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का व्यय भेजने वाले देश द्वारा वहन किया जाता है जब कि प्राप्त करने वाला देश विशेषज्ञ/परामर्श दाता के स्थानीय अतिथि सत्कार का खर्च उठाता है नई योजना भारत के लिए लाभकारी होगी क्योंकि इस योजना में तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञता में हिस्सा लेने के लिए और अधिक वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को अन्य विकासशील देशों में प्रतिनियुक्त करने तथा साथ ही उसके प्रतिपक्षियों को भारत में आने की अनुमति देने के लिए वित्तीय समर्थन देने की व्यवस्था है।

विश्वविद्यालयों में नियुक्ति

4058. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न संबद्ध महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में उच्चाधिकारियों यथा प्रधानाचार्य और संकाय-सदस्य के चयन हेतु एक नई प्रणाली शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1993 तथा 1994 के दौरान आज तक दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में इन पदों के चयन में कोई अनियमितता सरकार के ध्यान में आई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नहीं, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विकास

4059. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कृषि के विकास और अनुसंधान के लिए 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को आन्तरिक/बाहरी सहायता से कितनी कितनी धनराशि आबंटित की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) जी, हां। विश्व बैंक ने 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दो परियोजनाओं नामत: वर्षा सिंचित क्षेत्रों में प्रायोगिकी पनधारा विकास परियोजना तथा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना-II के कार्यान्वयन हेतु सहायता प्रदान

की है। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में प्राद्योगिक पनधारा विकास परियोजना 31 दिसम्बर, 1993 को समाप्त हो गई थी। अन्य परियोजना अर्थात् राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना-II 30 जून, 94 को समाप्त हो जायेगी।

(ग) इस संबंध में एकत्र की जा रही है।

केरल में उबले चावलों का आबंटन

4060. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994 के दौरान केरल को कितनी मात्रा में उबला चावल आवंटित किया गया है;

(ख) क्या केरल सरकार ने ओणम के अवसर पर उबले चावल का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) केरल को चावल के किए गए 9.0 लाख मीटरी टन के आवंटन के प्रति वहां की राज्य सरकार ने जनवरी से जून, 1994 के दौरान 3.61 लाख मीटरी टन सेला चावल सहित लगभग 5.14 लाख मीटरी टन चावल का उठान किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न हीं नहीं उठता।

[हिन्दी]

चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करना

4061. श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील :

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

श्री अमरपाल सिंह :

श्री गोविंद राव निकम :

श्री जगमीत सिंह बरार :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) रिपोर्ट कब तक लागू कर दी जायेगी ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का सम्मेलन

4062. श्री गुमान मल लोढा :

श्री नीतिश कुमार :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का कोई सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में किसी प्रतिनिधि ने इस सम्मेलन में भाग लिया था;

(घ) क्या सम्मेलन में गन्ना विकास हेतु ऋण लेने का कोई प्रयास किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ग) जी, हां। मई, 1994 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अंतर्राष्ट्रीय चीनी परिषद् का पांचवां अधिवेशन लंदन में हुआ जिसमें भारत सरकार की ओर से मुख्य निदेशक (शर्करा) ने भाग लिया।

अधिवेशन के दौरान विश्व में चीनी की स्थिति पर विचार-विमर्श हुआ। कई सदस्य देशों ने अपनी राष्ट्रीय चीनी नीतियों पर वक्तव्य दिए। सीमा शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य करार (गैट) पर एक कार्यशाला भी आयोजित की गई। बाजार मूल्यांकन, खपत एवं सांख्यिकीय समिति की विश्व के चीनी के आंकड़ों की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(घ) और (ङ) अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन द्वारा गन्ना विकास में लिए कोई ऋण नहीं दिये जाते हैं। तथापि 1992 में भारत द्वारा प्रस्तुत दो गन्ना परियोजनाओं को पहले अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन द्वारा वस्तुओं की सामान्य निधि के द्वितीय खाते में से निधि के लिए प्रवर्तित किया गया था। बाद में एक परियोजना को उसके कार्यान्वयन के तरीकों में क्रियाविधिक कठिनाइयों के कारण वापस ले लिया गया था। दूसरी परियोजना को वस्तुओं की सामान्य निधि की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए सुधारा जा रहा है।

[अनुवाद]

सुपर बाजार

4063. श्री छीतूभाई गामीत : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार का कार्य समय प्रात: 9.00 बजे से सायं 7.00 बजे और प्रात: 10.00 से सायं 6.00 तक है;

(ख) क्या सुपर बाजार कर्मचारी देर से आते हैं और जल्दी चले जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन कर्मचारियों हेतु समय पाबन्दी लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि शाखाओं और

बहु-विभागी भण्डारों के लिए कार्य के घण्टे साधारणत: प्रात: 10.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक होते हैं। इसके अतिरिक्त, एक औषध भण्डार बिक्री केंद्र प्रात: 9.00 बजे से रात्रि 9 बजे तक कार्य करता है, जबकि बड़े अस्पतालों से जुड़े 6 और कनॉट सर्कस में 1 औषध बिक्री केंद्र 24 घण्टे कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त, 4 शाखाएं प्रात: 9.30 से सांय 6.30 बजे तक तथा एक शाखा प्रात: 9.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक कार्य करती हैं। मुख्यालय में प्रशासनिक खण्ड और निगमित कार्यालय प्रात: 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक कार्य करते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुड़गांव में भारतीय खाद्य निगम का प्रशिक्षण परिसर

4064. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील :

श्री शिवलाल नागजीभाई बेकारिया :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुड़गांव (हरियाणा) में भारतीय खाद्य निगम के प्रशिक्षण परिसर का निर्माण कार्य किस तारीख को शुरू किया गया था।

(ख) उसमें किए जा रहे निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) प्रशिक्षण परिसर का निर्माण कार्य कब तक पूरा किया जाएगा और इसे कब तक शुरू किया जाएगा।

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) भारतीय खाद्य निगम के प्रशिक्षण काम्पलैक्स के निर्माण का कार्य 8 फरवरी, 1994 को आरम्भ हुआ था।

(ख) संस्थान के मुख्य भवन के 9 स्कन्धों में से 2 स्कन्धों से सम्बन्धित निर्माण कार्य छत के स्तर तक पहुंच गया है। भूतल (शेष बचे 7 स्कन्धों के सम्बन्ध में) में निर्माण कार्य की प्रगति विभिन्न अवस्थाओं में है। छात्रावास ब्लाक में निर्माण कार्य प्रथम तल तक पहुंच गया है।

(ग) प्रशिक्षण काम्पलैक्स का निर्माण कार्य दिसम्बर, 1995 तक पूरा हो जाने की संभावना है और उसी समय इसके शुरू हो जाने की भी संभावना है।

[हिन्दी]

आरा तथा सासाराम के बीच आमान परिवर्तन

4065. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आरा तथा सासाराम के बीच बड़ी लाइन बिछाने के लिये कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) आरा के सासाराम तक प्रारंभिक इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण को अद्यतन करने का कार्य शुरू किया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कृषि आयोग

4066. प्रो॰ प्रेम धूमल :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय/कृषि आयोग ने कृषि के विकास के लिए केन्द्र और राज्य, दोनों स्तरों पर एक समेकित ढांचा बनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्र, राज्य और अन्य संगठनों के बीच कोई समन्वय नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने समन्वित ढांचा बनाने की सिफारिश की है इसमें अन्य बातों के साथ योजना के निरूपण समन्वय और मूल्यांकन हेतु केन्द्र और राज्यों में योजना एककों की स्थापना करना शामिल है ताकि समग्र कृषि विकास किया जा सके। केन्द्र और अधिकतर राज्य सरकारों ने समग्र कृषि नीति के निरूपण और समन्वय के लिए योजना एककों की स्थापना की है।

(ग) और (घ) केन्द्र में कृषि मंत्रालय के विभागों तथा केन्द्र और राज्यों के बीच समन्वय कार्य एक सतत् प्रक्रिया है तथा यह राष्ट्रीय विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बुनियादी स्थितियां तैयार करता है। जहां कमी पाई गई है, समय पर उपचारात्मक उपाय किए गये हैं।

रेलवे के नए जोन

4067. श्री मोहन रावले :

श्री रतिलाल वर्मा :

क्या रेल मंत्री 22 फरवरी, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या-100 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के जोन और डिवीजन बनाने का निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय नए क्षेत्रों के सृजन/पुनर्गठन से संबंधित मामलों का अध्ययन और जांच की जा रही है तथा अध्ययन पूरा हो जाने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

राज्य पात्रता जांच परीक्षा

4068. श्री तेजसिंह राव भोंसले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कालेजों में नियुक्ति हेतु व्याख्याताओं के चयन के लिए राज्य सरकारों को (राज्य पात्रता जांच) परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन राज्यों को यह अनुमति दी गई है;

(ग) क्या राज्य पात्रता जांच परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी;

(घ) क्या इस परीक्षा में अर्हता पाने वाले व्याख्याताओं को अन्य राज्यों में कालेजों में नियुक्तियां दी जाएंगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, हां।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित राज्यों में लेक्चररशिप की पात्रता के लिए इन परीक्षाओं को अधिकृति किया है :-

1. आंध्र प्रदेश
2. सिक्किम
3. अरूणाचल प्रदेश
4. राजस्थान
5. पंजाब
6. कर्नाटक

निम्नलिखित राज्य लेक्चररशिप की पात्रता के लिए परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं :-

1. हरियाणा
2. पश्चिम बंगाल
3. केरल
4. बिहार
5. महाराष्ट्र

(ग) जी हां,

(घ) कोई भी व्यक्ति जो राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है वह देश के किसी भी राज्य में लेक्चरर के पद हेतु पात्र होगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जलाशयों में मत्स्यिकी

4069. डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी 1994 में मध्य प्रदेश मत्स्यिकी विकास विभाग ने जलाशयों में मत्स्यिकी के लिए लगभग 4.50 करोड़ रुपये लागत की पांच योजनाएं सरकार को प्रस्तुत की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति दी जाएगी;

(ग) क्या सरकार को ऐसे प्रस्ताव अन्य राज्यों से भी प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है।

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्णा कुमार) : (क) फरवरी, 1994 के दौरान, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जलाशयों में मात्स्यिकी की पांच योजनाओं वाला कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अन्य राज्यों से जलाशयों में मात्स्यिकी के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सहकारी भांडागार निगम

4070. डा॰ वसंत पवार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में सहकारी भांडागार निगमों के कार्यकरण की जांच कर ही है;

(ख) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता प्राप्त कुछ सहकारी भंडागार निगम अपेक्षित परिणाम नहीं दे रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन सहकारी भांडागार निगमों के कार्यकरण को सुधारने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) केन्द्रीय स्तर पर अथवा विभिन्न राज्यों में कोई सहकारी भांडागार निगम नहीं है। फिर भी भांडागार निगम अधिनियम, 1962 के तहत ये एक केन्द्रीय भाण्डागार निगम तथा 16 राज्य भाण्डागार निगम हैं।

(ख) केन्द्रीय भाण्डागार निगम अथवा राज्य भाण्डागार निगमों ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय से कोई सहायता प्राप्त नहीं की है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली और सहारनपुर के बीच रेल लाइन बिछाना

4071. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली और सहारनपुर के बीच दोहरी रेल लाइन बिछाने के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली और मुरादनगर के बीच दोहरी/मल्टिपल लाइनें हैं। मुरादनगर-मेरठ सिटी खंड के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण करने की योजना बनाई जा रही है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव हो सकेगा। मेरठ और सहारनपुर के बीच यातायात उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जिससे इसके दोहरीकरण का औचित्य बनता हो।

वैगन फलीट का परिनियोजन

4072. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संचालन अनुपात कम करने, वैगनों को नए तरीके से परिनियोजित करने और अपनी पूंजीगत परिसम्पति विश्वसनीयता को बेहतर बनाने के कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप चालू वित्त वर्ष के दौरान 1600 करोड़ रुपये की बचत होगी; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इस बारे में कोई दीर्घावधि कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) रेलों पर रेलवे कार्य-प्रणाली में किफायत प्राप्त करने का प्रयास एक सतत प्रक्रिया है। रेलों के निगमित योजना-उद्देश्य में से एक दीर्घकालिक उद्देश्य 2000 ईस्वी तक परिवहन की लागत 15% कम करने का है। अपनाई जा रही अन्य नीतियों में उत्पादकता में सुधार तथा परिसंपत्तियों की विश्वसनीयता, प्रौद्योगिकी ग्रेडोन्नयन, निवेश का इष्टतम उपयोग, ईंधन की खपत और सामग्री की लागत में कमी आदि शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप, परिचालन अनुपात की आठवीं योजना के प्रारंभ में

89.5% से सुधर कर चालू वर्ष में 85.4% हो जाने की संभावना है। परिचालन अनुपात में दो अंकों के सुधार से लगभग 400 करोड़ रुपए की बचत होगी।

परिसंपत्तियों की उपयोगिता की कुशलता में भी सुधार किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप चल स्टाक जैसे मालडिब्बों और सवारी डिब्बों की आश्यकता कम होगी। इसके कारण निवेश में पर्याप्त बचत होगी। इस समय बचत की मात्रा का परिकलन करना कठिन है।

(ग) 3-टियर वातानुकूल शयनयान सवारी डिब्बों के निर्माण, अधिक उच्च क्षमता वाले मालडिब्बे, उच्चअश्व शक्ति, वाले रेलइंजन, मुख्य लाइन ई. एम. यू. और डी. एम. यू. सेवाएं, रेलपथ का यंत्रीकृत अनुरक्षण, आमान परिवर्तन और चल स्टाक की आवश्यकता के आधार पर खरीद सहित आधुनिक चल स्टाक की योजनाबद्ध शुरूआत करना खर्च में किफायत और इसके फलस्वरूप कम परिचालन अनुपात प्राप्त करने के लिए उठाए गए कुछ कदम हैं।

गैर सरकारी संगठन

4073. श्री वसुन्धरा राजे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान तथा अन्य राज्यों में कितने सरकारी संगठन समाज सेवाओं और विकास गतिविधियों में संलग्न हैं;

(ख) सरकार द्वारा इन गैर सरकारी संगठनों को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ग) क्या ये गैर सरकारी संगठन विदेशों से भी सहायता प्राप्त कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन संगठनों में गत तीन वर्षों के दौरान कितनी विदेशी सहायता प्राप्त की ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता बहुत से मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से दी जाती है। केन्द्र स्तर पर ऐसे अनुदानों का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। तथापि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों में अनुदानों के ब्यौरे सामान्यतया शामिल होते हैं। ये वार्षिक रिपोर्टें माननीय संसद सदस्यों को भेजी जाती हैं और संसद के पुस्तकालय में भी रखी जाती हैं।

(ग) और (घ) विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले संगठन विदेशी अंशदान (नियमन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत सरकार को अपनी प्राप्तियों से अवगत करा रहे हैं। इस प्रकार के स्वैच्छिक संगठन शैक्षिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, सामाजिक, धार्मिक, विकासात्मक आदि कार्यकलापों को अपने लक्ष्यों के रूप में अपना सकते हैं। वर्ष 1989, 1990 और 1991-92 के दौरान विदेशी सहायता प्राप्त करने के संबंध में सूचित करने वाले ऐसे संगठनों की कुल संख्या 9132, 9316 और 9,012 थी जिन्हें क्रमशः 76085.80 लाख रु., 94547.80 लाख रु. और 141213.46 लाख रु. की सहायता प्राप्त हुई। उपर्युक्त में से एक अथवा सभी लक्ष्यों के लिए इस सहायता का उपयोग किया गया होगा।

यात्री सुविधाओं के लिए धनराशि

4074. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान सुरक्षा उपायों और यात्री सुविधाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ वास्तव में कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान सुरक्षा उपायों के लिए क्रमश: 71 करोड़ रुपए, 66 करोड़ रुपए और 107 करोड़ रुपए और यात्री सुविधाओं के लिए क्रमश: 50 करोड़ रुपए 60 करोड़ रुपए तथा 60 करोड़ रुपए आवंटित किये गये हैं।

(ख) 1992-93 और 1993-94 के दौरान यात्री सुविधाओं पर क्रमश: 36.38 करोड़ रुपए और 67.39 करोड़ रुपये की वास्तविक राशि खर्च की गई है, सुरक्षा कार्यों पर 1991-92 और 1992-93 के दौरान क्रमश: 58 करोड़ रुपए और 62.34 करोड़ रुपए का वास्तविक खर्च किया गया था। 1993-94 में संरक्षा कार्यों पर किये गए वास्तविक खर्च के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। इसे इकट्ठा किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

रेल संग्रहालय

4075. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कनाडा में रह रहे अप्रवासी भारतीयों को एक रेल संग्रहालय स्थापित करने हेतु किसी प्रस्ताव को स्वीकार किया है जिसमें दार्जिलिंग-हिमालयन रेलवे पर चलने वाले पुराने बढ़िया रेल इंजनों/सवारी डिब्बों वाली छोटी रेलगाड़ियों (टवाय ट्रेन्स) को दर्शाया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) कनाडा में रह रहे एक अनिवासी भारतीय ने दार्जिलिंग-हिमालयन रेलवे से संबंधित संग्रहालय स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की है।

(ख) अब तक ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

4076. श्री बीर सिंह महतो :

श्री राम कृपाल यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अनुकंपा के आधार पर कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए और जोनवार ऐसे कितने मामले लम्बित हैं; और

(ख) सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) ब्यौरा इस प्रकार है :

क्षेत्रीय रेलवे का नाम	वर्ष 91-92, 92-93 और 93-94 के दौरान अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या	30.6.94 को लंबित ऐसे मामलों की संख्या
मध्य	3337	495
पूर्व	4979	953
उत्तर	4732	262
पूर्वोत्तर	1577	961
पूर्वोत्तर सीमा	996	1586
दक्षिण	2194	624
दक्षिण मध्य	2363	1229
दक्षिण पूर्व	5731	554
पश्चिम	3143	361

(ख) अनुकंपा के आधार पर पात्र और उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्तियां की जाती हैं जो उपयुक्त रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। बहरहाल, विभिन्न कारणों यथा आश्रितों के नाबालिग होने, अदालतों में लंबित न्यायिक मामलों में विशेषत: अनपढ़ विधवाओं के लिए उपयुक्त रिक्तियों की अनुपलब्धता के कारण विलंब होता है। इस प्रयोजन के लिए क्षेत्रीय रेल प्रशासनों को सभी पात्र व्यक्तियों को निर्धारित मार्ग-निर्देशों के अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु सभी संभव प्रयास करने के अनुदेश दिए गए हैं। विधवाओं को यथा संभव अधिक नियुक्त करने के लिए विभिन्न विभागों में नौकरियों की कतिपय कोटियों की पहचान की गई है।

[अनुवाद]

ई॰ एम॰ यू॰ रेलगाड़ियां

4077. प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में सभी राज्यों में ई॰ एम॰ यू॰ उपनगरीय सेवा शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) रेलें राज्यों के आधार पर ई॰ एम॰ यू॰ सेवाएं

शुरू नहीं करती हैं। यह उन क्षेत्रों में ई० एम० यू० सेवाएं शुरू करती हैं जहां इस प्रकार की सेवाओं के माध्यम से दैनिक यात्री उपनगरीय यातायात की ढुलाई करना किफायती होता है।

राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतिभा और छात्रवृत्ति योजना

4078. श्री अनंतराव देशमुख : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खेल प्राधिकरण की राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतिभा और छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कुल कितने छात्रों का चयन किया गया;

(ख) उनमें से कितने छात्र दूसरे वर्ष के दौरान बीच में छोड़ कर चले गये; और

(ग) उनके बीच में छोड़ कर जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत चुने गए छात्रों का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

वर्ष	छात्रों की संख्या	टिप्पणी
1991-92	4529	इसमें पिछले वर्ष की 1569 छात्रवृत्तियों का नवीनीकरण शामिल है।
1992-93	5152	इसमें पिछले वर्ष की 1772 छात्रवृत्तियों का नवीनीकरण शामिल है।
1993-94	5222	इसमें पिछले वर्ष की 1660 छात्रवृत्तियों का नवीनीकरण शामिल है।

• (ख) और (ग) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान क्रमश: 1188 और 1720 छात्रों की छटनी की गई क्योंकि उन्होंने अपनी उपलब्धियों के स्तर को न तो बनाये रखा अथवा न ही उसमें सुधार किया।

उत्तर प्रदेश में रेल लाइनों का विद्युतीकरण

4079. डा० साक्षीजी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश में रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन रेल लाइनों के नाम क्या हैं; और

(ग) इनका विद्युतीकरण कब तक किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कार्य योजना

4080. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा 1993-94 में आरंभ की गई कार्य-योजना और उठाए गए मितव्ययपूर्ण कदमों से उक्त वर्ष के दौरान रेलवे के कार्यचालन खर्चों में 200 करोड़ रुपए की कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) 1989-90 से आगे प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में आय में वृद्धि करने तथा संचालन व्यय में कमी करने के संबंध में अनेक उपाय करने की योजना बनाई गई थी। यह परिपाटी हर वर्ष अपनाई जाती है वर्ष 1993-94 में भी, पूर्ववर्ती वर्षों में प्राप्त अनुभव के आधार पर आय में वृद्धि तथा संचालन व्यय पर अंकुश लगाकर परिचालन अनुपात में कारगर सुधार करने के लिए रेलों पर एक संशोधित कार्य योजना आरंभ की गई थी। ऐसे प्रमुख क्षेत्र जहां खर्च में किफायत की जा सकती थी नीचे दिये गये है :

(I) ऊर्जा संरक्षण,

(II) परिसम्पतियों का बेहतर उपयोग

(III) अनावश्यक गतिविधियों तथा अपव्यय पर अंकुश लगाना, जैसे–

(i) भाप इंजनों, भाप क्रेनों तथा भाप शेडों आदि को शीघ्र समाप्त करना।

(ii) अनावश्यक याडों, आदि को बंद करना।

(iii) उच्च मूल्य की मदों की खपत पर कड़ा नियंत्रण।

(iv) सभी ऑन लाइन तथा ऑफ लाइन गतिविधियों में लागत नियंत्रण, लागत में कमी तथा लागत में कुशलता।

(v) बेहतर वस्तु सूची नियंत्रण।

साधारण संचालन व्यय के संशोधित अनुमानों में 200 करोड़ रुपए की बचत की परिकल्पना की गयी थी जो 1993-94 के बजट अनुमानों से 1.70% कम पर निर्धारित की गयी। यह बजटोपरान्त बहुत से कारणों जिसका प्रभाव लगभग 200 करोड़ रुपये बनता है, को आत्मसात करने के बाद हुआ है। इस संबंध में संशोधित अनुमानों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है।

[हिन्दी]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत परियोजनाएं

4081. श्री शिवराज सिंह चौहान :

श्री संदीपान भगवान घोरात :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सहित निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन राज्यों में प्रस्तावित केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा हाल में भेजे गए प्रस्तावों का क्या ब्यौरा है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) अभी तक केन्द्रीय सरकार के समक्ष लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन प्रस्तावों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) आठवीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा चलाई गई परियोजना सहित चल रही मुख्य केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। अनुसंधान परियोजनाओं से मुख्य फसलों को अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का विकास, नई "केरी" नामक भेड़ की प्रजाति का विकास, भ्रूण अंतरण प्रौद्योगिकी के मानकीकरण आदि में सहायता मिली है। केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के जरिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दी गई सहायता से कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है।

(ग) से (ङ) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त सभी प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में उनकी संगतता पर विचार करते हुए कार्यवाही की जाती है।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों में कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं/कार्यान्वित किए गए कार्यक्रम

(क) कृषि विभाग

1. फसल प्रणाली क्षेत्र पर आधारित चावल, गेहूं और मोटे अनाज पर एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम
2. गहन कपास विकास कार्यक्रम
3. विशेष पटसन विकास कार्यक्रम
4. चावल, गेहूं और मोटे अनाज का मिनिकिट कार्यक्रम
5. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम
6. राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना
7. कृषि में प्लास्टिक का उपयोग
8. एकीकृत कृमि प्रबंध तथा पादप संगरोध सुविधाओं का विस्तार।
9. वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना।

10. नदी घाटी परियोजना के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।

11. क्षारीय मृदा का सुधार।

12. बाढ़ प्रवण नदी के आवाह क्षेत्र में एकीकृत पनधारा प्रबंध।

(ख) पशुपालन और डेयरी

13. पशुप्लेग उन्मूलन पर राष्ट्रीय परियोजना

14. पशुरोगों के नियंत्रण के लिए सहायता।

15. आपरेशन फ्लड-3

16. गैर प्रचालन बाढ़, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना

17. सहकारी समितियों को सहायता।

(ग) कृषि अनुसंधान

18. अनुसंधान परियोजनाएं — परिषद के पास विभिन्न राज्यों में कार्यरत 85 संस्थाएं/परियोजना निदेशालय/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र तथा 77 अखिल भारतीय अनुसंधान परियोजनाएं हैं।

रोथाक (सिक्किम) में नवोदय विद्यालय

4082. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर नवोदय विद्यालय रोथाक, पश्चिम सिक्किम के नया बाजार डाकघर 'नवोदय' विद्यालय को शिलांग क्षेत्रीय कार्यालय के साथ जोड़ा गया है;

(ख) क्या रोथाक तथा पटना के बीच दूरी रोथाक तथा शिलांग के बीच दूरी की तुलना में कम है तथा रोथाक और पटना के बीच आने-जाने में रोथाक तक शिलांग के बीच आने-जाने की अपेक्षा कम समय लगता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार जवाहर नवोदय विद्यालय, रोथाक का शिलांग क्षेत्रीय कार्यालय से हटा कर उसे पटना क्षेत्रीय कार्यालय के साथ जोड़ने का है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नवोदय विद्यालय समिति ने सूचित किया है कि किसी नवोदय विद्यालय का प्रशासनिक नियंत्रण किसी विशेष क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है जो अन्य बातों के साथ-साथ उनकी भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक तात्कालिक आवश्यकताओं पर निर्भर होता है और न कि मात्र किसी विशेष क्षेत्रीय कार्यालय से उसकी दूरी पर। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित सभी नवोदय विद्यालयों को समिति के शिलांग स्थित

क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय, रोथाक (सिक्किम) को नवोदय विद्यालय समिति के पटना स्थिति क्षेत्रीय कार्यालय से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

खुर्दा रोड डिवीजन में भर्ती

4083. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे की खुर्दा रोड डिवीजन में 1992-93 और 1993-94 के दौरान चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कोई भर्ती की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन भर्तियों में सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के दावों को ध्यान में रखा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) से (घ) वित्तीय वर्ष, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे के खोरधा रोड मंडल में श्रेणी-IV अर्थात ग्रुप "घ" कोटि के 224 व्यक्तियों की भर्ती की गई थी उनमें से 63 व्यक्ति अनुसूचित जाति तथा 40 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के थे।

मल्टी ग्रेड सिस्टम

4084. डा. असीम बाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मल्टी ग्रेड सिस्टम शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) संभवत: इसका आशय मल्टी ट्रेड सिस्टम से है। मल्टी ट्रेड सिस्टम (अत्यधिक सही-सही बहु कौशल प्रणाली) एक संकल्पना है जिसमें व्यवसायों अथवा कोटियों के ग्रुप को एक नए अथवा मिश्रित व्यवसाय अथवा कोटि में सम्मिलित किया जाता है ताकि एक ओर बेहतर कर्मचारियों की प्रस्तुति की तथा दूसरी ओर बेहतर संभावनाओं की व्यवस्था की जा सके। लिपिकों और टंककों को (नए आगंतुकों पर लागू) मिलाकर तथा कारखाना कारीगरों की कुछ कोटियों में इसकी शुरूआत की गई है।

असम में वृक्षारोपण

4085. श्री द्वारकानाथ दास : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम में वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी योजनाओं के कार्यान्वयन की गति बहुत धीमी है और असम की पेपर मिलों के लिए पहाड़ियों से भारी मात्रा में बांसों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है और अपराधी कीमती पेड़ काट रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 1993 के अनुसार असम में सघन वनावरण (उच्च सघनता 40% से अधिक) 15998 वर्ग कि॰ मी॰ है और खुला वनावरण (उच्च सघनता 10 से 40% से कम के बीच) 8510 वर्ग कि॰ मी॰ है।

वर्ष 1991 के मूल्यांकन की तुलना में वनावरण 355 वर्ग कि॰ मी॰ घटा है जिसमें से 165 वर्ग कि॰ मी॰ झूम कृषि के कारण तथा 190 वर्ग कि॰ मी॰ अन्य कारणों से हुआ है। इसके साथ ही वनावरण में 112 वर्ग कि॰ मी॰ की वृद्धि हुई है जिसमें से 104 वर्ग कि॰ मी॰ वनावरण उन क्षेत्रों का पुनरुद्धार करके किया गया है जो झूम कृषि करने के बाद छोड़ दिए गए थे जबकि 8 वर्ग कि॰ मी॰ वनावरण, सघनता में सुधार लाने के कारण हुआ है।

केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित तथा राज्य प्लान की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाए जाते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत असम में पिछले दो वर्षों के दौरान वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों की उपलब्धियों और वर्ष 1994-95 के लक्ष्यों को बताने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत असम राज्य के लिए वनीकरण और वृक्षारोपण के लक्ष्य तथा उपलब्धियां

(क्षेत्र: हैक्टेयर में)

(लाख पौध)

1992-93				1993-94				1994-95	
लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य	
पौध वितरण	क्षेत्र	पौध वितरण	क्षेत्र	पौध वितरण	क्षेत्र	पौध वितरण	क्षेत्र	पौध वितरण	क्षेत्र
25.00	25,000	11.80	22,486	30.00	27,500	20.76	18,144.50	25.00	25,000

पौध वितरण निजी भूमि पर रोपण के लिए है।

क्षेत्र सार्वजनिक भूमि के लिए है जिसमें वन भूमि भी शामिल है।

पूर्णा अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना

4086. श्री पाडुरंग पुंडलिक फुंडकर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्णा अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजना हेतु महाराष्ट्र से 166 हेक्टेयर वन भूमि जारी की है परन्तु अभी मध्य प्रदेश से 9105 हेक्टेयर वन भूमि जारी की जानी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) पूर्णा अंतर-राज्यीय सिंचाई परियोजना के लिए महाराष्ट्र में 166 हेक्टेयर वन भूमि तथा मध्य प्रदेश में 9.105 हेक्टेयर वन भूमि के अंतरण के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत पहले ही सिद्धान्त रूप में अनुमोदन दिया जा चुका है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नई रेल लाइन

4087. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :-क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालाघाटगी और येल्लापुर से होकर हुबली और अकोला के बीच नई रेल लाइन बिछाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां,

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1991-92 में किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट से पता चला है कि 164 कि॰ मी॰ लम्बी लाइन पर लागत 236 करोड़ रु॰ आयेगी। हुबली-लोंडा-वास्को खंड का आमान परिवर्तन शुरू करने के निर्णय और कोंकण रेलवे का निर्माण किये जाने, जिससे मडगांव के रास्ते हुबली और अकोला के बीच बड़ी लाइन सम्पर्क मुहैय्या होगा, और नई लाइनों के लिए संसाधनों की तंगी को ध्यान में रखते हुए यह विनिश्चिय किया गया है कि जब तक उपर्युक्त निर्माण कार्य पूरा न हो जाए और यातायात पैटर्न में स्थायित्व न आए जाए तब तक परियोजना पर विचार करना आस्थगित रखा जाए और इसके पश्चात् इस लाइन के औचित्य पर विचार किया जा सकता है।

गन्ने के संबंध में सम्मेलन

4088. श्री शरत पटनायक : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में गन्ना उत्पादक राज्यों के खाद्य मंत्रियों की हाल में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) दिनांक 27.5.1994 को बम्बई में राज्यों द्वारा गन्ने के सुझाव गए मूल्य (एस॰ ए॰ पी॰) की मूल्य नीति से संबंधित सिफारिशों के लिए गठित राज्य मंत्रियों की समिति की बैठक हुई। इस बैठक में राज्यों द्वारा सुझाव गए गन्ने के मूल्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों

जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक राज्यों में गन्ना मूल्यों के भुगतान के तरीके, गन्ना मूल्यों के भुगतान वर्तमान तरीकों के पक्ष-विपक्ष इत्यादि पर विचार-विमर्श हुआ।

(ग) और (घ) समिति ने अभी तक अपना कार्य पूरा नहीं किया है।

नवयुग विद्यालय

4089. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को परेशान करने के बारे में नवयुग स्कूल के प्रबंधन के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि नवयुग स्कूल शैक्षिक सोसाइटी द्वारा उनके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी, और वार्षिक वेतन वृद्धि न दिए जाने के संबंध में अभिवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) सोसाइटी के शासी निकाय ने चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों को वर्दियां देने के बारे में एक निर्णय पहले ही ले लिया है और इस आशय के अनुदेश स्कूलों के प्रमुखों को जारी कर दिए गए हैं। वार्षिक वेतन वृद्धि न दिए जाने संबंधी मामला शासी निकाय के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

संस्कृत तथा अन्य भाषाओं को प्रोत्साहन

4090. डा॰ गुणवन्त रामभाऊ सरोदे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान संस्कृत भाषा के प्रसार तथा प्रचार के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा देश के अनेक संस्कृत संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान संस्कृत के अलावा अन्य भाषाओं के विकास तथा प्रोत्साहन के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दक्षिण पूर्व रेल के अन्तर्गत हाकी अकादमी

4091. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत बोंडा मुंडा में ऐस्ट्रो टर्फ युक्त हाकी अकादमी की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक इसकी स्थापना की जाएगी ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध मामले

4092. श्री अवतार सिंह भड़ाना : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, कदाचार, धोखाधड़ी, और घूसखोरी के कितने मामले प्रकाश में आए;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सतर्कता संबंधी मामलों के वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	मामलों की संख्या
1991	611
1992	529
1993	695
1994	313

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के वर्ष-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

	दिए गए दण्ड का स्वरूप	1991	1992	1993	1994 (जून, 94 तक)
1.	बरखास्तगी/निष्कासन/अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त	12	14	10	7
2.	पदावनति	23	18	27	19
3.	समय वेतनमान में कटौती	45	41	38	16
4.	वेतनवृद्धि रोकना/वेतन से रिकवरी	173	166	397	168
5.	पदोन्नति रोकना	20	3	1	3
6.	निन्दा	87	69	190	78
		360	311	663	291

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में रेल कोच फैक्टरी

4093. श्री अन्ना जोशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में एक रेल कोच फैक्टरी लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह फैक्टरी कहां पर लगाने का प्रस्ताव है और इस परियोजना पर कितनी लागत आएगी;

(ग) क्या योजना आयोग ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी होगी और 1994-95 के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय मत्स्यन जोन

4094. श्री सनत कुमार मंडल : क्या कृषि मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जुलाई, 1994 के "फाइनान्सियल एक्सप्रेस" में "एम॰ एन॰ सीज॰ ब्रेसिंग टू नेट इण्डियन फिशिंग जोन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित मामले से संबंधित तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के समुद्री सीमा में फैलाव को रोकने, विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी में, जिसके कारण मछुआरों को समुद्र में मछलियां नहीं मिल पाती, के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। उठाए जाने का विचार है ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, किसी बहु-राष्ट्रीय कम्पनी तथा विदेशी मत्स्यन कम्पनियों को, भारतीय एकमात्र आर्थिक क्षेत्र (इ॰ इ॰ जेड) में गहरे समुद्र में मछली पालन को अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि, गहरे समुद्र में मछली पालन की नई नीति, 1991 के अनुसार, जलयानों को खरीद कर/पट्टे पर लेकर विदेशी कम्पनियों के सहयोग से बहुत सी भारतीय कम्पनियों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति दी गई है। परम्परागत तथा छोटे यन्त्रीकृत जलयान चलाने वाले मछुआरों के हितों की रक्षा करने के लिए गहरे समुद्र के मत्स्यन जलयानों को समुद्र तटीय क्षेत्र (12 समुद्री मील) में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं है, जो परम्परागत मछुआरों के लिए आरक्षित है।

श्रमिक विद्यालय

4095. श्री प्रबीन डेका : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्यवार, विशेषरूप से असम में, श्रमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) श्रमिक विद्यालय खोलने हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार असम में और श्रमिक विद्यालय खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) इस समय देश में 37 श्रमिक विद्यापीठ कार्य कर रहे हैं, जिनमें से एक असम राज्य के सिल्चर में है। राज्यवार जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) शहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को संस्थागत बनाने के लिए श्रमिक विद्यापीठ की आदर्श (माडल) के रूप में स्थापना; निम्नलिखित विस्तृत मानकों को ध्यान में रखते हुए नीति मानदण्डों के अनुसार की गई;

(i) राज्य में शहरी जनसंख्या का अनुपात।

(ii) किसी विशेष शहर/कस्बे में श्रम शक्ति का अस्तित्व, जिससे उनकी शैक्षिक जरूरतों के अनुसार, अल्पकालिक रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों से लाभ पहुंच सकता है।

(iii) योग्य तकनीकी व्यक्तियों की उपलब्धता, जो श्रमिक विद्यापीठों के लिए सम्भावित शैक्षिक संसाधनों के एक पूल के रूप में कार्य कर सकती है।

(iv) सम्बद्ध राज्य सरकार/अथवा संगठन/अथवा औद्योगिक इकाई/आर्थिक उद्यम/सम्बंधित कर्मचारी संगठनों का, श्रमिक विद्यापीठ की स्थापना में सहयोग देने की प्रवृत्ति।

(ग) और (घ) शहरी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार असम राज्य, एक श्रमिक विद्यापीठ के लिए पात्र है तथा यह विद्यापीठ सिलचर में पहले से ही कार्य कर रहा है।

विवरण

क्र०सं०	राज्य	श्रमिक विद्यापीठों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5
2.	असम	1
3.	बिहार	1
4.	गुजरात	3
5.	हरियाणा	1

1	2	3
6.	जम्मू और कश्मीर	1
7.	कर्नाटक	2
8.	केरल	1
9.	मध्य प्रदेश	1
10.	महाराष्ट्र	5
11.	उड़ीसा	2
12.	राजस्थान	4
13.	तमिलनाडु	4
14.	उत्तर प्रदेश	2
15.	पश्चिम बंगाल	2
क्र.सं.	**संघशासित क्षेत्र**	**श्रमिक विद्यापीठों की संख्या**
1.	चंडीगढ़	1
2.	दिल्ली	1
कुल श्रमिक विद्यापीठों की संख्या		37

तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड

4096. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तरक्की-ए-उर्दू के समग्र कार्यनिष्पादन का आकलन करने के लिए एक पुनरीक्षा समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें और सिफारिशें क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) समिति का गठन निम्न प्रकार है :

1.	श्री अज़ीज कुरैशी	अध्यक्ष
2.	प्रो॰ जगन्नाथ आजाद	संयोजक
3.	डा॰ राज बहादुर गौड़	सदस्य
4.	कुमारी कुर्रातुल-एन-हैदर	सदस्य

5. श्री एस० एच० नकवी सदस्य

6. श्री शुज खावर सदस्य

उर्दू-ए-तरक्की बोर्ड तथा उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो के प्रशासनिक, वित्तीय, प्रकाशनों और अन्य मामलों की समीक्षा तथा जांच-पड़ताल करने और साथ ही उनमें सुधार के लिए सुझांव देने हेतु समिति नियुक्त की गई है।

(ग) और (घ) समिति द्वारा 30 अगस्त, 1994 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

सुपर बाजार

4097. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार को टाइगर ब्रान्ड की सप्लाई करने वाली मैसर्स स्वर्ण एन्टरप्राइजेज मैन्यूफैक्चरर कम सप्लायर डी० टी० सी० द्वारा जारी की गई निविदा में दी गई दरों से कम दरों पर सुपर बाजार की वस्तुओं को सप्लाई कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सुपर बाजार द्वारा फिनाइल और नेप्थालीन की कौन-कौन सी ब्रान्डों की बिक्री की जाती है तथा इसे किन दरों पर खरीदा और बेचा जाता है, गत 12 महीनों के दौरान इनके खरीद मूल्य में कितनी बार संशोधन किया गया और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सुपर बाजार को ऐसी वस्तुओं की सप्लाई कर रहे सप्लायरों में से कितने सप्लायर खुले बाजार की दरों से कम दरों पर वस्तुओं की सप्लाई कर रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सुपर बाजार ने टाइगर ब्रांड फिनाइल के 5 लीटर के टीन पैक पर 134.60 रु० प्रति टीन तथा 15 लीटर के टीन पैक पर 273.50 रु० प्रति टीन मूल्य कोट किया है। टाइगर ब्रांड के विनिर्माता एवं आपूर्तिकर्ता मैसर्स स्वर्ण एंटरप्राइजेज ने 200 लीटर के पीपे के पैक पर प्रति पीपे की 2600 रु० दर कोट की है। सुपर बाजार 200 लीटर के पीपे के पैक में फिनाइल की खरीद/बिक्री नहीं करता है, सुपर बाजार केवल छोटे घरेलू उपयोग के पैकों अर्थात 1/2 लीटर, 1 लीटर, 5 लीटर और 15 लीटर के पैकों में ही फिनाइल की खरीद करता है।

(ग) सुपर बाजार द्वारा बेचे जा रहे फिनाइल तथा नैफ्थॅलीन की गोलियों के ब्रांडों के नामों, उनके लागत मूल्य विक्रय मूल्य तथा पिछले 12 महीनों के दौरान इसमें संशोधन की तारीख बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उन्हें अब तक इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सुपर बाजार अपने सभी आपूर्तिकर्ताओं से प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या शपथ आयुक्त द्वारा विधिवत अभिप्रमाणित इस आशय का शपथ पत्र लेता है कि आपूर्तिकर्ता सुपर बाजार से न्यूनतम दरें लेगा।

विवरण

क्र० सं०	ब्रांड का नाम	पिछले एक वर्ष के दौरान संशोधन की तारीख	लागत मूल्य (5 लीटर के पैक में)	विक्रय मूल्य	पिछले एक वर्ष के दौरान संशोधन की तारीख	नैथलीन की गोलियां लागत मूल्य (200 ग्राम के पैक में)	नैथलीन की गोलियां विक्रय मूल्य (200 ग्राम के पैक में)
1.	बंगाल कैमिकल्स	कोई संशोधन नहीं	152.91	176.85	अप्रैल, 94	15.51	18.00
2.	त्रिशूल ब्रांड	मार्च, 1994	130.75	150.35	कोई संशोधन नहीं	13.50	15.00
3.	टाइगर ब्रांड	मार्च व अप्रैल, 94	127.49	146.60	कोई संशोधन नहीं	12.60	12.35
4.	गैंडा ब्रांड	अप्रैल, 1994	126.00	145.00	कोई संशोधन नहीं	–	–
5.	रोज ब्रांड	अप्रैल, 1994	117.16	134.75	कोई संशोधन नहीं	13.35	15.35
6.	डायमण्ड	कोई संशोधन नहीं	100.00	120.60	कोई संशोधन नहीं	12.70	15.30

वेश्यावृत्ति

4098. श्री परसराम भारद्वाज :

श्री बापू हरि चौरे :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अथवा किसी अन्य स्वयंसेवी संगठन ने बालिकाओं के वेश्यावृत्ति में लिप्त होने के मुख्य कारणों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) और (ख) जी, नहीं। लेकिन वर्ष 1991-92 में नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से 6 प्रमुख नगरों अर्थात् बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, बंगलौर और हैदराबाद में वेश्यावृत्ति के संबंध में एक सर्वेक्षण किया गया था। हालांकि सर्वेक्षण का उद्देश्य बाल वेश्यावृत्ति का अध्ययन करना नहीं था किन्तु वृहत् परिवेश में जिसमें बाल वेश्यावृत्ति भी शामिल है, वेश्यावृत्ति की इस प्रथा के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। वेश्यावृत्ति में बच्चों में प्रवेश के कारणों के संबंध में इस सर्वेक्षण के संक्षिप्त निष्कर्ष इस प्रकार हैं : (i) आर्थिक तंगी (ii) प्रथाएं और (iii) परिवारिक परम्पराएं। अधिकांश बाल वेश्याएं, इस व्यवसाय में संलिप्त वेश्याओं के बच्चे हैं जो आजीविका के किसी अन्य व्यावहारिक स्रोत के न होने के कारण पारिवारिक परम्परा के कारण इस व्यवसाय को अपनाने के लिए बाध्य हैं। इस व्यवसाय में संलिप्त माताएं भी वृद्धावस्था में सहायता के लिए अपनी लड़कियों को इस व्यवसाय में लाती हैं।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

4099. श्री एस. बी. सिदनाल :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में नियमों में ढांचागत पारदर्शिता, नई पदोन्नति नीति और अन्य प्रणाली का सुझाव देने के संबंध में कोई समिति नियुक्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां तो समिति द्वारा कौन-कौन सी महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें की गई हैं; और

(ङ) समिति की सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचनानुसार विश्वविद्यालय द्वारा एक सदस्यीय समिति गठित की गई थी। जिसके सदस्य श्री बी० बी० ईश्वरन् थे। इसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे :–

(i) कार्य के वितरण को विवेकपूर्ण बनाना तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाना ताकि निष्पादन के लिए और अधिक स्पष्ट उत्तरदायित्व स्थापित किया जा सके।

(ii) संगठनात्मक ढांचे में ऐसे उचित परिवर्तनों का सुझाव देना जो इस कार्य वितरण और सरलीकरण के अनुरूप हों।

(iii) शक्तियों के पर्याप्त प्रत्यायोजन का सुझाव देना ताकि और अधिक व्यापक उत्तरदायित्व प्रणाली स्थापित की जा सके।

(iv) शिकायत निवारण प्रक्रिया प्रणाली का सुझाव देना ताकि इस प्रणाली में और अधिक जिम्मेवारी और सुस्पष्टता स्थापित की जा सके। तथा

(v) कोई अन्य संबंधित मामला।

(ग) और (घ) समिति ने अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशें मोटे तौर पर,

(i) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट प्रणाली (ii) इंजीनियरी एवं संपदा शाखा में अनुरक्षण तथा सहायक सेवा और कार्य (iii) प्रशासनिक सुधारों से संबंधित हैं।

(ङ) विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि यदि समिति की सिफारिशों को कार्यकारी परिषद् द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उन्हें संसाधनों और प्रशिक्षित मानव शक्ति की उपलब्धता होने पर एक चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा।

पैकेज के आकार संबंधी प्रतिबंध

4100. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव में आकर 24 उत्पादों पर से पैकेज के आकार संबंधी प्रतिबंध हटा दिये गए हैं;

(ख) क्या ऐसे निर्णयों के कारण भारतीय उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ने वाला है; और

(ग) संबंधित नियमों को शिथिल करने के कार्य को तुरंत रोकने के लिए कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

4101. श्री एस. एम. लालजान बाशा :

श्री ए. अशोकराज :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपने स्थापनागत उद्देश्यों को पूरा कर रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इस विश्वविद्यालय के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से इसकी क्या उपलब्धियां रही हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस विश्वविद्यालय के कार्यकरण को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार विश्वविद्यालय ने अपने कार्य निष्पादन की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है जो इसके भविष्य विकास को कारगर बनाने में सहायक होगी। समिति के मुख्य विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :-

(i) विश्वविद्यालय की स्थापना से इसके कार्यों व इसकी उपलब्धियों तथा इसके लक्ष्यों व उद्देश्यों को पूरा करने में यदि कोई कमी है, तो उनका मूल्यांकन करना।

(ii) यह जांच करने के लिए कि क्या विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक चलाए गए कार्यक्रमों व पाठ्यक्रमों से विश्वविद्यालय के लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राप्त करने में कोई योगदान प्राप्त हुआ है।

(iii) शिक्षा की लागत प्रभावी व नवाचार पद्धति प्रदान करने में विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का सम्पूर्ण मूल्यांकन करना।

वस्तुओं पर मूल्यों का दर्शाया जाना

4102. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उपभोक्ता वस्तुओं के ऊपर मूल्य अंकित करने संबंधी कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में उपभोक्ता संगठनों और सक्रिय कार्यकर्ताओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के अनुसार केवल कुछ को छोड़कर, खुदरा बिक्री के लिए अभिप्रेत पहले से पैकशुदा सभी वस्तुओं पर बिक्री मूल्य से सम्बन्धित सूचना अंकित होनी आवश्यक है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय का ध्यान कुछ समाचार-लेखों की ओर आकृष्ट कराया गया है जिसमें यह कहा गया है कि पहले से पैकशुदा वस्तुओं पर अंकित मूल्य वास्तविक बिक्री मूल्य से अधिक होता है।

(च) मंत्रालय ने पहले से पैक शुदा वस्तुओं पर खुदरा बिक्री मूल्य घोषित करने के सर्वोत्तम तरीके की समीक्षा करने तथा सुझाव देने के लिए सरकारी संगठनों, व्यवसाय और उद्योग एसोसिएशनों तथा उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक विशेषज्ञ समिति गठित की है।

रेलवे अफसर और कर्मचारी

4103. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान पश्चिम रेलवे और अन्य रेलवे के अनेक डिवीजनों में कुछ रेलवे अफसरों और कर्मचारियों को निलंबित और बर्खास्त किया गया है तथा चेतावनी, आदि दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

रेलवे	निलंबित किए गए	बर्खास्त/सेवा से हटाये गये/अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए	चेतावनी	अन्य दण्ड
1	2	3	4	5
मध्य	47	34	15	130
पूर्व	3	1	7	14
उत्तर	12	10	18	221
पूर्वोत्तर	23	3	8	170
पूर्वोत्तर सीमा	–	2	5	38
दक्षिण	9	5	50	148

1	2	3	4	5
दक्षिण मध्य	2	1	7	–
दक्षिण पूर्व	10	3	2	135
पश्चिम	20	2	–	235
जोड़	126	61	112	1091

(ग) प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे और रेल मंत्रालय में सतर्कता संगठन कार्य कर रहा है। कार्यकारी अधिकारी की सतर्कता संबंधी कर्य करते हैं। शिकायतों की जांच की जाती है और निवारक उपाय किए जाते हैं।

सुपर बाजार को लाभ/हानि

4104. श्री छीतूभाई गामीत : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सुपर बाजार में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया/कितना घाटा हुआ/कितना लाभ हुआ;

(ख) क्या सुपर बाजार ने गत तीन वर्षों के दौरान शेयर जारी करके धनराशि जुटायी है;

(ग) क्या सरकार के पास सुपर बाजार को पूरी तरह से निजी क्षेत्र को सौंपने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें विस्तृत सूचना दी गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दी कोआपरेटिव स्टोर लि., दिल्ली जो सुपर बाजार के नाम से लोकप्रिय है, दिल्ली राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत एवं सहकारी समिति है और इसका प्रबन्ध दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों व उपविधियों के तहत किया जाता है।

विवरण

(क) सुपर बाजार को/द्वारा हुआ लाभ व हानि/किया गया निवेश

(लाख रुपए में)

क्रम संख्या	विवरण	1991-92	1992-93
1.	निवल लाभ जमा	9.33	10.83
2.	अचल परिसम्पति	28.78	73.63

(ख) शेयरों के निर्गम द्वारा जुटाया गया धन :

(लाख रुपए में)

क्रम संख्या	वर्ष	जनता/सहयोजित सदस्यों को जारी शेयर	सरकार द्वारा की गई अंशपूंजी	योग
1.	1991-92	7.92	60.00	67.92
2.	1992-93	3.29	12.80	16.09
3.	1993-94	3.91	8.00	11.91

आलू के लिए भंडारण सुविधा

4105. डा॰ खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आलू का वार्षिक औसत उत्पादन कितना है;

(ख) क्या देश में आलू सहित तीस प्रतिशत फल तथा सब्जियां भंडारण सुविधाओं के अभाव में खराब हो जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार के पास फलों तथा सब्जियों की बरबादी को रोकने हेतु कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) देश में आलू का औसत वार्षिक उत्पादन 15.7 मिलियन मीटरी टन है।

(ख) फलों और आलू समेत सब्जियों की फसल कटाई के पश्चात् भण्डारण के दौरान होने वाली हानियों का मूल्यांकन करने के लिए कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है शीघ्र नष्ट होने वाली कृषि जिंसें (1981) से सम्बन्धित डा॰ एम॰ एस॰ स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के अनुसार फलों और सब्जियों के अपर्याप्त एवं अवैज्ञानिक रख रखाव के कारण फसल कटाई पश्चात् होने वाली हानि 25-40% तक आंकी गयी थी।

(ग) तथा (घ) भारत सरकार इस प्रकार की हानि को न्यूनतम स्तर तक लाने के लिए फसल कटाई पश्चात् की बुनियादी सुविधाओं का सृजन करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से एक प्रमुख कार्यक्रम चला रही है। उत्पादन वाले क्षेत्रों में ग्रेडिंग और पैकिंग केन्द्रों की स्थापना करने, रेफ्रिजरेटेड वाहनों, पूर्व प्रशीतन इकाइयों और शीतभण्डारों सहित प्रशीतन श्रृंखला का विकास करने और वैक्सिंज आदि के माध्यम से मीयाद (शैल्फ-लाइफ) बढ़ाने और विपणन सुविधाओं में सुधार करने के लिये सहायता प्रदान करने हेतु आठवीं योजना के दौरान लगभग 100 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ऐसी हानियों को रोकने के उद्देश्य से सहकारी समितियों को नये शीत भण्डारों की स्थापना करने तथा वर्तमान शीत भण्डारों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

दिल्ली में वनस्पति उद्यान

4106. प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में एक वनस्पति-उद्यान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त उद्यान कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण का दिल्ली में एक वनस्पति उद्यान स्थापित करने का प्रस्ताव था।

(ख) यह उद्यान रोहिणी में 100 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले जिला पार्क स्थल पर स्थापित करने का प्रस्ताव था।

(ग) शहरी विकास मंत्रालय ने इस संबंध में एक उपयुक्त परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करके उसे सरकार को प्रस्तुत किए जाने तक इस परियोजना को आस्थगित कर दिया है।

[हिन्दी]

वन्य प्राणियों का शिकार

4107. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में हिरण सहित वन्य प्राणियों के शिकार की कितनी घटनाओं की जानकारी सरकार को मिली है; और

(ख) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) सूचना सकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अतिक्रमण वाली वन भूमि को नियमित करना

4108. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि लगभग 1500 आदिवासी परिवार मैसूर जिले के वन क्षेत्र में गत 30 वर्षों से रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक सरकार द्वारा मैसूर जिले में अतिक्रमण वाली वन भूमि को नियमित करने के लिए कितनी वन भूमि को छूट देने और उसे आवास हेतु जारी करने की मांग की गई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने मैसूर जिले के नागरहोल राष्ट्रीय पार्क में आदिवासी परिवारों के पुनर्वास के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 752 हे॰ वन भूमि के अंतरण का एक प्रस्ताव भेजा है।

(ग) राज्य सरकार का प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन है।

आन्ध्र प्रदेश में मत्स्य पालन संस्थान

4109. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तटीय आन्ध्र प्रदेश में मत्स्य पालन हेतु संस्थान खोलने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने इस उद्देश्य हेतु विश्व बैंक/अन्य विदेशी एजेन्सी से कोई सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह संस्थान कब से चालू हो जाएगा ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

जन्म शताब्दी समारोह

4110. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री रामनाईक :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महान विभूतियों और राष्ट्रीय नेताओं के जन्म शताब्दी समारोहों के संबंध में विभिन्न कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्व प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई और "आनंदमठ" के लेखक श्री बंकिम चन्द्र की जन्म शताब्दी मनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इन अवसरों पर आयोजित किए जाने वाले समारोहों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निकट भविष्य में कौन-कौन से राष्ट्रीय नेताओं के जन्म शताब्दी समारोह मनाए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) सरकार राष्ट्रीय नेताओं और महान विभूतियों की शताब्दी समारोहों के लिए समय-समय पर राष्ट्रीय समितियां गठित करती है। स्वैच्छिक संगठनों को शताब्दियों/वर्षगांठों के आयोजन के लिए अनुदान भी दिए जाते हैं। सरकार ने (i) रफी अहमद किदवई और (ii) श्री वी० वी० गिरि की जन्म शताब्दियां मनाने के लिए राष्ट्रीय समितियों का हाल ही में गठन किया है।

(ग) सरकार पूर्व प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई की जन्म शताब्दी मनाने के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन करने पर विचार कर रही है। श्री बंकिम चन्द्र का जन्म वर्ष 1838 में हुआ था और उनकी जन्म शताब्दी उचित समय पर आयोजित किए जाने के संबंध में विचार किया जायेगा।

(घ) आयोजित किए जाने वाले समारोहों के विवरण को राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया जायेगा।

(ङ) सरकार ने रफी अहमद किदवई और श्री वी० वी० गिरि की जन्म शताब्दियां मनाने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय समितियां गठित की हैं। सरकार आचार्य विनोबा भावे की शताब्दी एवं पूर्व प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई की जन्म शताब्दी मनाने के लिए एक-एक राष्ट्रीय समिति का गठन करने के संबंध में विचार कर रही है।

केरल में रेल लाइन

4111. प्रो० के० वी० थामस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एर्णाकुलम में अल्लेप्पी तक रेल लाइन में सरेखण और वेल्डिंग संबंधी कमियां हैं;

(ख) क्या इन कमियों के कारण इस रेल मार्ग पर चलने वाली गाड़ियों की गति कम हो गई है;

(ग) इन कमियों को सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां। खंड के एक भाग में गति प्रतिबंध लगाया गया है।

(ग) खराब वेल्डों के कारण सरेखण में आयी खराबी को दूर करने का कार्य शुरू किया जा रहा है तथा यह कार्य लगभग 4 महीने में पूरा हो जाएगा। इसके बाद गति प्रतिबंध हटा दिये जाएंगे।

सुन्दरगढ़ में स्पोर्ट्स हॉस्टल

4112. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास लड़कों और लड़कियों के लिए बेहतर और आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं वाला एस० ए० आई० छात्रावास उपलब्ध कराने के लिए सुन्दगढ़ में एस्ट्रो टर्प बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है और यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कोरपोरेशन लिमिटेड

4113. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कोरपोरेशन लिमिटेड को, जिसने आठ वर्षों तक भारी मुनाफा कमाया था, 1991 से घाटा होना शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस घाटे की जिम्मेदारी निर्धारित की है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक/निदेशकों पर कितना खर्च हुआ; और

(ङ) सरकार इस घाटे को दूर करने हेतु क्या उपाय करेगी ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) वनस्पति उद्योग के लाइसेंसमुक्त कर दिए जाने के बाद अनेक नए एकक स्थापित हुए हैं, जिन्हें बिक्री कर की छूट दी गई है। इससे पुराने एकक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं रह गए हैं। साथ ही अपरिष्कृत खाद्य तेलों के आयात न होने तथा परिष्कृत खाद्य तेलों के आयात में कमी के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेलों के परिष्करण तथा पैकिंग में भी कमी आई है। हिन्दुस्तान वैजिटेबल ऑयल कार्पोरेशन लि. को होने वाली हानियों के ये मुख्य कारण हैं।

(ग) ऊपर प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए कार्पोरेशन के अधिकारियों में से किसी पर भी हानियों के लिए जिम्मेदारी तय करना उपयुक्त नहीं समझा गया है।

(ख) कार्पोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशकों पर गत तीन वर्षों में हुआ व्यय, जिसमें वेतन तथा भत्ते, भविष्य निधि, सवारी व्यय आदि शामिल हैं, नीचे दिया गया है :-

वर्ष	व्यय (रु.)
1991-92	89,568.00
1992-93	2,15,217.00
1993-94	4,19,619.00

(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर दिसम्बर 1992 तक प्रतिनियुक्ति शर्तों पर मंत्रालय के अधिकारी कार्य कर रहे थे और नियमित पदधारी ने केवल जनवरी, 1993 में कार्यग्रहण किया था)

(ङ) सरकार अनेक विकल्पों पर जिसमें हिन्दुस्तान वैजिटेबल आयल्स कार्पोरेशन लिमिटेड के सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में विलय की बात शामिल है, विचार कर रही है। कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

ताज एक्सप्रेस

4114. श्री अवतार सिंह भड़ाना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताज एक्सप्रेस को आते-जाते समय फरीदाबाद स्टेशन पर ठहराने के संबंध में गत कुछ महीनों के दौरान कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) चूंकि ताज एक्सप्रेस एक सुपरफास्ट गाड़ी है इसलिए दैनिक यात्रियों के लिए इसे फरीदाबाद आदि में ठहराव देने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

मुम्बई से पुणे तक नई रेल लाइन

4115. श्री अन्ना जोशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में मुम्बई से पुणे के बीच नई रेल लाइन बिछाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस लाइन के संबंध में सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या नई रेल लाइनों संबंधी रेलवे कार्यान्वयन समिति ने इस लाइन के निर्माण के लिए धनराशि के स्रोत का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) बंबई और पुणे के बीच तीन लाइनें मौजूद हैं। आगामी वर्षों में पनवेल-करजत लाइन पूरी हो जाने पर वाशी और पनवेल के रास्ते एक दूसरा गलियारा उपलब्ध हो जाएगा। यातायात के मौजूदा स्तर को संभालने के लिए इन दो शहरों के बीच और अधिक लाइनों की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा पहाड़ी भू-भाग होने के कारण बंबई और पुणे के बीच पश्चिम घाटों पर नई लाईन के निर्माण पर भारी पूंजी निवेश करने की आवश्यकता होगी और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल ऐसी किसी भी परियोजना पर विचार करना संभव नहीं हो सकेगा।

व्हाई पीपल विश टू अवायड जर्नी शीर्षक से समाचार

4116. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जुलाई, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में व्हाई पीपल विश टू अवायड जर्नी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां,

(ख) समाचार में उठाए गए मुख्य मुद्दे पूछ-ताछ और अन्य रेल कर्मचारियों के अभद्र व्यवहार, अपर्याप्त स्वच्छता और प्लेटफार्मों पर शौचालयों की अनुपलब्धता, प्लेटफार्मों पर अनधिकृत वेंडरों की उपस्थिति, दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों पर पंखों और प्रदर्श बोर्डों के ठीक प्रकार से कार्य न करने, आरक्षण कार्यालय में लंबी कतारों और आई० आर० सी० ए० आरक्षण कार्यालय में टोकन प्रणाली समाप्त करने आदि के संबंध में हैं।

(ग) यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए यात्रियों को संतोषजनक सेवा प्रदान करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। तत्पर और कुशल सेवा प्रदान करने के लिये महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ग्राहकों का ध्यान रखने संबंधी प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है और कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार के सभी मामलों के संबंध में दण्ड देकर कार्रवाई की जाती है। व्यस्त काल के दौरान यात्रियों को आरक्षण प्रदान करने में लगने वाला समय कम करने के लिए अतिरिक्त खिड़कियां खोली जाती हैं और कार्य घंटे बढ़ाए जाते हैं। आई० आर० सी० ए० आरक्षण कार्यालय से टोकन प्रणाली समाप्त कर दी गई थी क्योंकि टोकनों के गलत उपयोग के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं। आई० आर० सी० ए० आरक्षण कार्यालय में बैठने की व्यवस्था और महिलाओं, बुजुर्गों तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग काउंटरों का प्रबंध भी किया गया है। दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों पर यात्रियों के उपयोग के लिए पर्याप्त संख्या में शौचालय और मूत्रालय उपलब्ध हैं। नई दिल्ली स्टेशन के परिचलन क्षेत्र में एक सुलभ शौचालय के लिए मंजूरी भी दे दी गई है। कड़ी निगरानी द्वारा स्टेशन प्लेटफार्म, परिचलन क्षेत्र और शौचालयों की स्वच्छता सुनिश्चित की जा रही है, पूछ-ताछ काउंटरों पर कतारों की लंबाई कम करने के लिए दुतरफा माइक प्रणाली चलाई गई है, जिसके अलावा यात्रियों की सूचना और मार्ग-निर्देश के लिए जन उद्घोषणा प्रणाली पर नियमित उद्घोषणाएं की जाती हैं। नई दिल्ली स्टेशन के ऊपरी पैदल पुलों पर गाड़ी प्रदर्श बोर्ड संस्थापित किए गए हैं।

स्टेशन, मंडल तथा मुख्यालय स्तर के अधिकारियों से गठित सेवा सुधार दलों द्वारा नियमित निरीक्षण शुरू किए गए हैं।

अचानक जांच भी की जाती हैं और कोई अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेवार कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई शुरू की जाती है।

कर्नाटक में ऐतिहासिक स्थल

4117. श्री एस० बी० सिद्नाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान ने नए प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन स्थानों पर खुदाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इनमें पाई गई पुरातात्विक वस्तुओं का क्या ब्यौरा है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, हां।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जो प्राचीन ऐतिहासिक स्थल चुने गए हैं, वे हैं :-

कर्नाटक में ताल्लुक सिरसी, जिला उत्तर कन्नड़ के बनवासी कस्बे की चहार दीवारी के अन्दर और बाहर बड़े-बड़े टीले; ताल्लुक हिरेकेरूर, जिला धारवाड के येडगोड तथा श्रृंगवी ग्रामों के प्राचीन ऐतिहासिक स्थल; तेज सुल्तानपुर, गुलबर्गा, जिला गुलबर्गा स्थित मध्ययुगीन इमारतों के अवशेष तथा आंध्र प्रदेश में जुज्जुरू, जिला कृष्णा स्थित बौद्धस्थल; राजमुंद्री कस्बा, जिला पूर्व गोदावरी के चितरंगी महल में ऐतिहासिक टीले।

(ग) और (घ) वनवासी, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश में जुज्जुर, जिला कृष्णा और राजमुंद्री कस्बे के चितरंगी महल में परीक्षणात्मक खुदाई कार्य शुरू किया गया है।

बनवासी की खुदाई के ईसापूर्व पहली शताब्दी से ई॰ सन् 5वीं शताब्दी तक के सांस्कृतिक अनुक्रम का पता चला है। जो महत्वपूर्ण पुरावस्तुएं प्राप्त हुई हैं, वे हैं–सीसे के सिक्के, मनके, चुतु काल का हाथी दांत का कंघा; तांबे के सिक्के; सातवाहन काल के बरतन और पक्की मिट्टी की लघु मूर्तियां एवं प्रस्तर प्रतिमाऐं तथा कदम्ब काल का ईंटों से बना ढांचा।

जुज्जुरू, कृष्णा जिला में परीक्षणात्मक खुदाई-कार्यों से ब्राह्मी शिलालेख, उत्कीर्ण प्रस्तर-पट्टियां और स्तूप के शिखर के पत्थर प्राप्त हुए हैं तथा राजमुंद्री कस्बे में परीक्षणात्मक खुदाई से चालुक्यकाल की ईंटों से बनी बड़ी दीवार और बरतन मिले हैं।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

4118. श्री एस॰ एम॰ लालजान बाशा :

डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालय लम्बे समय से बिना कुलपतियों के चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ये विश्वविद्यालय कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में वर्तमान प्रशासन प्रणाली को कारगर और सुगठित बनाने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को छोड़कर सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति हैं। इं॰ गां॰ रा॰ मु॰ वि॰ के कुलपति का पद 14 जुलाई, 1994 को रिक्त हुआ है।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "प्रबंध के वैकल्पिक मॉडल" पर प्रो० ए० ज्ञानम की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की थी। के० मा० शि० बो० ने ज्ञानम समिति की रिपोर्ट की जांच के लिए डा० कर्षणदास सोनेरी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। के० मा० शि० बो० ने रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया तथा यह सर्वसम्मति थी कि विश्वविद्यालय प्रशासन को अधिक व्यावसायिक व प्रतिक्रियाशील बनाने के लिए शीघ्र सुधार करने की आवश्यकता है। तथापि, के० मा० शि० बो० ने यह भी महसूस किया कि कई मामलों पर व्यापक स्तर पर चर्चा करने की आवश्यकता थी।

रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम

4119. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुक्त विश्वविद्यालयों को ऐसी पाठ्यचर्या तैयार करने का निदेश दिया गया है जिसमें रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों पर अधिक बल दिया जा सकेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (वर्ष 1992 में यथा संशोधित) के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना, 1992 के अनुसार मुक्त अधिगम प्रणाली में रोजगार और स्व-रोजगार से जुड़े क्षेत्रों में शिक्षा और प्रशिक्षण पर तथा विभिन्न क्षेत्रों में पहले से ही नियुक्त व्यक्तियों की सतत शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान दिया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और डॉ० बी० आर० अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, यशवन्तराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय तथा कोटा मुक्त विश्वविद्यालय जैसे राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की सतत् शिक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे कुछ कार्यक्रम नीचे दर्शाए गए हैं :

1. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर कार्यक्रम**

- मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन
- मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इनफोर्मेशन साइंसेज

स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम

- मानव संसाधन प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
- वित्तीय प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
- कार्य प्रबन्धन (ऑपरेशन मेनेजमेंट) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
- विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
- कम्प्यूटर अप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

उच्च डिप्लोमा कार्यक्रम

- निर्माण प्रबन्धन में उच्च डिप्लोमा
- जल संसाधन इंजीनियरिंग में उच्च डिप्लोमा

स्नातक कार्यक्रम

- पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक डिग्री
- नर्सिंग में बैचलर ऑफ साइंस

डिप्लोमा कार्यक्रम

- प्रबन्धन में डिप्लोमा
- कार्यालय प्रबन्धन में कम्प्यूटर में डिप्लोमा
- **प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम**
- पर्यटन अध्ययन में प्रमाणपत्र

2. **डॉ॰ बी॰ आर॰ अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय**

स्नातकोत्तर कार्यक्रम

मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन

स्नातक कार्यक्रम

- पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री

3. **यशवन्तराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय व्यावसायिक डिग्री/डिप्लोमा**

- कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षा में बैचलर डिग्री।
- अप्लाइड इलेक्ट्रोनिक्स में डिप्लोमा

प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

- वर्ड प्रोसेसिंग में प्रमाणपत्र

4. **कोटा मुक्त विश्वविद्यालय**

व्यावसायिक डिग्री

- सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षा में बैचलर डिग्री

डिप्लोमा कार्यक्रम

- प्रबन्धन में डिप्लोमा
- पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में डिप्लोमा
- पर्यटन और होटल प्रबन्धन में डिप्लोमा

प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

- कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में प्रमाण पत्र

कलाकारों को वित्तीय सहायता

4120. श्री पी॰ कुमारासामी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेटर्स तथा कला क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत 1993-94 के दौरान

प्रत्येक राज्य में कितने समूह/व्यक्ति लाभान्वित हुए तथा 1994-95 के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने लाभान्वित होंगे; और

(ख) 1994-95 के लिए इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) "साहित्य, कलाओं एवं जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं उनके अश्रितों को वित्तीय सहायता की स्कीम" के अंतर्गत लाभान्वित हुए व्यक्तियों की कुल संख्या केन्द्र-राज्य/संघ शासित क्षेत्र कोटा के अधीन वर्ष 1993-94 के दौरान, संलग्न विवरण के अनुसार 437 है। वर्ष 1993-94 के दौरान व्यक्तियों को दी गई सहायता वर्ष 1994-95 के दौरान भी जारी रहेगी।

(ख) केन्द्र-राज्य/संघ शासित क्षेत्र कोटा के अधीन वर्ष 1994-95 के दौरान इस प्रयोजनार्थ 59.00 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम		1993-94
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	19
2.	असम	26
3.	बिहार	1
4.	चंडीगढ़	2
5.	गोवा	9
6.	गुजरात	5
7.	हरियाणा	3
8.	हिमाचल प्रदेश	3
9.	कर्नाटक	16
10.	केरल	81
11.	मध्य प्रदेश	24
12.	महाराष्ट्र	18
13.	मणिपुर	8
14.	मेघालय	2
15.	मिजोरम	3
16.	नागालैंड	2
17.	उड़ीसा	135

1	2	3
18.	पांडिचेरी	2
19.	पंजाब	8
20.	राजस्थान	18
21.	तमिलनाडु	1
22.	उत्तर प्रदेश	37
23.	पश्चिम बंगाल	14
		437

इमारतों के लिए आई० एस० आई० मानदण्ड

4121. श्री राम नाईक :

श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले** और **सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवासों/आवासीय फ्लैटों के क्रय और विक्रय के लिए भारतीय मानक संस्थान द्वारा क्षेत्र की सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पर्याप्त प्रचार देने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि नव-निर्मित मकानों/आवासीय फ्लैटों को बेचते समय बिल्डर आई० एस० आई० के मानदण्डों का पालन करें, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) भारतीय मानक ब्यूरो ने आई० एस० 3861 : 1975 "मैथड ऑफ मेजरमेंट आफ प्लिन्थ, कार्पेट एण्ड रेन्टेबल एरिया आफ बिल्डिंग्स" (पहला संशोधन) प्रकाशित किया है, जिसमें पुराने तथा नए भवनों के लिए करती क्षेत्र (प्लिंथ एरिया) फर्शक्षेत्र (कार्पेट एरिया) भाड़े के योग्य क्षेत्र जैसे प्रयोज्य मानक शब्दों की परिभाषाएं व मापन की पद्धतियां दी गई हैं।

(ख) और (ग) इस मानक के प्रावधानों का प्रेस प्रकाशनी (प्रेस रिलीज) के जरिए आवश्यक प्रचार किया गया है। शहरी विकास मंत्रालय तथा निर्माण गतिविधियों में लगे अन्य महत्वपूर्ण सहकारी संगठनों से अनुरोध किया गया है कि वे सभी संबंधितों से इस मानक के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

4122. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सिफारिश पर कोई "कार्यकारी दल" नियुक्त किया है जो प्राप्त हुए संशोधनों पर विचार करेगा तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में पाई गई खामियों को दूर करने का प्रयास करेगा;

(ख) यदि हां, तो इस "कार्यकारी दल" का ब्यौरा और गठन क्या है; और

(ग) इसकी सिफारिशें कब तक प्राप्त होने की संभावना है और उन पर कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार के नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने, अब तक प्राप्त अनुभवों तथा न्यायायिक निर्णयों के फलस्वरूप अनेकों मामलों में सामने आई कठिनाइयों के आलोक में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 और नियमों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता की जांच करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया है। इसके सदस्यों के सांसद, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि, व्यापार, उद्योग और किसानों के प्रतिनिधि, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों और उपभोक्ता कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि शामिल हैं। निबंधन और शर्तों के अनुसार कार्यदल को अपनी रिपोर्ट छः महीनों के भीतर प्रस्तुत करनी है।

सेंटर फार स्टडी ऑफ डेवेलपिंग सोसाइटीज को अनुदान

4123. श्री अनादि चरण दास : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन काउंसिल ऑफ स्पेशल साइंस रिसर्च ने सेंटर फॉर स्टडी डेवेलपिंग सोसाइटीज, दिल्ली को किस आधार पर 60.00 लाख रुपये का भवन अनुदान मंजूर किया है और एक दशक से भी पहले 15.00 लाख रुपये की राशि का अग्रिम प्रदान कर दिया जबकि उस समय उक्त केन्द्र के पास भवन निर्माण के लिए भूखंड तक नहीं था;

(ख) क्या आई सी॰ एस॰ एस॰ आर॰ ने भवन अनुदान के प्राप्तकर्ता को इस पर ब्याज लेने की अनुमति दी है, जैसा कि सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवेलपिंग सोसाइटीज, दिल्ली इस समय कर रहा है; और

(ग) क्या आई॰ सी॰ एस॰ एस॰ आर॰ ने सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवेलपिंग सोसाइटीज, दिल्ली की भवन निर्माण में असफलता को देखते हुए अनुदान वापस लेने का प्रयास किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) इण्डियन कांउसिल आफ सोशल सांईस रिसर्च (भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्) आई॰ सी॰ सी॰ एस॰ एस॰ आर॰ के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सैंटर फार स्टडी आफ डेवेलपिंग सोसाइटीज ने उक्त स्थल पर भवन निर्माण हेतु काउंसिल को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसके लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सी॰ एस॰ डी॰ एस॰ को अनुमानित लागत के आधार पर 60.00 लाख रु॰ प्रदान किए गए थे। आई॰ सी॰ एस॰ एस॰ आर॰ की रिसर्च इंस्टीट्यूट कमेटी ने पहली मार्च, 1986 को आयोजित अपनी 28वीं बैठक में इस प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में स्वीकृति प्रदान की। केन्द्र ने मार्च, 1986 में आई॰ सी॰ एस॰ एस॰ आर॰ एजेन्सियों के निर्माण के लिए पैसा देने के लिए अनुदान के लिए अनुरोध किया क्योंकि उन्हें यह उम्मीद थी कि उन्हें अप्रैल, 1986 में भूमि आवंटित की जाएगी। अत: आई॰ सी॰ एस॰ एस॰ आर॰ ने निर्माण के लिए 15 लाख रुपए का अनुदान जारी किया।

(ख) जी नहीं। इण्डियन कांउसिल आफ सोशल सांईस रिसर्च ने विधिवत् विचार के बाद अनुदान जारी किया तथा तभी जारी किया जब इसे प्रयुक्त किया जा सकता था। सी एस डी एस के मामले में, अनुदान को अपरिहार्य कारणों से प्रयुक्त नहीं किया जा सका। सी एस डी एस से कहा गया कि वह केन्द्र द्वारा समर्थित भवन के लिए प्राप्त अनुदान का एक अलग लेखा रखे तथा निधियों को केवल उसी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त करे जिसके लिए उन्हें संस्वीकृत किया गया है।

(ग) राजपुर रोड पर 4491 वर्ग गज के वर्तमान स्थल पर अतिरिक्त मंजिल के निर्माण के लिए सी एस डी एस की योजना को, आई सी एस एस आर की रिसर्च इंस्टीट्यूट कमेटी ने, आई सी एस एस आर द्वारा विस्तृत योजनाओं तथा अनुमान की जांच तथा अन्य सम्बद्ध औपचारिकताओं के पूरा होने पर ही नवम्बर, 1991 में अपनी स्वीकृति प्रदान की। सी एस डी एस को परामर्श दिया गया कि वह अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करे। (जो उन्होंने प्रस्तुत नहीं की) अथवा आई एस एस आर को अनुदान का भुगतान करे। इसके उत्तर में इस केन्द्र ने बताया कि उन्होंने दिल्ली नगर निगम को एक योजना प्रस्तुत की है, निगम ने केन्द्र से योजना में संशोधन करने के लिए कहा है। केन्द्र ने बताया कि उन्होंने जनवरी, 1994 में दिल्ली नगर निगम को संशोधित योजना प्रस्तुत कर दी है चूंकि आई सी एस एस आर के जनवरी, 1992 के नए अनुमोदन के अनुसार राजपुर स्थल पर भवन के निर्माण संबंधी सभी आवश्यक कार्य प्रारंभ कर दिए गए अत: सी. एस. डी. एस. ने आई सी एस एस आर से अनुरोध किया कि धन वापसी के लिए आग्रह न किया जाए।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

4124. श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव :

श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने में गहरी रुचि दिखा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है;

(ग) सरकार द्वारा उपभोक्ताओं से सम्बन्धित शिकायतें दूर करने के लिए कौन से अधिकरण गठित किए गए हैं अथवा किए जायेंगे; और

(घ) सरकार उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कौन-कौन से कड़े उपाय कर रही है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सरकार ने उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक उपाय किए हैं, इन उपायों में उपभोक्ता संरक्षण पर साहित्य का प्रकाशन तथा नि:शुल्क दूरदर्शन पर प्रदर्शित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण के बारे में वीडियो क्विकीज, वृत चित्र बनाना तथा आकाशवाणी के सभी वाणिज्यिक केन्द्रों से "अपने अधिकार" नामक एक साप्ताहिक कार्यक्रम का प्रसारण करना शामिल है। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य तथा क्षेत्रीय स्तरों पर संगोष्ठियां तथा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

(ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मे उपभोक्ता शिकायतों, जहां तक उनका सम्बन्ध दोषपूर्ण वस्तुओं अकुशल सेवाओं तथा अनुचित व्यापार पद्धतियों आदि से है, के प्रतितोष के लिए राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर तीन स्तरीय प्रतितोष एजेंसियां स्थापित करने की व्यवस्था है। इस मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में 31 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा 455 जिला मंच कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा एक राष्ट्रीय आयोग भी नई दिल्ली में कार्य कर रहा है।

(घ) उपभोक्ता तथा पंजीकृत उपभोक्ता संगठन कुछ उपभोक्ता संरक्षण कानूनों जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवास अधिनियम, 1954 तथा औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इन कानूनों में उन व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की व्यवस्था है, जो इनके उपबंधों का उल्लंघन करते हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित पद

4125. श्री भीम सिंह पटेल :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1994 के राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित "दलितों के हिस्से की रोटी अगड़ों की थाली में" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठनों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित पदों में से कितने पद रिक्त पड़े हैं और इनमें से अब तक कितने पद अनारक्षित किए जा चुके हैं; और

(घ) इन पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री कुमारी शैलजा : (क) और (ख) जी, हाँ।

समाचार में लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के 1474 पद रिक्त पड़े हैं। दो लेखा अधिकारियों के पद जिन्हें मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण विज्ञापित नहीं किया जा सका, को छोड़कर शेष पदों को विज्ञापित कर दिया गया है और चयन प्रक्रिया जारी है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों को अनारक्षित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

स्टील पाईपों की गुणवत्ता

4126. श्री भगवान शंकर रावत : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1994 में बी. आई. सी. एस. द्वारा बम्बई के एक गोदाम में डाले गए छापों के दौरान वहां पर बड़े स्तर पर नकली हल्की स्टील पाईपों का भण्डार पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो छापे के दौरान पाई गई ऐसी पाईपों की मात्रा तथा मूल्य क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) बी. आई. एस. स्तर के पाइपों का निर्माण करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हाँ। तथापि, इसमें यह बात शामिल कर ली जाए कि यह छापा भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों की शिकायत पर तथा उनकी सहायता/सहभागिता के साथ बम्बई पुलिस द्वारा मारा गया था।

(ख) 1 करोड़ रुपये के लगभग।

(ग) और (घ) चूंकि यह छापा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अतंर्गत बम्बई पुलिस द्वारा मारा गया है, अत: इस मामले मे अभियोजन से संबंधित सभी आवश्यक कार्रवाई उनके द्वारा की जानी है।

(ङ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत, उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी मृदु इस्पात ट्यूब (जोड़ रहित ट्यूबों और ए. पी. आई विशिष्टियों के अनुरूप ट्यूबों को छोड़कर) (गुणवता नियंत्रण) आदेश, 1978 के द्वारा विनिर्दिष्ट प्रकार की मृदु इस्पात ट्यूबों के निर्माण, ब्रिक्री इत्यादि की मनाही की गई है। जब तक कि वे सम्बन्धित भारतीय मानकों के अनुरूप न हों। इस गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करें।

भारतीय मानक ब्यूरो एक प्रमाणन चिह्न योजना चला रहा है जिसके तहत उन विनिर्माताओं को लाइसेंस मंजूर किए जाते हैं जो संगत भारतीय मानकों के अनुसार मृदु इस्पात ट्यूबों का निर्माण करते हैं। इस योजना के तहत लाइसेंस धारियों के कार्य-निष्पादन और उनके उत्पादों की गुणवत्ता की अनुवीक्षा की जाती है। इस योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सभी संभव उपाए किए जाते हैं।

केरल में स्मारकों का संरक्षण

4127. प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समग्र संरक्षण के लिए सैंट फ्रांसिस चर्च, सेंट अंजोला और बेकल के कोचीन फोर्ट, कण्णनोर और फोर्ट तालचेरी का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्मारकों के संबंध में अब तक पूरा किया गया संरक्षण कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धन राशि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या कार्यक्रम में किसी गैर सरकारी संगठन को शामिल किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री कुमारी शैलजा : (क) जी, हां।

(ख) स्मारकों के संबंध में पूरा किया गया संरक्षण कार्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) चालू वर्ष के लिए इन स्मारकों के संरक्षण तथा रखरखाव के लिए 4,98,000 रु॰ का आवंटन किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम संख्या	स्मारक का नाम	पूरा किया गया संरक्षण-कार्य
1.	सेंट फ्रांसिस चर्च, कोचीन	(i) लकड़ी के टूटे-फूटे हिस्सों की जगह नए हिस्से लगाने कि बाद चर्च के छज्जे और सायबान को उखाड़ कर फिर से खड़ा करना। (ii) मिहराबी छत के रिसाव को रोकना। (iii) स्मारक के चारों ओर की कुर्सी (प्लिन्थ) की जाँच करना।
2.	फोर्ट सेंट अंजोला	(i) नीवों की मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए ग्राएन वाल की व्यवस्था करना। (ii) किले की दीवार के गिरे हुए हिस्से का पुनर्निर्माण (प्रगति में)।
3.	बेकल फोर्ट, पल्लीकेवे	(i) प्रवेशद्वार की दीवार तथा चहारदीवारी के पूर्वी एवं पश्चिमी किनारों के गिरे हुए हिस्से का पुनर्निर्माण।
4.	फोर्ट तेल्लीचेरी	संरक्षण कार्य शुरू नहीं कराये जा सके, क्योंकि इमारत पर राज्य सरकार का कब्जा है।

बंगलौर में संगीत फव्वारा

4128. श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स : क्या रेल मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राइट्स (रेल इंडियन टेकनीकल एंड इकॉनामिक सर्विसेस) ने बंगलौर में संगीत फव्वारा स्थापित करना स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो यह संगीत फव्वारा कहां स्थापित किया जायेगा;

(ग) क्या मैसूर में राइट्स द्वारा ऐसा संगीत फव्वारा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) रेलवे द्वारा कुब्बोन पार्क, बेंगलूर में एक संगीत फव्वारे का निर्माण किया जा रहा है जिसके लिए राइट्स को समन्वय एजेंसी बनाया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

धुलाई के साबुन के मूल्य

4129. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में धुलाई के साबुन के उपभोक्ता मूल्यों में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली में धुलाई के साबुन और डिटरजेंट साबुन के पांच बड़े निर्माताओं का ब्यौरा क्या है और इन साबुनों की गत एक वर्ष के दौरान सुपर बाजार और केन्द्रीय भण्डार में कितनी मात्रा में बिक्री हुई, और

(घ) सरकार ने धुलाई के साबुन के मूल्यों में वृद्धि को न रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) दिल्ली में कपड़े धोने के साबुन के उपभोक्ता मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है। सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भण्डार दोनों में कपड़े धोने के साबुनों के विक्रय मूल्य में वृद्धि हुई है, क्योंकि उनके अधिप्राप्ति मूल्यों में बढ़ोतरी हुई है।

(ग) ऐसा कोई मानदण्ड उपलब्ध नहीं है, जिससे दिल्ली में कपड़े धोने के साबुन और कृत्रिम अपमार्जकों के शीर्षस्थ पांच विनिर्माता अभिनिश्चित किए जा सकें। विनिर्माताओं के नाम के अभाव मे सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भण्डार में बेची जाने वाली मात्रा बताना संभव नहीं है।

(घ) सरकार ने कच्ची सामग्री के आयात को उदार बनाया है और उन पर सीमाशुल्क में कमी की है। इन उपायों से कपड़े धोने के साबुन के मूल्यों में वृद्धि पर रोक लगने की आशा है।

[हिन्दी]

दिल्ली में मल निस्राव शोधन संयंत्र

4130. श्री राजेश कुमार :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में मल निस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई पायलट परियोजना शुरू की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस परियोजना के लिए अब तक कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 1990 मे छोटी औद्योगिक इकाइयों के समूहों में साझे बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए एक स्कीम

शुरू की थी। सरकार ने इस स्कीम के तहत दिल्ली में ऐसे दो औद्योगिक क्षेत्रों का पता लगाया है जहां साझे बहिस्रावी शोधन संयंत्र लगाए जा सकते हैं। ये हैं वजीरपुर और मायापुरी औद्योगिक एस्टेट्स। वजीरपुर में साझा बहिस्रावी शोधन संयंत्र के लिए 50 लाख रुपए की राशि का बंटन किया गया है। दूसरे साझा बहिस्रावी शोधन संयंत्र की अभी व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जानी है।

(ग) विश्व बैंक सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना चरण-1 के तहत 1991-1997 की अवधि के दौरान देश में साझे बहिस्रावी शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए 108 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई थी और औद्योगिक प्रदूषण निवारण परियोजना चरण-2 में 1995 से 2001 तक की अवधि के दौरान साझे बहिस्रावी शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए 150 करोड़ रु० की राशि आबंटित की गई है। इस स्कीम के तहत 25 प्रतिशत लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जानी है और अन्य 25 प्रतिशत लागत, अधिकतम 50 लाख रु० की सीमा के अध्यधीन, संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी है, तथा 30 प्रतिशत भाग आई. डी. बी. आई. से ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।

वैगन इन्डस्ट्री में गंभीर संकट

12.00 मध्याह्न

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह मुद्दा सिर्फ देश के कतिपय औद्योगिक एककों से ही जुड़ा नहीं है बल्कि भारतीय रेल का भावी भविष्य एवं 60,000 रेल कर्मियों का भविष्य भी इससे जुड़ा है।

महोदय, मैं देश के वैगन उद्योग में घोर संकट का मामला उठा रहा हूं। देश का 80 प्रतिशत वैगन उद्योग पूर्वी क्षेत्र (पूर्वी भारत) में स्थित है। महोदय, वैगन निर्माण उद्योग निश्चय ही रेल मंत्रालय की पहल पर विकसित हुआ क्योंकि रेलवे को वैगनों की आवश्यकता है। पांच प्रमुख वैगन निर्माताओं में से दो सरकारी क्षेत्र में हैं तथा तीन निजी क्षेत्र में हैं जिसमें 60,000 कर्मचारी कार्यरत हैं।

जहाँ तक सातवीं पंचवर्षीय योजना का सवाल था, 17,000 से 20,000 चौपहिए वैगनों का निर्माण किया गया। रेल मंत्रालय ने इन औद्योगिक एककों को अपने काम का विस्तार करने तथा संशोधनों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि ऐसा अनुमान था कि अधिक से अधिक वैगनों की आवश्यकता पड़ेगी।

जहां तक आठवीं पंचवर्षीय योजना का सवाल है 1,50,000 वैगन एककों अर्थात् 30,000 वैगनों का प्रतिवर्ष निर्माण का लक्ष्य रखा गया। वैगन उद्योगों को वैगनों की बढ़ी हुई आवश्यकता की पूर्ति हेतु उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विशेष रूप से कहा गया और उन्होंने ऐसा किया। उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गयी। तीन वर्षों तक के लिए उत्पादन लक्ष्य पहले ही निर्धारित कर दिए गए। उन्होंने तीन वर्षों तक के लिए आर्डर पहले ही देने का प्रस्ताव किया ताकि वे वैगनों के निर्माण कार्यक्रम को तैयार कर उसकी समय पर आपूर्ति कर सकें। जहाँ तक गुणवत्ता का मामला है इन एककों द्वारा देश में निर्मित वैगनों की गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली।

अब स्थिति यही है। जहां तक आठवीं पंचवर्षीय योजना का सवाल है–इसका चौथा वर्ष चल रहा है। पहले वर्ष में अनुमानित 30,000 एककों की आवश्यकता थी जो वास्तव में घट कर 26,261 एकक हो गयी और 1993-94 के लिए 30,000 एककों के बजाए 19,500 हो गयी। लेकिन इस वर्ष तो स्थिति आपाती हो गयी है।

पंचवर्षीय योजना के प्रावधानों के अनुसार 1994-95 में रेलवे को 30,000 वैगनों की आवश्यकता है। इस वर्ष 1994-95 के दौरान रेल बजट में, जैसा कि माननीय रेल मंत्री ने कहा, घटा कर इसकी संख्या 18,000 कर दी गयी है। महोदय, आज 24 अगस्त 1994 है। बजट के बाद छः माह का समय बीत चुका है। अब तक केवल 6,000 से 7,000 वैगनों का ही आर्डर दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय इसे मानें या नहीं लेकिन ये आर्डर काफी दबाव प्रतिवेदनों तथा मुख्य मंत्रियों द्वारा पत्र लिखे जाने के बाद दिए गए हैं। हम लोग प्रधान मंत्री से मिले थे। पश्चिम बंगाल से एक सर्वदलीय शिष्टमंडल आया था। इसमें सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि शामिल थे। इसका चयन पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा सर्वसम्मत रूप से एक संकल्प पारित करके किया गया था। हम लोग उन सबों से मिले। महोदय, हमें मधुर आश्वासनों के सिवा कुछ नहीं मिला। सब का कहना है, "हम मामले की जांच करेंगे।" अब 6,000 अथवा 7000 वैगनों के आर्डर के आधार पर यह उद्योग कैसे चल सकता है।

अब स्थिति ऐसी है कि एक परेशानी की स्थिति बन गई है। दो और एककों को इस उद्योग के अन्दर लिए जाने की मांग की गयी है। एक मैसर्स सदन स्ट्रक्चरल्स है और दूसरा मेसर्स बिन्नी इंजिनियरिंग मद्रास है। उन्हें इन एककों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कहा जा रहा है। अतः हम लोग इसके उत्पादन किए जाने के सम्बन्ध में किसी एकक के विरुद्ध नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है कि वर्तमान एकक रुग्ण हो रहे हैं और बंद होने के कगार पर हैं। फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। महोदय, पुराने वैगन और पुराने हो रहे हैं। इसे कानून की भाषा में कहते हैं कि प्रश्न ही समाप्त होता है। यह स्पष्ट है कि दोषपूर्ण चौपहिया वैगनों की संख्या 3,35,000 है और सरकार द्वारा दर्शाए गए आर्थिक विकास के कारण बढ़े हुए माल की ढुलाई के लिए कम से कम प्रतिवर्ष 5,000 से 6,000 अतिरिक्त वैगनों की आवश्यकता का अनुमान है। इसलिए अब रेलवे का न्यूनतम आर्डर स्तर 23,000 से 24,000 वैगन प्रति वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार 30,000 वैगनों की प्रतिवर्ष आवश्यकता है। अब एक मात्र दलील जो पेश की जा रही है वह यह है कि रेल द्वारा माल ढुलाई में काफी कमी आई है और अनुमानतः 7,000 वैगनों की आवश्यकता भी नहीं रह गयी है।

महोदय, एक गंभीर आलोचना यह की गयी है कि आज इस देश की बहुमुल्य विदेशी मुद्रा का उपयोग कर सड़क लाबी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है क्योंकि अभी आयात किया जाना है। इसीलिए सड़क लाबी में वृद्धि एवं विस्तार हो रहा है क्योंकि रेल माल परिवहन का कार्यकरण दोषपूर्ण है। इस तथ्य के अलावा, एक समस्या भी है। अब वैगनों की खरीद संख्या में कमी आई है और इसमें कुछ विफलताएं भी हैं। ढुलाई किए जाने वाले माल के बारे में आंकड़े भी नहीं दर्शाए जाते। स्थाई समिति ने एक सर्वसम्मत सुझाव देते हुए कहा है कि संभावित योजना को तैयार किया जाना चाहिए। कितने माल की ढुलाई की जा सकती है इसके बारे में अवश्य ही आंकलन किया जाना चाहिए। और योजना उसी आधार पर बनायी जानी चाहिए। वर्तमान एककों की स्थापना एवं इसके

विस्तार किए जाने की अनुमति सरकार ने इस उद्देश्य से दी है कि वैगनों की आपूर्ति की जा सके। इस देश में किस तरह के आर्थिक क्रियाकलाप हो रहे हैं ? और इस देश में आर्थिक क्रियाकलापों के भविष्य के बारे में रेल मंत्रालय ने यह तथ्य प्रस्तुत किया है कि पूरे वर्ष के दौरान वैगनों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अनुसार 6,000 अथवा 7,000 से अधिक वैगनों की आवश्यकता है और उनका कहना है कि संख्या बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत की गयी है।

महोदय, स्थायी समिति की सिफारिशों पर हम लोगों ने निश्चय ही कुछ टीका-टिप्पणी की है। किसी ने इसकी जांच नहीं की है। मुझे इस बात की शिकायत है। समिति ने इस बात की शिकायत की है। मैं इसे यहां विस्तार से नहीं उठा रहा हूं। लेकिन महोदय, माननीय रेल मंत्री ने अभी क्या उत्तर दिया। माननीय मुख्य मंत्री उनसे एक से अधिक बार मिल चुके हैं। हमलोग उनसे एक से अधिक बार मिल चुके हैं। हम माननीय प्रधान मंत्री से मिले हैं और उद्योग मंत्री जी से भी मिले हैं। अब हमलोग इसे सदन में उठा रहे हैं। माननीय रेल मंत्री जी जाफ़र शरीफ़ ने कहा है कि लगभग दो वर्षों से माल ढुलाई में अनुमानित वृद्धि नहीं पायी गई है। कितना अनुमान किया गया था ? कितनी वास्तविक राशि अर्जित की गयी, और क्या इसके फलस्वरूप वैगनों की वर्तमान उपलब्धता वर्तमान माल की ढुलाई हेतु पर्याप्त है और क्या अतिरिक्त वैगनों की आवश्यकता नहीं है ? सरकार इस देश के लिए कैसी योजना तैयार कर रही है।

इस देश में हम कैसी योजना तैयार कर रहे हैं और किस तरह के निर्णय लिए गए हैं ? ये निर्णय किस आधार पर लिए गए ? 30,000 वैगनों की आवश्यकता दर्शायी गई। फिर भी, वर्तमान पंचवर्षीय योजना पर हालांकि इस पर बहस करने का मौका नहीं है और इसके लिए मैं पीठासीन अधिकारी को दोष नहीं देता–हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और क्या इसके लिए रेल विभाग से विचार विमर्श किया गया ? रेल विभाग की स्थिति ऐसी ही है कि जब उन्हें 30,000 वैगनों की आवश्यकता होती है तो वे 7,600 के लिए आर्डर देते हैं और उनका कहना है "हालांकि वैगन निर्माण एककों की परेशानियों को कम करने के लिए रेलवे ने पहले ही 7,600 चौपहिया वैगनों के आर्डर दिए हैं"–आवश्यकता के अनुरूप नहीं बल्कि बस उदारता स्वरूप–"इसके अतिरिक्त 1800 चौपहिया वैगनों की खरीद हेतु निविदा पर विचार किया जा रहा है और अंतिम रूप से निर्णय ले लिए जाने के बाद आर्डर दिए जाएंगे।"

लेकिन कुछ हुआ नहीं। यह पत्र 19 जुलाई का लिखा है और अब भी जाफ़र ने कुछ अच्छी सलाह दी है कि वैगन निर्माण एककों की क्षमता के अधिकतम प्रयोग किए जाने हेतु कोई अन्य तरीका ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। उनका कहना है "विविधीकरण" किया जाए।

यह एक आश्चर्यजनक बात है। पहली बार हमलोग सुन रहे हैं कि वैगनों की आवश्यकता नहीं है। एक निर्णय भी लिया गया, एक तरह का निर्णय लिया गया था कि निजी क्षेत्र से 2,000 वैगनों के निर्माण किए जाने के लिए कहा जाएगा। लेकिन निजी क्षेत्र में भी उनका उत्पादन किया जाएगा। कोई अन्य आधुनिक औद्योगिक एकक नहीं है। कोई भी दूसरा एकक नहीं है जहां वैगनों का निर्माण किया जा सके। किन्तु गैर सरकारी क्षेत्र से भी कोई उत्तर नहीं मिला है। वे भी वैगनों के निर्माण का आदेश नहीं दे रहे हैं।

महोदय, एक उद्योग में 60,000 लोग कार्यरत हैं जिसमें केवल वैगनों का ही निर्माण किया जाता है। वे लम्बे समय से इनका निर्माण कर रहे हैं और उनके निर्माण की गुणवत्ता के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं मिली है और कभी भी यह शिकायत नहीं मिली कि उन्होंने अपने कर्त्तव्य और कार्य का निर्वाह सही ढंग से नहीं किया है। वे यह बात भी नहीं कहते कि इन वैगनों का किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।

अत: यह कहा जा सकता है कि संकट का व्यापक रूप से प्रभाव पड़ेगा। साठ हजार लोगों का मामला है। वे भारतीय ही हैं। वे भी हमारे ही देश के नागरिक हैं। उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। वे लोग अपराधी नहीं हैं। वे आतंकवादी भी नहीं हैं। वे कठिन परिश्रम के द्वारा इसी देश में जीवन यापन करना चाहते हैं। रेलवे इस देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है और उसे वैगनों की आवश्यकता भी पड़ती रहती है। यह सरकार रेलवे को किस प्रकार से चलाना चाहती है ? रेल मंत्रालय देश में रेल प्रणाली को किस प्रकार से चलाना चाहता है और जब उनके पास पर्याप्त संख्या में वैगन ही नहीं होंगे तो वह माल की ढुलाई कैसे करेगा ?

इसलिए वह अपने माल ढुलाई के अधिकार को ही गंवा रहा है। माल ढुलाई के अवसरों को ही गंवा रहा है और इससे वह या तो इस कार्य को सड़क लाबी के हवाले कर रहा है अथवा इसके साथ-साथ गैर-सरकारी विमान कम्पनियों को सौंप रहा है जो हमारे यहां आ रही हैं। वे भी इस अवसर का उपयोग कर सकते हैं।

महोदय, मेरा यह आरोप है कि इस सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह इस सभा और सम्पूर्ण राष्ट्र को ही इस सम्बंध में स्पष्टीकरण दे। वे पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित इस लक्ष्य को किस प्रकार से हासिल करने का इरादा रखते हैं ? फरवरी में इस वर्ष के बजट में 18,000 वैगनों के लक्ष्य को हासिल करने हेतु किए गए प्रावधान को किस प्रकार से हासिल करेंगे ? फरवरी में उन्होंने 18,000 वैगनों की गणना की थी तो अब जुलाई में यह संख्या 7,600 कैसे हो गई है ? यहां बजट किस ढंग से तैयार किया जा रहा है ?

इसलिए मेरी यह मांग है कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे। मैं यह मांग करता हूं कि सरकार इन इकाइयों का क्रयादेश दे। अन्यथा 60,000 लोग, जिनमें से अधिकतर पश्चिमी बंगाल में हैं इससे पीड़ित होंगे और यह कानून और व्यवस्था की स्थिति के लिए भी एक चेतावनी है। वे लोग क्या करेंगे ? बिना किसी स्वयं के कसूर के साठ हजार लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है क्योंकि सरकार उनसे कह रही है कि वे कोई अन्य कार्य की तलाश करें। यह कुछ और नहीं बल्कि एक मजाक है, यह कुछ नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी से भागने के समान है। सरकार उन्हें यह कहकर संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है "मैंने तो आपकी मदद करने का प्रयास किया था। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। आप जहां चाहें वहां जाए और जिस चीज का निर्माण करना चाहे, वह करें।"

एक अत्यधिक विवादास्पद स्थिति पैदा हो गई है। मैं आपका आभारी हूं और मुझे इस बात की जानकारी है कि हमें अधिक समय नहीं मिला है। किन्तु मैंने इस मामले को यहां उठाया है। मेरा यह अनुरोध है कि माननीय मंत्री महोदय को इसका व्यापक उत्तर देना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, रेल मंत्री के साथ पत्र-व्यवहार अथवा उनसे चर्चा के दौरान मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है और उनका यही कहना है कि उन्हें वैगनों की आवश्यकता नहीं है।

.....(व्यवधान).....

हमें वैगनों की तो अत्यधिक आवश्यकता है किन्तु हमें धन नहीं मिला है। यही बात वे कह रहे हैं। उन्हें धन तो मिल गया है किन्तु वैगनों की जरूरत नहीं है। यही बात वे पहले कह रहे थे।

मैंने 23 जून को माननीय रेल मंत्री महोदय को एक पत्र लिखा था जिसमें मैंने यह उल्लेख किया था कि मेरे ध्यान में यह बात आई है कि रेल मंत्रालय की एक कानकोर (सी ओ एन सी ओ आर) नामक सहायक कम्पनी ने कन्टेनर परिवहन के लिए 1500 फलैट वैगनों का आयात करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय निविदा जारी की थी और यह निविदा 15 जुलाई को खोली जानी थी। 1500 वैगनों की अनुमानित लागत 200 करोड़ रुपए बनती है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उस निविदा तथा इस मामले का आगे क्या हुआ। किन्तु महोदय मैं तो यह कह रहा हूं कि रेलवे परिवहन के आधुनिकीकरण के लिए सभी लोग जानते हैं कि कंटेनरों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। कन्टेनर ट्रैफिक के बिना कोई भी आधुनिक रेल प्रणाली कार्य नहीं कर सकती। इस देश में रेल प्रशासन यह तर्क दे रहा है कि वह संसाधनों की कमी को देखते हुए पुरानी किस्म के वैगनों के लिए आदेश नहीं दे सकता। वे आंकड़े मेरे अपने नहीं हैं। उन्होंने स्वयं ही कन्टेनरों के लिए 1500 फ्लैट वैगनों के आयात हेतु निविदा जारी की थी जैसे कन्टेनरों के लिए फ्लैट वैगनों का इस देश में निर्माण नहीं किया जा सकता हो। जब बाक्स वैगन और अन्य किस्म के वैगनों का निर्माण किया जा सकता है, तो फिर वाहक कंटेनरों के लिए फ्लैट वैगनों का निर्माण तो आसानी से किया जा सकता है। किन्तु वे आयात को प्राथमिकता दे रहे हैं। वे 200 करोड़ रुपए की लागत से 1500 वैगनों का विदेशों से आयात कर रहे हैं। माननीय रेल मंत्री महोदय ने 1994-95 में माल ढुलाई किए जाने संबंधी कार्यक्रम संसद में रखा। 2,000 बाक्स वैगनों को 30,000 रुपए प्रति वैगन की लागत पर कन्टेनर वैगन में परिवर्तित किए जाने का प्रावधान है। अत: यह बात स्पष्ट है कि उन्हें वाहक कंटेनरों के लिए कन्टेनर वैगन अर्थात् फ्लैट वैगनों की आवश्यकता है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वे सभा को यह बताएं कि कन्टेनर वाहक परिवहन के लिए फ्लैट वैगनों के संबंध में उनकी जरूरत कितनी है और वे हमारे अपने स्वदेशी कारखानों को ऐसे कितने फ्लैट वैगनों के लिए आदेश देना चाहते हैं। यदि वे इन्हें यहां आदेश नहीं देते और विदेशी मुद्रा खर्च करके आयात के प्राथमिकता देते हैं, तो इसके पीछे क्या तर्क है और यह राशि विदेश क्यों जाने दी जा रही है ? इसका अभिप्राय यह हुआ कि हमारे कर्मचारियों की नौकरियों का ही निर्यात किया जा रहा है। वे हमारे लोगों को काम देने की बजाय वे विदेशी मुद्रा खर्च करके विदेशियों को नौकरियां देने को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह बहुत ही असहनीय स्थिति है।

हमें पहले उनके आयात कार्यक्रमों के बारे में बताया गया था। इनमें बाक्स वैगनों अथवा फ्लैट वैगनों के बारे में जिक्र किया गया था। फ्लैट वैगन के बारे में यह हो सकता है कि हमेशा देखने में अच्छे न लगे। इनके बारे में उनकी कोई नई तरह की सोच नहीं है क्योंकि इनका उपयोग कन्टेनर वाहक के रूप में किया जाता है।

किन्तु माननीय मंत्री महोदय को हमें यह बताना चाहिए कि उन्होंने अगले वर्ष अथवा दो अथवा पांच वर्षों तक के लिए कन्टेनर वैगनों की आवश्यकता के संबंध में क्या लक्ष्य रखा है। कन्टेनर वैगन के बिना उनके लिए अब कन्टेनर परिवहन सम्भव नहीं होगा। यदि आप किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाएं, तो देखेंगे कि सड़क पर चलने वाले वाहनों ने भी कंटेनर लगा रखे हैं। कन्टेनरों का लाभ बहुत है। वे कन्टेनर किसी भी स्थान से गन्तव्य स्थान तक माल पहुंचा देते हैं और माल मंगाने वाले को अपना माल लेने के लिए किसी रेल डिपो अथवा गोदाम अथवा किसी अन्य स्थान पर नहीं जाना पड़ता है। उसके दरवाजे तक ही माल पहुंचा दिया जाता है। यह एक आधुनिक प्रणाली है और इसका कई अग्रणी देशों में वर्षों से उपयोग किया जा रहा है। हमने तो इसे हाल ही में अपनाया है। इन कन्टेनर वैगनों का निर्माण करना आसान कार्य है क्योंकि ये सीधे-सपाट वैगन होते हैं। इन्हीं के ऊपर कन्टेनर रख दिए जाते हैं। अब वे इनका बाहर से आयात कर रहे हैं जबकि हमारे बेथवेट, बर्न और जेसोप आदि वैगन निर्माण कारखानों में क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है, जो कि अत्यधिक पुराने और अच्छी साख वाले कारखाने हैं और एक समय ऐसा भी था जब इनके उत्पाद पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध थे। ये कम्पनियां ब्रिटिश काल से चल रही हैं और हैवी इंजिनियरिंग तथा ढांचागत इंजिनियरिंग के मामले में इस देश में आज भी इनका कोई सानी नहीं है। उन्हें कन्टेनर परिवहन हेतु इन फ्लैट वैगनों के लिए आदेश देने की बजाय उन्होंने अपने माल ढुलाई कार्यक्रम में यह बात स्वीकार की है वे 200 करोड़ रुपए की लागत से 1500 फ्लैट वैगनों का इसी वर्ष में आयात करने जा रहे हैं और बाक्स वैगनों को कन्टेनर फ्लैट वैगनों में परिवर्तित करने पर भी कुछ हजार करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करेंगे। सभी कार्य यहां पर किए जा सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे लोग नहीं कर सकते हों। हमारे पास कुशल श्रमिक हैं, हमारे पास तकनीकी कर्मचारी हैं, हमारे पास इन कारखानों में उपस्कर तथा अन्य सभी चीजें भी उपलब्ध हैं। इसीलिए में उनसे यह बात जानना चाहता हूं कि वे इन कम्पनियों को जिन्हें विधिक दृष्टि से क्रयादेश हासिल करने का अधिकार है, वंचित रखते हुए वे आयात के लिए कार्यक्रम बना रहे हैं और रेल ट्रैफिक को सड़क की ओर क्यों उन्मुख कर रहे हैं। जैसा कि चटर्जी ने कहा है कि हो सकता है इस सब के पीछे एक शक्तिशाली लाबी काम कर रही हो। किन्तु हम यह जानना चाहते हैं कि इस देश में हमारी अपनी कम्पनियों की स्थापित क्षमता और निर्माण क्षमता को बेकार क्यों जाने दिया जा रहा है और इन्हें खत्म किया जा रहा है और इसके बदले में इन फ्लैट वैगनों के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च करने को किसलिए प्राथमिकता दी जा रही है। उन्हें हमें यह बताना चाहिए कि इस सारे मामले में सच्चाई क्या है।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सोमनाथ चटर्जी और इन्द्रजीत मुद्रा जी ने जो मामला सदन में उठाया है, उसके सम्बंध में मैंने भी नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय, रेलवे मंत्रालय के अधीन ही ये यूनिट्स चल रहे थे और वहां काम होता था। उनमें से 4 यूनिट्स पब्लिक सैक्टर में थे और कुछ प्राईवेट सैक्टर में भी थे। उनकी कैपेसिटी के अनुसार अगर उन्हें आर्डर दिये जायें तो आज भी वह उद्योग बच सकता है। एक तरफ तो रेल मंत्री जी जब मांग उनसे की जाती है तो यही उत्तर देते हैं कि वैगनों की शीटॅज के कारण हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने पिछले दिनों लिखा था कि हिमाचल

प्रदेश में मटर और दूसरी सब्जियां बाहर ले जाने के लिये किसानों ने डिमांड की है उसकी व्यवस्था की जाये तो मुझे बताया गया कि वैगनों की शीर्टेज है लेकिन दूसरी तरफ विदेशी कम्पनियों को आर्डर दिये जा रहे हैं। जैसा मेरे साथियों ने प्वाइंट आउट किया कि जहां 30 हजार वैगनों की आवश्यकता थी और 18,000 वैगनों के बारे में तो मंत्री जी ने फरवरी में कहा था कि हमें आवश्यकता है लेकिन अब 7600 वैगन्स के लिये आर्डर दिया जा रहा है जिसके परिणामस्परूप वैस्ट बंगाल के अनेकों यूनिट्स बंद होने जा रहे हैं और यह केवल वैगन इंडस्ट्री की ही बात नहीं है बल्कि उससे जुड़ी हुई एंसीलियरी इंडस्ट्रीज के बंद होने का भी खतरा उत्पन्न हो गया है क्योंकि वे भी इन यूनिट्स पर डिपेंड करती है। अनेक प्राइवेट लोगों ने ऐसे छोटे-छोटे एंसीलियरी उद्योग लगा रखे हैं लेकिन इन यूनिट्स के बंद होने से अब वे भी बंद हो जायेंगे।

मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि इन उद्योगों की जितनी स्थापित कैपेसिटी है, उसके अनुसार उन्हें आर्डर प्लेस किये जायें। एक ओर तो हमारी रेलवे कंवैशनल कमेटी ने युनैनिमसली रिकमेंडेशन की है लेकिन उसके बावजूद सरकार बी बी ईंजिन इम्पोर्ट करने का आर्डर देने के लिये तैयार है जबकि अपने ही देश में वैगन इंडस्ट्री बंद होने जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि आप कोई दूसरा काम ढूंढो। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि हमारे देश की वैगन इंडस्ट्री को तबाह होने से बचाया जाये तथा रेलवे मंत्रालय उन्हें कैपेसिटी के अनुसार आर्डर दे।

[अनुवाद]

डा० देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : महोदय, रेलवे प्राधिकारियों की भारतीय उद्योगों, विशेषत: पश्चिम बंगाल और पूर्वी क्षेत्र में वैगन उद्योग, से आपूर्ति न कराने की प्रवृत्ति के कारण इन दिनों वैगन उद्योग में संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वैगन उद्योग ने विशेषज्ञता विकसित की है। ये उद्योग रेलवे विभाग को कई वर्षों से वैगनों की आपूर्ति करते रहे हैं और रेलवे विभाग इनका प्रमुख ग्राहक है। रेलवे विभाग की मांग के कारण ही वैगन उद्योग ने अपने उत्पादन का विस्तार किया है। ब्रेथवेट, बर्न एंड जेस्सप्स कंपनियां सरकारी क्षेत्र के ऐसे, प्रमुख उपक्रम हैं जो विभिन्न प्रकार के वैगनों के निर्माण में विशेषज्ञता प्राप्त हैं। ये सरकारी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियां भी रेलवे को वैगनों की आपूर्ति करती रही हैं। जैसा कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने बताया है, इस उद्योग में भारी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं। कृपया माननीय रेल मंत्री यह बताएं कि इस समय उद्योगों से वैगनों की आपूर्ति न कराये जाने के क्या कारण हैं। इन उद्योगों की कार्यकुशलता पर कोई प्रश्न चिह्न नहीं लगा सकता है। यह सभी लोग जानते हैं कि कलकत्ता स्थित रेल पुल, का निर्माण इन कंपनियों, जैसे ब्रेथवेट, जेसप्स और विशेषत: बर्न एंड कंपनी, से प्राप्त हुई सामग्री से किया गया है। इस समय भी इनका कार्य अच्छी किस्म का है।

इसमें कमी नहीं आई है। इसके बावजूद, रेलवे इन कंपनियों द्वारा आपूर्ति कराये जाने का आर्डर क्यों वापस लेने की कोशिश कर रहा है ? इतना ही नहीं, परन्तु जैसा कि बताया गया है योजना आयोग ने स्वयं ही लगभग 30,000 वैगनों के लिए सिफारिश की है। इसे क्यों दबा दिया गया ? इस समय पूरे उद्योग की स्थिति संकटपूर्ण है। इसके परिणाम स्वरूप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आपूर्ति के लिए आर्डर नहीं मिल रहे हैं, वैगन उद्योग

का प्रमुख ग्राहक रेलवे है। यदि रेलवे द्वारा वैगनों की आपूर्ति के लिए इन कंपनियों को आर्डर नहीं भेजे जायेंगे तो अंतत:, ये एकक बंद हो जायेंगे और इन कंपनियों के बंद हो जाने के कारण पश्चिम बंगाल में कई हजार कर्मचारी पूरी तरह से बेरोजगार हो जायेंगे।

अत:, मैं माननीय रेल मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर गम्भीरता से विचार करें। ऐसे कोई कारण नहीं है जिनके फलस्वरूप रेल मंत्रालय को विभिन्न देशों से अपने लिए सामग्री की आपूर्ति करानी पड़े जबकि भारतीय उद्योग, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आर्डर नहीं मिल रहे हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं। रेल विभाग विभिन्न क्षेत्रों में नए वैगन उद्योग विकसित करने का विचार क्यों कर रहा है ? यदि इनकी मांग बहुत अधिक होती और ये कंपनियां ऐसी मांग को पूरा करने की स्थिति न होती तो कोई बात नहीं थी; ऐसी दशा में रेल मंत्रालय द्वारा कुछ अन्य क्षेत्रों में वैगन उद्योग का विस्तार करने का विचार किया जा सकता है। परन्तु, इतने पुराने उद्योग, जिसने अपनी कार्य कुशलता दर्शायी है, के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जाता है ?

इस मामले पर माननीय रेल मंत्री द्वारा अत्यधिक गम्भीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है अन्यथा पश्चिम बंगाल के हजारों लोग रोजगार से हाथ धो बैठेंगे। अत:, मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करुंगा कि वे इस मामले पर सावधानी से विचार करें और इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अधिक मात्रा में क्रयादेश दें।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं अन्य सहयोगियों के साथ यह मांग करता हूं कि माननीय रेल मंत्री द्वारा तत्काल निर्णय करके वैगन बनाने वाले उद्योग को आर्डर दें। इस गहरे संकट के कई पहलू हैं। पहला पहलू उद्योग की क्षमता है। यह स्वीकार किया गया है कि इस उद्योग की कुल क्षमता लगभग 35,000 वैगनों का निर्माण करने की है जिसमें रेलवे वर्कशाप की क्षमता भी शामिल है इस संदर्भ में हमें कुल आवश्यकता का भी ध्यान रखना चाहिए। योजना आयोग.....

अध्यक्ष महोदय : इसकी पहले ही व्याख्या कर दी गई है।

श्री चित्त बसु : यह सुझाव दिया गया है कि हमें वर्ष में कम से कम 30,000 वैगनों की आवश्यकता होगी। इतना ही नहीं परन्तु, हमने अनुभव से यह भी देखा है कि बहुत पुराने वैगनों का इस्तेमाल हो रहा है। वैगनों के पुराने हो जाने के कारण अनुमानत: लगभग गई हजार नए वैगन प्रतिस्थापित किए जाते हैं। गत वर्ष वैगनों के बहुत पुराने हो जाने के कारण लगभग 35,000 वैगनों की मांग की गई थी। इनके स्थान पर नए वैगन लिए जाने की आवश्यकता है। अत:, योजना आयोग के अनुमान के अलावा और अधिक वैगन निर्मित किए जाने की आवश्यकता है।

हमारे देश में बढ़ते हुए आर्थिक क्रियाकलापों के कारण किराये में वृद्धि को पूरा करने के लिए अतिरिक्त रूप से 5-6 हजार वैगनों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

अत:, महोदय भारतीय रेलवे द्वारा इस उद्योग को दिए जाने वाले आदेश में कटौती का कोई औचित्य नहीं है। यदि इस निर्णय में संशोधन नहीं किया जायेगा तो इसका अत्यधिक घातक प्रभाव पड़ेगा। इससे छंटनी इकाई बंद होने आदि के कारण रोजगार के अवसरों में कटौती होगी।

अध्यक्ष महोदय : इन प्रश्नों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री चित्त बसु : इससे परिवहन में गतिरोध उत्पन्न होगा और अंततः, इससे हमारे देश में औद्योगिकीकरण का विकास धीमा हो जायेगा। अतः, सरकार द्वारा अपने निर्णय में संशोधन किया जाए और वैगन के लिए आर्डर भेजे जाएं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, सोमनाथ चटर्जी ने अभी जो वैगन के संबंध में सवाल उठाया है उस सवाल पर सैंकड़ों एम. पीज़ ने और बंगाल को, खासकर इस इण्डस्ट्री को एक तरह से कहना कि उनकी लाइफ लाईन है। यह जो वैगन की सप्लाई का मामला है, उसको रेलवे आर्डर नहीं दे रही है। यह बहुत गंभीर मामला है और इस मामले को कई बार, कई स्तर पर और कई तरह से उठाया गया है। रेलवे मिनिस्ट्री इस पर किस तरह से गंभीर नहीं है। मैं इसके विपरीत विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे प्रिंट पेपर्स हो, फर्टिलाइजर हो, टेक्सटाइल हो, का एक समय निश्चित करना चाहिए। हिन्दुस्तान में जो नयी पालिसी आई हुई है और यह जो खुले बाजार का काम हुआ है, इसके चलते हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों का रोजगार छीनने वाला है और लाखों का छिन चुका है। इसलिए इस सवाल पर आज निश्चित रूप से काम होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक बड़े पैमाने पर इस कारखाने के मजदूर घूम रहे हैं। रांची के सी॰ एल॰ के मजदूर यानी नेफा नगर के मजदूर टेक्सटाईल के मजदूर बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारा दिल्ली में बैठना मुश्किल हो गया है क्योंकि लाखों मजदूर बेकार हो गये हैं। यह इतना बड़ा पुराना कारखाना है, जो बंद होने वाला है।

अध्यक्ष जी अगर देखा जाये तो रेलवे इस देश का सबसे बड़ा गौरवशाली पब्लिक सेक्टर है। हमारे देश के इंटीगेशन के लिहाज से देखा जाये तो देश कहीं दिखता है तो रेलवे में ही दिखता है।

इस मामले पर आज मिनिस्टर साहब को ऐसा जवाब देना चाहिए जिससे वहां के 60 हजार मजदूरों का भविष्य बन सके और आगे की बहस को भी सारे कारखानों में लेना चाहिए।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) अध्यक्ष महोदय, आज जो वैगन इण्डस्ट्री की पुरी स्थिति से संबंध में सोमनाथ चटर्जी ने सवाल उठाया है। हमारे क्षेत्र मुकामा में भी भारत वैगन इण्डस्ट्री की एक इकाई है। एक जमाने से वह इण्डस्ट्री काम कर रही है। उसमें उत्पादन होता है। हजारों लोग वहां काम करते हैं। सरकार की जो उदारीकरण की नीति है उसमें वर्ल्ड बैंक के दवाब व शर्तों के चलते उनको बाहर से वैगन लेना पड़ रहा है और उसके चलते इस देश में जो वैगन इण्डस्ट्री है, वह समाप्त होने जा रही है। हम यह चाहते हैं कि सरकार इस पर सम्यक ढंग से विचार करे और जो इस देश में लाखों लोग बेरोजगार होने वाले हैं, देश की एक मजबूत औद्योगिक इकाई है, वह समाप्त हो जाएगी, मृत हो जाएगी। उसको ध्यान में रखकर जो नीति चलाई जा रही है, उस नीति में परिवर्तन किया जाये। देश के अन्दर जो इकाईयां कार्यरत हैं उनकी क्षमता के मुताबिक आदेश करना चाहिए। क्षमता से कम आदेश करने के कारण वह इकाईयां बंद हो जाएंगी और लोग बेरोजगार हो जायेंगे।

आपके माध्यम से हम भी सरकार से यह आग्रह करेंगे कि इस संबंध में रेल मंत्रालय को नये सिरे से

विचार करना चाहिए। विदेशों से वैगन मंगाने की जो नीति अपनाई जा रही है, जो टेडर आमंत्रित किये जा रहे हैं, उनको बंद किया जाये। अपने देश में कम पैसा खर्च करके उसको इम्प्रूव किया जा सकता है और जो नयी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उत्पादन करके काम किया जा सकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, बिना लम्बा भाषण दिए, वही कहना चाहते हैं जो अन्य लोगों ने बोला है।

[हिन्दी]

इसके बाद चन्द्रशेखर जी का विषय है, वह बोलेंगे।

[अनुवाद]

बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केवल 60,000 कर्मचारियों का प्रश्न ही नहीं है परन्तु, इसमें अनुषंगिक उद्योगों में लगे 60,000 कर्मचारियों की बात भी शामिल है और ये कर्मचारी पश्चिम बंगाल में वैगन का निर्माण करने वाले उद्योगों पर आश्रित हैं। अत:, वैगन उद्योग और आनुषांगिक उद्योग में भी कुल 1,20,000 कर्मचारी लगे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह संख्या पहले ही दे दी गई है। आपके कहने से यह संख्या बदल नहीं सकती है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं। यह बजट कब प्रस्तुत किया गया और बजट को अंतिम रूप कब दिया गया .....

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न भी पूछा गया था।

श्री बसुदेव आचार्य : जी नहीं, महोदय उसमें यह बात शामिल नहीं है। माननीय रेल मंत्री ने यह बात नहीं बतायी कि यातायात में कमी होगी। जब बजट में 380 मिलियन टन माल ढुलाई का अनुमान लगाया गया है तो यह कैसे सम्भव है कि माननीय रेल मंत्री एक महीने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 380 मिलियन टन की माल ढुलाई का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकेगा ? इसके परिणाम स्वरूप रेलवे को 18,000 वैगनों की आवश्यकता होगी। इस तरह से वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रेलवे को केवल 7,600 वैगन की आवश्यकता होगी। जबकि हर साल 35,000 रेलवे वैगन बेकार हो जाते हैं और इन्हीं वैगनों का इस्तेमाल किया जाता है। जब इन वैगनों का निर्माण करने वाले एकक रेलवे पर ही निर्भर करते हैं तो ऐसी स्थिति में रेलवे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयास क्यों नहीं कर रहा है ? रेलवे उस प्रौद्योगिकी सहित 3 फेस इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव का आयात करने के लिए 700 करोड़ रुपये व्यय कर रही है। महोदय, सभा में हमें यह बताया गया है कि व्यापक आमान परिवर्तन हो रहे हैं। गतिगिंध उत्पन्न हो गया है और यातायात और अधिक बढ़ जायेगा इसीलिए व्यापक आमान परिवर्तन किए जा रहे हैं। परन्तु आमान परिवर्तन के क्या परिणाम निकले?

अध्यक्ष महोदय : अब श्री आचार्य कृपया इस विषय को कमजोर मत बनाइये इसका सही अनुमान लगाया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : 600 किलोमीटर तक छोटी लाइन का परिवर्तन किया जा रहा है।

.....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : अब श्री खन्डूरी बोलेंगे, कृपया इस तरह से न बोलें।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : 1500 किलोमीटर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जा रहा है। इसलिए रेलवे को बड़ी लाइन के अधिक से अधिक संख्या में माल डिब्बों की जरूरत होगी।

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी अब आप कृपया बैठ जाएं।

श्री बसुदेब आचार्य : महोदय, मेरे पास एक पत्र है। मंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए। रेलवे किस उदेश्य के हेतु 94 मिलियन अमरीकी डॉलर खर्च कर रही है ? जब हमारे पास उपलब्ध प्रौद्योगिकी तथा स्वदेशी उद्योग द्वारा इन माल डिब्बों का निर्माण किया जा सकता है तब अन्तर्राष्ट्रीय निविदा जारी करने का क्या औचित्य है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं। कृपया अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री बसुदेव आचार्य : इस संबंध में वक्तव्य ही नहीं बल्कि मंत्री महोदय शीघ्र यह घोषणा भी करें कि रेलवे, जैसा कि बजट में दर्शाया गया था, प० बंगाल के अति महत्वपूर्ण उद्योग 1,20,000 श्रमिकों को बचाने के लिए 18,000 माल डिब्बों के निर्माण के लिए शीघ्र आर्डर देने जा रही है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : पिछले दिनों मैंने इन माल डिब्बों का निर्माण करने वाले उद्योगों से सम्बद्ध आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की इकायों के सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन में उठाए गए सभी मुद्दों को अभ्यावेदन में शामिल कर सरकार को पहले ही भेजा जा चुका है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब विभिन्न रेलवे प्रमुख यह दावा कर रहे हैं कि वे काफी ज्यादा लाभ कमा रहे हैं तब इसके बावजूद भी यह लक्ष्य हासिल क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, हाल में मैंने तथा सांसद श्री सुदर्शन राय चौधरी, ने ब्रेघवेट की अंगस इकाई का दौरा किया था और हमने पाया कि दो वर्ष से बेकार पड़ी फाउन्ड्री हाल में काफी ज्यादा लागत पर इस आशा के साथ चालू की गई है कि इसमें निर्मित माल डिब्बों के पुर्जों के लिए आदेश रेलवे से प्राप्त होंगे। परन्तु अब जबकि फाउन्ड्री में निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, तब माल डिब्बों के पुर्जों की सप्लाई के लिए कोई आदेश नहीं है। श्रमिक दुखी थे वे काम करने के लिए तैयार हैं। फाउन्ड्री भी चालू हालत में है लेकिन सप्लाई संबंधी कोई आदेश नहीं है।

मैं रेल मंत्रालय की इस तदर्थवादी नीति की आलोचना करता हूं तथा मांग करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय यह वक्तव्य दें कि वे 18000 माल डिब्बों की संख्या में वृद्धि कर सप्लाई के लिए आदेश दें तथा आदेश नियमित रूप से तीन या दो महीने के आधार पर दिए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, यहां विदेशों से चीजें मंगाने की बात चल रही है। कांग्रेस की सरकार को हिन्दुस्तान की हर चीज बुरी लगने लगी है। मेरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रेलवे का कारखाना है। इसमें कोचिज बनाने की बात थी। वह बना, लेकिन किसी कारणवश शिफ्ट कर दिया गया। इससे हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए। अब आप उसको भी बंद करने जा रहे हैं। वहां सारी मशीनें मौजूद हैं। आप वहीं पर लोगों को काम दें। इज्जतनगर के कारखाने को आप बचाएं। आप कम-से-कम इज्जतनगर की कुछ तो इज्जत रखें।

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का तथा विशेषरूप से श्री सोमनाथ चटर्जी का आभारी हूं जिन्होंने इस विषय पर चर्चा की शुरूआत की। मैं अचम्भित हूं कि मेरे ऊपर निराधार आरोप लगाया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह आरोप निराधार क्यों है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : आरोप क्या है ?

श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़ : आज रेल माल डिब्बों की चिंता कौन करता है ? मैं समझ सकता हूं यदि उपभोक्ता शोरगुल करते हैं कि हम यातायात को लाने ले जाने में सफल नहीं हुए हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : यह वही तर्क है।

श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़ : कृपया मेरी बात सुनें। मैंने आपकी पूरी बात सुनी है तथा आपको भी मेरी बात सुननी चाहिए।

मैंने किसी से भी यह नहीं सुना है कि हम परिवहन सुविधा मुहैया कराने में असफल रहे हैं। यह सत्य है कि प्रत्येक योजनावधि के दौरान कुछ योजना संबंधी अनुमान लगाए गए थे। उसी आधार पर आदेश दिए गए हैं।

इसी प्रकार आठवीं योजनावधि के दौरान भी यदि कुछ परिवहन संबंधी अनुमान और बजट संबंधी आकलन किए गए थे, हम सामान्यतया सभा के सामने आकर आदेश देते हैं। दुर्भाग्यवश, हम आशा के अनुरूप परिवहन सुविधाएं पैदा नहीं कर पाए हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : एक माह के बाद।

श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़ : हम इस तर्क नहीं समझ पा रहे हैं कि एक उद्योग को कार्यकुशलता बढ़ाने के बावजूद भी दंडित किया जाय।

श्री बसुदेव आचार्य : रेलवे ने अपनी कार्यकुशलता बढ़ाई है।

श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़ : यदि रेलवे अपनी परिसम्पतियों का कुशल उपयोग करती है तथा सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है तो इस संबंध में आपत्तियां क्यों उठाई जाती हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : अचानक ?

श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़ : आज यदि कोई परिवहन संबंधी सुविधाओं की मांग करता है तो हम पूरा करेंगे। मैंने यह नहीं कहा कि माल डिब्बों की कमी है, हमें रेल इंजनों की कमी है। हमारे पास विद्युत ट्रेक्शन हो हमारे पास विद्युत इंजन नहीं हैं हमारे पास डीजल इंजनों की कमी है। इसके अलावा जहां तक यात्री डिब्बों तथा माल डिब्बों का प्रश्न है, तो हमारे पास ये पर्याप्त संख्या क्षमता है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : सड़क परिवहन से मिलाकर,

श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़ : आप मेरी समस्या समझिए।

श्री बसुदेव आचार्य : अन्तर्राष्ट्रीय निविदा क्यों जारी की जा रही है ?

श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़ : आप मुझे उत्तर देने दीजिये।

आप जो भी कहना चाहते हैं कहते हैं, किन्तु आप दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते हैं।

जहां तक माल डिब्बों के आयात का प्रश्न है, ऐसी बात नहीं है। विश्व बैंक की सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत कन्टेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं। यह रेलवे की सहायक कम्पनी है, जिसने अन्तर्राष्ट्रीय निविदा जारी की है, क्योंकि इसे 150 कन्टेनर ट्रैफिक के लिए लगभग 180 मानक अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टता वाले डिब्बों की आवश्यकता है। इस अन्तर्राष्ट्रीय निविदा में भारतीय कम्पनियों ने भी हिस्सा लिया। पेशकश किया गया मूल्य अभी खाली नहीं गया है। हम नहीं जानते हैं कि कब यह खोला जायगा, किसे मिलेगा और क्या होगा। हम इसके बारे में ठीक-ठीक नहीं जानते हैं। लेकिन यह सच है कि यह विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त योजना है। विश्व बैंक के निर्देशानुसार, अन्तर्राष्ट्रीय निविदा जारी की गई है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या यह रेलवे द्वारा जारी नहीं की गई है .....(व्यवधान).....

श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़ : पिछले बजट की चर्चा के उत्तर में मैंने इसके बारे में कहा था, माननीय सदस्यों को याद होगा कि इसके लिए काफी हंगामा हुआ था कि हमने मालभाड़े में तथा यात्री किराए में वृद्धि कर दी है। आज, मैं उसे दोहराऊं तथा यह स्वीकार करूंगा कि बिना मुद्रास्फीति के आम व्यक्ति पर बिना कोई दबाव डाले ही हमने ऐसा किया हमने माल भाड़े या यात्री भाड़े में वृद्धि करने की कोई कोशिश नहीं की। अत: हमने जरूरत पर आधारित बजट पेश किया एक शंका होती है कि हम उत्पादन बढ़ाने के लिए माल डिब्बे नहीं खरीद रहे हैं अथवा सड़क लॉबी से प्रभावित होकर हम ऐसा कर रहे हैं। इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। सड़क लॉबी को हमसे कुछ शिकायतें हैं। आमान परिवर्तन से उनके यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

श्री बसुदेव आचार्य : ऐसा नहीं हो रहा है।

श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़ : ऐसा होने जा रहा है। ऐसा हो रहा है। कृपया आप मुझसे सहयोग कीजिए। अब तक के वर्षों में रेलवे पारंपरिक परिवहन यथा कोयला, लोहा, उर्वरक, खाद्यान्न तथा ईंधन पदार्थ पर निर्भर रहा है। यह पहली बार है जब हम प्रत्येक बात के लिए परिवहन सुविधाएं प्रदान करने पर यह बल दे रहे हैं। जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है, मैं यह कहना चाहूंगा कि परिवहन की नई व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा कन्टेनर ट्रैफिक की आवश्यकता होगी इस प्रकार की व्यवस्था की शुरूआत भारत में हो रही है। अतएव, हमने

अपनी कोच फैक्ट्रियों से पूछा है कि क्या हमारे कुछ वैगन कंटेनर में बदले जा सकते हैं। हमारे तीन कोच फैक्ट्री यहीं पर हैं। एक कोच फैक्ट्री कपूरथला में है तथा दूसरी मद्रास में है। यहां तक कि हम इन कोच फैक्ट्रियों को डिब्बों के लिए आदेश नहीं दे पाए हैं। आदेश कम संख्या में हैं। हमने उन्हें निर्माण को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए कहा। हमने उनसे पूछा कि वे कन्टेनर के निर्माण बनाने का कार्य क्यों नहीं कर सकते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : क्या आपने कन्टेनर के लिए कोई आदेश दिया है ? .**(व्यवधान)**..

श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़ : एक दिन मैं इस सभा में अनुपूरक अनुदानों की मांगों की चर्चा में भाग ले रहा था दुर्भाग्यवश दूसरे पक्ष के मित्र उपस्थित नहीं थे।

उन्हीं मुद्दों पर हमारे पार्टी सदस्यों द्वारा चर्चा की गई थी। इसलिए मैंने वाद-विवाद के दौरान कहा था कि मुझे उनकी याद नहीं आती, क्योंकि मेरे अपने दल के सदस्य ही उनकी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने कहा है कि आपको हमारी याद नहीं आई। आपको हमारी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अन्य श्रमिकों के बारे में क्या होगा ? उस समझौते के बारे में क्या होगा ?

श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़ : कृपया मेरी बात सुनिए। श्रमिकों पर आपका एकाधिकार नहीं है। हम भी श्रमिकों के बारे में उतने ही चिंतित हैं जितने आप हैं। .....**(व्यवधान)**..... यह मानना बिल्कुल गलत है कि कुछ लोग ही श्रमिकों के बारे में सोच सकते हैं और अन्य लोगों को उनसे कोई लेना देना नहीं है। श्रमिकों के बारे में हम समान रूप से चिंतित हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मधुर शब्दों से कोई सहायता नहीं मिलेगी। वह इसे दलीय मुद्दा बना रहे हैं। हमें पता है कि सरकार का यह रुख है। इस प्रकार के मुद्दे को वह दलीय मुद्दा बना रहे हैं।

श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़ : जी नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कतई नहीं है। पार्टी के मुद्दे का प्रश्न नहीं है। कृपया यह भावना मत सोचिए कि हम श्रमिकों की उपेक्षा कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति श्रमिकों की उपेक्षा कैसे कर सकता है ? अन्ततोगत्वा यह एक माननीय समस्या है। हमें उनके राशन पानी की फिक्र है। .....**(व्यवधान)**..... मैं श्री सोमनाथ चटर्जी, जो कि रेलवे सम्बन्धी स्थायी समिति के सभापति हैं, कि भावना समझ सकता हूँ। वह अध्ययन करते हैं। लेकिन श्री बसुदेव आचार्य सदैव मेरी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं। लेकिन इस समय वह मेरा विरोध कर रहे हैं। वह मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। .....**(व्यवधान)**..... मेरा तो यही कहना है कि इस वैगन उद्योग पर किसी भी स्थिति में कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। कुल आवश्यकता है, जो भी है हम उसके लिए क्रयादेश देते रहे हैं। आज यदि आप मुझे क्रयादेश देने के लिए बाध्य करते हैं, तो मैं वह दे देता हूं। लेकिन फिर दो वर्षों तक कोई क्रयादेश नहीं दिए जाएंगे। . ....**(व्यवधान)**.....

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक महत्वपूर्ण मामला है। मैं समझ सकता हूं कि बेशक वैगनों की आवश्यकता वास्तव में कम होती जा रही है, उन्हें विविधीकरण के लिए कहा जाता है। लेकिन यह एक दिन में नहीं किया जा सकता। मेरे विचार से अभी भी ऐसे एकक हैं जिनके संबंध में उचित विचार किया जाना चाहिए। और यदि

इनके स्वरूप में परिवर्तन करना है, तो इसे क्रमश: करना होगा। इस प्रयोजन से आप दो वर्ष बाद जो कुछ करेंगे उसे आज ही लागू कर रहे हैं, अर्थात उसे इसी वर्ष बंद कर रहे हैं। उन्होंने एक इसी बात का उत्तर नहीं दिया। योजना आयोग ने 30,000 वैगनों का लक्ष्य निर्धारित किया और आपने इसे इस वर्ष घटाकर 18,000 वैगन कर दिया है। यह फरवरी में 7000 वैगन कैसे हो जाता है। आप मुझे बताएं कि आपका अनुमान क्या था। .....(व्यवधान).....

श्री इंद्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : वैगनों की मांग का क्या अनुमान लगाया गया है। .....(व्यवधान).....

श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़ : मैं यातायात और इन प्रश्नों पर बात कर रहा हूं कि उपभोक्ता मांग कितनी है और हमारे पास काफी उपयुक्त क्षमता है। इसके बारे में तो आपको ही बताना है। रेललाइन नेटवर्क का जो विस्तार किया जा रहा है, अन्ततोगत्वा इसका फायदा तो उन्हीं विनिर्माताओं को मिलेगा। यह तो साल साल की बात है। यदि लाइन नेटवर्क की अधिक आवश्यकता होती है तो उनका विनिर्माण कौन करेगा ? .....(व्यवधान)..... प्रश्न तो यह है कि कुल यातायात आवंटन जो किया गया है, उसमें हम अपनी आवश्यकता पूरी कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि हम अपने पूंजी निवेश में पूरी सावधानी बरत रहे हैं। हमने काफी सतर्कता बरतते हुए आवंटन किया है और किसी भी राज्य के साथ पक्षपात करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

एक प्रश्न इस संबंध में किया गया था कि हम मौजूदा उद्योगों की आवश्यकताएं क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं और हमने कतिपय अन्य क्षेत्रों में कुछ अन्य नये उद्योगों को अनुमानित क्यों दी है। हमने किसी नये उद्योग को अनुमति नहीं दी है।

प्राय: कुछ लोग जब एक क्षेत्र में निवेश करते हैं तो हम उन्हें अपेक्षित जानकारी देते हैं। पूर्व जानकारी मिलने पर ही प्रतिस्पर्धा का माहौल बन सकता है। यह सभी क्षेत्रों में होता है। यह कोई बात नहीं है। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना है। .....(व्यवधान).....

श्री सोमनाथ चटर्जी : कितने आदेश मिले हैं इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। एक भी मामले का उल्लेख नहीं किया गया है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एक सुसंगत प्रश्न पूछा था कि क्या भारत सरकार वैगनों के आयात के लिए धनराशि खर्च करने जा रही है, यह सब क्या है ? हम अपने देश की जनता को क्या कहेंगे ? हम उन्हें क्या बताएंगे ? .....(व्यवधान)..... उनका एक मात्र दोष यह है कि वे मजदूर हैं। वे वहां कार्य कर रहे हैं। वे भारतीय नागरिक हैं जो श्रम करके अपनी जीविका अर्जित कर रहे हैं। .....(व्यवधान).....

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या उनके उत्तर से हम संतुष्ट हैं ? .....(व्यवधान).....

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। .....(व्यवधान).....

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपको क्या आपत्ति है ? .....(व्यवधान).....

श्री सीमनाथ चटर्जी : यह श्रमिकों की आजीविका का प्रश्न है और एक भी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। .....(व्यवधान).....

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उनका कहना है कि विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय निविदा आमंत्रित करने हेतु दबाव डाल रहा था। अब, उन्होंने विश्व बैंक की सलाह को कैसे मान लिया ? लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए .....(व्यवधान).....

श्री सोमनाथ चटर्जी : देश की जनता यह महसूस करेगी कि संसद् इस देश के साठ हजार लोगों के जीवन की मौलिक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसके अतिरिक्त उन्होंने निजी क्षेत्र को इसे अपने हाथ में लेने और चलाने के लिए कहा है।

अध्यक्ष महोदय : रेल मंत्री और रेल मंत्रालय को देश में इकहरी लाइन की योजना तैयार करने के लिए बधाई दी जानी चाहिए। लेकिन साथ ही यह समझना मुश्किल है कि जब योजना आयोग का यह कहना है कि 30,000 वैगनों की आवश्यकता है और मंत्रालय का कहना है कि 18,000 वैगनों की आवश्यकता है। फिर भी उन्होंने मात्र 7,000 वैगनों का क्रयादेश दिया है ? आप इसे कैसे स्पष्ट करेंगे ? चूंकि वैगनों की आवश्यकता देश में हो रहे उत्पादन पर निर्भर है जिसका आंकड़ा योजना मंत्रालय के पास है। निश्चित तौर पर रेल मंत्रालय जो कि माल लाने ले जाने के लिए उत्तरदायी है ने भी इस समस्या पर विचार किया होगा और वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि 10,000 वैगनों की आवश्यकता है। आप इसे किस तरह स्पष्ट करेंगे ?

श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़ : मैंने किसी क्षेत्र की बात नहीं कही है.....

अध्यक्ष महोदय : तो इतना बड़ा अंतर क्यों है ? इसका मतलब यह है कि उत्पादन में कमी नहीं आई है। योजना मंत्रालय का कहना है कि 30,000 वैगनों की आवश्यकता है। आपके मंत्रालय का कहना है कि 10,000 वैगनों की आवश्यकता है। लेकिन माल की ढुलाई कौन कर रहा है ? यह बात समझ में आती है कि आपके पास धन राशि नहीं है। लेकिन यदि आप इन आंकड़ों से सहमत नहीं हैं तो हम इसे कैसे मानें ?

श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़ : महोदय, हमेशा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। मध्यावधि समीक्षा में जो पुनरीक्षित आवश्यकता 8,000 के स्थान पर 10,000 आंकी गयी है। उद्योग के पास पहले ही 7,600 वैगनों का क्रया देश है। .....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : यदि आप यूं ही बात-चीत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि आप उत्तर देना चाहते हैं तो आप कृपया मेरी बात सुनें।

श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़ : महोदय, हम प्राय: समीक्षा करते रहते हैं और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 18,000 वैगन के स्थान पर हमारी आवश्यकता घट कर 10,400 वैगन हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : यह कम कैसे हो गयी ?

श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़ : उनमें से पहले ही उद्योगों को 7,600 वैगनों का क्रयादेश दिया जा चुका

है, रेलवे कार्यशाला को 1,000 वैगनों का क्रयादेश दिया गया है और 1,800 वैगनों के लिए निविदा आमंत्रित की गई है यह सब मिलाकर 10,400 वैगन है। इसके अलावा कंकर (सी॰ ओ॰ एन॰ सी॰ यू॰ आर॰) के लिए 3,750 और अपना-वैगन रखिए योजना के लिए 2,205 वैगनों का क्रयादेश दिया गया है। अपना वैगन रखिए योजना के अंतर्गत वैगन निर्माता स्वयं सम्पर्क कर सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अपना-वैगन-रखिए योजना के क्षेत्र को यह क्यों सौंपा जा रहा है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप उनके उत्तर से संतुष्ट हैं ? अपने बहुत ही स्पष्ट प्रश्न पूछे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं जानता हूं। मैं समझता हूं कि मंत्री जी को कुछ कठिनाई है और शायद वह उन कठिनाइयों के संबंध में आप से बात चीत करेंगे तथा वास्तविक समस्या का समाधान कर पाएंगे। यह ऐसी समस्या है जिसका समाधान होना चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या अतिरिक्त वैगन हैं। .....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : इसकी हम आपसे चर्चा करेंगे। मुझे कठिनाई समझ में नहीं आई है। शायद आप भी नहीं समझ पाए होंगे। कृपा उनसे बात चीत करें और समस्या का समाधान करें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह तैयार नहीं हैं। वह अपना सिर हिला रहे हैं। आप बात-चीत के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़ : मैं आप से विचार-विमर्श करने के लिए तैयार हूं। मुझे विश्वास है कि मैं उन्हें अपने उत्तर से आश्वस्त कर दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बिना किसी परिणाम के।

श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़ : मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपको अपने उत्तर से आश्वस्त कर दूंगा।

1.00 म॰ प॰

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपके द्वारा हस्तक्षेप के लिए हम आपके आभारी हैं। हमने तथ्य को सामने लाने का प्रयास किया ताकि जनता उसके बारे में जान सके। सरकार की ओर से कोई ठीक उत्तर नहीं मिला है। अब उन्होंने निजी क्षेत्र में खरीदने का उल्लेख करके मामले को और भी उलझा दिया है। यह बात उन्होंने तब तक छिपाए रखी जब तक आपने प्रश्न नहीं किया। उन्होंने तथ्य प्रस्तुत नहीं किये। .....(व्यवधान).....

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यदि उनके पास अधिक हैं तो वे क्यों खरीद रहे हैं ? यदि उनके पास अधिक हैं तो उन्हें आवश्यकता क्यों है ? .....(व्यवधान).....

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि यातायात है ही नहीं तो मेरी समझ में नहीं आता कि निजी क्षेत्र से क्यों खरीदा जा रहा है। यह बात इससे मेल नहीं खाती कि वह निजी क्षेत्र से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं ? महोदय, इस सभा का पूरा सम्मान करते हुए मैं तो कहूंगा कि हमें इसका कड़ा विरोध करना होगा। आपके प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए हमें सभा का बहिष्कार करना होगा। हम सभा का बहिष्कार करते हैं।

1.01 म. प.

इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए

.....(व्यवधान).....

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्हें यह कहने दीजिए कि वे एक भी वैगन का आयात नहीं करेंगे। अपने उत्तर में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। उस प्रश्न विशेष जिसमें आपने पूछा था उस का उत्तर देने से इन्कार किए जाने को ध्यान में रखते हुए हम समझते हैं कि हमारे द्वारा सभा के बहिष्कार को आप स्वीकृति देंगे।

1.01 ½ म. प.

इस समय श्री इन्द्रजीत गुप्त और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

.....(व्यवधान).....

श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़ : महोदय, मैंने उत्तर दे दिया है। .....(व्यवधान).....

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं है, इसलिए मैं भी अपने दल सहित सदन से वाक-आउट करता हूं।

1.02 म. प.

इस समय श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

1.2 ½ म. प.

भारत में विदेशी प्रचार माध्यमों के प्रवेश को अनुमति देने के कथित प्रयास के बारे में

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं चन्द्रशेखर जी से बोलने का अनुरोध कर सकता हूं ? आपको लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसका मुझे खेद है। आप जितनी छेर तक बोलना चाहें बोल सकते हैं। आप चाहें तो यह मुद्दा कल उठा सकते हैं; यह मैं आप पर छोड़ता हूं।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : महोदय मुझे अधिक समय नहीं चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे सवाल पर आपका और सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जो सवाल पिछले बहुत दिनों से चर्चा में रहा है कि विदेशी पत्रों को भारत में आने की अनुमति भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली है। विदेशी समाचार-पत्र इस देश में आएंगे, पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा का विषय रहा है।

.....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय, जरा इन लोगों से कंट्रोल कीजिए। ये समझते हैं कि ये सारी दुनिया पर कंट्रोल कर रहे हैं, आप इस पर कंट्रोल करिए।

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : आप पर भी कंट्रोल कर रहे हैं।

श्री चन्द्र शेखर : आप हम पर कंट्रोल नहीं कर सकते। जरा शिष्टाचार भी होना चाहिए। ...(व्यवधान).

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि पिछले दिनों चर्चा थी कि विदेशी पत्रों को भारत में आने की अनुमति दी जाएगी। आज दिल्ली के एक प्रमुख पत्र ने अपने मुख्य पृष्ठ पर समाचार प्रकाशित किया है कि 25 तारीख को केबीनेट की मीटिंग होने वाली है, जिसमें यह निर्णय होने वाला है। यह भी बताया गया है कि वित्त मंत्रालय की राय बन चुकी है कि विदेशी पत्रों को आने की अनुमति दी जाए। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन बहुमत ऐसे लोगों का है जो विदेशी पत्रों को इस देश में आने की अनुमति देना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, 1955 में पंडित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में, जिसमें केसकर साहब भी थे, एक राष्ट्रीय नीति बनी थी, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि विदेशी पत्रों को इस देश में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल "स्टेट्समैन" अखबार उस समय था, जिसको कहा गया कि यह चलता रहेगा, क्योंकि उसकी विशेष परिस्थितियां थी। लेकिन अचानक जब यह निर्णय लिया जाता है, पिछले 3 वर्षों में समय-समय पर निर्णय लिए गए, नीतियों के सवाल पर न संसद में चर्चा हुई और न लोगों से चर्चा की गई। अध्यक्ष महोदय, विदेशी पत्रों का हमारे देश में आने का क्या परिणाम होगा, इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन यह निवेदन करना चाहता हूं कि दुनिया के अनेक देश, जहां पर उदारीकरण की नीति है, उन्होंने भी अपने देश में विदेशी पत्रों को आने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन भारत सरकार की ऐसी अवस्था हो गई है, जैसे कि अभी कुछ मित्र कह रहे थे कि बाहरी दबाव को इस देश में बुलाया जा रहा है, यह सही लगता है।

अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक लोगों से सरकार को कुछ नफरत है, विपक्ष से सरकार बात नहीं करना चाहती तो पत्रकारों और समाचार पत्रों के लोगों से तो कम से कम चर्चा करनी चाहिए थी। समाचार पत्रों के मालिकों की मैं बात नहीं करता, क्योंकि उनमें तो होड़ लगी हुई है कि कौन विदेशियों से अधिक से अधिक सहयोग बढ़ा सकेगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज एक ऐसी नीति का सवाल है, जिस पर भारत का बहुत कुछ निर्भर करता है।

हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी नीतियों और हमारी बोलने की आजादी की अभिव्यक्ति पर अंकुश लगने वाला है, अगर विदेशी पत्रों को हमारे देश में आने की अनुमति दी गई। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न की गंभीरता को सरकार को समझाएं और कम से कम इस निर्णय को लेने के पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि कोई तर्क ऐसा है, जिस तर्क के आधार पर विदेशी पत्रों को देश में आने की इजाजत मिलनी चाहिए। इस प्रश्न को उठाने का मैंने आपका समय लिया, धन्यवाद।

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सवाल पूछा था तो उसके जवाब में सूचना और प्रसारण मंत्री ने आश्वासन दिया था कि हम इस पर नहीं चलने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के अखबार ने एप्लाई किया था कि हमको फारेन न्यूज पेपर्स से कोलेबोरेशन करने की इजाजत दी जाए। हम लोग इस बारे में चिंतित थे और मैं चन्द्रशेखर जी को धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने इस सवाल को उठाया। इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन की लीगेसी है और हम एक अच्छे गुण के उत्तराधिकारी हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के जमाने में जब हमारी समाचार पत्र साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते थे तो हमने फ्रीडम आफ एक्सप्रैस के जरिए देश की मातृ भाषाओं में पत्रकारिता को विल्ड-अप किया था। हमारे प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू के समय 1955 में केबीनेट ने फैसला किया था कि हम विदेशी पत्रों को देश में आमंत्रित नहीं करेंगे।

मैं, श्री चन्द्र शेखर जी की बात से सहमत हूं कि हमारे देश की सारी सांस्कृतिक परंपराओं के ऊपर और राष्ट्रीय आंदोलन की लीगेसी के ऊपर जबर्दस्त हमला है जबकि संसद में एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा है कि हमने इजाजत नहीं दी है। संसद को न पूछकर संसद के बाहर इस तरह से बता देना कहां तक ठीक है ? हमने प्रधान मंत्री के विश्वसनीय सूत्रों से पूछा था कि 1955 के केबीनेट फैसले पर, अब क्या हो गया है? भारत सरकार पर दबाव पड़ रहा है और सरकार इसकी शिकार होती जा रही है। यह लोक सभा की स्वायत्तता के ऊपर भी हमला है और हम लोगों की पत्रकारिता तथा फ्रीडम आफ थिंकिंग के ऊपर हमला है। जो चीजें राष्ट्रहित में नहीं हैं और हम उसका विरोध कर रहे हैं और वह चीज यहां आयेगी और हमारे देश का संवाद नहीं छपेगा इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि संसद की बिना अनुमति से सरकार को इजाजत नहीं देनी चाहिए कि विदेशी पत्रों को यहां लाया जाए।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल अत्यंत गंभीर है, इसलिए गंभीर है कि आजादी के आंदोलन में हमारे देश के पत्रों में मिशनरीज के साथ काम किया। इतना ही नहीं बल्कि हमारे पत्रों का स्तर दुनियां के किसी भी पत्र से कम नहीं है। हमारे यहां ऊंचे दर्जे के पत्र निकल रहे हैं बल्कि दूसरे देश के लोग पूछना चाहते हैं कि आपके यहां रिपोर्टिंग कैसी होती है ? हमारी प्रैस काऊंसिल ने सरकार को रिपोर्ट दे दी है कि हमारे देश में विदेशी पत्रों को आने की अनुमति न दी जाए। प्रैस काऊंसिल में जर्नलिस्ट्स वगैरह होते हैं इसलिए मुझे नहीं लगता कि सरकार इसको मंजूर करे। आज कहा जा रहा है कि सरकार इस तरह से विदेशी पत्रों को यहां डंप न करे। इसका मतलब यह है कि यहां पर एक रुपए, पचास पैसे में अखबार बेच रहे हैं और विदेशी पत्र आने के बाद आठ आने या बारह आने में बेचेंगे। इस तरह से हमारे देश की सांस्कृतिक परंपरा को और हमारे वातावरण को बिगाड़ा जा रहा है चूंकि यह कहा जा रहा है कि विदेशी लोग दबाव डाल रहे हैं।

कहा जाता है कि विश्व बैंक हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है। अगर विदेशी पत्र यहां आ जायेंगे तो हमारे ऊपर रोज दबाव डाला जायेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि विदेशी पत्रों को और उनके मालिकों को यहां आमंत्रित करने की कोई जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : चन्दूलालजी आपको मेरी क्यों जरूरत पड़ रही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बेलपुर) : महोदय, सदन में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए मैं श्री चन्द्रशेखर का आभारी हूं। हमें बताया गया था कि अपने भुगतान संतुलन की स्थिति तथा आर्थिक दशा में सुधार करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीयकरण आवश्यक है। इस देश की आर्थिक समृद्धि के बारे में हमारा दृष्टिकोण अलग-अलग है। मैं यहां इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। परन्तु हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि उदारीकरण की इस प्रक्रिया में विदेशी समाचार पत्रों को यहां आने की अनुमति देना कैसे शामिल है। इसका हमारे आर्थिक उत्पादन अथवा हमारी आर्थिक उन्नति से कोई सम्बन्ध नहीं है।

हमें भी इन समाचार पत्रों को पढ़ने का सुअवसर मिला था। हाल ही में मैं अमरीका गया था। आप 'द न्यूयार्क टाइम्स' या 'द वाशिंगटन पोस्ट' के अलावा मुश्किल से कोई और समाचार पत्र पढ़ पाएं। वहां के लोग भी विज्ञापन आदि के अतिरिक्त और कुछ नहीं पढ़ते क्या हम इस देश के विचारों-अपनी सूचना प्रक्रिया

को ऐसे विदेशी समाचार पत्रों के इशारे पर चलने की अनुमति देने जा रहे हैं जिनकी पत्रकारिता का स्तर हमारे यहां की पत्रकारिता की तुलना में अत्यन्त निम्न कोटि का है। इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या इस देश में हमारा भविष्य मात्र एक छोटे अखबार का होकर रह जायेगा ?

हमने देखा है कि किस प्रकार के तथाकथित अखबार प्रकाशित किये जाते हैं। उसमें समाचार का कोई महत्व नहीं रहता; सरकार का महत्व नहीं के बराबर होता है। उनमें सनसनीखेज खबरों और पीतपत्रकारिता के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। हमें अपने पत्रकार मित्रों का धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने काफी ऊंचा स्तर बना रखा है। इस देश में समाचार पत्रों पर धन-कुबेरों का एकछत्र अधिकार है। फिर भी हमारे देश में हमारे पत्रकार मित्रों ने पत्रकारिता का स्तर काफी ऊंचा बनाया हुआ है। यदि उदारीकरण अथवा अन्तर्राष्ट्रीयकरण के नाम पर इस देश में ऐसे लोगों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है जिनके पास बेशुमार दौलत है और जिनकी विश्वसनीयता मात्र इतनी है कि 'वे पैसे वाले हैं' तो वह दिन सबसे दुखदायी होगा। उनकी कोई और विश्वसनीयता नहीं है। वे अपने प्रकाशन के माध्यम से इस देश को अपनी गिरफ्त में ले लेंगे जिसका हमें विरोध करना चाहिए। यह बड़ा ही दु:खद दिन होगा। मुझे विश्वास है कि भारत के लोग इसका जी जान से विरोध करेंगे। हमने किसी को भी इसके पक्ष में बोलते नहीं सुना है।

इस देश की दिशा विदेशी प्रचार माध्यम निर्धारित करें-ऐसा नहीं होना चाहिए। यही होगा। वे अपने समाचार पत्रों के माध्यम से और अप्रत्यक्ष रूप से धीरे-धीरे जनमत को प्रभावित करने का प्रयत्न करेंगे। ये समाचार पत्र अपना हित पहले देखेंगे, हमारे हितों पर ध्यान नहीं देंगे। उनके मन में हमारे हितों की बात आ ही नहीं सकती। इसलिए ऐसी स्थिति अत्यन्त खतरनाक होगी जिसका हमें आज सामना करना पड़ रहा है। हमें इसका विरोध करना चाहिए। मैं सरकार से ऐसे प्रस्ताव को तुरन्त वापस लेने की मांग करता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये प्रवक्ता बाहर कैसा आचरण करते हैं।

चूंकि सदन के प्राय: सभी सदस्यों ने इसका विरोध किया है इसलिए सरकार को चाहिए कि वह विदेशी समाचार पत्रों को इस देश में आने की अनुमति देने के इस अहितकर तथा राष्ट्रविरोधी विचार को तुरन्त त्याग दें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मेरा केवल एक मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : और भी मुद्दे हैं। वे लोग उन मुद्दों को उठाने का इन्तजार कर रहे हैं।

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी : मैं केवल यह याद दिलाना चाहता हूं कि काफी समय पहले हमने 'द राइटर्स' का बहिष्कार करके अपनी एजेंसी शुरू की थी। अब यदि हम विदेशी समाचार पत्रों को आने की अनुमति देते हैं तो इससे राइटर्स तथा अन्य समाचार एजेन्सियों द्वारा चोरी-छिपे गलत जानकारियों का प्रचार-प्रसार बन्द हो जायेगा।

.....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : अब लोकनाथ जी बोलें।

.....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्यों को भी अपने मुद्दे उठाने हैं।

.....(व्यवधान).....

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय श्री चन्द्रशेखर द्वारा उठाये गए सवाल का कोई जवाब नहीं दिया गया है और वह है कि क्या यह शर्त मानना होगा कि यदि हमें विदेशी पूंजी अर्जित करनी है तो ऐसी संस्कृति का आयात करना होगा जिसे एक शब्द में भारत-विरोधी कहा जा सकता है। यह वह प्रश्न नहीं है जिस पर उन्हें ध्यान देना है और जिस पर उन्हें अपने दल में चर्चा करनी है कि क्या उन्हें इस दौड़ में कहीं रुकना चाहिए या नहीं जिससे कि विदेशी पूंजी के साथ ये चीजें अपने देश में न आएं ? मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : महोदय, मेरा अनुरोध है कि उठाया गया प्रश्न अत्यन्त गम्भीर है इस दृष्टि से इतना गंभीर है कि.....

अध्यक्ष महोदय : मेरी परेशानी यह है कि इस मुद्दे पर काफी बोला जा चुका है, अब इसपर आपको सरकार की प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए।

.....(व्यवधान).....

श्री लोकनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हम इसका विरोध करते हैं। परन्तु यह सांस्कृतिक उदारीकरण नहीं है। विश्व में आजकल इस सांस्कृतिक घुसपैठ के सम्बन्ध में प्रचार माध्यमों का एकछत्र अधिकार है। आजकल विश्व में प्रचार माध्यमों का पूर्णत: एकछत्र अधिकार है लेकिन हमारी पत्रकारिता हमारे समाचार पत्रों की एक परम्परा है। हमारी भी एक परम्परा है। हमारे स्वतन्त्रता संग्राम में हमारे समाचार पत्रों ने एक शानदार भूमिका निभायी थी और हमारी विरासत उत्साहवर्धक रही है। अब विदेशी समाचारपत्रों को अनुमति देकर हम अपने को अपनी इस विरासत से अलग करने जा रहे हैं। यह खतरनाक होगा। .....(व्यवधान).....

महोदय, मैं यह नहीं जानता कि सरकार किस मुद्दे पर .....(व्यवधान).....

इसलिए, महोदय यह केवल सांस्कृतिक घुसपैठ नहीं है .....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : श्री लोकनाथ जी, कृपया इसे रोजमर्रा का भाषण मत बनाइये।

श्री लोकनाथ चौधरी : यह देश की सांस्कृतिक विरासत पर हमला है जो खतरनाक है। मेरे विचार से सत्ताधारी दल को इसके दुष्परिणाम जान लेना चाहिए।

[अनुवाद]

उन्हें इस देश की संस्कृति से नाता नहीं तोड़ना चाहिये; उन्हें उन अखबारनवीसों से भी नाता नहीं तोड़ना चाहिये जिन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में भाग लिया था, जो किसी भी विदेशी अखबारनवीस से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं जिनके मन में मानवता के प्रति कोई आदर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हम सुनें कि सरकार को इस मुद्दे पर क्या कहना है।

.....(व्यवधान).....

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, किसी भी विदेशी अखबारनवीस के मन में मानवता के प्रति आदर

नहीं है। हमारी पत्रकारिता केवल मानवता का ही दावा कर सकती है जो आज की दुनियां में बहुत महत्वपूर्ण है। .....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : आप हर समय इसी प्रकार व्यवधान डालते रहते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिये।

.....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : अब आपको नहीं बोलना चाहिये क्योंकि हर समय आप कहीं न कहीं बैठे हुए बस बोलते ही जाते हैं।

.....(व्यवधान).....

एक माननीय सदस्य : क्या हमारा कोई अधिकार नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं एक ही समय पर सबको बोलने नहीं दे सकता। अब आप बैठ जाइये।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सरकार एक के बाद एक निर्णय लेती जा रही है उसके अंतर्गत सरकार विदेशी समाचार-पत्रों को आमन्त्रित करके भारत की संस्कृति और परम्पराओं पर खुला आघात कर रही है। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति पर प्रहार करने का खतरनाक खेल खेलने जा रही है। जब हमारे पत्रकार और पत्रकारिता जगत सक्षम हैं फिर इन विदेशी समाचार पत्रों को क्यों बुलाया जा रहा है ? जिस प्रकार सरकार उत्खनन कार्यों व अन्य क्षेत्रों के लिये बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमन्त्रित कर यह निर्णय ले चुकी है, उसका कुप्रभाव भली भांति विदित है। मैं समझता हूं कि यदि सरकार विदेशी समाचार पत्रों को यहां आमन्त्रित करने का इस तरह का कोई निर्णय करने जा रही है तो उसे वापस ले और सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सरकार की ओर से कौन उत्तर देना चाहेंगे ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : महोदय, क्योंकि आप हमें निर्देश दे रहे हैं कि कोई बताये.....

अध्यक्ष महोदय : कोई भी बता सकता है, किन्तु कोई भी ठीक ढंग से बताये।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : खैर संसदीय कार्य मंत्री के रूप में मेरा विचार है कि इस बात में कोई संदेह अथवा विवाद नहीं हो सकता कि इस देश की जनमत की शाब्दिक अभिव्यक्ति इस देश के लोगों द्वारा ही की जा सकती है और यहां विदेशी समाचार पत्रों की ऐसे किसी भी रूप में स्थापना का वास्तव में कोई औचित्य नहीं है जो हमारे जनहित से मेल न खाए। खैर मैं जो यह कह रहा हूं वह एक सामान्य बात है .....(व्यवधान). .... प्रत्येक चीज ऐसी सामान्य बातों से ही निकलती है। जहां तक इस विशिष्ट मामले का संबंध है, मुझे मामले

के तथ्यों का पता नहीं है। मैं सदन की भावनाओं से सूचना और प्रसारण मंत्री को अवश्य ही अवगत करा दूंगा हो सकता है कि वह कुछ बताना चाहें।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : इसका अर्थ है कि हमें सरकार की ओर से समुचित उत्तर नहीं मिला है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री फैलीरो के कथन पर मैं उन्हें कम से कम धन्यवाद तो दे ही दूं, भले ही वह उनका व्यक्तिगत मत ही रहा हो। आशा है वह अपने पद पर बने रहेंगे।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में पिछले 20 दिन से चल रहे भयंकर आंदोलन के बारे में दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, उत्तरांचल के 8 जिलों में पिछले 20 दिन से एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नयी आरक्षण नीति के विरोध में है। मैं यहां यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम आरक्षण की नीति के विरोध में उत्तरांचल क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। हम उत्तरांचल की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखकर इस बात का आग्रह कर रहे हैं कि 27 प्रतिशत आरक्षण जो उत्तरांचल में लागू है, वह उस क्षेत्र की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुचित और अन्यायपूर्ण है।

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तरांचल क्षेत्र में आज रोज़ी और रोटी का बहुत बड़ा प्रश्न है। 70,000 नौजवान प्रतिवर्ष रोज़गार कार्यालयों में अपना नाम दर्ज कराते हैं और उनमें से 2000 के करीब ही नौकरी पाते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण किया जा रहा है, वे लोग उस क्षेत्र में मुश्किल से 2 प्रतिशत ही रहते हैं। अगर इस प्रकार से बाहर से लोग वहां आएंगे और वहां के क्षेत्र के लोगों को लाखों की संख्या में रोज़गार के लिए बाहर आना पड़ेगा तो किस प्रकार इस सीमावर्ती क्षेत्र में समस्याएं पैदा होंगी, यह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार का ध्यान इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि यह समस्या इसलिये पैदा हो रही है कि उत्तरांचल क्षेत्र को पृथक प्रदेश बनाने की मांग बहुत दिनों से चल रही है और केन्द्र सरकार उसको 1991 से लेकर बैठी हुई है और उस पर कोई निर्णय नहीं दे रही है। इसलिए आज यह समस्या पैदा हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश सरकार ने जिसने अलग आरक्षण नीति चलाई है, उन्होंने पिछले एक साल से पूर्ण समर्थन दिया है इस पृथक प्रदेश की मांग को।

[अनुवाद]

1.23 म. पू.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

इस सदन में उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल को पृथक प्रदेश बनाने के बारे में 7 घंटे बहस हुई थी और पूरे सदन में सब सदस्यों ने माना था कि विकास की दृष्टि से इस क्षेत्र को पृथक प्रदेश घोषित करना चाहिए। कांग्रेस के साथियों ने कहा था कि यह विकास की दृष्टि से बहुत जरूरी है और इसलिए अगर आज हम मानते हैं कि इस क्षेत्र को पृथक राज्य होना चाहिए, तो मेरा निवेदन है कि आरक्षण के बारे में भी इस क्षेत्र के लोगों को यह अधिकार दिया जाए कि वह अपनी नीति स्वयं तय करें। इस लिए मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि वह इस 27 प्रतिशत आरक्षण नीति को उत्तरांचल क्षेत्र के लिए तब तक स्थागित करें जब तक यह क्षेत्र अलग प्रदेश नहीं बनता और उसके बाद जैसा कि देश के अन्य प्रदेशों को अधिकार है कि वह अपनी आरक्षण की नीति स्वयं तय करें, उसी प्रकार यह आरक्षण की नीति उत्तरांचल के लोग तय करें। जितना प्रतिशत वहां के लोग उचित समझें और जिसको चाहें वह उसको आरक्षण दें।

उपाध्यक्ष जी, वहां पर आज भारी संख्या में लोग सड़कों पर उत्तर आए हैं। आज 23 अगस्त को उत्तरांचल बंद है। कोई आदमी दफ्तर नहीं जा रहा है, वाहन सड़कों पर नहीं चल रहे हैं। पिछले दिनों 20 दिनों से कई जगहों पर गोली चली है। 7 अगस्त को मेरे क्षेत्र पौड़ी में गोली चली। महिलाओं के सिर टूटे हुए हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं अस्पतालों में पड़ी हुई हैं। आज जिस प्रकार की ज्वाला वहां जल रही है, अगर तुरंत इसका समाधान नहीं हुआ तो एक गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी और उत्तरांचल के लोग जो अपनी शांतिप्रियता के लिए माने जाते हैं, अगर उनको हिन्सा के लिए प्रेरित किया गया तो मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि यह सीमावर्ती क्षेत्र जहां अधिकतर लोग फौजी हैं और भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर वह हिंसा पर उत्तर आए तो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी।

इसलिये मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को सलाह दे कि माननीय मुलायम सिंह वहां जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वे बहुत भड़काने वाले बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पहाड़ी लोगों को मैदान से निकाल देंगे, उनके ऐसे बयानों की निन्दा होना चाहिये। मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रधानमंत्री जी को हमारा संदेश पहुंचा दें कि 27 परसेंट आरक्षण की घोषणा तुरन्त स्थागित की जाये और उत्तरांचल को अलग प्रदेश बनाने का जो मामला नवम्बर, 1991 से लटकता चला आ रहा है, उसके संबंध में तुरंत निर्णय लिया जाये और उन्होंने जो मौनी बाबा का चोला धारण किया हुआ है, उसे वे तुरन्त उतार दें। .....(व्यवधान)....

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : इस पर मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। ....(व्यवधान).... अनेक सदस्य अन्य दो विषयों पर बोले, परन्तु आप हमें बोलने का कोई अवसर प्रदान नहीं कर रहे हैं

.....(व्यवधान)..... मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूं .....(व्यवधान)..... लगभग बीस सदस्य इस विषय पर पहले बोले हैं .....(व्यवधान).....

महोदय अन्य पार्टियों को अवसर दिया जा रहा है .....(व्यवधान).....

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहला नाम पुकारा। अब मैं दूसरा नाम पुकार रहा हूं। श्री बी॰ एल॰ शर्मा प्रेम्।

.....(व्यवधान).....

[हिन्दी]

श्री बी॰ एल॰ शर्मा प्रेम (पूर्वी दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पूर्वी दिल्ली जिले की ओर ले जाना चाहता हूं जहां पिछले ढ़ाई महीनों में इतने अधिक अपराध हुये हैं कि शायद वह हिन्दुस्तान के अपराध जगत में एक नया रिकॉर्ड है। कुल मिलाकर पिछले ढ़ाई महीनों में वहां 56 अपराध हुये हैं, जिनका ब्यौरा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

मेरे क्षेत्र में तीन जघन्य डकैतियां पड़ी हैं, पांच अपहरण या एब्डक्शन की घटनाएं हुई हैं, पांच हत्याएं हुई है, तीन डैड बोडीज मिली हैं, सात लैंड ग्रैबिंग के मामले नोटिस में आये हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे क्षेत्र पूर्वी दिल्ली में अवैध शराब के 7 जगह ठेके चल रहे हैं। इसके अलावा 9 सट्टे बाजारी के अड्डे चल रहे हैं, 12 वैश्यावृत्ति के अड्डे चलते हैं तथा 700 करोड़ से अधिक की सरकारी सम्पत्ति पर अवैध कब्जा लोगों ने किया हुआ है।

मैंने इस संबंध में माननीय गृह राज्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था और 17 मई को उन्हें एक मैमोरैंडम भी दिया था। इसके अतिरिक्त 17 अगस्त को, मेरे क्षेत्र के सातों एम एल एज, एक दिन की सांकेतिक भूख-हड़ताल पर थे। हम एल जी को अनेकों बार रिमांइडर दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार से भी अधिक गरीब लोग मेरे क्षेत्र में रहते हैं। नौर्थ-ईस्ट के डी॰ सी॰ पी॰ वहां खुले-आम जुआ खिलाते हैं। वहां लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन लगातार बिगड़ती जा रही है। मैंने होम मिनिस्टर साहब को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 30-71 तारीख तक वे हस्तक्षेप नहीं करते और वहां के डी सी पी को नहीं बढ़ता जाता तो पूर्वी दिल्ली के लोग आमरण अनशन कर बैठेंगे। मेरी मांग है कि उस गलत कार्यों को प्रोत्साहन देने वाले डी सी पी को तुरन्त वहां से हटाया जाये। .....(व्यवधान).....

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रवि राय।

.....(व्यवधान).....

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। डेली नोटिस देने के बाद भी हमारा नाम क्यों नहीं आता है ? क्या इस हाउस के 5 या 6 लोगों को ही बोलने का अधिकार है, दूसरों को नहीं है ? क्या नोटिस की कोई वैल्यू है या नहीं है ? अभी स्पीकर साहब ने एक घंटे हाउस को चलाया लेकिन उसमें चंद लोगों को ही बोलने का मौका मिला। यह डेली का मामला हो गया है। मैं इस पर प्रोटैस्ट करता हूं, क्या सिर्फ आगे बैठने वाले 5 या 6 लोगों को ही बोलने का मौका मिलेगा, हम नये लोग भी बोलना चाहते हैं, हमें भी मौका मिलना चाहिए। इसलिए विरोध में, मैं सदन से वाक-आउट करता हूं।

[अनुवाद]

1.30 म० प०

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी सभा-भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही अहम सवाल को आपके माध्यम से सदन में उठा रहा हूं। सामाजिक न्याय के बारे में सदन के सभी नेता एकमत हैं। भारत सरकार का जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसके खिलाफ मैं इल्जाम लगाना चाहता हूं कि उसने आरक्षण को पूरा नहीं किया है। केन्द्र सरकार के जो दस विश्वविद्यालय हिन्दुस्तान भर में हैं उनमें एस० सी०, एस० टी० की 22.5 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए यू० जी० सी० की एक विशेष समिति ने सिफारिश की है और यह सिफारिश भी की है कि आप लोक सभा में जून महीने तक बिल लाएं ताकि इन विश्वविद्यालयों में एस० सी० एवं एस० टी० को 22.5 प्रतिशत आरक्षण मिल सके, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, सबसे मजेदार बात यह है कि भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय की ही एक यू० जी० सी० की कमेटी बैठी और उसने यह रिपोर्ट दी और अपनी ही समिति की सिफारिशों को यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं मान रहा है और न उनके ऊपर कोई कार्यवाही कर रहा है। कल्याण मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नहीं कहा कि जून महीने तक इस बारे में संसद में बिल लाया जाय। अब अगस्त माह बीता जा रहा है और संसद को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय विद्वान लोगों, शिक्षकों और विद्यार्थियों की संस्था है। आपके जे० एन० यू० में जिसको सबसे ज्यादा क्रान्तिकारी विश्वविद्यालय माना जाता है एस० सी० एस० टी० की संख्या चार प्रतिशत से कम है। विश्व भारती में सात प्रतिशत, हैदराबाद विश्वविद्यालय में सात प्रतिशत, पांडिचेरी विश्वविद्यालय में 18 प्रतिशत, इंदिरा गांधी ओपन विश्वविद्यालय में छः प्रतिशत, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 0.2 प्रतिशत और जामिया मिलिया में 1.30 प्रतिशत ही आरक्षण है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि यू० जी० सी० की एक कमेटी की बाकायदा निष्पक्ष सिफारिश है कि केन्द्रीय सरकार के विश्वविद्यालयों में 22.5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए, तो केन्द्र सरकार उसको खुद क्यों नहीं मान रही है और सामाजिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना क्यों कर रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार को तो 22.5 प्रतिशत अपने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण की व्यवस्था को कर के देश के राज्य सरकारों के विश्वविद्यालयों के सामने एक माडल के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए था, लेकिन केन्द्र सरकार ही अपने विश्वविद्यालयों में इसे नहीं दे रही है, तो फिर राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों में इसे लागू करने के लिए कैसे कहा जा सकता है ? इसलिए मैं भारत सरकार से आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय के इस सिद्धान्त को अपने विश्वविद्यालयों में लागू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करें।

श्री सुभाष चन्द्र नायक (कालाहण्डी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी के कालाहण्डी और जूनागढ़ में दो महीने से ज्यादा समय से पानी भरता

चला आ रहा है। जूनागढ़ में कलैक्टर, सब कलैक्टर और तहसीलदार ने मिल कर के रास्ते को चौड़ा करने के नाम पर गरीब जनता के 21-8-94 तक लगभग 100 घर गिरा दिए हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस कार्रवाई को जल्दी बन्द किया जाए।

मेरी कांस्टीट्यूएंसी सबसे पिछड़ी हुई है। वहां पर लाइम स्टोन, माइन्स, बाक्साइट, सफेद पत्थर, बांस, जंगली सामान व रूबी जैम्स स्टोन काफी मात्रा में पाया जाता है। वहां पर कोई इण्डस्ट्री नहीं है जिसकी वजह से वहां का सफेद पत्थर बाहर चला जाता है। तेरूबली में इसकी फैक्टरी है। इसी तरह जो बांस है वह रायगढ़ा में चला जाता है। जिसकी मदद से वहां पर जे॰ के॰ पेपर मिल बनाई गयी है। इस तरह जो कच्चा माल है वह भी बाहर चला जाता है।

मैं प्रधानमंत्री जी से और उद्योग मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि मेरे क्षेत्र में सरकारी या गैर सरकारी कोई इण्डस्ट्री होनी चाहिए।

डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश रायपुर जिले के दरियाबंद तहसील में हीरों का जिस प्रकार से उत्खनन कार्य राष्ट्रीय खनिज निगम से निकालकर दक्षिण अफ्रीका बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को दिया जा रहा है, उसके अन्तर्गत जो हजारों करोड़ रुपयों का उत्खनन कार्य होने वाला है, उसमें करोड़ों रुपये का गोलमाल होने की संभावना है।

मुझे जहां तक पता चला है कि उसमें केन्द्रीय अधिकारियों व केन्द्रीय मंत्री के यहां से निर्देश आया है कि यह कार्य विदेशी कम्पनियों को दिया जाये। मुझे आशंका है कि खनिज धातु निगम को अलग करके और राष्ट्रीय खनिज धातु को न पूछकर जो यह कार्य किया जा रहा है, वह ठीक नहीं है। इस विभाग के सचिव ने भी इस पर आपत्ति उठाई और कहा कि सरकार को इसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए।

मेरा आपसे अनुरोध है कि इन विदेशी कम्पनियों को उत्खनन कार्य देने से पहले पुनर्विचार करें। इस संबंध में ठीक से कार्यवाही करें अन्यथा जो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा रहा है तथा जो सूचनायें मिल रही हैं, उसके आधार पर लगता है कि मनमाने ढंग से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को निर्विवाद रूप से यहां प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। हमारे राष्ट्रीय धातु खनिज निगम जो है, उसको नुकसान पहुंच रहा है और इस प्रकार सरकार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है।

[अनुवाद]

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, दक्षिणी असम, विशेष रूप से बारक घाटी में विद्युत आपूर्ति में काफी कटौती चल रही है। मैंने इस मामले को असम सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के समक्ष बार-बार उठाया है, परन्तु स्थिति में तनिक भी सुधार नहीं हुआ है। असम को पड़ौसी राज्यों मेघालय, मणिपुर तथा त्रिपुरा से बिजली मिल रही है यद्यपि उसके पास विद्युत उत्पादन के अपने संसाधन हैं। करीमगंज जिले में आदमटीला और कछार में बाराखांडी से गैस बाहर आ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दास, सदन में एक पहले से तैयार भाषण पढ़ना मना है। हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिये।

श्री द्वारका नाथ दास : महोदय, यह अनुमान है कि उपरोक्त स्थानों में निकल रही गैस से कम से कम 35 से 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, परन्तु अभी तक कोई प्रयास नहीं किये गये हैं। यही कारण है कि मैं भारत सरकार से मामले की जांच करनो का अनुरोध करता हूं ताकि दक्षिणी असम को विद्युत आपूर्ति में बार-बार की भारी कटौती से बचाने हेतु गैस से विद्युत उत्पादन करने अथवा अन्य उपाय अपनाने के लिये तुरन्त कदम उठाये जा सकें।

[हिन्दी]

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश के हजूराबाद, करीम नगर डिस्ट्रिक्ट में पदमश्री एक्सप्लोसिव्स कम्पनी है जिसके पास एक्सप्लोसिव्स बनाने का लाइसेंस है। वह कम्पनी पंजाब के टैरोरिस्टस को, जे॰ के॰ एल॰ एफ॰, आसाम मिलिटैटस को इललीगली एक्सप्लोसिव्स सप्लाई करती है। उसमें बड़े-बड़े पौलिटिशियन्स भी इनवॉल्व हैं। उस कम्पनी के सप्लॉयर को एक्सप्लोसिव्स मैटिरियल ले जाते हुए अजमेर में पकड़ा गया था। राजस्थान सरकार ने सी॰ बी॰ आई॰ इन्क्वारी की और उसे टाडा में बुक कर दिया।

'उदयम' पेपर के एडीटर ने इस विषय को अखबार में निकाला जिसके कारण उन्हें नौकरी से जबरदस्ती इस्तीफा देना पड़ा।

यही नहीं, उसने आंध्र प्रदेश के नक्सलियों को भी इललीगली एक्सप्लोसिव्स बेचे जिससे एक हजार लैंड माइन ब्लास्ट हुए, एक सुपरिन्टैन्डैन्ट ऑफ पुलिस, एक एडीशनल सुपरिन्टैन्डैन्ट ऑफ पुलिस और 126 पुलिसकर्मी मारे गए, 36 सिविलियन भी मारे गए, एक हजार बसें ध्वस्त हो गई और छः सौ प्राईवेट मकान डिस्ट्रॉय हो गए।

[अनुवाद]

सर्वाधिक दुर्भाय पूर्ण बात यह है कि 'उदयम' के संपादक को जबरदस्ती इस्तीफा देना पड़ा। इसका कारण यह है कि आंध्र प्रदेश में इस समाचार पत्र के मालिक कांग्रेस के एक संसद सदस्य हैं।

आंध्र प्रदेश में इतने पत्रकारों पर हमला किया गया था प्रेस की स्वतंत्रता का हनन किया गया था। अब चूंकि मालिक संसद के सदस्य थे इसलिये उन्होंने **'उदयम'** के संपादक को अपने पद से इस्तीफा देने को बाध्य किया।

महोदय, कांग्रेस के नेता और यहां तक कि प्रधान मंत्री भी हमेशा कहा करते थे कि हमारा पहला कर्त्तव्य अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना है। परन्तु यहां तो यह कंपनी 'जे॰ के॰ एल॰ एफ॰'; 'लिट्टे' तथा अन्य संगठनों को विस्फोटक पदार्थ बेच रही है।

इसलिए, आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि यह सुनिश्चित करने हेतु नये सिरे से सी बी आई द्वारा जांच करायी जाये ताकि दोषी व्यक्तियों को चाहे वे जो भी हों, सजा दी जा सके। यहां तक कि तथाकथित बड़े राजनीतिज्ञ विस्फोटक पदार्थों का व्यापार करने वाली ऐसी कम्पनियां चला रहे हैं। उन्हें भी सजा मिलनी चाहिये। .....**(व्यवधान)**.....

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बंडारू, मैंने पहले ही घंटी बजा दी है। इसके बावजूद आप बोले जा रहे हैं। यह उचित नहीं है। .....**(व्यवधान)**.....

श्री दत्तात्रेय बंडारू : मैं मांग करता हूं कि सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा जांच करायी जाये और जो भी दोषी पाया जाये उसे सजा दी जाये। .....(व्यवधान).....

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा उस पर मेरा कोई विवाद नहीं है। मैं उनके अधिकार का सम्मान करता हूं। उन्होंने दूसरे सदन के किसी संसद सदस्य के नाम का उल्लेख किया है। मेरे विचार से उन्होंने ऐसा आरोप लगाने के लिये आपको नोटिस नहीं दिया है। इसलिये इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिये। ..... (व्यवधान).....

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा।

श्री कालकादास (करोल बाग) : उन्होंने किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने केवल "कांग्रेस का कोई संसद सदस्य" कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। यदि उन्होंने किसी संसद सदस्य के नाम का उल्लेख किया है तो हम उस नाम को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल देंगे।

.....(व्यवधान).....

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह किसी सदस्य को सदन से बाहर निकलने का प्रश्न नहीं है। दूसरे सदन में केवल एक संसद सदस्य हैं जो आंध्र प्रदेश में किसी अखबार के मालिक हैं। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिये। .....(व्यवधान).....

[हिन्दी]

डा॰ परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय विद्यालय सैनिक विहार (रानी बाग), दिल्ली में 10 वर्षों से चल रहा है लेकिन आज तक उसके भवन का निर्माण नहीं हुआ जबकि मेरी जानकारी के अनुसार विद्यालय भवन के निर्माण हेतु सम्भवतया कई वर्ष पूर्व धनराशि भी जमा हो चुकी है।

वह विद्यालय टैन्टों में चल रहा है। टैन्टों की हालत बहुत ही खराब है जिससे वर्षा, गर्मी, सर्दी, सभी मौसम में छात्रों और अध्यापकों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

विद्यालय के छात्रों के लिए पीने के पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है और न ही बैठने के लिए पर्याप्त डैस्क उपलब्ध हैं। इससे छात्रों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है जिससे अभिभावकों में भी रोष है। .....(व्यवधान).....

अत: मेरी मांग है कि सरकार इसकी जांच करवाकर विद्यालय भवन, पीने का पानी, डैस्क आदि का तत्काल इन्तजाम कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को आदेश दे जिससे छात्रों की पढ़ाई ठीक से हो सके तथा अभिभावकों का रोष भी समाप्त हो।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : डा० गंगवार, शून्य काल में प्रतिदिन सबसे बाद में बोलने वाले वक्ता मत बनिए। दूसरों को भी इसमें भाग लेने दीजिए। अपने अन्य मित्रों के प्रति सहृदय बनिए। आप इस बात को अनावश्यक रूप से क्यों दोहराने में लगे हुए हैं ? आपने अपनी बात स्पष्ट रूप से कह दी है।

श्री हाराधन राय (आसानसोल) : महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री और भारी उद्योग मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सरकारी उद्यम विभाग की घोषणा के अनुसार महंगाई भत्ते में प्रति प्वाइंट 1.65 रुपये से 2 रुपये तक की वृद्धि हुई है। सरकारी क्षेत्र के एककों में कार्यरत सभी श्रमिकों को इसका भुगतान कर दिया गया है। लेकिन बर्न स्टैंडर्ड कंपनी के रिफरैक्ट्री और सिरैमिक एककों में कार्यरत श्रमिकों को कंपनी के घाटे में चलने की दलील देकर इस महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है। सरकारी क्षेत्र के सभी एककों में कार्यरत श्रमिकों को महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है, चाहे वे एकक मुनाफे में चल रहे हैं अथवा घाटे में। लेकिन इस एककों में कार्यरत श्रमिकों को इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है। सरकार को इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि इन एककों में कार्यरत श्रमिकों को भूतलक्षी प्रभाव से शीघ्र महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पटना, गया, जहानाबाद और नालन्दा के कुछ हिस्सों में यातायात का कोई प्रबन्ध नहीं है। बहुत पहले मार्टिन कम्पनी ने फतुहा से इस्लामपुर छोटी लाइन चलायी थी। वह लाइन 50 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो उस लाइन को बंद कर दिया गया। वहां के लोगों को आने-जाने की बहुत दिक्कत हो रही है। उन्हें बस का 25-30 रुपया भाड़ा देना पड़ता है। वह इलाका नक्सलवादी आन्दोलन से ग्रसित है। मेरा सुझाव है कि सरकार फतुहा से एक छोटी लाइन जो इस्लामपुर को जाती है, उसको बोधगया तक ले जाये। बोधगया एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है। यहां बहुत से विदेशी आते हैं। डेढ़ सौ किलोमीटर की लम्बाई तय करेंगे तो वहां के लोगों को आने-जाने की सुविधा होगी और वहां का पिछड़ापन दूर होगा। सरकार इस पर विचार करके इस लाइन को फिर से चालू कराये।

श्री वृशिण पटेल (सीवान) : उपाध्यक्ष महोदय, राजमहल परियोजना देश की नहीं एशिया की सबसे दूसरी बड़ी कोयला खनन परियोजना है जो बिहार के गोंडा जिले के अन्तर्गत मममटिया में व्यवस्थित है। 1984 में इसके भू-अर्जन का काम समाप्त हो गया था लेकिन आज भी बड़े पैमाने पर मुआवजा देने का काम तय नहीं हो पाया है। मैं उदाहरणस्वरूप सिर्फ एक गांव की बात आपको कहना चाहूंगा। हिजुकीटा के सम्पूर्ण गांवों का इस परियोजना के अन्तर्गत भू-अर्जन हुआ, लेकिन सिर्फ यह एक गांव है, जिसका 50 फीसदी भू-अर्जन का निपटारा आज तक नहीं हो पाया है। इस परियोजना के अन्तर्गत जमीन के बदले जो नौकरी देने की बात थी, वह नही हो पायी है। इसके अन्तर्गत जिन मकानों का मूल्यांकन किया जा रहा है, वह भी सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। इस परियोजना के द्वारा गांवों के समुचित विकास के लिये अतिरिक्त विकास की योजना बनानी चाहिये थी,

उस पर भी इस परियोजना के पदाधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वर्षों से इस समस्या के निदान के लिये जो लोग सवाल उठा रहे हैं, वहां के स्थानीय प्रबन्ध के लोग आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन इसको कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं।

अत:, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि कृपया इन मांगों को यथाशीघ्र कार्यान्वित कराने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री पी॰ सी॰ थामस (मुवत्तुपुजा) : दिल्ली के दर्शन अभी हाल ही तक दिल्ली में ही बिना डिश एंटीना के ही लगभग छह या सात क्षेत्रीय कार्यक्रम देख सकते थे। हाल ही में 13 नये चैनल शुरू किए गए हैं। यह एक गर्व की बात है कि हम भारत भर में लगभग दस क्षेत्रीय कार्यक्रम देख सकते हैं।

दिल्ली में अब हमारे पास "टेरेस्ट्रीयल ट्रांसमीशन" नामक एक प्रणाली है जोकि स्थलीय प्रसारण करती है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से हम दिल्ली में ही क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम भलीभांति और स्पष्टत: देख सकते हैं।

अब जब तक हमारे पास एक बहुत महंगा डिश एंटीना नहीं होगा, हम दिल्ली में क्षेत्रीय भाषाओं के कोई कार्यक्रम नहीं देख सकते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी और यहां उपस्थित संसदीय कार्य मंत्री जी से यह बात सूचना और प्रसारण मंत्री के ध्यान में लाने का अनुरोध करूंगा कि यह "टेरेस्ट्रीयल ट्रांसमीशन" प्रणाली दिल्ली और भारत के अन्य शहरों में पुन: शुरू की जाये ताकि देश भर में हम लगभग दस क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम देख सकें।

संसदीय कार्यवाही का भी अब सीधा प्रसारण होता है लेकिन कहीं वह प्रसारण स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और कई स्थानों पर उसे स्पष्टरूप से नहीं देखा जा सकता। अत: मैं उक्त कार्यक्रम दिल्ली में पुन: शुरू करने के लिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : मान्यवर उपाध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा भारत सरकार के पैट्रोलियम मिनिस्टर का ध्यान अपने जिले की ओर खींचना चाहूंगा।

बिहार राज्य के रोहताश और झाबुआ जिला की आबादी लगभग 20 लाख है। इन जिलों में आजकल गैस कनैक्शंस का काफी अभाव है। वहां लकड़ी पर प्रतिबन्ध लग गया है और कोयला मिलता नहीं है। वहां केवल एक गैस एजेंसी है, जो पर्याप्त मात्रा में सिलैण्डर सप्लाई नहीं कर रही है। वहां सिलैण्डरों पर ब्लैक होता है। 28.8.1987 को भारत सरकार द्वारा रोहताश जिले के विक्रमगंज में अनुसूचित जाति के लोगों को गैस एजेंसी देने के लिए एक विज्ञापन निकला था। दोबारा जनवरी, 1994 में निकला, लेकिन आज तक उसमें भारत सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, फलस्वरूप गैस का ब्लैक किया जा रहा है और दुकानदार मनमाने ढंग से ग्राहकों से पैसा लेते हैं। वहां दो की जगह एक सिलैण्डर की सप्लाई करते हैं। वहां गैस की काफी किल्लत है इसलिए

मैं भारत सरकार के पैट्रोलियम मिनिस्टर से मांग करता हूं कि यथाशीघ्र रोहताश जिले के विक्रमगंज में अनुसूचित जाति के लिए जो विज्ञापन निकला है, अगर वह नहीं होता है तो जनरल में उसको टर्न करके विज्ञापन निकाला जाय और यथाशीघ्र गैस एजेंसी दी जाय।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्ज़ापुर) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर भदौही दुनियां का सबसे बड़ा कालीन उद्योग का क्षेत्र है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधान मंत्री बाल श्रमिकों के बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं कि बाल श्रमिकों का उद्योगों से उन्मूलन किया जायेगा और बाल श्रमिकों द्वारा किसी भी उद्योग में कार्य नहीं करने दिया जायेगा।

1.51 म० प०

[श्री नीतिश कुमार पीठासीन हुए]

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अभी-अभी श्रम मंत्री मेरे क्षेत्र में दौरा करने गये थे तो मिर्जापुर भदौही कालीन उद्योग क्षेत्र का भी उन्होंने दौरा किया था और बातचीत में बताया था कि यहां कोई बाल श्रमिक नहीं है। में भी उद्योगों में बाल श्रम के विरोध में हूं। जो श्रम प्रधान उद्योग हैं, उनमें श्रम का शोषण नहीं होना चाहिए, मैं उसका विरोध करता हूं। बालकों से जबरदस्ती श्रम नहीं कराया जाना चाहिए लेकिन जो लोग स्वयंसेवी संगठन बनाकर देश में इस कालीन उद्योग को, जो देश को 1200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा देता है, उसका दुष्प्रचार जाकर विदेशों में करते हैं। यह दुष्प्रचार करते हैं कि बाल-श्रम के खून से रंग कर कालीन बनाया जाता है। यह प्रचार करते हैं कि जो श्रमिक काम करते हैं, उनके नाखून खींच लिए जाते हैं। उनको विवश कर कालीन बनाया जाता है। जो राष्ट्र विरोधी काम करते हैं, उनके बारे में कई बार सदन में सवाल आ चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वे देश का ही अपमान नहीं करते हैं, बल्कि राष्ट्र विरोधी काम भी करते हैं और देश का आर्थिक नुकसान करते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसे राष्ट्रद्रोही व्यक्ति का यदि सम्मान किया जाता है, तो सरकार यह गलत काम करती है, जो कि सरकार को नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकद्दमा चला कर जेल की सीखचों के बीच से जकड़ लेना चाहिए। ये वे व्यक्ति हैं, जो राष्ट्रद्रोह का काम करते हैं और देश में स्वयं सेवी संगठन बनाकर विदेशों से पैसा लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वे उद्योग को बाल-श्रम से मुक्त करायें। वे कहते हैं कि वे बाल श्रमिकों को मुक्त कराते हैं, तो सरकार के सामने उनको आंकड़ा पेश करना चाहिए। अगर यह आंकड़ा सही साबित होता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का सम्मान व्यक्तिगत रूप से चौराहे पर और अपने संसदीय क्षेत्र में कराऊंगा। ऐसे राष्ट्रद्रोही काम करने वाले लोग जर्मनी जाकर और अमरीका जाकर, दूसरे देशों का कालीन बिकवाने का काम करते हैं और इस तरह का कानून बनाना चाहते हैं कि मिर्जापुर-भदोही का कालीन बिके तो उनके द्वारा निर्देशित या परमिट करने पर ही बिकें। ऐसे राष्ट्रद्रोही लोगों पर मुकद्दमा चलाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश और बिहार में लगभग 25 लाख लोगों को कालीन उद्योग में रोजगार मिलता है। यदि इनके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया तो यह कालीन उद्योग तबाह हो जाएगा। मैं जानता हूं, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि कालीन उद्योगपतियों से पैसा लेकर संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि इस तरह की बात करके संसद में काम करते हैं। लेकिन, सभापति महोदय, मैं दावे के साथ कहता

हूं कि इस तरह के राष्ट्रद्रोही मुझ पर जो आरोप लगाते हैं, तो दुनियां में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझे सही कहने से रोक सके और मुझे खरीदने की ताकत उसमें हो।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रद्रोही लोग जो स्वयं सेवा संगठन बना कर बालदासता हटाने का अभियान चला रहे हैं, बालदासता के उसके माध्यम से पैसा कमा रहे हैं, राष्ट्रद्रोही काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल की सीखचों में डाल दिया जाना चाहिए। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० कुमारासामी (पलानी) : महोदय, मैं इस सामान्य सभा के माध्यम से तमिलनाडु में सेतु समुद्रम परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने की अत्यावश्यकता का केन्द्र सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं जिसकी माननीय मुख्य मंत्री डा० पुराची थल्लावी ने मांग की है।

यह परियोजना, जिसमें तमिलनाडु में आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा पांच दशकों से केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिए लटकी पड़ी हैं। चूंकि बारम्बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद भी इस परियोजना को मंजूरी नहीं मिली; अत: हमारी माननीय मुख्य मंत्री ने 21 अगस्त को नये सिरे से एक अपील की और मांग की कि तूतीकोरन पत्तन विस्तार परियोजना के साथ ही सेतुसमुद्रम परियोजना को शीघ्र मंजूरी दी जाये।

जहां इस परियोजना से तमिलनाडु में आर्थिक गतिविधियों का बल मिलेगा, वहीं इससे प्रतिवर्ष 130 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी चूंकि इससे देश को पश्चिमी और पूर्वी पत्तनों के बीच का समुद्री मार्ग 755 से 402 नॉटिकल मील कम हो जायेगा। इससे तमिलनाडु, हल्दिया से तूतीकोरन ताप विद्युत केन्द्र तक कोयला लाने में प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपये बचा सकेगा। इस समय पोतों को कन्याकुमारी से मद्रास के लिए श्रीलंका का चक्कर काटकर जाना पड़ता है।

सेतु समुद्रम परियोजना के साथ ही तूतीकोरन पत्तन विस्तार परियोजना पर कार्य आरंभ करने संबंधी प्रारूप जो कि मूल रूप से 1860 में ब्रिटिश नेवी कमांडर ने तैयार किया था के लिए ए० रामा स्वामी मुदलियार समिति ने सिफारिश की थी चूंकि तूतीकोरन पत्तन पर पोत आवागमन सीमित रूप से ही हो सकता है। यद्यपि, इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 1964 में नागेश्वर समिति ने पुन: सिफारिश की थी यह एक दुर्भाग्य की बात है कि यह परियोजना अभी भी केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ी है।

हमारी माननीय मुख्य मंत्री ने परियोजना का प्रारूप तैयार होने के बाद से इससे जुड़े सभी मुद्दों के संबंध में भरपूर प्रयास किए हैं। हमारी माननीय मुख्य मंत्री ने यह बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है कि यह परियोजना तमिलनाडु के लिए कितनी अत्यावश्यक है।

अत:, मैं केन्द्र सरकार से सेतुसमुद्रम और तूतीकोरन पत्तन विस्तार परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह करता हूं जिसकी मांग हमारी माननीय मुख्य मंत्री ने की है।

2.00 म० प०

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मुझे दो बातें कहनी हैं। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका

में नई सरकार बनी है और श्रीमती चंद्रिका कुमार तुंगा ने प्रधान मंत्री पद संभाला है। वह एक मिली जुली सरकार का नेतृत्व कर रही हैं। यहां तक कि तमिल पार्टी भी श्रीमती चंद्रिका तुंगा को सशर्त समर्थ दे रही हैं। 17 वर्षों तक श्रीलंका में एक अन्य पार्टी का शासन था और 17 वर्षों की इस लंबी अवधि में श्रीलंका में गंभीर जातीय समस्या रही जिससे वहां तबाही हुई और इसका भारत में भी प्रतिकूल असर पड़ा।

महोदय, यह एक संतोष की बात है कि श्रीमती चंद्रिका कुमारतुंगा ने चुनाव प्रचार के दौरान एक वायदा किया था कि वह तमिल ग्रुपों, आतंकवादियों आदि से सीधी बातचीत करेगी और इस तरह से वह श्रीलंका में इस दु:खदायी और दीर्घ काल से चली आ रही जातीय समस्या का अंत कर देगी।

यही वह समय है जब भारत में भी हमें उनका इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहिए और बधाई देनी चाहिए। महोदय, जैसाकि आपको विदित है कि श्रीलंका 'सार्क' समूह का एक सदस्य देश है। मैं इस अवसर पर श्रीलंका की नयी प्रधान मंत्री को बधाई देना चाहता हूं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं तथा उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और यह कामना करता हूं कि उनके शासन काल में भारत-श्रीलंका संबंध और प्रगाढ़ हों और उस दु:खदायी तथा दीर्घ काल से चली आ रही जातीय समस्या का संतोषजनक हल निकल आए जो हमारे देश के लिए भी चिंता की बात रही है।

मैं समझता हूं कि अन्य दल भी मुझ से सहमत होंगे। दूसरी बात यह है .....(व्यवधान).....

सभापति महोदय : आप अभी दो मुद्दे नहीं उठा सकते हैं। अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

.....(व्यवधान).....

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : महोदय, अत्यंत गंभीर मुद्दे हैं। .....(व्यवधान).....

सभापति महोदय : अब अब शून्यकाल समाप्त होता है।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्री कल्पनाथ राय सभा पटल पर पत्र रखेंगे।

2.02 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 1994

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : महोदय मैं चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत चीनी विकास नीति (संशोधन) नियम, 1994, जो 6 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 435 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी० 6322/94]

भारतीय पशु चिकित्सा, परिषद, नई दिल्ली का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन और

कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6323/94]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 66 की उपधारा (6) के अंतर्गत भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (पशु चिकित्सा शिक्षा का न्यूनतम स्तर) उपाधि पाठ्यक्रम (पशु चिकित्सा विज्ञान और पशु पालन स्नातक) विनियम, 1993, जो 7 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 69 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6324/94]

वर्ष 1994-95 के दौरान जारी किए गए बाजार ऋणों के परिणामों को दर्शाने वाला एक विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (महिला एवं बाल विकास विभाग) (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : महोदय, श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति की ओर से मैं वर्ष 1994-95 के दौरान जारी किये गये बाजार ऋणों के परिणामों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6325/94]

हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा कर्नाटक कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : महोदय, मैं श्री एस॰ कृष्ण कुमार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) कर्नाटक कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6326/94]

(ग) (एक) मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6327/94]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6328/94]

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय दिल्ली का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : महोदय, कुमारी शैलजा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6329/94]

2.03 म. प.

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना देनी है :-

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग संख्यांक 31 विधेयक, 1994 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 9 अगस्त, 1994 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था। वापस लौटाने और यह बताने का निर्देश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 1994 को जिसे लोकसभा द्वारा अपनी 9 अगस्त 1994 की बैठक में पारित किया गया था और राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निर्देश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 1994 को जिसे लोकसभा द्वारा अपनी 9 अगस्त 1994 की बैठक में पारित किया गया था और राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निर्देश हुआ कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

2.04 म. प.

रेल अभिसमय समिति
सातवां प्रतिवेदन

श्री एम. बागा रेड्डी (मेडक) : महोदय, मैं रेल अभिसमय समिति के रेलवे में कर्मचारी कल्याण और औद्योगिक संबंध के बारे में सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इससे संबंधित कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं। .....(व्यवधान).....

2.04 ½ म. प.

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : राम कृपाल जी, 2 बजे तक जीरो ऑवर था, अब आप कल अपने सवाल को उठाइए।

श्री राम कृपाल यादव : अगर कल मुझे अपने सवाल को उठाने की अनुमति दी जाएगी तो मैं बैठ जाता हूं। .....(व्यवधान).....

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। आप वरिष्ट सदस्य हैं। इस तरह सभापति के साथ तर्क-वितर्क मत कीजिये। .....(व्यवधान).....

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। सभापति महोदय, यह जो चीनी विकास नीति संशोधन नियम 1994 सभा पटल पर रखने जा रहे हैं, इस पर मुझे आपत्ति है, जिसकी सूचना भी मैंने दी है। इसके बारे में नियम 72 में लिखा है–

"यदि किसी विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाए तो अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे तो, प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य और प्रस्ताव को पेश करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य दिए जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रेतर वाद-विवाद के, प्रश्न रख सकेगा।"

इसमें आगे यह भी कहा गया है कि यदि अध्यक्ष चाहे तो पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकता है।

सभापति महोदय, इसलिए मैं अपना विरोध प्रकट करना चाहता हूं। इसके उद्देश्य और कारण जो रखे जा रहे हैं, उन पर मुझे आपत्ति है। इसके मुताबिक गन्ना उत्पादकों से सैस वसूल किया जाएगा और मिल मालिकों को आधुनिकीकरण के नाम पर ग्रांट दी जाएगी। कहा यह जा रहा है कि गन्ने का और खेती का विकास किया जाएगा, अनुसंधान पर खर्च किया जाएगा, परंतु ग्रांट मिल-मालिकों को देने की बात की गई है। इस तरह से मिसलीड किया जा रहा है। इस तरह से जो उद्देश्य बताए गए हैं, उनसे शंका उत्पन्न होती है, इसलिए मैंने इस सवाल को उठाया है और मैं आपके माध्यम से अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना चाहता हूं।

सभापति महोदय : ठीक है, आपका प्रोटेस्ट दर्ज हो गया है, आपका प्वाइंट ऑफ आर्डर, आउट ऑफ आर्डर है। अब आप बैठ जाइए।

2.06 म० प०

खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति चौथा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्लहौर) : सभापति महोदय, मैं खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का उपभोक्ता संरक्षण के बारे में चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की इससे संबंधित बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

2.06 ½ म० प०

कार्य मंत्रणा समिति
पैंतालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) मैं प्रस्ताव करता हूं–

"कि यह सभा दिनांक 22 अगस्त, 1994 को सभा में प्रस्तुत किए गये कार्य मंत्रणा समिति के पैंतालीसवे प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ;

"कि यह सभा दिनांक 22 अगस्त, 1994 को सभा में प्रस्तुत किए गये कार्य मंत्रणा समिति के पैंतालीसवे प्रतिवेदन से सहमत है।"

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदय, मैंने इस पर संशोधन दिया है। मेरा संशोधन यह है कि नियम 290 के अन्तर्गत इसे बीएसी को वापिस भेजा जाए। मैंने यह संशोधन दो बातों को लेकर दिया है, जबकि हमारे संशोधन को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। पहली बात तो यह रिपोर्ट इस सप्ताह के बचे हुए समय के लिए है। इसमें ड्राफ्ट रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल पालिसी पर 5 घंटे, सेलरी अलाउंसेस, लीव एंड पेंशन फार दी आफीसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ दी हाई कोर्ट बिल और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के लिए है, जिसके लिए 2 घंटे रखे, 193 के अंतरगत लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के असेसिनेशन के संबंध में दी गई जानकारी पर बहस का इंतजाम है। हम चाहते थे कि चीनी घोटाले पर यहां पर बहस हो, जिसके लिए हम पिछले कई दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं। हम लोगों की गैर-हाजरी में सदन में बहुत कुछ पारित हो गया, लेकिन अंतिम दिनों में चीनी घोटाले पर बहस होगी, इस आशा के साथ हम लोग बैठे थे। बहुत अफसोस है कि बीएसी ने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा का निर्णय नहीं लिया, जबकि खाने का समय काटने के बाद सदन का 10-12 घंटे का समय बाकी बचा है।

कल चार घंटे और परसों भी चार घंटे और शुक्रवार को एक-आध घंटा मिलेगा और शुक्रवार को हम लोग सदन को स्थगित करने जा रहे हैं। मेरा आग्रह है कि इस रिपोर्ट को वापिस भेजना चाहिए। चीनी घोटाले पर बहस के लिए बी ए सी फिर एक बार विचार करे और उसे अपनी कार्य सूची में रखने का काम करे। ये जो दो महत्वपूर्ण विधेयक लिखे गए हैं तो इन विधेयकों के बारे में विरोध है। मेरा यह कहना है कि ये विधेयक इसमें नहीं आ सकते हैं। मैं जानता हूं कि इस पर बहस दूसरे सदन में हो रही है और जिस तरह से इसको पारित करके इस सदन में भेज सकता है तो उसको यहां प्रेषित करने का सवाल नहीं आयेगा बल्कि वह सीधे बहस के लिए आ जाएगा। मैं इन दोनों विधेयकों को चुनौती दे रहा हूं। मैं आपका ध्यान धारा-146-(2) और धारा-229(2) पर आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : जब विधेयक आए तब आप इस पर आपत्ति करें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : एक तो इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर विरोध करना है। यह विधेयक यहां पर इन्ट्रोड्युस नहीं होगा जबकि यह विधेयक आपने बहस के लिए रखा है। मैं बी ए सी के निर्णय को चुनौती दे रहा हूं। यह विधेयक किसी भी रूप में सदन में लाने का अधिकार नहीं है। मैं लेजिस्लेटिव कंपीटेंस के प्रश्न पर हूं। पिछले अनेक सालों में इस सदन में मैंने लेजिस्लेटिव कंपीटेंस को लेकर एक विधेयक का नहीं बल्कि कई विधेयकों का विरोध किया।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : यह प्रश्न नहीं उठता। .....(व्यवधान).....

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह प्रश्न उठता है। .....(व्यवधान).....

श्री पवन कुमार बंसल : इन विधेयकों पर चर्चा के लिए ही समय निर्धारित किया गया है। ..... (व्यवधान).....

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपने इसको एजेंडा पर लाने का काम किया है तो यह एजेंडा पर नहीं आ सकता है।

सभापति महोदय : बी ए सी रिपोर्ट पर अमेंडमेंट को लेकर कोई बात हो सकती है। नए आईटम के बारे में चर्चा नहीं होती है। उस संबंध में आप कोई अमेंडमेंट देना चाहें तो नेक्स्ट वीक बिजनेस के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री जी का स्टेटमेंट होगा तो उस समय दे सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं धारा को पढ़ता हूं :

"प्रतिवेदन को सभा के समक्ष उपस्थापित किए जाने के बाद किसी भी समय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि सभा प्रतिवेदन को स्वीकार करती है या संशोधन के साथ स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है।

परन्तु यह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि प्रतिवेदन या तो बिना परिसीमा के या किसी विशेष विषय के संबंध में समिति को वापस भेज दिया जाये।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय : नए आईटम को जोड़ने का इस पर अमेंडमेंट का कोई प्रिसिडेंस नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : प्रिसिडेंज अलग चीज है, मेरे अधिकार की बात अलग है। प्रिसिडेंस का होना न होना संसद का अंतिम निर्णय होगा।

सभापति महोदय : आपको बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी के नियमावली के पृष्ठ 241 में कहा गया है :

'कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की ग्राह्यता के लिए संकल्प में संशोधन समिति द्वारा संस्तुत समय के आवंटन में परिवर्तन करके हेतु, लाया जा सकता है, किन्तु संशोधनों द्वारा कार्य की नई मदें नहीं जोड़ी जायें,"

यह 1981 में चन्द्रजीत यादव जी का मोशन था, इस पर स्पीकर की रूलिंग है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं लेजिस्लेटिव कंपीटेंस की बात कर रहा हूं।

श्री पवन कुमार बंसल : इस आपत्ति पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। महोदय, यह निर्णय आपको लेना है कि विधाई महत्व का यह प्रश्न उठाया जा सकता है अथवा नहीं। केवल आपकी अनुमति से ही यह प्रश्न उठाया जा सकता है।.....(व्यवधान).....

मेरा निवेदन है कि विधाई महत्व के इस प्रश्न को इस स्थिति में नहीं उठाया जा सकता है। इसपर अपना निर्णय लेने के बाद उन्हें बोलने की अनुमति दें। अन्यथा वह इस मुद्दे पर नहीं बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : प्वाइंट ऑफ आर्डर पर मेरी सुनिये।

सभापति महोदय : अभी तो आप संशोधन पर थे।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है। कृपया कार्य मंत्रणा समिति के कृत्यों के लिए नियम 288 देखिये। मैं नियम उद्धृत करता हूं :

"समिति का यह कृत्य होगा कि वह ऐसे सरकारी विधेयकों के प्रक्रम या प्रक्रमों तथा अन्य कार्य पर चर्चा के लिए समय के बटवारे की सिफारिशें करें जिन्हें अध्यक्ष सदन-नेता के परामर्श से समिति को सौंपे जाने का निदेश दें।

समिति को प्रस्थापित समय-सूची में यह दर्शाने की शक्ति होगी कि विधेयक के विभिन्न प्रक्रम तथा अन्य कार्य किस-किस समय पूरे होंगे।

समिति ऐसे अन्य कृत्य करेगी जो अध्यक्ष द्वारा उसे समय-समय पर सौंपे जायें।"

अब, कार्य मंत्रणा समिति को इन कृत्यों का निर्वहन तथा कार्य के विभिन्न मदों, जिन्हें सभा के समक्ष लाया जाये, के लिए समय आवंटित करना है। मैं मामले के महत्व पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, किन्तु इस प्रकार से संशोधन नहीं किया जा सकता है और इस अवस्था में ये मुद्दे नहीं उठाये जा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं पाइंट ऑफ आर्डर पर कह रहा हूं। यह विधेयक आज पहली बार हम लोगों को सर्कुलेट हुआ है। सर्कुलेट होने के साथ-साथ बी० ए० सी० की रिपोर्ट में इस पर दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है। दूसरे सदन में यह विधेयक पड़ा हुआ है और वहां पर बहस चल रही है।

श्री पवन कुमार बंसल : कार्य मंत्रणा समिति पहले ही सिफारिश कर सकती है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : एंटीसिपेशन का सवाल नहीं है। कल इस सदन में यह विधेयक आता है तो इंट्रोड्यूस होने के लिए नहीं आयेगा। हमारे नियम यह कहते हैं कि आप विधेयक का विरोध लेजिस्लेटिव कम्पीटेंस के मामले में इंट्रोडक्शन स्टेज पर कर सकते हो। हमारे सदन में यह बिल इंट्रोड्यूस होने वाला नहीं है, सीधे विचारार्थ के लिए आने वाला है। विचारार्थ की स्टेज पर आप लेजिस्लेटिव कम्पीटेंस की बात को नहीं छेड़ सकते हैं। आप कोल एंड शकधर के नियम को देखें।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, यदि एक सभा किसी विधेयक को पारित करती है, तो दूसरी सभा

इस पर विचार करने के लिए बाध्य है और तभी सारे मुद्दे उठाए जा सकते हैं, यद्यपि विधायी महत्व के प्रश्नों पर निर्णय संसद द्वारा नहीं अपितु न्यायालयों द्वारा दिया जाता है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज : इसलिए मुझे जो चुनौती देनी है वह ऐसे ही मौके पर दे सकता हूं, वरना नहीं दे सकता हूं।

सभापति महोदय : बंसल जी ने जो पाइंट ऑफ आर्डर रेज़ किया है, वह वेलिड है। आप इस स्टेज पर बी० ए० सी० की रिपोर्ट पर लेजिस्लेटिव कम्पीटेंस का सवाल रेज़ नहीं कर सकते। आप बी० ए० सी० की रिपोर्ट पर जो मोशन मूव हुआ है उस पर बोलना चाहते हैं। आप उसको चैलेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जैसा अभी बंसलजी ने कहा कि इस स्टेज पर नहीं कर सकते, वह मेरी समझ में दुरूस्त लगता है। अगर आप इस पर कोई आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो मैं उसकी इजाजत दे सकता हूं। लेकिन इस अमेंडमेंट में सदन में राय लेना सम्भव नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : वह एक ही बात कह सकते हैं कि क्या वह आवंटित समय से संतुष्ट हैं अथवा नहीं। यदि इसमें कोई परिवर्तन किया गया है, तो वह संसोधन ला सकते हैं और उस पर विचार हो सकता है तथा इस स्थिति में किसी और बात की अनुमति नहीं दी सकती है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज : हमारा जो विरोध है वह इस आधार पर है, जो मैंने आपके सामने रखा है। यह विधेयक आर्टिकल 142 '2' के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार हैं, उन अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट से हटाने वाली बात करनी है, वह केवल संविधान संशोधन से हो सकती है, इस विधेयक से नहीं हो सकती है।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, आपके निर्णय के बावजूद वह अभी भी वही मुद्दा उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

डा० एस० पी० यादव (सम्भल) : इनको बोलने क्यों नहीं देते।

श्री पवन कुमार बंसल : इस पर नहीं बोल सकते।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : यह मामला रिवर्स गियर में जा रहा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपसे राय नहीं मांग रहा हूं। कृपया बैठ जाइये।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, आप हमारी राय नहीं भी मांग रहे हैं तो फिर भी जब हम आवश्यक समझते हैं तो हमें राय देनी पड़ती है। .....**(व्यवधान)**.....

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, आपके निर्णय के बाद वह अनुरोध नहीं कर सकते हैं। वह अभी भी अपना वक्तव्य दे रहे हैं।

सभापति महोदय : वह जो कुछ कहना चाहते हैं, हमें उसे सुनना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : लेजिस्लेटिव कम्पीटेंस के तर्क पर आपकी बात मान ली लेकिन बात मानने के बाद यह कहना है कि यह विधेयक जिस रूप में आया है वह कास्टीट्यूशनल अमेंडमेंट के आधार पर आना चाहिये। यदि कम्पीटेंस की बात पर बहस के लिये स्वीकार कर लिया तो भी कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट के आधार पर यह विधेयक आना चाहिये और इसलिये सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस रूप में यह विधेयक उन्होंने पेश किया है, उसमें सुधार लाने की जरूरत है। अगर आप कल या परसों बहस के लिये लेंगे और मैं उस वक्त खड़ा होकर कहूं तब मुझे नहीं कहा जाना चाहिये कि अब आप इस मामले को नहीं उठा सकते हैं और जब BAC में मामला आया था तो उस समय आपने क्यों नहीं उठाया था। सभापति जी, मेरा इस सदन में यह अनुभव हो चुका है कि जहां मैंने टोका, वहां पर अध्यक्ष जी ने मुझे बैठा दिया यह कहकर की आपको पहले सचेत होना चाहिये था, समय रहते उठाना चाहिये, अब देर हो चुकी है। इसलिये जो भी इसमें काविंयात है, वह लगा देना चाहता हूं और जब यह आ जायेगा जो भी इसका विरोध होगा, हम करेंगे।

सभापति जी, चीनी घोटाले के बारे में, आर्थिक नीति के मामले के बारे में इस सदन में बहस होना अनिवार्य है। इसलिये इस विधेयक को कल या परसों लेने से कुछ नहीं बिगड़ेगा और जहां तक जैन या अन्य किसी कमिशन के मामले की बात है तो इनको बहस में लेने की बात तो पोस्ट मार्टम की बात होगी। जो मैंने पहले दो विषय बताये हैं, उन पर बहस होना जरूरी है। मेरा आग्रह है कि मेरे अमेंडमेंट के साथ इसे BAC को वापस भेजा जाये।

सभापति महोदय : जहां तक BAC के मोशन पर अमेंडमेंट का सवाल है, उसमें अमेंडमेंट इस नेचर का नहीं लाया जा सकता है। समय के बारे में कोई भी बात हो सकती है लेकिन नये आइटम को ऐड करने की बात नहीं हो सकती है। जहां तक लेजिस्लेटिव कम्पीटेंस का सवाल है, उसके लिये इस समय कोई चर्चा इस मोशन पर अमेंडमेंट के माध्यम से नहीं हो सकती है। आपने शूगर के मामले की बात उठायी तो उसके लिये 25.08.94 को शार्ट ड्युरेशन डिक्कशन मंजूर हुई है। इस चीज को ध्यान में रखते हुये अब इस बात को सदन की राय जानने के लिये रख रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा दिनांक 22 अगस्त 1994 को सभा में प्रस्तुत किए गये कार्य मंत्रणा समिति के पैंतालीसवे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव पारित हुआ।

2.23 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्यप्रदेश में बाराद्वार में इस्पात डोलोमाइट खानें पुन: चालू करने की आवश्यकता

श्री भवानीलाल वर्मा (जांजगीर) : सभापति महोदय; जिला बिलासपुर (मध्य प्रदेश) के बाराद्वार में स्थित इस्पात डोलोमाईट खदान जहां उत्तम किस्म के डोलोमाईट उपलब्ध हैं, जिसकी आपूर्ति राऊरकेला इस्पात कारखाने की होती है वर्ष 1983 से बंद कर दी गयी है जिसके कारण लगभग 12000 मजदूर बेकार हो गये हैं। उसमें यूनियनों के आपसी झगड़ों के कारण हड़ताल होने की वजह बताया गया है। वहां की यूनियनों के प्रतिनिधियों द्वारा मुझे जो जानकारी दी गई है, उसमें अभी कोई झगड़ा नहीं है तथा सब शान्तिपूर्वक कार्य करना चाहते हैं।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पुन: विचार कर उक्त खदान को शीघ्र चालू करवायें ताकि उत्पादन के साथ श्रमिकों को भी कार्य मिल सके।

2.26 म० प०

(श्री तारासिंह पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

(दो) उड़ीसा में, विशेष कर राउरकेला और लाठीकाटा के बीच, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 की मरम्मत करने और इसका नवीकरण करने हेतु धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान विशेष रूप से राउरकेला और लाठीकाटा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 की बिगड़ती हालत की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। विभाग से कई बार अनुरोध करने के बावजूद इस राजमार्ग के सुधार के लिए कोई कदम उठाए नहीं जा रहे हैं। गत एक वर्ष के दौरान राउरकेला लाठीकाटा राजमार्ग पर सड़क की अत्यन्त खराब हालत के कारण हुई दुघर्टनाओं में मृत्यु के अनेक मामले प्रकाश में आए हैं। यह राष्ट्रीय राजमार्ग लाठीकाता ब्लॉक से होकर गुजरता है लाठीकाता ब्लॉक उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले का जनजातीय बहुल क्षेत्र है जिस पर सरकार को शीघ्र ध्यान देना चाहिए। राउरकेला और लाठीकाटा के बीच दोहरी सड़क की आवश्यकता है।

मैं सरकार से, विशेषरूप से राउरकेला और लाठीकाटा के बीच इस राजमार्ग की मरम्मत आदि कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि तत्काल आवंटित करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(तीन) उत्तर प्रदेश में बरेली में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की आवश्यकता

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, बरेली उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक महानगर है। 11,000 टेलीफोन होने के बाद भी अभी तक बरेली में इलैक्ट्रॉनिक ऐक्सचेन्ज की स्थापना नहीं हो पाई है। इस कारण टेलीफोन उपभोक्ता अत्यधिक परेशान रहते हैं। पिछले कई वर्षों से बरेली में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन ऐक्सचेन्ज की मांग की जा रही है तथा इस संबंध में आंदोलन भी किए गए हैं परन्तु अभी तक इस महत्वपूर्ण

समस्या का समुचित समाधान नहीं हो पाया है। इस कारण विभाग का राजस्व भी घट रहा है। उपभोक्ता उपयुक्त सेवा के अभाव में अपना टेलीफोन कनैक्शन कटवाने को तैयार हैं तथा काफी संख्या में उपभोक्ताओं ने एस॰ टी॰ डी॰ सेवा भी कटवा दी है। इस अव्यवस्था के शिकार सभी प्रमुख जन-प्रतिनिधि, व्यापारी एवं राजकीय अधिकारी रहते हैं जो निरन्तर इसके समादान की मांग उठा रहे हैं।

अत: मेरा माननीय संचार मंत्री महोदय से आग्रह है कि बरेली की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जनहित में दस हजार लाइनों के इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन ऐक्सचेन्ज लगाये जाने की शीघ्र घोषणा करें।

(चार) हाथरस के टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रोनिक एक्सचेन्ज में बदलने की आवश्यकता।

डा॰ लाल बहादुर रावल (हाथरस) : सभापति महोदय, दूरभाष केन्द्रों में पुरानी पद्धति की मशीनें लगी होने के कारण दूरभाष अधिकांशत: खराब पड़े रहते हैं जिसका नुकसान दूरभाषा उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है। केन्द्र सरकार को समय समय पर इस स्थिति से अवगत भी कराया जाता रहा है जिसके आधार पर सरकार द्वारा दूरभाष केन्द्रों को सी-डॉट मशीन/इलैक्ट्रॉनिक ऐक्सचेन्जों में परिवर्तित किये जाने का विचार किया गया और यह सुविधा सरकार ने उपलब्ध करानी प्रारंभ भी कर दी लेकिन अभी तक जनपद अलीगढ़ में हाथरस नगर के अंतर्गत दूरभाष केन्द्र में यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पायी है। क्षेत्र के उपभोक्ताओं को दूरभाष की सरल व अच्छी सुविधा नहीं मिल पा रही है, दूरभाष प्राय: खराब पड़े रहते हैं।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि हाथरस संसदीय क्षेत्र में व हाथरस नगर में चल रहे दूरभाष केन्द्रों में सी-डॉट/इलैक्ट्रोनिक मशीनें यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाए।

(पांच) बिहार के रोहतास जिले में एक नवोदय विद्यालय और एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : सभापति जी, बिहार राज्य में रोहतास जिला तक घनी आबादी का जिला है। जिले में अधिकतर आबादी किसान, मज़दूर और गरीब लोगों की है। इसकी आबादी लगभग 20 लाख है। पर्याप्त उद्योग भी नहीं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यह जिला काफी पिछड़ा है। इस जिले में अच्छे महाविद्यालय और अच्छे स्कूल की कमी है। भारत सरकार द्वारा देश में जो नवोदय विद्यालय खोलने का कार्यक्रम चल रहा है, इससे भी यह जिला वंचित है। यहां पर एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है।

गरीब लोग अर्थाभाव के कारण अपने बच्चों को दूर शहरों में नहीं भेज सकते। फलस्वरूप अनेक मेधावी छात्रों की प्रखर मेधा शक्ति का उपयोग राष्ट्र निर्माण में नहीं हो रहा है।

अत: मैं मानव संसाधन मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि रोहतास जिले में शिक्षा के विकास के लिए शीघ्र ही एक नवोदय विद्यालय एवं एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए।

[अनुवाद]

(छह) विवेकानंद आश्रम, साहूदांगी, जलपाई गुड़ी, पश्चिम बंगाल के निकट चौकीदार रक्षित रेलवे फाटक की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : महोदय, मैं विवेकानंद आश्रम, साहूदांगी, जलपाईगुड़ी के निकट रेलवे क्रासिंग की सड़क पर लेवल क्रासिंग और एक रेलवे फाटक शीघ्र स्वीकृत करने की आवश्यकता भी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस क्रासिंग के दोनों ओर 15,000 से अधिक लोग रहते हैं। इस सभी को स्कूल कॉलिज, कार्यालय, बाजार, कोर्ट उत्पादि के लिए रेल लाइनें पार करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालना पड़ता है। दुर्घटनाएं, मृत्यु, रेलगाड़ियों और वाहनों की टक्कर रोजाना की बात हो गई है। स्थानीय जनता इस मुद्दे पर उत्तेजित है। मैं सरकार से इन लोगों को जीवन रक्षा के लिए लेवल-क्रासिंग और रेलवे फाटक मंजूर हेतु आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

(सात) उत्तरप्रदेश के बुनकरों को भारत सरकार की पुरानी कपड़ा नीति के अनुरूप जनता कपड़ा उत्पादित करने की अनुमति देने की आवश्यकता

श्री रामसागर (बाराबंकी) : सभापति महोदय, भारत सरकार ने वर्ष 1993-94 में नई वस्त्र नीति लागू करते समय पुरानी जंनता वस्त्र नीति (ग्रे-क्लॉथ) जिसे बुनकर शत-प्रतिशत बनाते थे, उसे चढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। इस आमूलचूल परिवर्तन से बुनकर अपना कपड़ा बनाने की गुणवत्ता में तुरन्त 90 प्रतिशत का सुधार नहीं कर पा रहे हैं। इसका उनके रोजगार पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। वे लोग अपना रोजगार छोड़ने को मजबूर हो जायेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे धीरे-धीरे लागू करने के लिये नई वस्त्र नीति में सुधार का सुझाव केन्द्र सरकार को भेजा है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बुनकरों के हित में उन्हें ग्रे-क्लॉथ जनंता वस्त्र बनाने की छूट प्रदान करें।

2.33 म० प०

[अनुवाद]

मोटरयान (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित-जारी

सभापति महोदय : अब, हम विधायी कार्य यानी मोटर यान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करेंगे। श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज हम लोगों के सामने मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 1994 प्रस्तुत है। मैं इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

हमारे देश में सड़कं दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और सड़कों पर आज सुरक्षित चलना संभव नहीं रह गया है। कहा नहीं जा सकता कि सड़कों पर चलते समय हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा या नहीं। जब आदमी

आज घर से बाहर निकलता है तो उसके परिवार के लोगों को चिन्ता बनी रहती है कि वह पुन: सुरक्षित वापस घर आ जायेगा या नहीं।

मैं अभी दुर्घटनाओं के संबंध में आंकड़े देख रहा था। हमारे देश में जहां 1951 में 576 दुर्घटनायें होती थी, उसके 10 वर्ष बाद, 1961 में 890 दुर्घटनायें रिकॉर्ड की गयी, उसके 10 वर्ष बाद यानी 1971 में दुर्घटनाओं की संख्या 1012 तक पहुंच गयी, 1981 में यह संख्या और बढ़कर 1226 दुर्घटनायें प्रतिवर्ष तक पहुंच गयी और 1993 में आते आते हर वर्ष होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या 1440 पर आ पहुंची है। आज 170 आदमी इन दुर्घटनाओं में प्रतिदिन मरते हैं जबकि वर्ष भर में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले आदमियों की संख्या 62,500 है। यह दर बहुत अधिक है। प्रतिवर्ष होने वाली इन दुर्घटनाओं के कारण हमारे देश को लगभग 2 हजार करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ती है।

मान्यवर, इन दुर्घटनाओं पर नियंत्रण होना चाहिये और हमारे देश में इन दुर्घटनाओं पर तभी नियंत्रण पाया जा सकता है जब कि उसके लिये एक प्रभावशाली मोटर व्हीकल एक्ट बनाया जाये।

सभापति महोदय, जहां तक हमारी जानकारी है 1988 में मोटर व्हिीकल एक्ट बनाया गया और उसे पास किया गया। कुछ राज्यों ने इस पर आपत्ति की और इस पर हमारी सरकार ने समझा कि इसमें संशोधन की जरूरत है। आज मंत्री जी ने इसे संशोधित करके बिल के रूप में इस सदन में पेश किया है। यह बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरी राय में यह संशोधन नाकाफी हैं। इसलिए इसमें और अधिक संशोधन होने चाहिए।

मान्यवर, मोटर यान जब चोरी हो जाता था, तो उसके निपटारे में अनेक परेशानियां होती थीं। आज आपने मूल अधिनियम की धारा 48 में संशोधन किया है। मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं। यह काफी अच्छा है और पहले आवेदक को इस सम्बन्ध में जो अनेक परेशानी हुआ करती थी वे इससे समाप्त होंगी। मूल अधिनियम की धारा 51 में भी आपने संशोधन किया है और मूल रजिस्ट्रीकर्ता के स्थान पर अपने अंतिम रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जोड़ दिया है। यह भी स्वागत योग्य है। इससे बहुत समस्याएं हल हो जाएंगी। पुराना वाहन खरीदने वालों को इससे बहुत राहत मिली है।

सभापति महोदय, मुझे इस बात की भी खुशी है कि मूल अधिनियम की धारा 89 में भी अपने संशोधन कर के एक अच्छा काम किया है और उसके माध्यम से आपने परिवहन अपील प्राधिकरण का गठन किया है, यह भी सराहनीय है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि केवल न्यायिक सेवा के लोग, जो जिला जज के स्तर के होंगे वे ही इसके चेयरमैन या मैम्बर होंगे। मैं चाहता हूं कि इसमें और अमेंडमेंट करें और इसमें यदि कोई बाहर के लोग चेयरमैन और मैम्बर हों, तो यह ज्यादा अच्छा और प्रभावकारी हो सकता है।

मान्यवर, मूल अधिनियम की धारा 127 में मोटरयान किसी सार्वजनिक स्थान पर खड़ा करने के बारे में है उसमें भी काफी अच्छा संशोधन किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बात से पूरा देश अवगत है कि मोटरयान जी॰ टी॰ रोड पर और शहरों के अन्यत्र ऐसे स्थानों पर खड़े कर दिए जाते हैं जिससे ट्रैफिक जाम हो जाता है और उधर से आने वाला आदमी एक्सीडेंड का शिकार हो जाता है। इस मामले में भी आपने जो कुछ किया है, यह एक अच्छी बात है, लेकिन इसमें और भी ज्यादा संशोधन करने की जरूरत है। वाहन कहां खड़ा

किया जाए, इसको भी देखना चाहिए। जैसे शहरों में पार्किंग की व्यवस्था है वैसे ही कस्बों और बाजारों में विहीकलों को पार्क करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जी० टी० रोड या राष्ट्रीय राजमार्ग अमूमन 100, 90 और 40 फुट चौड़े होते हैं और सड़क पर खड़े होने वाले इन मोटर यानों को सड़क से नीचे उतार कर खड़ा कर दिया जाता है उससे और भी खतरा बढ़ जाता है और यह ज्यादा दुर्भाग्यशाली होता है।

सभापति महोदय, मूल अधिनियम की धारा 147, 149, 157, 158 और 168 बीमा पालिसी से संबंधित है, लेकिन मान्यवर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीमा पालिसी भी दुर्घटना में एक विशेष योगदान करती जा रही है। जब मोटर मालिक अपनी गाड़ी का बीमा करा लेता है, तो कभी-कभी यह देखा जाता है कि वह अपनी गाड़ी को बहुत तेज चला रहा होता है और उसकी गाड़ी पुरानी होती है, वह किसी से जानबूझकर एक्सीडेंड कर देता है और इस प्रकार से बीमे की पूरी की पूरी राशि ले लेता है। हमरे बहुत से लोगों को देखा है कि पुराने मोटर विहीकल लेते हैं उनकी ज्यादा रुपए की बीमा पालिसी करा लेते हैं और जानबूझकर एक्सीटडेंड करवा कर बीमे के दो-चार लाख रुपये या जितने की बीमा पालिसी होती है, उतना रुपया ले लेते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो कुछ भी आपने पालिसी के सम्बन्ध में संशोधन किया है। उसमें भी इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। खराब गाड़ी के सम्बन्ध में भी कुछ ऐसी बातें होती हैं।

सभापति महोदय, मैं इन सभी बातों के अलावा कुछ अत्यन्त आवश्यक पहलुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस हाउस में जैसी कि कल भी चर्चा हुई थी कि इस बिल में जितना आपने संशोधन किया है यह नाकाफी है। राष्ट्रीय राजमार्गों की दशा के बारे में कल भी यहां पर बात हो रही थी, उस पर भी ध्यान देना चाहिए।

वाहनों की बाढ़ जो निरन्तर बढ़ती जा रही है, उसका भी इस बिल में जिक्र करना चाहिए था। ड्राईवर की स्थिति सैन्स, गाड़ी की रफ्तार आदि विषयों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए।

आज राजमार्गों की दशा बहुत खराब है। हालांकि इस बिल में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है और न ही यह इसका विषय है लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगा। मंत्री जी राजमार्गों के भी मंत्री हैं। आज 35 प्रतिशत यातायात केवल राजमार्गों पर चल रहे हैं। खेद है कि हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग अन्तर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार 90 प्रतिशत राजमार्ग मोटर चालन के काबिल हैं और मंत्री जी ने मोटर चालन का विधेयक पेश किया है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस पर ध्यान दें। सड़क दुर्घटनाओं में 1960 की तुलना में दस गुना वृद्धि हुई है। मंत्री जी बैठे हैं। मैं उनका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि आज जो राजमार्ग बन रहे हैं, उनमें घटिया किस्म का माल लगाया जाता है।

सड़कों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं। जहां तक मैं समझता हूं, 80 प्रतिशत स्पीड ब्रेकर दुर्घटना बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। नियम है कि स्पीड ब्रेकर सीधे और साफ होने चाहिएं और उनको सफेद रंग से रंगना चाहिए जबकि स्पीड ब्रेकर ऊंचा बना होता है। सड़क काली होती और स्पीड ब्रेकर पर भी काला रंग किया हुआ होता है। ऐसे में जब गाड़ी तेज रफ्तार से आती है तो दुर्घटना हो जाती है। इसपर भी ध्यान देना चाहिए।

1960 की तुलतना में आज 25 गुना वाहन बढ़ गए हैं। 1956 में वाहनों की संख्या छः लाख थी, 1993 में वह पौने दो करोड़ हो गई है। उसमें 63.3 प्रतिशत दुपहिया वाहन हैं जिनमें से 31 प्रतिशत बड़े नगरों, जैसे दिल्ली, असम, मद्रास, कलकत्ता, पूना, लखनऊ, अहमदाबाद में चल रहे हैं।

एक सर्वे किया गया था। मैं उसको पढ़ रहा था। लोग बस से ज्यादा कार से मरते हैं और कार से ज्यादा दुपहिया वाहन से लोगों की मृत्यु होती है। 45 प्रतिशत दुर्घटनाएं बसों और ट्रकों की वजह से हो रही है। अंधाधुध वाहनों की भीड़ ने सड़कों पर भीड़ बढ़ाई है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं, आपने बढ़िया बिल पेश किया है लेकिन इसमें इस बात की कमी रह गई है। इसपर भी ध्यान देना चाहिए।

आपने इसमें पुलिस महकमे के बारे में जिक्र नहीं किया है। मैं समझता था कि इसमें पुलिस महकमे के बारे में आपने जरूर जिक्र किया होगा। आपके विधेयक में मोटे तौर पर केवल तीन बातें रखी गई हैं – एक दुर्घटना का मुआवजा, दूसरा दुर्घटना लाईसैंसिंग पॉलिसी और तीसरा तीव्र गति से चलने वाले वाहन। आज मोटर वैहिकल्स में सबसे मार्मिक पहलू पुलिस का महकमा है। पुलिस डिपार्टमैंट के लोग जब अपने दफ्तर में जाते हैं तो ईश्वर से जरूर प्रार्थना करते हैं कि कोई न कोई दुर्घटना हो जाए। हम एक उदाहरण दे रहे हैं। हमारी कौन्सटीट्युएंसी में सिधौना नाम का एक स्थान है। 25 दिन पहले पुलिस वालों ने सुबह वहां जाल बिछा दिया कि कोई आदमी आए और इसमें फँसे। एक ट्रक बैलों से लदा हुआ था। पुलिस ने जानबूझकर उसे रोकना चाहा। वह नहीं रुका तो उसके आगे कांटे फेंक दिए गए वह कांटों को भी पार करके चला गया। उसे दौड़ाया तो वह एक पुलिया से टकरा गया जिससे 8 बैलों की तुरन्त मृत्यु हो गयी, दो आदमियों की मृत्यु हो गई। बाद में पुलिस वालों ने कहा कि इसके ब्रेक फेल हो गए थे इसलिए पुलिया से टकरा गया जबकि सैंकड़ों लोगों ने देखा था।

मैं वाराणसी से आता हूं। वहां ट्रक ड्राईवर के द्वारा चार पुलिस के लोग कुचल दिए गए। वे लोग ट्रक को रोककर पैसा वसूल करते है। कभी-कभी जब वे सड़क पर खड़े हो जाते हैं तो कोई-कोई ड्राईवर उनका भी दादा मिल जाता है तो वह उनके ऊपर ट्रक चढ़ा देता है। ऐसे ही चार पुलिस वालों की वाराणसी में इस साल मौत हो गई। पुलिस को जो बहुत ज्यादा अधिकार दिये गये हैं, उनकी हम को समीक्षा करनी होगी। अच्छा रहता अगर इसमें इसका प्रावधान रहता।

मान्यवर, ड्राइवर्स की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। अधिकांश ड्राइवर शराब पीकर अंधाधुंध गाड़ियों को चलाते हैं। कुछ ड्राइवर ऐसे भी हैं जिन में आत्मविश्वास ज्यादा है। वे सोचते हैं कि हम तो मंझे हुए ड्राइवर हैं, हम से कोई दुर्घटना नही होगी। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। कुछ ड्राइवर्स सड़क पर ब्रेक तेजी से लगाते हैं, गलत लेन में गाड़ी चलाते हैं, सारी बत्तियां जला कर गाड़ी चलाते हैं लाल बत्ती पर भी गाड़ी चलाते हैं। कम चौड़ी सड़कों पर दोनों तरफ गाड़ी खड़ी करना उनके लिये आम बात है। माननीय मंत्री जी को इस बिल में इस पर ध्यान देना चाहिये था।

काम के अधिकार की गारंटी के बारे में आपने जिक्र किया। यह बहुत अच्छी बात है। कभी-कभी मालिक लोग दो ड्राइवर रख लेते हैं। एक ड्राइवर सो रहा होता है तो दूसरा चला रहा होता है। इत्तफाक से एक ड्राइवर

छुट्टी पर चला जाता है तो एक ही ड्राइवर वाराणसी से बम्बई तक ट्रक को ले जाता है। ऐसे में वह सो भी नहीं पाता है। ट्रक चलाते-चलाते ऊंघ लेता है तो दुर्घटना हो जाती है।

ट्रैफिक सैंस के बारे में भी यहां चर्चा हुई। वह भी जरूरी है। कल यह राय दी गई कि लड़कों को स्कूलों में ट्रैफिक सैंस की शिक्षा देना बहुत उपयुक्त है। कुछ जगहों में लोगों में ट्रैफिक सैंस बहुत कम रहता है। मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। वाराणसी में बाहर के विदेशी लोगों का एक ग्रुप आया। किसी ने उनसे पूछा कि आपको वाराणसी में क्या अच्छा लगा ? उन्होंने व्यंग्य किया कि हम को वाराणसी के लोगों का सड़कों पर चलना सबसे ज्यादा पसन्द आया।

मैं जब दिल्ली के चांदनी चौक में ट्रैफिक को देखता हूं तो मुझे बहुत हैरानगी होती है। शहरों के लोगों में भी ट्रैफिक सैंस बहुत कम रहता है। वहां रास्ते जाम हो जाते हैं। अगर हवाई अड्डे जाना हो तो रास्ता जाम होने की वजह से समय पर हवाई अड्डे नहीं पहुंच पाते हैं।

हमारे यहां चंदासी में कोयले की मंडी है। हम प्रायः ट्रेन पकड़ने के लिये मुगलसराय जाते हैं। अमूमन हमारी ट्रेन छूटती रहती है। इसका एकमात्र कारण यह है कि वहां ट्रैफिक सैंस का अभाव है : सड़कें चौड़ी अवश्य होनी चाहिये।

एल० आई० सी० का प्रमाण-पत्र और गाड़ी की रफ्तार इन दो चीजों का होना आवश्यक है। दुर्घटना होने का मुख्य कारण गाड़ी की रफ्तार भी है। इसके लिये नियम बनाने चाहिये। 150-175 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलने वाले लाइट व्हिकल्स के डिजाइन तैयार किये जाते हैं। वे 70-80 किलोमीटर की रफ्तार से चलाये जाते हैं। 160 किलोमीटर वाली रफ्तार की बनायी गई गाड़ी 70-80 किलोमीटर की रफ्तार से मजबूरी में चलायी जा रही है। उनके मशीनी पार्ट्स में गड़बड़ी होती है और उससे भी दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। मैं सोचता हूं कि इन छोटी-छोटी और मोटी बातों पर भी इनको ध्यान देना चाहिए।

जहां तक एक्सीडेंट के बाद मुआवजे का मामला है, इस एक्ट में इसका आपने जरूर वर्णन किया है और मुआवजे की राशि को आपने बढ़ाया है, यह स्वागतयोग्य है। एक्सीडेंड विकिटम्स कम्पेंसेशन का जो प्रोसीजर आपने अपनाया है और उसमें सुधार किया है, निश्चय ही उससे केसों के निपटारे में सुविधा होगी। अक्सर देखा जाता है कि केस वर्षों लटके रहते हैं। किसी आदमी की मृत्यु हो गई और उसे 2-3 महीने में कोई मुआवजा मिल गया तो हल्का सा उसपर लेपन हो जाता है लेकिन इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि मृत्यु तो आज हो गई लेकिन वर्षों तक आदमी मुआवजे के लिए कोर्ट कचहरी में दौड़ रहा है। आपने इस संशोधन विधेयक में इसको सरल और आसान बनाने का प्रयास किया है, यह एक अच्छी बात है। इस एक्ट के तहत आर्थिक क्षति मृतकों के लिए 25,000 की जगह 50,000 की है, 8,500 की जगह 25,000 रुपये की है, 2,000 की जगह 12,500 रुपये की है, यह अच्दी बात है लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें और भी ज्यादा बढ़ोत्तरी आपको करनी चाहिए। आप इस बिल को अभी पास करा रहे हैं, यह हाउस में पास हो जायेगा लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा कि अगर हिन्दुस्तान में मोटर व्हीकल सिस्टम को आप [illegible] चाहते हैं, आप और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो आपको निकट भविष्य में, 2-4 महीने म या अगले सत्र में काफी स्टडी करके एक बहुत व्यापक विधेयक लाना

चाहिए। यह विधेयक आपने राज्यों की स्थिति को देखते हुए पेश किया है लेकिन आपको पूरे देश की स्थिति को देखते हुए एक बहुत व्यापक विधेयक यहां पर पेश करना चाहिए।

विभिन्न राज्यों में मोटर व्हीकल खरीदने पर जो टैक्स है, इसपर भी ध्यान देने की जरूरत है। यह टैक्स उत्तर प्रदेश में 7 परसेण्ट, गोआ में 2 परसेण्ट, हरियाणा में 3 परसेण्ट है और इस प्रकार के टैक्सों में एकरूपता नहीं है। यह टैक्स कहीं ज्यादा हैं, कहीं कम है, कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत कम हैं, मैं समझता हूं कि आपको इसमें भी एकरूपता लानी चाहिए और पूरे देश में इसको समान रूप से लागू करना चाहिए।

आपने अपने इस विधेयक में डाक्टरों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। आज जब दुर्घटना हो जाती है तो प्राइवेट डाक्टर्स उसका इलाज करने से घबराते हैं। वह सोचते हैं कि यदि हम इस व्यक्ति का इलाज करेंगे तो हमको कोर्ट में जाना पड़ेगा, पुलिस के चंगुल में जाना पड़ेगा तो वह डर के मारे इलाज नहीं करते हैं और उस आदमी की मृत्यु भी हो जाती है, आदमी को दुर्घटना के बाद सही समय पर डाक्टरी हैल्प नहीं मिल पाती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब आप आगामी बिल लायें तो यह भी बहुत मार्मिक पहलू है, आप उसमें इसपर भी ध्यान दें।

मैं पुनः इस बिल का समर्थन करता हूं और आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री आनन्द रत्न मौर्य (चंदौली) : सभापति महोदय, मोटर यान संशोधन विधेयक यहां लाया गया है, इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन यह कुछ और पहले लाया जाता तो मैं समझता हूं कि आपको कुछ बड़ा धन्यवाद दिया जा सकता था।

विगत 6 वर्षों में भारत में वाहनों की संख्या में लगभग 50 से 60 लाख की वृद्धि हुई है।

सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि विगत 6 वर्षों में भारत के अंदर जो वाहन तैयार किए जा रहे हैं उसकी रफ्तार, गति पहले के वाहनों से ज्यादा है। अब एक तो तादाद बढ़ गई, संख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास पहुंच गई और उसकी रफ्तार बढ़ने के कारण से भारत से दुर्घटनाएं बढ़ने लगी। दुर्घटनाओं को आलम यह है कि दिल्ली में ही लगभग ढाई गुना ज्यादा दुर्घटनाएं होने लगी। पिछले वर्ष की दुर्घटनाओं से लगभग दो हजार लोग प्रभावित हुए और लगभग दो हजार करोड़ रुपए की क्षति हुई।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अब स्थिति इस प्रकार की बन गई है कि जो ट्रैफिक सेंस हैं, सड़कों का रख-रखाव है, सड़कों के बनाने का जो तरीका है, लोगों को शिक्षित करने का तरीका है उसको अमल में लाने की आवश्यकता है। मेरा कहना यह है कि हाई-वे पर जो स्पीड ब्रेकर लगाया जाता है, जिसके कारण से हाई स्पीड की गाड़ियां 100-120 किलोमीटर की स्पीड से जाना चाहती हैं तो बम्प पर उछल करके दुर्घटनाएं होती हैं। इसको रोकने के लिए हाई-वे पर सख्ती से स्पीड ब्रेकर नहीं लगाने का उपाय करना चाहिए। अभी तक सड़कों पर यातायात के जो बोर्ड लगते हैं, होर्डिंग्स लगते हैं, नियम के जो संकेत लगते हैं वे प्रोपर नहीं हैं उनको प्रोपर करना चाहिए। उनमें तेजी लानी चाहिए कि संकेत हर जगह पर समुचित ढंग से लगाए जाएं ताकि स्पष्ट वे दूर से दिखाई दे सकें। जो ट्रैफिक [illegible] तरीके [illegible] सब जगह काम करें। बहुत सी जगह ऐसा

देखने में आता है कि सड़कों के चौराहों पर लगे हैं लेकिन वे काम नहीं करते। ट्रैफिक पुलिस वहां पर खड़ा है जिसे किसी प्रकार का कोई तरीका नहीं मालूम, इस प्रकार से कई कारणों से दुर्घटनाएं होती हैं।

सभापति महोदय, आज दिल्ली के अंदर दो पहिया वाहन चलाने के लिए यह सुनिश्चित किया गया कि वे हेलमेट लगाएंगे लेकिन भारत के बहुत सारे शहरों में हेलमेट लगाना अनिवार्य है और हेलमेट लगाने का लोगों का सेंस भी नहीं है। मैं समझता हूं कि हेलमेट लगाए जाने की अनिवार्यता पूरे देश में होनी चाहिए। हेलमेट लगाने के लिए उसे शिक्षित करना भी आवश्यक है।

सभापति महोदय, आज हाई-वे पर तमाम जगह यह देखने को मिलता है कि सड़कों के दोनों तरफ एनक्रोचमेंट होते जा रहे हैं, दुकानें बनती जा रही हैं इसके लिए कोई न कोई कानून, प्रावधान लाना चाहिए। हालांकि बोर्ड लगे रहते हैं कि सौ मीटर इस तरफ और सौ मीटर उस तरफ कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस कंस्ट्रक्शन को नहीं होने देने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाया जाना चाहिए। एनक्रोचमेंट रुके, इसके लिए सरकार को कोई न कोई अपने तरीके से उसका उपाय कठोरता से लाना चाहिए। अगर यह नहीं होता है तो दुर्घटनाओं की संभावना बहुत बढ़ी रहती है और ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं।

सभापति महोदय, लाइसेंस का एक मामला है। आज जहां आरटीए के दफ्तर में लाइसेंस बनाए जाते हैं उससे ज्यादा भीड़ और उससे ज्यादा बिचोलियों का दफ्तर पूरे भारत में दूसरा नहीं है।

3.00 म. प.

यदि आरटीए के दफ्तर को दलालों का दफ्तर कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। आरटीए के दफ्तर में बिना दलाल के लायसेंस बनना बहुत मुश्किल काम है। दलाल को पैसे देने के बाद ड्राइविंग लायसेंस मिल जाता है, वाहन चलाना आता हो या न आता हो। इस तरह की स्थिति पूरे देश में है, जो कि बहुत खतरनाक है। आज हमारे यहां तेज गति से चलने वाले वाहन, कारें, दुपहिये और ट्रक आदि आ गए हैं, ट्राइविंग का उचित ज्ञान न होने से निश्चितरूप से अधिक दुर्घटनाएं होंगी। आरटीए की स्थिति सुधारने के लिए समुचित कदम उठाए जाने चाहिए। इस विधेयक में ड्राइविंग स्कूलों के बारे में कहा गया है कि वहां से सर्टीफिकेट प्राप्त करने के बाद ही लायसेंस बनाया जाएगा। लेकिन इन स्कूलों का आलम भी आरटीए के दफ्तर की तरह ही न हो जाए, इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आज ड्राइविंग लायसेंस का ध्यान आते आते ही दलाल विभाग में आ जाता है यही मन में आता है कि जब तक दलाल से नहीं मिलेंगे, तब तक लायसेंस नहीं बन सकता। यदि यही स्थिति चलती रही तो सारे नियम-कानून धरे के धरे रह जाएंगे। यह प्रक्रिया बहुत खतरनाक है और मंत्री महोदय इसमें सुधार करने की तरफ ध्यान दें। .....**(व्यवधान)**.....

आज देश के अंदर वाहनों की संख्या उत्तरोतर बढ़ती जा रही है और हर वर्ष 10-12 लाख वाहनों की वृद्धि हो जाती है। अकेले दिल्ली में ही 2 लाख वाहन प्रतिवर्ष बढ़ जाते हैं। इसलिए हमको पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखना होगा। हमारे यहां वाहनों में जिस ईंधन का उपयोग किया जाता है, उसमें लैड होता है, जो धुएं के साथ वायु मंडल में मिल जाता है और इसका शरीर पर बहुत कुप्रभाव पड़ता है, शारीरिक क्षति बहुत होती

है। धुएं को कंट्रोल करने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया है। हम दिल्ली में देखते हैं कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग कहीं-कहीं वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच करते हैं और सर्टीफिकेट देते हैं।

मेरा यह कहना है कि इतने धन से हम पर्यावरण को नहीं रोक सकते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि कोई कारगर कदम उठाया जाना चाहिए। आज स्थिति यह है कि किसी भी वाहन इंजिन से धुंआ न निकलने का सर्टिफिकेट ले लिया और अगले दिन इंजिन, जो पैरा-मीटर है उससे ज्यादा धुंआ देने लगे तो उसके लिए कोई समय निश्चित नहीं है। मेरा सुझाव है कि जितने भी वाहन भारत में बनाए जाते हैं तो उन वाहनों में कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाया जाए बल्कि यह एकदम से अनिवार्य कर दिया जाए। विदेश में ये कन्वर्टर लगाए जाते हैं तो इनके निकलने से कार्बन मोनोडाक्साईड कम निकलता है और लेड को भी किसी एक जगह पर रोक दिया जाता है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जितने भी वाहनों का भारत में उत्पादन हो रहा है तो उन वाहनों में केटेलिटिक कन्वर्टर लगा दिया जाए और उसके बिना उत्पादन का लाईसेंस न दिया जाए। पर्यावरण के लिए सिर्फ सर्टिफिकेट दे देना या उसके लिए कहीं पर चेकिंग कर देना या वाहनों के ऊपर जुर्माना लगा देना ही काफी नहीं बल्कि आने वाले पचास सालों के लिए हमें ध्यान रखना होगा। इसके लिए समय से कारगर कदम उठाना आवश्यक है।

सभापति महोदय, संशोधन में मुआवजे की राशि की बात रखी गई है। होता क्या है कि राह चलते या किसी के घर में बस या वाहन का घुस जाना और चोट लगा देने से गाड़ी का पता नहीं चले और जान चली जाए तो ऐसी स्थिति में 25 हजार रुपए की राशि कम लगती है तो उसको पचास हजार रुपया किया जाना चाहिए। आज रुपए का जिस तरह से डिवेल्युशन हुआ है उस स्थिति में 25 हजार रुपए की राशि कम है। मेरा सुझाव है कि मृत्यु के मामले पर 25 हजार रुपए की राशि को बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया जाए और पूर्णत: अपंग होने के मामले पर साढ़े बारह रुपये की राशि बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर देनी चाहिए। कानून बनाए जाते हैं लेकिन क्रियान्वयन के लिए यह फंस जाता है। क्रियान्वयन में हमारी पुलिस का बड़ा रोल है। आज ट्रैफिक के अंदर जो पुलिस मैन लगाए जाते हैं तो जो आम पुलिस है उनमें से सफेद वर्दी पहनाकर सड़क पर खड़े कर दिए जाते हैं, मैं नहीं जानता हूं कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है या नहीं ?

हो सकता है कि दी जाती हो, लेकिन इस प्रकार के जो सिपाही सड़क पर खड़े होते हैं उनको सिर्फ इससे मतलब होता है कि कौन सा ट्रक भरा आ रहा है और उससे कैसे चवन्नी-अठन्नी लेनी है। यदि वह नहीं देता है तो वे उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसका दुष्परिणाम यह होता है कि ट्रक वाला भागता है, अगर पकड़ा गया तो डंडा खायेगा, नहीं खायेगा तो कहीं वाहन को जल्दीबाजी में मार देगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप यह कहकर पुलिस की बेइजती क्यों कर रहे हैं कि वे चवन्नी अठन्नी लेते हैं।

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य : मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त कितना ले रहे हैं। लेकिन इतना मालूम है कि हाथ बढ़ाकर उनसे लेने की प्रक्रिया जो पूर्व में थी, आज भी चल रही है। इसमें मेरा एक सुझाव है कि इस प्रकार की जो यातायात पुलिस है, उसके स्थान पर पूरे देश में ट्रैफिक पुलिस फोर्स बनाई जाये।

सभापति महोदय : आप कोई नया सुझाव दें, ये बातें डिसकस हो चुकी हैं।

श्री आनन्द रत्न मौर्य : यातायात पुलिस वाले सफेद वर्दी पहनकर चार दिन के लिए आते हैं, वह वापस जाकर फिर से खाकी वर्दी पहन लेते हैं। इस प्रकार की पुलिस को हटाकर अलग से फोर्स बनाई जाये और उसको तैनात किया जाये। इसी प्रकार से वाहनों की गति तो बढ़ गई है, लेकिन सड़कों की चौड़ाई नहीं बढ़ी है। मेरा सुझाव है कि डबल रोड बनाई जानी चाहिए। जिससे दुर्घटनायें कम हो सकें।

आपने दावे और मुआवजे के लिए ट्रिब्यूनल बनाने जाने की बात कही है, यह स्वागत योग्य है। इससे दावे और मुआवजे का निपटारा जल्दी हो सकेगा। आजकल देखा गया है कि इनके निपटारे के लिए पांच-छः वर्ष तक लग जाते हैं। मेरा सुझाव है कि इनके निपटारे के लिए समय सीमा का निर्धारण होना चाहिए और यह सीमा दो वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या (एलुरू) : सभापति महोदय, यह मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 1994 सभा में 1988 में प्रस्तुत किए गए अधिनियम का संशोधन है। विभिन्न प्रावधानों विशेषरूप से चालकों को लाइसेंस जारी करने की प्रणाली को अत्यधिक सावधानी के साथ लागू किया जाना चाहिए क्योंकि माल अथवा यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों के कारण सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं का चालक की कुशलता से सीधा सम्बन्ध है। अतः, लाइसेंस जारी करने की प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। नियमित विधियों का अनुसरण किए बिना वैकल्पिक प्रणालियों को संचालित किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार राज्य, केन्द्र और देश के हित में राज्य सरकार का सहयोग सदैव मांग सकती है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात सड़कों का उचित रखरखाव है। अनेक दुर्घटनाएं सड़कों की खराब हालत और संकेतों के कारण होती हैं। पथ संकेत सड़कों पर काफी पहले लगाए जाने चाहिए ताकि सड़क पर चलने वाले लोग जान सकें कि सड़क पर एक-दो मील के बाद क्या आने वाला है। देश के विभिन्न भागों के लोगों की सुविधा के लिए इन संकेतों को कम से कम से तीन भाषाओं-हिन्दी अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में लिखा जाना चाहिए।

सड़क का उपयोग करने वाले लोगों की दूसरी सबसे बड़ी समस्या राष्ट्रीय राजमार्गों का निम्नस्तरीय रखरखाव है। कृषि में वृद्धि और औद्योगिक उत्पादन तथा सदैव बढ़ती हुई जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में जब तक हम अपने राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों वाला नहीं बनाते हैं तब तक हम दुर्घटनाओं को कम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता है। मेरा निश्चित रूप से मानना है कि राज्य सरकारों के पास समुचित संसाधन नहीं हैं जब तक कि केन्द्रीय सरकार उनकी सहायता नहीं करती है। अन्तर्राज्यीय परिवहन में सुधार लाने और देश

की वर्तमान स्थिति में आवश्यक मानदण्डों के अनुरूप राष्ट्रीय राजमार्गों के रख रखाव के लिए यदि जरूरी हो तो विश्व बैंक से ऋण भी लिया जाना चाहिए।

सड़कों पर जगह-जगह पर गति अवरोधक देखे जा सकते हैं। मैं नहीं जानता कि इनको बनाने के लिए सरकार की अनुमति ली जाती है या नहीं। गति अवरोधक सरकार की अनुमति के बिना नहीं बनाए जाने चाहिए। जैसा कि मोहल्लों में कुछ लोगों द्वारा बनाए गए गति अवरोधकों के बारे में लोगों को पहले से चेतावनी देने के लिए पथ संकेत नहीं बनाए जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप असुविधा पैदा होती है। और कभी-कभी दुर्घटनाएं तक हो जाती हैं जबकि इससे बचा जा सकता है वाहन दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में से एक असली स्पेयर पार्ट्स भी अनुपलब्धता है। सरकार को जहां तक संभव हो जाली स्पेयर पार्ट्स के नियंत्रण प्रतिबन्ध और निषेध के लिए सभी प्रयास करने चाहिए।

जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर परिवहन क्षेत्र में पहले ही काफी शोरगुल हो चुका है वे हैं चुंगी-कर और पथ-कर। भ्रष्टाचार और परिवहन पर अतिरिक्त लागत को समाप्त करने के लिए इन दोनों करों को नियमित और तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए। ईंधन की कीमतें बढ़ने के साथ, यातायात की लागत में लगातार वृद्धि हो रही है।

हमने मोटर वाहनों से होने वाले प्रदूषण की जांच के लिए एक प्रणाली शुरू की है। आज, अधिकतर देशों ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण की जांच के लिए अपनी प्रणालियों का पुनर्गठन किया है। वे नए वाहनों में निर्माण के स्तर पर एक केटेलिस्ट नाम के उपकरण का प्रयोग करते हैं। इन देशों में यदि कोई वाहन मानदण्डों से नीचे या प्रदूषण फैलाते हुए पाया जाता है तो इसे जांच के दौरान रद्द कर दिया जाता है और सड़क पर चलने के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाता है। दुर्भाग्य से, हम अनेक आर्थिक कारणों से उसे भारत में तुरन्त लागू नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम किसी समय विशेष से ऐसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग शुरू नहीं करते हैं, तब तक वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण से पैदा होने वाली समस्याओं का अंत नहीं होगा। जैसाकि प्रदूषण के कारण ईंधन की बड़ी मात्रा में बरबादी होती है और यह स्वास्थ्य के लिए अनेक खतरे पैदा करता है, अतः, इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। मेरा निश्चित रूप से मानना है कि सरकार इन बातों पर विचार करेगी।

मैंने पहले जाली लाइसेंस जारी करने की प्रणाली और अन्य बातों का उल्लेख किया था। देशभर में इसकी जांच के लिए उड़नदस्ते शुरू किए जाने चाहिए ताकि अवैध रूप वाहन चलाने को न्यूनतम किया जा सके।

[अनुवाद]

हम जिस न्यायाधिकरण की बात कर रहे थे उसे पूरा अधिकार देकर जल्द से जल्द शुरूआत कर सकते हैं ताकि ये सड़क परिवहन के विभिन्न मामलों में तुरंत कदम उठा सकें।

हमारे पास चल रही बीमा प्रीमियम में भी सुधार की आवश्यकता है ताकि वे क्षतिपूर्ति की मांग जल्द से जल्द निपटा सकें।

आजकल हम राजमार्गों पर काफी ज्यादा यातायात जाम होता देखते हैं क्योंकि चालक सड़क के किनारे अपनी गाड़ी खड़ी करके दिन या रात का भोजन करने लगते हैं। इसे दूर करने के लिए राजमार्गों पर तीस-चालीस

मील की दूरी पर आरामगृह बनाया जाना चाहिए। इन आरामगृहों में ईंधन की आपूर्ति किए जाने तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

सभापति महोदय : पत्रों को बोलकर पढ़ने की अनुमति नहीं है।

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : महोदय, प्रदूषण नियंत्रण के लिए दुपहिए तथा तिपहिए वाहनों को बदलने पर भी विचार किया जाना चाहिए। इन सभी बातों पर किसी न किसी ढंग से विचार किया जाना चाहिए ताकि यह विधेयक देश की सेवा करने में इन लक्ष्यों को पूरा कर सके जिसके लिए इसे लाया गया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० के० वी० आर चौधरी (राजामुन्दरी) : सभापति महोदय, मुझे मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 1994 पर बोलने का मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सबसे पहले मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं लेकिन साथ ही मैं माननीय मंत्री के विचारार्थ कुछ और बातें कहना चाहता हूं।

जहां तक वाहनों के लिए सामान्य बीमा का संबंध है इसके लिए बीमा की तीन श्रेणियां नहीं होनी चाहिए। वाहनों के बीमा के लिए इसकी केवल एक व्यापक श्रेणी होनी चाहिए। तीसरी पार्टी द्वारा बीमा दिए जाने या इस तरह की अन्य बीमा की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। पांच वर्ष से अधिक अवधि से चल रही मोटर गाडियों को सड़क पर चलाए जाने को हतोत्साहित करने के लिए सरकार को बीमा की राशि में वृद्धि करनी चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि ये पुरानी मोटर गाड़ियों खतरनाक कार्बन डाई आक्साइड गैस छोड़ती हैं। कभी-कभी ये पुरानी मोटर गाड़ियां खराब हो जाती हैं जिससे यातायात जाम हो जाता है तथा यात्रियों को काफी ज्यादा असुविधाएं झेलनी पड़ती है। ये सुगम यातायात को बाधित करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। अब मैं चालकों को लाइसेंस दिए जाने के विषय पर बोलूंगा इसे काफी कड़ा बनाया जाना चाहिए इसके लिए कम से कम दसवीं कक्षा का पास होना अनिवार्य होना चाहिए। उन्हें सैद्धांतिक रूप से कम से कम तीन महीने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि गाड़ी के किसी विशेष पार्ट के खराब हो जाने की स्थिति उसका प्रयोग कैसे किया जाए तथा सड़क चिन्हों तथा सड़क मानचित्रों को कैसे पढ़ा जाए आज अधिकतर चालक सड़क चिन्हों तथा सड़क नियमों का अर्थ भी नहीं समझ पाते हैं। चालकों को लाइसेंस भ्रष्ट अफसरों द्वारा घूस लेकर दिया जाता है। अतएव, सरकार को यह देखना चाहिए कि लाइसेंस दिए जाने से पहले चालकों की उचित परीक्षा ली जाए गलती करने वाले चालकों को सड़क नियमों का उल्लंघन करने के लिए सजा दी जानी चाहिए।

जैसाकि आप जानते हैं कि भारत में सड़कों की स्थिति काफी खराब है। ये सड़क सुगम यातायात की अवरुद्ध करते हैं, कीमती समय को बर्बाद करते हैं, मोटरगाड़ियों तथा टायर इत्यादि को नुकसान पहुंचाते हैं।

मैं पुन: सुझाव दूंगा कि पूरे देश में बिक्री कर तथा अन्य करों की वसूली के लिए समान कर ढांचा बनाया जाना चाहिए। मैं केन्द्र सरकार से यह आग्रह करूंगा कि कर वसूली का काम स्वयं करे तथा इसका एक बड़ा काम राज्य सरकारों में बांट दे ताकि राज्यों के बीच करों के मामले में आपसी अन्तर को समाप्त किया जा सके। यदि ऐसा किया जाता है तो अन्तर्राज्यीय सड़क परिवहन वृद्धि होगी और मोटर मालिकों को कोई परेशानी नहीं

होगी। अतएव, मेरा सुझाव है कि वसूल की गई कर-राशि का 90 प्रतिशत राज्यों को राजमार्ग तथा जिला परिषद् के नजदीक तथा स्थानीय सस्थाओं के नजदीक सड़कों के रख-रखाव के लिए दिया जाना चाहिए तथा शेष राशि केन्द्र के पास राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए रखी जानी चाहिए।

महोदय, अच्छी सड़कें केवल यातायात की सुगमता के लिए ही आवश्यक नहीं है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारी अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के साथ-साथ त्वरित औद्योगिकरण तथा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाने के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। .....(व्यवधान).....

सभापति महोदय : श्री चौधरी, माननीय सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से मुझे यह कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस सदस्यों के पत्रों को बोलकर पढ़ने से नहीं रोक पा रहा हूं।

डा० के० वी० चौधरी : मैं पत्रों को बोलकर नहीं पढ़ रहा हूं। मैं केवल मुद्दों का उल्लेख कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि अच्छे राजमार्गों सहित अच्छे सड़कों की वजह से पश्चिमी देशों को अपनी अर्थव्यवस्था विकसित करने में मदद मिली है। उसी प्रकार, हमारे देश में भी अच्छे राजमार्ग होने चाहिए, कम से कम महानगरों को जोड़ने वाली सड़कें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए।

सामान से लदी मोटर गाड़ियों राजमार्गों पर सड़क के किनारे खड़ी कर दी जाती हैं जिससे सड़क यातायात में काफी असुविधा होती है तथा यातायात जाम हो जाता है। उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। चालक द्वारा शराब पीने के मामले में कड़ाई की जानी चाहिए तथा उनके लाइसेंस को कम से कम छः महीने या एक वर्ष तक के लिए रद्द कर देना चाहिए जैसा कि पश्चिम देशों में किया जाता है।

सामान से लदी मोटरगाड़ियों को रात के बारह बजे से सुबह तीन बजे के बीच चलाए जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसी दौरान अधिकतर दुर्घटनाएं होती हैं।

माल से लदी गाड़ियों को जन-परिवहन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। और अधिक निजी बसों को लाइसेंस दिया जाना चाहिए क्योंकि परिवहन की कमी से गांव के लोगों को बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

गैर भ्रष्ट उड़न दस्तों की शुरूआत की जानी चाहिए ताकि कानून तोड़ने वाले चालकों से सख्ती से निपटा जा सके तथा उन्हें कड़ा दण्ड दिया जा सके।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। विधेयक के पृष्ठ पर यह लिखा है :-

"प्रार्थी जब परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसे सात दिन के पश्चात् परीक्षा हेतु पुनः उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की जा सकती है" परीक्षा हेतु पुनः उपस्थित होने के मामले में वह सात दिन के भीतर क्या अध्ययन कर सकता है ? अतः मेरा यह सुझाव है कि यह अवधि सात दिन की बजाय एक महीना होनी चाहिए।

पृष्ठ 3 पर पुनः यह बात लिखी है :

"बशर्ते कि ऐसे वाहन को चलाने के मामले में जिसमें खतरनाक और जोखिम वाला माल ले जाया जा

रहा हो, लाइसेंस एक वर्ष की अवधि के लिए दिया जाना चाहिए और इसके नवीकरण के मामले में यह शर्त रखी जानी चाहिए कि चालक के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के एक दिन के रिफ्रेशर पाठ्यक्रम में उपस्थित होना आवश्यक है।" एक दिन में रिफ्रेशर कोर्स को कौन पूरा कर सकता है ? अत: मेरा यह सुझाव है कि यह अवधि एक दिन की बजाय सात दिन की जानी चाहिए।

पृष्ठ 5 पर वाहन में फेरबदल की स्थिति में इसके तकनीकी परीक्षण हेतु कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। हमें यह जानकारी नहीं होती कि इंजन में में यह फेरबदल किसने किया है और किस किस्म का है आदि। मेरा यह सुझाव है कि फेरबदल किए जाने के पश्चात् वाहन का एक तकनीकी अधिकारी द्वारा पुन: परीक्षण किया जाना चाहिए और उन्हें वाहन में किए गए सभी परिवर्तनों को प्रमाणित करना चाहिए।

पृष्ठ 9 पर उल्लिखित प्रावधान के संबंध में मेरा यह सुझाव है कि यदि वह मांग की तिथि से 15 दिनों के भीतर अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो उसके वाहन में उसके पंजीकरण प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति रखनी चाहिए। तब इसे 15 दिनों के पश्चात् प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

पृष्ठ 13 पर यह लिखा है :

"(क) श्वांस विश्लेषक द्वारा किए गए परीक्षण में लिए गए प्रति 100 मिलीलिटर रक्त में 30 मिलिग्राम से अधिक अल्कोहल पाई जाती है।"

उस समय श्वांस विश्लेषक कहां पर होता है ? यह किसी पुलिस स्टेशन में रखा होगा और पुलिस अधिकारी सड़क पर उसका रक्त परीक्षण कर रहा होगा। अत: मेरा यह सुझाव है कि उप-निरीक्षण और उससे बड़े स्तर के प्रत्येक पुलिस अधिकारी को श्वांस विश्लेषक मुहैया कराया जाए। यदि उनके पास घटना स्थल पर श्वांस विश्लेषण उपलब्ध होगा तो वे उसी स्थल पर सभी परीक्षण कर सकते हैं और प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जा सकता है।

पृष्ठ 13, खण्ड 56 (2) में लिखा है :

"किसी बीमारी अथवा चोट से पीड़ित व्यक्ति अथवा विपत्ति की स्थिति में खाद्य सामग्री या राहत सामग्री अथवा ऐसे किसी अन्य उद्देश्य हेतु चिकित्सकीय पूर्ति वाले वाहन हेतु आयात स्थिति में मोटर यान का उपयोग किए जाने की अवस्था में यह धारा बिल्कुल भी लागू नहीं होगी.....।"

पृष्ठ 14 पर आगे यह लिखा है कि बशर्ते कि वह इसकी सात दिन के भीतर संबंधित प्राधिकारी को रिपोर्ट करता है। मेरे विचार से यह आवश्यक नहीं है। दुर्घटना की अवस्था में तो आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाती है और मैं पीड़ित व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए उसे अस्पताल भी लेकर गया हूं। यह क्यों कहा गया है कि सात दिन के भीतर इसकी प्राधिकारी को रिपोर्ट करनी चाहिए ? इसलिए, मैं इस उपबन्ध को हटाने का सुझाव देता हूं :

"बशर्ते कि वाहन का उपयोग करने वाला व्यक्ति इसके बारे में ऐसे उपयोग के सात दिनों के भीतर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को सूचित कर देता है।"

पृष्ठ 15, खण्ड 60 (2) में लिखा है :

"वर्दीधारी पुलिस अधिकारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है जिसने इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध किया है और अपना नाम व पता बताने से इन्कार कर देता है"

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें इस तरह से लिखा जाए– "यदि ऐसा व्यक्ति अपना नाम अथवा पता देने से इन्कार कर देता है अथवा गलत नाम अथवा पता दे देता है, तो ऐसे में वाहन चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपना पहचान पत्र साथ रखना आवश्यक होना चाहिए। यदि चालकों के लिए पहचान-पत्र खण्ड आवश्यक कर दिया जाता है, तो कोई भी व्यक्ति अपना नाम बताने से इन्कार नहीं कर सकता अथवा गलत नाम अथवा गलत पता नहीं दे सकता।

मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि मुवावजे का भुगतान करने संबंधी दायित्व केवल चालक अथवा वाहन के मालिक पर ही होता है। सरकार सभी प्रकार के कर अथवा अन्य शुल्क आदि वसूल कर लेती है किन्तु जब दुर्घटना हो जाती है तब मुवावजा केवल वाहन के मालिक को ही देना पड़ता है। मेरा यह सुझाव है कि सरकार को भी वाहन के मालिक के साथ-साथ आधे हिस्से का भुगतान करना चाहिए। इस विधेयक में शामिल करने हेतु यही मेरे संशोधन हैं। मुझे दो-तीन बातों पर और सुझाव देने हैं। इस विधेयक में सड़कों की हालत, वाहनों की हालत, चालक की योग्यता और विधेयक के उपबंधों के कठोरता से क्रियान्वयन सम्बंधी चार महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हुई है। इस मोटर वाहन अधिनियम की सफलता इन चार प्रश्नों पर निर्भर है। सड़कों, पुलों आदि के सम्बंध में कई सदस्यों ने अनेक बातें कहीं हैं। अत: मैं इस प्रश्न पर कुछ नहीं कहना चाहता।

किन्तु मैं यह कहूंगा कि सरकार ने एक कानून पास किया है कि पैट्रोल और डीजल की कुल बिक्री पर लगाए गए उत्पाद शुल्क का जांच प्रतिशत सड़क विकास कोष में दिया जाना चाहिए और उसमें से सड़कों के विकास और अन्य बातों के लिए राज्यों को करोड़ों रुपए दिए जा सकते हैं। माननीय मंत्री महोदय से मेरा यह अनुरोध है कि हालांकि सड़क विकास कोष के लिए धन वसूल तो किया गया है किन्तु यह राज्यों को नहीं दिया गया है और इसमें से उचित राशि राज्यों को दी जानी चाहिए।

अब यह सुझाव दिया गया था कि सड़कों को चौड़ा किया जाए और ये सब बातें की जानी चाहिएं। यहां मैं यह कहूंगा कि राज्यों द्वारा उन सड़कों के नाम भेजे जा रहे हैं जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है किन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। इनकी सूची माननीय मंत्री महोदय के पास लम्बित पड़ी हुई है। वे हर बार यही कह रहे हैं कि यह कार्य अगली पंचवर्षीय योजना अथवा अगले वर्ष में किया जाएगा। किन्तु कुछ नहीं किया जा रहा है। इसलिए राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने संबंधी कार्यवाही तुरन्त किए जाने की आवश्यकता है।

मेरा अंतिम प्रश्न लाइसेंस और परमिट जारी किए जाने सम्बंधी प्रक्रिया के बारे में है। इसमें कई घटनाएं हुई हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय को यह स्मरण कराना चाहूंगा कि दिल्ली में दुर्घटनाओं और यातायात पर दूरदर्शन पर एक धारावाहिक दिखाया गया था। इस धारावाहिक में दुर्घटना करने के दोषी कतिपय व्यक्तियों का साक्षातकार लिया गया था। जब उनसे यह पूछा गया कि उन्होंने ड्राईविंग लाइसेंस किस प्रकार हासिल किया तो उन्होंने उत्तर

दिया कि वे कार्यालय में नहीं गए थे, उन्हें किसी परिक्षण आदि से नहीं गुजरना पड़ा, उन्होंने डाक्टरी प्रमाण-पत्र भी पेश नहीं किए, उन्हें अपने घर पर ड्राईविंग लाइसेंस मिल गया और उन्हें इसके लिए कुछ अतिरिक्त पैसे देने पड़े। ये सब बातें दिल्ली में साक्षात्कार लेने वाले व्यक्तियों द्वारा जनसंचार माध्यमों को बताई गई थी;

[हिन्दी]

दिल्ली में भी अगर ऐसा अंधकार है तो बांकि जगह में क्या होगा ?

सभापति महोदय : बाकी जगह में कम होता है।

श्री अन्ना जोशी : अगर ऐसा हो तो अच्छा है।

[अनुवाद]

मेरे विचार से इंडियन एक्सप्रैस ने विभाग में कदाचार के बारे में एक समाचार प्रकाशित किया था। पत्रकारों ने कतिपय पुलिस अधिकारियों का साक्षात्कार लिया था और कुछ झूठी कहानियां प्रकाशित की थीं। उन्होंने इन लोगों का साक्षात्कार लिया और यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। अब आर० टी० ओ० और यातायात पुलिस में जो भ्रष्टाचार है वह एक व्यक्ति का काम नहीं है। यह तो प्रणाली की ही गड़बड़ है। कम से कम महाराष्ट्र के बारे में मैं आपको यह बता सकता हूं कि चालकों को कुछ नम्बर दिए जाते हैं और यदि वे एक स्थान पर भुगतान कर देते हैं, तो वे पूरे मार्ग पर सीधे अपने ट्रकों को ले जा सकते हैं। और यदि कोई घटना हो जाती है, तो सारी राशि उसे वापस दे दी जाती है। इसलिए यह गड़बड़ी समाप्त की जानी चाहिए।

मेरा अंतिम प्रश्न न्यायधिकरणों के कार्यकरण के बारे में है। इन न्यायाधिकारणों को कुशलतापूर्वक और संतोषजनक ढंग से कार्य करना चाहिए। किन्तु कई स्थानों पर हम यह देखते हैं कि रिक्तियां ही नहीं भरी जाती और जहां रिक्तियां भरी जाती हैं वहां पर भी न्यायाधिकरणों में दिन में तो अथवा तीन घण्टे ही काम होता है और यह भी कि इन न्यायाधिकरणों में सप्ताह में दो अथवा तीन दिन ही काम होता है और इसीलिए वर्षों से बड़ी संख्या में मामले लम्बित पड़े हुए हैं। अत: इन न्यायाधिकरणों के कार्यकरण को अधिक कुशल और संतोषप्रद बनाया जाए।

ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण के सम्बंध में भी कुछ नियंत्रण लगाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय को यह याद दिला दूं कि मिट्टी के तेल और डीजल को आपस में मिलाया जाना तो बंद हो गया है और अब विभिन्न पैट्रोल पम्पों को घटिया किस्म के पैट्रोल की पूर्ति की जा रही है जिसे हिन्दी में **कच्चा पैट्रोल** के नाम से जाना जाता है और इसे पैट्रोल में मिला दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप अधिक प्रदूषण फैल रहा है। अत: इस पहलू पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

कई सदस्यों के नम्बर प्लेटों और अन्य चीजों के बारे में कुछ कहा है। अत: नम्बर प्लेटें समान, साधारण और पढ़ सकने योग्य होनी चाहिए।

यदि यह विधेयक इन परिवर्तनों के साथ पेश किया जाता है तो मैं इस विधेयक का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं।

डा॰ मुमताज अंसारी (कोडरमा) : सभापति महोदय, मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई कि अंतत: न्याय की जीत हुई। .....(व्यवधान).....

सभापति महोदय : न्याय की जीत अंतत: नहीं; बल्कि आरम्भ से ही हुई है।

डा॰ मुमताज अंसारी : मैं, राज्य सभा द्वारा 11 अगस्त, 1994 को पहले से पारित किए गए मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 1994 का समर्थन करता हूं, परन्तु इस संबंध में मेरी कुछ शर्तें और महत्वपूर्ण सुझाव हैं। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे माननीय सहयोगियों और संसद सदस्यों ने मोटर यान (संशोधन) विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। परन्तु, मेरे पास इस मामले पर माननीय मंत्री के लिए कुछ सुझाव हैं और मैं, इसके लिए अधिक समय नहीं लूंगा।

3.40 म॰ प॰

[श्री पी॰ सी॰ चाक्को पीठासीन हुए।]

सभा के समक्ष रखा गया यह मोटर यान (संशोधन) विधेयक वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका समर्थन सभी लोगों द्वारा किया जाये। परन्तु, आम जनता के हित में इस संबंध में माननीय मंत्री जी के समक्ष कुछ बातें और कुछ महत्वपूर्ण सुझाव रखा जाना आवश्यक है।

उदाहरणार्थ पंजीकरण करने वाले और लाइसेंस देने वाले कुछ ऐसे प्राधिकारी हैं जो फिटनेस प्रमाण पत्र दे रहे हैं। मुझे यह पता चला है कि कुछ राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा कुछ गैर-सरकारी व्यक्तियों को वाहनों के लिए किसी किस्म का फिटनेस प्रमाण पत्र देने के लिए प्राधिकृत किया गया है। यह बिल्कुल अनुचित और भेदभावपूर्ण है क्योंकि इससे राज्य सरकारों के साथ-साथ केन्द्र सरकार को भी थोड़े राजस्व का घाटा हो रहा है, अत: मैं मंत्री जी को इस प्रकार का प्रावधान समाप्त करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि इससे राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार को राजस्व का घाटा हो सकता है। ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने वाले उपयुक्त व्यक्ति राज्य सरकारों अथवा केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मोटर वाहन निरीक्षक होते हैं। वे मोटर वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किए जाते हैं। केवल वे ही इसके लिए वास्तविक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति हैं। इस व्यवस्था का निजीकरण बिल्कुल न किया जाए।

दूसरी बात यह है कि पंजीकरण ही नियमित अंतराल पर किए जाते हैं और यह कुछ प्राधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से किया जा रहा है। इन प्राधिकारियों द्वारा इसे रद्द करने की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि उनके पास कोई तकनीकी योग्यता न हो। उनके पास कोई तकनीकी योग्यता न होने पर उन्हें इस तरह के पंजीकरणों को रद्द करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

मैं जापान गया था। वहां मुझे यह देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि वहां की सडकें कार, मोटर साइकल जैसी गाड़ियों और अन्य विभिन्न प्रकार के वाहनों से भरी होने के बावजूद वहां बिल्कुल शांत थीं और वहां ध्वनि प्रदूषण, अथवा वायु प्रदूषण अथवा किसी अन्य प्रकार का प्रदूषण नहीं था। परन्तु, जैसा कि बताया गया है, यहां दिल्ली में 20 लाख मोटर वाहन धकम पेल कर चुके हैं और वे यातायात के किसी नियम का पालन नहीं करते उनसे काफी ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण फैल रहा है। अत:, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस

समस्या से निपटने के लिए कोई नियंत्रण कार्यक्रम कड़ाई से लागू किया जाये जिससे कि प्रदूषण पर रोक लगे।

इसी तरह से अन्य राज्यों में भी प्रदूषण फैल रहा है और यह स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गया है। स्वास्थ्य के इस खतरे को दूर करने के लिए कोई नियंत्रण प्रणाली लागू की जानी चाहिए ताकि उन प्रदूषक तत्वों से छुटकारा मिल सके।

एक निश्चित तिथि से अधिक चल चुके सभी मोटर वाहन नष्ट कर दिए जाने चाहिए। सभी मोटर वाहनों के चलने की एक निर्धारित अवधि होती है और उस अवधि के बीत जाने के बाद ऐसे मोटर वाहन को अवश्य ही नष्ट कर दिया जाना चाहिए। मूल्य ह्रास के बारे में भी प्रावधान है और मूल्य ह्रास पर भी प्रभार लगाये जा रहे हैं। कई शहरों और कस्बों में मोटर वाहन के चलने की अनुमानित अवधि के बीत जाने के बाद भी लोग ऐसे वाहन चला रहे हैं। ऐसे मोटर वाहनों के मालिकों को बिना कोई अल्पावधिक सूचना दिए ये वाहन नष्ट कर दिए जाने चाहिए। माननीय मंत्री को मेरा यही सुझाव है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : क्या ये जैव-नाशी वस्तु होते हैं ?

डा॰ मुमताज अंसारी : इसी तरह से मैं, माननीय मंत्री को यह बताना चाहूंगा कि कुछ राजमार्गों के रख-रखाव के लिए कर जुटाये जाते हैं। मैं यह जानता हूं कि राजमार्गों के रख-रखाव की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। परन्तु, यह आवश्यक है कि सरकार विभिन्न राज्यों से एकत्र की गई धन-राशि उन राज्यों को आवंटित करे। 1974 के बाद से अब तक बिहार में केन्द्रीय सरकार द्वारा न तो एक भी किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग प्रदान किया गया है और न ही इसकी स्वीकृति ही दी गई। आप राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए एकत्र की गई राशि राज्य सरकारों को जारी नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के खराब रख-रखाव के कारण भारी संख्या में दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। अत:, इस तरह से हो रही इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आप, कम से कम इन राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव पर ध्यान दें।

दूसरी ओर रेड लाइन बसों के लिए परमिटें दी गई हैं। यह अच्छी बात है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आप अपनी इच्छानुसार परमिटें और लाइसेंस प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ये बसें रेड लाइनर ही नहीं, अपितु रेड किलर भी हैं। उन्होंने भारी संख्या में लोगों, बच्चों और महिलाओं को मार डाला है। इसलिए ऐसी रेडलाइन बसों में गति नियंत्रण का कोई विनियमन होना चाहिए रखा जाए। यदि आप इन रेड लाइन बसों पर समुचित नियंत्रण चाहते हैं तो आपको ऐसी रेडलाइन बसों की परमिटें रद्द करनी पड़ेंगी।

पुन:, दुर्घटना हो जाने पर घायल लोगों का, बिना किन्ही प्रक्रियाओं की औपचारिकताओं को पूरा किए, सबसे पहले समीपस्थ प्रैक्टीश्नर, डाक्टर द्वारा अस्पताल में, तुरंत उपचार होना चाहिए। जीवन अत्यंत बहुमूल्य और महत्वपूर्ण होता है ओर तथा जब आप दुर्घटना होने पर इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करने में ही लग जाएंगे तो जाहिर है, तब तक घायल व्यक्तियों की जानें चली जायेगी। अत:, इन सभी कीमती जानों को बचाने के लिए इन सभी प्रावधानों पर ध्यान दिया जाए और सभी समीपस्थ प्रेक्टीश्नरों और डाक्टरों को घायल व्यक्तियों का तुरंत उपचार करने का स्थायी आर्दश प्राप्त रहना चाहिए।

इसी तरह से मैं यह कहना चाहूंगा कि प्राकृतिक आपदा अथवा तबाही की स्थिति में कुछ मोटर वाहनों को विशेष परमिट प्रदान किए जाएं ताकि वे इन परिस्थितियों में सहायक हो सकें। ऐसे मोटर वाहनों के लिए कोई पूर्व शर्त न लगायी जाए और इन वाहनों को स्वतंत्रापूर्वक चलने की अनुमति दी जाए।

जहां तक मेरे सुझावों का संबंध है, इन पर विचार किया जाए और इस पर कार्यवाही की जाए।

सभापति महोदय : मुझे एक घोषणा करनी है। भाषण देने के लिए पांच और सदस्य हैं। हमने आवंटित समय से एक घण्टा और तीस मिनट पहले ही बिता दिए हैं। अत:, सभा की अनुमति से प्रत्येक सदस्य के भाषण के लिए मैं पांच मिनट का सीमित समय देना चाहता हूं।

अब श्री निर्मल कान्ति चटर्जी की बारी है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, धन्यवाद। परन्तु मुझे चिंता नहीं है क्योंकि हमने डेढ़ घण्टे का समय अधिक ले लिया है। सामान्यत: हम इससे अधिक भी समय ले लेते हैं।

सभापति महोदय : कृपया प्रासंगिक बातें कीजिए अन्यथा आपको आपकी इच्छानुसार समय नहीं मिलेगा।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : वह यह कहना चाहते हैं कि आप जितना समय उन्हें देंगे उतना ही समय वह लेंगे। .....(व्यवधान).....

जल भू-तल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मुझे आशा है कि माननीय सदस्य केवल विधेयक पर ही बोलेंगे .....(व्यवधान).....

सभापति महोदय : यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मुझे श्री चटर्जी को स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है। कृपया विधेयक पर ही बोलिए। आप विधेयक पर न बोलकर अन्य बातों का उल्लेख कर रहे हैं। इसलिए मेरे विचार से माननीय सदस्य इस विधेयक के प्रावधानों पर ही चर्चा करें। हम अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : बहुत-बहुत धन्यवाद, महोदय मेरे विचार से यह बिल्कुल ठीक है कि किसी विशेष विधेयक पर चर्चा करते समय पूरी समस्या के समाधान पर भी विचार किया जाना चाहिए।

सत्तापक्ष तथा विपक्ष के अनेक सदस्यों ने भी इस विषय पर इसी ढंग से विचार किया है। वे मोटर/सड़क परिवहन को जल परिवहन, रेल परिवहन आदि से जोड़ते हैं। मैं नहीं सोचता कि इस प्रकार की टिप्पणियां अनुचित हैं। प्रश्न यह है कि हम सड़क परिवहन की पूरी समस्या पर किस प्रकार से विचार करते हैं और यह प्रासंगिक भी है। परन्तु मैं केवल विधेयक की ही चर्चा करूंगा क्योंकि अन्य बातों पर चर्चा पहले ही हो चुकी है।

मेरी अधिकांश बातें प्रश्नों के रूप में हैं क्योंकि कुछ संशोधन मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं मैं इनका उत्तर नहीं जानता। शायद मंत्री महोदय इनका उत्तर देना याद रखेंगे। उदाहरणार्थ पृष्ठ 2 पर एक संशोधन किया गया है जिसमें वाहन की परिभाषा दी गई है। वाहन की परिभाषा में यह परिवर्तन किया गया है कि पहले इंजन की क्षमता जो 35 सी॰ सी॰ थी उसे कम करके 25 सी॰ सी॰ कर दिया गया है। यह बड़ी रोचक बात है। दूसरी तरफ इस संशोधन विधेयक के खंड 4 को प्रस्तुत करते समय जब वह लाइसेंस देने की बात करते हैं तो इसके विपरीत

बात कहते हैं, पहले 16 वर्ष के व्यक्ति को बिना गियर वाली मोटर साईकल चलाने हेतु लाइसेंस मिल सकता था परन्तु इस बार यह कहा गया है "यदि इंजन की क्षमता 50 सी० सी० से अधिक न हो।" ये दोनों वक्तव्य एक-दूसरे के विपरीत हैं। अब 50 सी० सी० क्षमता के इंजन वाली मोटर साइकिलें भी चलने लगी हैं। ये बड़े शक्तिशाली वाहन हैं और आप इनको चलाने के लिए 16 वर्ष के व्यक्ति को लाइसेंस देंगे यह स्पष्ट नहीं है कि इस प्रकार का परस्पर विरोध क्यों है। मैं चाहता हूं कि कृपया मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करें।

दूसरी बात यह स्पष्ट की जानी चाहिए खंड 29 में इस क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के श्रम घंटों बारे में उल्लेख किया गया है। यहां इस बात का जिक्र किया गया है कि किसी यातायात वाहन के चलाने के लिए इस कार्य में लगे हुए किसी व्यक्ति के श्रम घंटे मोटर वाहन श्रमिक अधिनियम, 1961 के अनुसार निर्धारित किए जायेंगे। यह भी एक संशोधन है। पहले यह व्यवस्था की गई थी कि यह समय एक साथ पांच घण्टे से अधिक नहीं होना चाहिए और पांच घण्टे के बाद आधा घंटे का विश्राम होना चाहिए। मुझे यह पता नहीं है कि श्रमिक अधिनियम, 1961 में क्या व्यवस्था की गई है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इससे मोटर परिवहन क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के कार्य करने के हालातों में सुधार होगा अथवा गिरावट आएगी।

इस संबंध में मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं। मैं डा० अंसारी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने ध्वनि प्रदूषण का उल्लेख करते समय इस बात का जिक्र कर दिया है। इसका मोटर वाहन अधिनियम में भी उल्लेख किया जाना चाहिए। हार्न नियंत्रण आदि को मोटर वाहन अधिनियम में शामिल किया जाना चाहिए। हॉर्नों की आवाज से हमारे कान खराब हो रहे हैं। इसलिए मोटर वाहन अधिनियम में इस संबंध में कोई प्रावधान किया जाना चाहिए। हैडलाइटों के प्रयोग पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। उन राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी, जो घनी आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरते हैं, इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए।

मैं एक महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहता हूं कि इस अधिनियम में मोटर वाहनों में अपारम्परिक उर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कुछ और अधिक प्रोत्साहनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं है। इसके लिए व्यवस्था की गई है। परन्तु इस प्रकार के मोटर वाहन संशोधन विधेयक बार-बार प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। हमारा यह विचार है कि इस सदी में विश्व में परिवर्तन हो रहे हैं। बैटरी अथवा विभिन्न प्रकार के ईंधनों से चालित वाहनों पर जोर दिया जा रहा है। इसलिए इस विधेयक में इस प्रकार के ईंधन को बढ़ावा देने हेतु विशेष प्रोत्साहन देने संबंधी विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए।

अब मैं कुछ बातें क्षतिपूर्ति योजना के बारे में कहना चाहता हूं। मुझे यह नहीं पता लगा है कि इस विधेयक में क्या कहा गया है। यह व्यापक है और इसकी कोई सीमा नहीं है। क्षतिपूर्ति का संबंध किसी व्यक्ति विशेष की वार्षिक आय से जुड़ा है। मैं चाहता हूं कि कृपया मंत्री महोदय सारणी स्पष्ट करें।

दूसरे, इसका संबंध आय प्राप्त करने वाले लोगों से है। आय के अनेक स्लैब बनाए गये हैं जैसे 3,000 रुपये अथवा 4,200 रुपये आदि। यह बड़ी रोचक बात है कि 11,400 रुपये की आय तक स्लैब में 100 रुपये प्रति माह की वृद्धि हो जाती है। उसके बाद यह एकाएक 50 रुपये प्रति माह हो जाती है और उसके बाद यह 500 या 600 रुपये प्रति माह हो जाती है। इस सारणी का औचित्य मेरी समझ में नहीं आया। यदि एक प्रतिभाशाली

शोध छात्र की जिसकी कोई आय नहीं है। जो अभी एक छात्र है, मृत्यु हो जाती है, तो उसको क्या मुआवजा मिलेगा? आप उसकी पात्रता का आकलन कैसे करेंगे ? इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस सारणी की यह एक बड़ी कमी है इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इस बात को भी स्पष्ट किया जाए।

मैं प्रसंगवश एक बात आय प्राप्त करने वाले लोगों के बारे में भी कहना चाहता हूं। पूंजी परिसम्पत्तियों से आय प्राप्त करने वाले लोगों के अलावा दो प्रकार के आय प्राप्तकर्ता होते हैं। एक वे जिन्हें महंगाई भत्ता मिलता है और इसकी आय मूल्य वृद्धि के साथ बढ़ती है। दूसरे वर्ग में वे लोग हैं जिनकी आय इस प्रकार से नहीं बढ़ती है। यदि आप एक वर्ष के लिए क्षतिपूर्ति दरें निर्धारित नहीं करेंगे तो इन लोगों के लिए आप क्या करेंगे ? आप ऐसी सूचकांक प्रणाली क्यों नहीं अपनाते जिसका संबंध कीमतों के उतार-चढ़ाव से हो ? सारणी में इस प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिए। मैं यही चाहता हूं। इस विधेयक के संबंध में मैं कुछ आम टिप्पणियां करना चाहता हूं। इस विधेयक के खंड 23 के संबंध में मेरी एक विशेष आपत्ति है। इस खंड 23 के द्वारा धारा 71 में संशोधन किया गया है और खंड 23 की उपधारा (ग) में बड़ा सीधा-सादा वक्तव्य दिया गया है। इसमें कहा गया है "कि उपधारा (4) और (5) का लोप कर दिया जाएगा।" ये उपधाराएं (4) और (5) किस संबंध में हैं ? मेरे विचार से सभा में इन पर विचार नहीं किया गया है। यह स्वामित्व के बारे में है। उद्देश्य में यह बताया गया है कि पहले बसों के स्वामित्व की सीमा निर्धारित थी और अब यह प्रतीत होता है कि सरकार का ऐसा विश्वास है कि इससे बेनामी स्वामित्व के मामले उठते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बुराइयां समाप्त करते समय अच्छाइयां भी समाप्त की जा रही हैं इसलिए स्वामित्व की सभी सीमाएं समाप्त कर दी जाएं। इसका क्या तात्पर्य है ? हमें यह याद करना चाहिए कि इसे लघु क्षेत्र के रूप में आरक्षित किया गया था। बसों की संख्या के द्वारा प्राइवेट बस स्वामित्व निर्धारित किया गया था जिसका अभिप्राय लघु क्षेत्र से था। वित्त मंत्रालय भी इसकी बात को मानता है। जब वे अनुमानित कर की बात करते हैं तो वे इसी प्रकार के परिवहन मालिकों का उल्लेख करते हैं और उनके मामले में कहते हैं कि आपको आय ब्यौरा नहीं देना है परन्तु यदि आपका कारोबार इतना है तो एक मुश्त राशि दे दीजिए।

इस सुविधा को अब समाप्त किया जा रहा है। इसके लिए ऐसा ही तर्क दिया जा रहा है जैसे कि कर की दरें अधिक होने के कारण काले धन की भरमार है अत: इन कर दरों को कम किया जाना चाहिए। इसकी तार्किक परिणति यह है कि विधि और प्रतिबन्धों के कारण अनेक गैर-कानूनी कार्य होते हैं इसलिए इन सभी कानूनों को समाप्त किया जाना चाहिए। यह बिल्कुल इसी प्रकार का है। मैं इस धारा का पूरी तरह विरोध करता हूं। यह एक ऐसे क्षेत्र का खोलना है जो पूंजी लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित या शायद बड़ी विदेशी कम्पनियों के लिए विदेशी वित्तीय संस्थाएं शेयर बाजार में निवेश कर रही हैं। अब वे इस परिवहन बाजार में भी प्रवेश कर जाएंगी।

आज से इस बात की कल्पना की जा सकती है कि सभी बस मार्गों अथवा सभी नगर बसों पर इन बड़े लोगों का अधिकार होगा और किसी साधारण ट्रांस्पोर्टर का यहां कोई पता नहीं चलेगा;

4.00 म० प०

मुझे इस संशोधन विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत करने का समय नहीं मिल पाया। लेकिन मैं माननीय मंत्री से इसपर पुनर्विचार करने तथा यदि संभव हो तो कम से कम इस खण्ड को वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मोटर यान अधिनियम, 1988 में संशोधन करने वाले मोटर यान (संशोधन) विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। यह राज्य का विषय है। मोटर यान, सड़क, सड़क परिवहन जैसे मामले राज्य सूची के अन्तर्गत आते हैं। इसलिए इस संबंध में राज्यों को दिशा निर्देश देने के लिए पहल करने के लिए मैं भारत सरकार विशेषरूप से टाइटलर जी को धन्यवाद देता हूं। वह एक उन्नतिशील विचारों वाले और सक्रिय मंत्री हैं।

महोदय, राज्यों को नियम बनाने होंगे और नियम बनाते समय वे स्थानीय परिस्थितियों पर विचार कर सकते हैं और इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत बनाए गए नियम और अधिनियम लागू कर सकते हैं। 1988 का मूल अधिनियम काफी व्यापक था और 1988 से छः वर्षों की अवधि के दौरान अधिनियम को लागू करते समय राज्य सरकारों को कुछ कठिनाइयां हुई थीं। यहां एक पुनरीक्षा समिति गठित की गई थी। जिमने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उस रिपोर्ट के सुझावों पर पर्याप्त विचार करने के बाद उन्हें इस संशोधन-विधेयक में शामिल किया जा रहा है। इस प्रकार सभी प्रावधानों पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

कुछ सुझाव दिये गए हैं कि उनमें किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। इस विधेयक को सदन के सभी प्रश्नों से निर्विवाद समर्थन मिला है। मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए मुद्दों को दोहराना नहीं चाहता क्योंकि समय की कमी है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। हमारे मंत्री भी दिल्ली के ही हैं और वे संसद में दिल्ली के एक चुनाव क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। दिल्ली हमारी राजधानी है। पहले लोग बड़े चाव से कहा करते थे–

"पुष्पेषु मल्ली, नगरेशु दिल्ली"

इसका तात्पर्य यह है कि फूलों में मलली तथा शहरों में दिल्ली का स्थान सबसे ऊंचा है। परन्तु आजकल विश्व में हमारी वह ख्याति नहीं है। पर्यावरणीय खतरों की दृष्टि से दिल्ली विश्व के चार सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से एक है। इसके अतिरिक्त दिन प्रतिदिन ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। यह अच्छी बात नहीं है। दूसरे, दुर्घटनाओं की दृष्टि से दिल्ली मौत का कुआं बनकर रह गई है। सड़क दुर्घटना में मरने वालों के वार्षिक आंकडे, जो 19067 था, में से दिल्ली का स्थान प्रथम है जहां सर्वाधिक मौतें हुई हैं। देश की राजधानी होने के कारण तथा यातायात नियंत्रण की सुविधाओं के परिणामस्वरूप दिल्ली में सबसे कम मौतें होनी चाहिए। महानगरों में तो सबसे कम होना ही चाहिए। परन्तु दिल्ली का स्थान प्रथम है।

सभापति महोदय : क्या आपको विधेयक के प्रावधानों पर कुछ कहना है ?

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : दिल्ली में ऐसी मौतें हो रही हैं।

सभापति महोदय : यह एक आम जानकारी है। कृपया जो कुछ कहना है, विधेयक के प्रावधानों के बारे में ही कहिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : यह सब इसी से जुड़ा है। माननीय मंत्री ने स्वयं कहा है कि तीन-चौथाई मानवीय भूलों के कारण होती हैं, जहां तीन चौथाई मानवीय भूलें हों तो उसे आसानी से सुधारा जा सकता है। मैं चालकों (ड्राइवरों) के प्रशिक्षण तथा लाइसेंस आदि के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इस प्रावधान का कड़ाई से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ्य हो, उसने न्यूनतम शिक्षा ग्रहण की हो तथा असने मान्यता प्राप्त अच्छे संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो आदि।

मैं सरकार के विचारार्थ एक या दो विशेष सुझाव देना चाहता हूं। हमने दो बच्चों वाले परिवार का मानदण्ड अपनाया हुआ है। लेकिन लोग कहा करते थे कि तीन बच्चे होने चाहिए–एक पिता के लिए, एक माता के लिए एक सड़क के लिए। इतनी अधिक संख्या में सड़क दुर्घटनायें होती हैं। अधिकांश सड़क दुघटनायें रात के 12 बजे से 4 बजे अथवा 2 बजे से प्रात: 4 बजे के बीच होती है। इस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या इस समय कम से कम भारी वाहनों का यातायात बन्द किया जा सकता है ? आराम करने के लिए तीन चार घंटे का समय तो मिलना ही चाहिए चाहे वह सड़क के किनारे ही क्यों न करना पड़े।

दूसरा मुद्दा वाहन चालकों को शराब पीने की आदत के बारे में है। एक विश्लेषण से पता चला है कि सड़क दुर्घटना करने वाले अधिकांश चालक वाहन चलाते समय शराब पिये हुए थे। राजकीय राजमार्गों पर सड़क के किनारे बड़ी मात्रा में देशी, यहां तक कि विदेशी शराब मिल जाती है। इसे बन्द किया जाना चाहिए। सड़क से कम से कम 200 मीटर की दूरी तक शराब नहीं मिलनी चाहिए जिससे कोई आराम से गाड़ी छोड़कर न उतर सके।

दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण है। यहां वही संख्या में डी० टी० सी० तथा रेडलाइन बसें हैं। डी० टी० सी० की बसें लोगों को चुपके से मौत की नींद सुला देती है। शोर-प्रदूषण कमोबेस इसी इसी ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा है। डी० टी० सी० बसें पुरानी और खटारा हो गई हैं।

किसी पुल के निर्माण की दूरी लागत वसूल हो जाने पर भी पथ कर समाप्त करने की कोई बात नहीं है। इस पर विचार किया जाना चाहिए।

बस्तियों में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग अधिकारियों की जानकारी के बिना ही गति-अवरोधक बनाते जा रहे हैं। इसको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए अथवा इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी से सड़क मोड़ने के बारे में बात कर रहा था।

सभापति महोदय : इसका विधेयक के प्रावधानों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : चर्चा में भाग लेने का पूरा उद्देश्य अपनी समस्याओं की जानकारी देना है। इसे हर कोई जनता है यहां तक कि वहां बैठे लोग भी जानते हैं। चूंकि आप घंटी बजा रहे हैं इसलिए अब मैं बन्द कर रहा हूं।

महोदय, उड़ीसा में मेरा चुनाव क्षेत्र, देवगढ़ पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस शहर की प्राकृतिक छटा दर्शनीय है। यहां प्रकृति के अनेक मनोहारी दृश्य हैं। यहां एक जल प्रपात है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-6

पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 शहर से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के दोनों ओर अनेक प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय (हाईस्कूल) तथा अहा विद्यालय हैं। इस शहर के छात्रों तथा पैदल चलने वालों को काफी खतरा है। यहां एक बाई-पास बनाने का प्रस्ताव है। इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर एक बाई पास बनाना और प्रस्ताव को क्रियान्वित करना आवश्यक है।

एक दूसरी बात है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-43 का एक भाग पिछड़े क्षेत्रों से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 पर भुवनेश्वर तथा संभलपुर स्थित हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 पर राउरकेला, रांची और तालचेर आदि स्थित हैं। इसके बीच में एक आदिवासियों की बहुसंख्या वाला क्षेत्र है। एक अप्राप्त कड़ी है। उसके लिये धनराशि का कोई प्रावधान नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस प्रयोजनार्थ धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध करूंगा। मैं इससे अधिक नहीं बोल सकता हूं क्योंकि समय कम है।

अन्त में, मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा और इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। छह वर्ष की अवधि के दौरान, मंत्रालयों द्वारा कोई बड़ा प्रयास मुश्किल से ही किया गया है। सुस्पष्ट विश्लेषण के बाद, उन्होंने खामियां दूर करने हेतु गंभीर प्रयास किये हैं। मैं भारत सरकार, विशेष रूप में मंत्री महोदय को उनके द्वारा किये गये प्रयासों के लिये बधाई देता हूं। मैं उनके द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना करता हूं। मैं इस विधेयक में निहित भावना की भी सराहना करता हूं। यह विधेयक उत्यधिक सहायक सिद्ध होगा। परन्तु राज्य सरकारों पर इससे कहीं अधिक निर्भर करता है। वित्त पोषण तथा सुधार साथ-साथ होने चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति जी, 1988 में यह जो मोटर यान काननू आया, 1939 के कानून को परिवर्तित करके, उसमें बहुत सारी ऐसी कमियां थी जिनके खिलाफ राज्यों की ओर से और अन्य संगठनों की ओर से भारत सरकार को ज्ञापन मिले और विरोध मिले। उसकी रोशनी में एक व्यापक परिवर्तन का विधेयक मंत्रीजी ने सदन के सामने रखा जिस पर राज्यों की भी सहमति है। इसलिए बहुत कुछ इसके खिलाफ कहने को नहीं है, सिवाय इसके कि इसका समर्थन किया जाये और इसके साथ ही साथ मंत्री जी को कुछ नये सुझाव दिये जायें। क्योंकि आज जो कानून आप केन्द्र से एक विशेष दायरे के अंतर्गत बना रहे हैं, जो संविधान संशोधन करके कानून बना रहे हैं जिसके अंतर्गत जिला परिषदों और स्थानीय निकायों का परिवहन सम्बन्धी अधिकार दिये जाने हैं, उनको संसद से निर्देशित करने का काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ-साथ समूचे देश की जिम्मेदार संसद और भारत सरकार होने के नाते कुछ चीजें आवश्यक हैं। इन पर सरकार को सोचना चाहिए।

आज मोटर यान के नये-नये तरीके निकल रहे हैं। बहुत सारी सड़कों पर मैंने देखा है कि जो वाटर पम्प होते हैं, पुराने जमाने की बैलगाड़ी में उसके स्ट्रक्चर को जोड़कर सड़कों पर चलाने का काम तेजी से हो रहा है। न तो उसमें ब्रेक है, न क्लच होता है, न ही कोई चलाने की पद्धति है, लेकिन उसमें यात्रियों को ढोया जा रहा है। उसका कोई नाम नहीं है।

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) कहीं राम रथ तो नहीं है।

श्री मोहन सिंह : कोई भी रथ हो सकता है, मृत्युंजय रथ भी हो सकता है। इसके चलते रोड्स पर तमाम दुर्घटनायें हो रही हैं। इसी प्रकार आपने कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टर और उसके साथ लगी ट्राली का भी प्रावधान किया है।

अब उसका कृषि कार्यों में कम से कम प्रयोग है जबकि शादी-ब्याह या मेले में मुसाफिर ढोने में उसका अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है। नतीजा यह हो रहा है कि सड़कों पर वाहनों की संख्या इस रूप में बढ़ती चली जा रही है। हमारे देश में पुरानी गाड़ियों के इंजन बदलकर नये लगाये जा रहे हैं जिनपर आई॰ एस॰ आई॰ का मार्क नहीं है। कोई भी पद्धति नहीं है। ये सारी गाड़ियां चलने से दुर्घटना का कारण बन रही हैं। इसलिये सरकार को इसपर गंभीरता से सोचना चाहिये। इसी प्रकार हमारे कई साथियों ने मुआवजे और पुनर्वास की बात कही है तो उस स्थिति में यदि किसी प्रबुद्ध व्यक्ति या बैरिस्टर की मृत्यु हो जाती है तो उसके कम्पनसेशन की क्या पद्धति होगी ? आपने जो पुनर्वास या मुआवजे की पद्धति अपनायी है, उससे समाज के सारे प्रतिष्ठित लोग जैसे वकील, डाक्टर, विद्वान या प्रोफेसर बड़े पैमाने पर हो सकते हैं तो उनके लिये क्या पद्धति होगी, मैं समझता हूं कि समीचीन नहीं है। इसपर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, जहां तक सड़कों का सवाल है, मैं बहुत दिनों से अखबारों में पढ़ रहा था कि माननीय मंत्री जी के हवाले से कहा जा रहा है कि एक्सप्रैस रोड्स बनेंगी। इस के लिये मलेशिया की कोई कम्पनी यहां आ रही है जो यह काम देखेगी। यह भी सुन रहा हूं कि आगरा और दिल्ली के बीच में एक्सप्रेस हाईवे हो रहा है और जब उस रोड पर जाते हैं तो मालूम होता है कि 10 किलोमीटर तक भी चलने के लिये सही सड़क नहीं है और गांव से भी बदतर स्थिति है। यदि सरकार की ओर से कोई घोषणायें होती हैं तो एक समयबद्ध समय के अंदर इन सडक्कों को ठीक करना चाहिये। यदि किसी एक्सप्रेस रोड के लिये योजना ली गयी है तो उसको कब तक पूरा किया जायेगा ?

सभापति महोदय, मैंने बनारस की एक प्रमुख सड़क के बारे में अनेक पत्र लिखे हैं। यह सड़क भारत सरकार की ओर से बनायी जा रही है जिसपर एक पुल बनने की बात बहुत दिनों से लम्बित है। यह पुल मुगलसराय के पास है। यह पुल न बनने से यातायात बाधित रहता है। राम नगर का पुल पिछले 11 साल से उत्तर प्रदेश सरकार के सेतु निगम के पास दिया हुआ है लेकिन उसने यह काम नहीं किया है। अब वह ठेका केन्द्र सरकार के एक संगठन को मिला है लेकिन वह भी इस काम को नहीं कर पा रहा है। मेरा मंत्री जी से आग्रह होगा कि इस काम को शीघ्रतिशीघ्र पूरा कराने का काम करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी॰ सी॰ थामस (मुक्तुपुजा) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और मैं मंत्री जी और मंत्रालय द्वारा कतिपय अतिसंगत पहलुओं में कुछ संशोधन लाने का यह कार्य शुरू करने के लिये उन्हें बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि लाइसेंसों संबंधी धारा 7 से 9 तक, किराया-खरीद संबंधी धारा

43 से 52 आदि तक तथा बीमा से संबंधित 140 और अन्य संबंधित धाराओं में लाये गये संशोधन जनता तथा समग्र रूप से समाज के लिये बड़े सहायक होंगे।

अब मैं मृत्यु आदि के मामले में दोषविहीन देयता की राशि बढ़ाकर 50,000 रुपये करने के लिये मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। परन्तु एक बात के संबंध में, मेरे विचार से, यद्यपि कतिपय जनहित संबंधी मामलों को भी उठाने की मंशा से धारा 71 में भी कुछ संशोधन हुआ है तथापि मेरा विचार है कि धारा 71 अथवा धारा 80 में हुए संशोधन से संभवत: विधेयक के अभिप्रेत उद्देश्य की प्राप्ति न हो सके। ये 'स्टेज कैरिज' परमिटों से संबंधित हैं।

1939 में जो मोटर वाहन अधिनियम था उसमें सरकार अथवा सरकारी मशीनरी को किसी भी रूट पर परमिट प्रणाली लागू करने की अनुमति देने संबंधी प्रावधान था। सरकार जनहित का विचार करके किसी भी रूट पर परमिट जारी कर सकती है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, संभव है एक भी व्यक्ति ऐसा न हो जो जनता की सहायता हेतु वाहन को 'स्टेज कैरिज' के रूप में रखने के लिये आगे आये। मोटर वाहन अधिनियम में 1988 में जो समग्र परिवर्तन किये गये थे उनमें सरकार की परमिट प्रणाली लागू करने की शक्ति का ध्यान नहीं रखा गया था। मेरा विचार है कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण खामी है जिसे दूर किया जाना चाहिये।

मेरा विचार था कि इस विधेयक में इस बात का भी ध्यान रखा गया है क्योंकि इस संबंध में कुछ कार्य पहले ही कर किया गया था। वास्तव में, मैंने माननीय मंत्री महोदय को कई पत्र भेजे थे जिनमें मैंने यह उल्लेख किया था कि सरकार को परमिट मंगाने की कुछ शक्ति प्रदान करने के लिये मोटर वाहन अधिनियम की धारा 71, 72 तथा 80 में कुछ संशोधन किये जाने आवश्यक हैं।

इस स्थिति में, सरकार को ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है कि किसी मार्ग विशेष के लिए परमिट हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन राज्य परिवहन प्राधिकरण अथवा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा ही दिया जा सकता है। यह एक बहुत बड़ी अड़चन है।

जहां तक हमारी जानकारी है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की हालत में सुधार हो रहा है। जो परिवर्तन किए गए हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में जो योजनाएं शुरू की गई हैं अथवा अनेक योजनाएं बनाएं जाने के बाद बहुत सी सड़कें बनाई गई हैं। लेकिन इन सड़कों पर परिवहन बसों के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं। हमारे पास कुछ प्रावधान होने चाहिएं जिनसे जन हितों को ध्यान में रखा जा सके। मेरे विचार से जो आपरेटर इस संबंध में आगे आ रहे हैं, वे मुनाफा कमाने की दृष्टि से ही आ रहे है और हम उनको दोष नहीं दे सकते। वे लोग ग्रामीण क्षेत्रों के बसें चलाने के उद्देश्य से नहीं आ रहे हैं और इस दृष्टि से यदि उन्हें लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में बसें चलाना उतना फायदेमंद नहीं है जितना किसी अन्य मार्ग पर है तो वे लोग उस परमिट को अस्वीकार कर देंगे तथा दूसरे मार्ग हेतु नये परमिट लेने की कोशिश करेंगे।

आज जो कानून है उसकी धारा 80 में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमिट हेतु आवेदन करता है, उसे परमिट दे दिया जायेगा और सामान्यतया उसके लिए मना नहीं किया जायेगा।

यहां, मेरे विचार से, एक पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए और मैंने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के माध्यम से उसका सुझाव दिया था। यह विधेयक 1983 में पुर:स्थापित होने ही वाला था। लेकिन उस समय माननीय मंत्री जी ने सहृदयता पूर्वक कहा कि विधेयक को पुर:स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण अधिनियम के लिए एक संशोधन लाया जायेगा और वह प्रावधान भी किया जायेगा। मैंने धारा 70 के लिए एक संशोधन प्रस्तुत किया जोकि धारा 80 (क) (1) में शामिल किया जाना था। यह इस प्रकार था "इस अध्याय में अन्तर्विष्ट किसी भी प्रावधान के बावजूद, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण जनहित में कतिपय मार्गों पर सेवाएं प्रदान करने हेतु स्टेज कैरिज परमिट देने के लिए आवेदन आमंत्रित कर सकता है।"

कतिपय आनुषंगिक धाराएं भी इस संबंध में अन्तर्विष्ट हैं। लेकिन पुर:स्थापन के प्रक्रम पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह तो ऐसा प्रावधान है जिसे करने के लिए सरकार पहले ही कदम उठा रही है और यह एक अति महत्वपूर्ण संशोधन है जोकि किया जाना चाहिए; और इस तरह से गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक को लाने की आवश्यकता नहीं है। अत:, मैंने विधेयक के पुर:स्थापन के लिए आग्रह नहीं किया।

तत्संबंधी कार्यवाही भी रिकार्ड में है। मैं उसे भी माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा ताकि यदि अभी संशोधन नहीं किया जाता है तो एक अन्य संशोधन से उसे शीघ्र शामिल किया जा सकता है। यह निम्नलिखित है :-

प्रश्न यह है :-

"कि मोटर यान अधिनियम, 1988 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

तत्पश्चात मंत्री जी ने कहा :-

"महोदय, मैं यहां पर इसका उल्लेख करना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्य से विधेयक वापिस लेने का अनुरोध करता हूं क्योंकि मैं वह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं जो माननीय सदस्य चाहते हैं....."

"अत:, मैं उनसे इसे वापिस लेने का अनुरोध करता हूं।"

तत्पश्चात, मैंने निम्नलिखित शब्दों के साथ वह विधेयक वापिस ले लिया :

"श्रीमान्, माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए, मैं इस विधेयक के पुर:स्थापन के लिए आग्रह नहीं करुंगा। वस्तुत: यदि सरकार ने इस विधेयक की आवश्यकता महसूस की है और वह यह विधेयक ला रही है, तो मेरे विचार से यह एक अच्छी बात है।" इस तरह से इस आधार पर वह विधेयक वापिस लिया गया था अथवा पुर:स्थापित नहीं किया गया।

अब मेरे विचार से यह एक ऐसी बात है जिसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। यद्यपि, धारा 17 (1) में परमिट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की श्रेणी के बारे में उल्लेख किया गया है, फिर भी उस विभाग ने एक संशोधन इसमें जोड़ लिया है कि किसी भी वर्ग के वे व्यक्ति, जिनके लिए राज्य सरकार विशेष रूप से प्रावधान करती है, परमिट हेतु आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यह इसके उस एक अन्य पहलू पर ध्यान नहीं देती

जोकि सबसे महत्वपूर्ण है अर्थात परमिट देने के लिए मानदंड के रूप में 'जन हित' पहलू पर विचार किया जाना चाहिए। अत: मेरा सुझाव तो यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों को स्टेज कैरिज बसों के लिए परमिट देने के उद्देश्य से मेरे विचार से मोटर यान अधिनियम में एक संशोधन किया जाना चाहिए। यदि इसे अभी नहीं किया जा सकता, इसे निकट भविष्य में किया जा सकता है।

मैं यह भी सुझाव दूंगा कि इस मामले पर यदि संभव हुआ तो आज ही विचार किया जा सकता है। एक संशोधन लाया जाना चाहिए जिसमें यदि सरकार जनहित में चाहे तो परमिट देने के संबंध में प्रावधान शामिल हों। उस आधार पर यदि कोई व्यक्ति आगे आता है तो उसे परमिट दिया जा सकता है। मेरे विचार से उसे इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

मैं पुन: इस विधेयक को लाने के लिए मंत्रालय की प्रशंसा करता हूं। यह वाहनों, जनता और साथ ही समाज के अत्यधिक हित में होगा।

डा० विश्व नाथम कैनिथी (श्री काकुलम) : सभापति महोदय, मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। विधेयक को 1988 में पारित किया गया था। लेकिन छह साल बाद हमारे समक्ष संशोधन आये हैं। संशोधनों पर हल्के-फुल्के ढंग से और एकदम विचार करने की बजाय मेरा यह सुझाव है कि हम पुन: एक व्यापक विधेयक लाएं जिसमें पूरी स्थिति पर फिर से विचार हो सके। इस विधेयक में दुर्घटनाओं, प्रशिक्षण तथा सड़कों का समावेश है। एक व्यक्ति जो लोगों के साथ व्यवहार करता है उदाहरणार्थ एक डाक्टर को पांच वर्ष से अधिक का प्रशिक्षण दिया जाता है और एक व्यक्ति जो लोगों को अपनी वाहनों पर ढोता है उसे प्रशिक्षण दिए बिना ही लाइसेंस प्रदान कर दिया जाता है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी स्टीयरिंग व्हील छुआ तक नहीं है फिर भी लाइसेंस मिल जाता है। अत: उन्हें गाड़ी चलाने की अनुमति देने से पूर्व कोई कठोर नियम होने चाहिए।

दुर्घटना में धन जन की क्षति होती है। इसमें हर मामले में कोई-न कोई आदमी शामिल होता है चाहे वाहन हो, चालक हो या सड़क हो। जिन व्यक्तियों पर इन रख-रखाव का दायित्व होता है उन्हें सजा मिल सकती है। लेकिन प्राय: चालकों को ही दोषी ठहराया जाता है। कोई भी चालक जान-बूझ कर दुर्घटना नहीं करता है। फिर भी वह उस समय उस स्थान पर जनता की नजर में और बाद में कानून के तहत न्यायालय की दृष्टि में उसे दोषी करार दिया जाता है। अत: इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ताकि कम-से-कम धन जन की हानि हो। कुछ देशों ने इस संबंध में कुछ नियम तथा विनियम बनाए हैं। कानून बनाने तथा नियम तथा विनियम तैयार करने से ही सारी बातें ठीक नहीं हो जाती हैं। सभी लोगों में जवाबदेही, नैतिक दायित्व और अन्य बातों का मूल्य बोध पैदा किया जाना चाहिए। जनता में जागरूकता पैदा करने के भी प्रयास किए जाने चाहिए। मंत्रालय इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या प्रयास कर रहा है यह विवादास्पद मुद्दा है। जनता और साथ ही संबद्ध अधिकारियों को इन पहलुओं के महत्व की जानकारी दी जानी चाहिए।

उपचार से अच्छा है निवारण। राष्ट्रीय राजमार्गों का वित्त पोषण तथा उनका निर्माण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। उनकी देख-रेख संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।

जब मुद्दा रख रखाव का है, तो हम देखते हैं कि सड़कों की स्थिति एक राज्य की तुलना में दूसरे राज्य से भिन्न है। जब राष्ट्रीय राजमार्गों का वित्तपोषण पूर्णत: केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, तो सड़कों की स्थिति एक राज्य की तुलना में दूसरे राज्य से भिन्न क्यों होती है ? मेरा सुझाव है कि सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का रख रखाव केंद्रीय सरकार अर्थात् जल-भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा ही हो। इस प्रकार हम सड़कों की स्थिति में सुधार कर सकते हैं और काफी हद तक दुर्घटनाओं की दर में कमी ला सकते हैं। ऐसे भी देश हैं जहां सड़क पर कोई गड्ढा पाया गया तो उसकी मरम्मत 24 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे के अंदर कर दी जाती है। परन्तु हमारे देश में ऐसा नहीं होता। हमने ऐसी भी सड़कें देखी हैं जिन पर एक-दो फुट तक गहरे गड्ढों पर महीनों तक कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रकार का खराब रख-रखाव और लापरवाही दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है।

यहां मैं त्रिवेंद्रम में एक मोटर साइकल चालक का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। मोटर साइकल चलाते समय वह एक गड्ढे में गिर गया और उसकी टांग टूट गई। उसने नगर पालिका के विरुद्ध शिकायत की और न्यायालय ने उसे क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। यदि हरेक दुर्घटना का मामला अदालत में ही जाए तो मैं नहीं समझता कि सरकार के पास सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए कोई पैसा बच पाएगा और आखिर में हमारे यहां कोई राष्ट्रीय राजमार्ग ही नहीं होगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए, राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए केंद्रीय सरकार को अधिक जिम्मेदारी का बोध होना चाहिए। यहां मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने दो प्रमुख शहरों के बीच से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को एकतरफा यातायात वाले मुक्त मार्ग घोषित कर दिया है। मुझे आशा है कि यह निकट भविष्य में एक वास्तविकता होगी।

हमारे यहां सड़क यातायात दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई विभिन्न राज्यों के सड़कों की लम्बाई से कम है, और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात अधिक है। अत: राष्ट्रीय राजमार्गों को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक तरफा यातायात सड़कों और बाई पास सड़कों के निर्माण से स्थिति में काफी हद तक सुधार हो सकता है। शहरों और महानगरों के आस पास विशेष रूप से बाईपास सड़कें होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र पार करने के बाद, पुन: तीन लेनों या चार लेनों वाली सड़क हो सकती है।

राजमार्ग गश्ती बल की सहायता से गति सीमा संबंधी मानदंडों का अनुपालन कड़ाई से कराया जाना चाहिए। वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्रों की समय-समय पर नियमित जांच की जानी चाहिए। और कानूनों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। गति सीमा को पार करने वालों को रोका जाए और दोषी व्यक्तियों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। वाकी-टाकी जैसे उपकरणों की सहायता से तेज भाग रहे वाहन को बीच में ही रोका जा सकता है और दोषी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है।

सभी मौसमों में यात्रा को लायक बनाए रखने के लिए सड़कों का ऊपरी लेपन (सरफेक्स कोटिंग) समय-समय पर नियमित रूप से होना चाहिए।

अब मैं प्रदूषण साधनों की चर्चा करूंगा। सरकार ने अगले वर्ष से सभी नए वाहनों के लिए प्रदूषण साधनों को शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मैं सरकार और जल-भूतल परिवहन मंत्रालय को बधाई देता हूं।

यदि वाहन प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के सुरक्षा नियमों का अनुपालन नहीं करते और वर्ष में दो बार इन नियमों का उल्लंघन करने के दोषी पाए जाते हैं, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण साधन अविलम्ब लगाए जाएं।

इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा लम्बे हैं। आन्ध्र प्रदेश एक ऐसा ही राज्य है जहां राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई अन्य राज्यों की तुलना में कम है। इस विषमता को दूर किया जाना चाहिए।

मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि वह टाडा से इचापुरम तक पूर्वी तट से लगी लगभग 1400 कि॰ मी॰ लम्बी समानान्तर सड़क का प्रस्तावित निर्माण कार्य आरम्भ करे और इस कार्य को ठोस रूप प्रदान करे।

महोदय, राष्ट्रीय राजमार्गों पर सात रेलवे फाटक ऐसे हैं जिन पर उपरि पुलों का बनाया जाना आवश्यक है फिर भी मैं जल-भूतल परिवहन मंत्रालय और मंत्री महोदय का आभारी हूं जिन्होंने कम से कम तीन उपरि-पुलों की स्वीकृति दे दी है। मैं उनसे शेष उपरिपुलों का निर्माण कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने का अनुरोध करूंगा।

श्री राजगोपाल नायडू रामासामी (पेरियाकुलम) : महोदय, अन्नाद्रमुक की ओर से मुझे चर्चा में भाग लेने का यह अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

मोटर यान अधिनियम और यह विधेयक मुख्य रूप से सड़क दुर्घटनाओं की सम्भावनाओं को कम करने के विभिन्न तरीकों से संबंधित हैं। इस संबंध में पहली बात यह है कि लाइसेंस देने वाले प्राधिकरणों को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए लाइसेंस देने वाले प्राधिकरण लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया का सख्ती से पालन करें। यह इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रशिक्षण तथा लाइसेंस प्राप्त करने हेतु विशेष स्कूल अथवा कालेज नहीं है इसीलिए लाइसेंस देने वाले इन प्राधिकरणों को प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना होगा।

दूसरी बात यह है कि चालकों के स्वास्थ्य की जांच के कुछ मानक निर्धारित होने चाहिये। उनका स्वास्थ्य स्तर सेना व पुलिस कर्मियों की तरह होना चाहिये। यदि कोई चालक कई दुर्घटनाओं में लिप्त पाया जाता है तो लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा जहां से उसने लाइसेंस प्राप्त किया है, उसे पदावनति करके दंडित किया जाये। यदि इस प्रकार के प्रावधान हों तो तभी लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकर लाइसेंस जारी करने संबंधी प्रक्रिया का सावधानी पूर्वक अनुपालन करेंगे। अधिकांश मामलों में दोषी चालक दुर्घटना के बाद केवल जुर्माना भर कर बच जाते हैं। ऐसे ड्राइवरों को कड़ी सजा देने का प्रावधान किया जाये।

अधिनियम में प्रत्येक चालक के लिए दुर्घटनाओं की संख्या के बारे में कोई सीमा निर्धारित होनी चाहिये। यदि कोई चालक अधिनियम में निर्धारित संख्या से अधिक दुर्घटनाएं करता है तो लाइसेंस रद्द करने सहित कड़े दंड का प्रावधान किया जाना चाहिये।

चालकों को वाहन चलाते समय शराब नहीं पीनी चाहिये। इस बात पर सावधानी पूर्वक निगरानी रखी जाये। ऐसी स्थिति में सड़कें खराब होने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। एक तरफा यातायात शुरू किया जाये तथा सड़क मध्य विभाजक पुल बनाए जायें।

सड़कों के खराब रखरखाव के लिए सरकार दोषी है, यदि सरकार सड़कों का रखरखाव करने के सक्षम नहीं है, तो सड़कों को गैर-सरकारी पार्टियों को पट्टे पर देना चाहिए। इससे सहायता मिलेगी।

अब, मैं मुआवजे के प्रश्न पर आता हूं। व्यक्ति के स्तर, उसकी आय तथा उसकी रोजी रोटी कमाने की क्षमता के आधार पर और घाव की गम्भीरता के आधार पर न्यायाधिकरण दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को धनराशि देने के बारे में निर्णय लेता है। किसी-किसी याचिका में बीमा कम्पनियों को प्रतिवादी के रूप में शामिल कर लिया जाता है। मेरा सुझाव है कि सरकार को भी प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाये क्योंकि सड़कों पर दुर्घटनाएं अपर्याप्त सड़क सुविधाओं के कारण होती हैं।

बसें और अन्य वाहनों में पायदानों पर यात्रा करने अथवा खड़ा होकर यात्रा करने से बचा जाना चाहिये। यदि कोई किसी निजी बस का मालिक बिना किसी दुर्घटना के एक विशेष मार्ग पर अपनी बस चलाता है, तो उसके मार्ग को बढ़ाकर अथवा उसके द्वारा किए जाने वाले करों को कम करके उसे प्रोत्साहन किया जाना चाहिये। यदि निजी बस मालिकों को इस तरफ का प्रोत्साहन दिया जाएगा तो वे अपने मार्गों का निश्चित तौर पर ध्यान रखेंगे।

इन मोटर वाहन दुर्घटना के मामलों में अधिवक्ता मृत अथवा घायल व्यक्तियों की पैरवी करते हैं। इन दुर्घटनाओं के शिकार कई ऐसे निर्धन लोग होते हैं जो मुकदमा लड़ने में सक्षम नहीं हैं, अत: मेरा सुझाव है कि ऐसे मामलों को सरकारी वकील अथवा लोक अभियोजक को सौंपा जाना चाहिए।

एक जन बीमा प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। हमारे यहां कई बीमा कम्पनियां हैं। मेरा सुझाव है कि इस संबंध में केवल एक ही बीमा कम्पनी होनी चाहिए। दुर्घटना के अधिकांश मामलों में पुलिस वाहन का पता नहीं लगा पाती है। इस स्थिति में, यदि जन बीमा प्रणाली होगी, तो बीमा कम्पनी मृतक के परिजनों को निर्धारित समय पर मुआवजा दे देगी। बीमा कम्पनी को सम्पूर्ण दायित्व नहीं लेना चाहिए। इस मामले में वाहन मालिक को अधिक उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। दुर्घटना के मामलों की जांच के लिए एक न्यायाधिकरण बनाया जाना चाहिए।

वाहन मालिक, सरकार, चालक इन तीनों क्षेत्रों में सावधानीपूर्वक सुधारा लाया जाये, केवल कड़ा दंड देकर ही इसमें सुधार लाया जा सकता है। उन्हें यह समझना चाहिए कि स्वतन्त्रता का अभिप्राय उत्तरदायित्व से है। [अनुवाद]

आजकल यह असंभव है। हम इसे केवल ताकत के बल पर ही सुधार सकते हैं।

सभापति महोदय : धन्यवाद श्री रासासामी। कुछ माननीय सदस्यों के नाम उनकी अनुपस्थिति में पुकारे गए थे। कृपया पीठासीन अधिकारी सहयोग दें। अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री जगदीश टाईटलर : धन्यवाद महोदय। मैं उन सदस्यों का सचमुच में बहुत आभारी हूं जिन्होंने मोटर यान अधिनियम में संशोधन पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया। माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि मोटर यान अधिनियम में किसी परिवर्तन का देश के प्रत्येक नागरिक के ऊपर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि प्रत्येक नागरिक

या तो किसी मोटर यान का मालिक है या फिर वह मोटर यानों द्वारा विभिन्न यात्राऐं करता है। इस अधिनियम के द्वारा सड़क का उपयोग करने वालों के हितों की निगरानी करना मोटर यानों के संचालन को नियंत्रित करना, तथा चालक लाइसेंस से जुडे मामलों को देखता है।

पर्यावरण तथा कार्य करने के वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप कुछ मात्रा में विकास का होना अवश्यंभावी है। इसलिए हमारा मंत्रालय अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण, विकास और उदारीकरण के परिवर्तन के साथ-साथ सामंजस्य बिठाने में लगा है। इसीलिए हमने इन परिवर्तनों को सुझाव दिया है।

मुझे यह देखकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई है कि अधिकतर सुझाव काफी हद तक व्यावहारिक हैं। निस्संदेह 90% सुझाव राज्य सरकारों से संबंधित हैं। मेरे विचार से संसद से एक बहुत ही स्पष्ट संदेश जाएगा कि संसद सदस्यों का यही विचार है और उनकी यही इच्छा है जब अगली परिवहन विकास परिषद् की बैठक होगी और इससे पहले भी मैं प्रत्येक राज्य के मुख्य मंत्री को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखूंगा कि माननीय सदस्यों के सुझावों को लागू करने के लिए उनके पास क्या-क्या शक्तियां हैं और उन्हें ऐसा करना चाहिए क्योंकि यही माननीय सदस्यों की इच्छा है और न केवल इच्छा ही है बल्कि ये माननीय सदस्यों द्वारा लिए गए सही निर्णय और सही सुझाव हैं।

एक बात जो स्पष्ट रूप से सामने आई है वह यह कि अधिकतर सदस्यों ने इस बात की निन्दा की है, जो कुछ हद तक सही भी है कि सड़कों की खराब हालत के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। हम योजना आयोग तथा वित्त मंत्री के साथ मिलकर सड़क निर्माण कार्यों के लिए अपनी वार्षिक योजना राशि बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। जब भी मुझे पैसे मिलेंगे, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि जहां भी पैसों की ज्यादा आवश्यकता है हम वहां भेजें जिससे सड़कों की मरम्मत की जा सके, निर्माण किया जा सके तथा दो या चार लेन की सड़क तैयार की जा सके।

अनेक सांसदों ने बाईपास सड़कों के निर्माण की मांग उठायी है। मैं उन सांसदों को जिन्होंने कुछ प्रश्न उठाए हैं, व्यक्तिगत रूप से उत्तर देने के दौरान उनके प्रश्नों के उत्तर दूंगा।

मैं शुरू में श्री चेतन चौहान के प्रश्न का उत्तर देता हूं। जिन्होंने क्षमता से अधिक लदान, वाहनों की उपयुक्तता की प्रक्रिया के दौरान बरती जाने वाली अनियमितताओं, चालक लाइसेन्स प्रदान करने और पथ संकेतों का सैद्धान्तिक स्थान प्रदान करने वाली पुस्तक के प्रावधान के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे। उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रियों को ले जाने के आधार पर प्रदान किए गए ठेका गाड़ी परमिटों का हो रहे दुरुपयोग की ओर इशारा भी किया था।

इस संबंध में, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि सरकार वाहन चालकों द्वारा क्षमता से अधिक सवारी भरने को रोकने के लिए सभी संभव उपाय कर रही है। हम समय-समय पर इस संबंध में मुख्य मंत्रियों को लिखते रहे हैं और हमारे इन प्रयासों के परिणाम भी मिले हैं। इसको ध्यान में रखते हुए लदान की अधिकतम सीमा का जो भी वाहन चालक उल्लंघन करता है, उस पर 2000 रुपये के जुर्माने के साथ अतिरिक्त भार के उतारने पर

होने वाले व्यय के दायित्व सहित प्रत्येक अतिरिक्त एक टन भार के लिए 1000 रुपये अतिरिक्त के जुमनि का प्रावधान करने के लिए धारा 194 संबंधी इस विधेयक के 57वें खण्ड में संशोधन प्रस्तुत किया गया है।

हमने कुछ राज्यों को भार मापक सुवाह्य यन्त्र प्रदान किए हैं ताकि ये राज्य अपने आधार भूत ढांचे को सुदृढ़ कर सकें।

जहां तक वाहनों और चालक लाइसेन्सों का सत्यता का प्रश्न है, तो हम मानते हैं कि विभिन्न राज्यों के परिवहन विभागों में इस संबंध में कुछ ढिलाई है लेकिन इन भ्रष्ट तौर-तरीकों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं राज्य सरकारों को परिवहन विभागों के कार्यालयों में विशेष छापे मारने और दोषियों को दण्ड देने के लिए लिख रहा हूं।

श्री चौहान के सुझाव के अनुरूप सैद्धान्तिक जानकारी देने वाली पुस्तक के संबंध में लर्नर्स लाइसेंस जारी करने के समय लाइसेंस अधिकारी के लिए यह पता लगाना अनिवार्य है कि आवेदक की यातायात नियमों की सैद्धान्तिक जानकारी पंजीयन प्रमाणपत्रों के पुन: वैध बनाने के लिए जानकारी देने संबंधी उनके दूसरे सुझाव को नोट कर लिया गया है और इसे कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को भेज दिया जायेगा।

हालांकि वाहनों की बड़ी संख्या और परिवहन विभाग में सीमित कर्मचारियों को देखते हुए, मुझे सन्देह है कि वे इस भारी कार्य को अंजाम दे सकेंगे। श्री चौहान ने यह भी चाहते हैं कि टक्कर मारकर भाग जाने वाले मामलों में मुआवजे की राशि अन्य मामलों की तरह बढ़ाकर 50,000 रुपये की जानी चाहिए। मैं यहां कहना चाहूंगा कि यह सभा नहीं है क्योंकि मुआवजा राशि केवल दुर्घटना के आधार पर जाती है।

मोटर यान दावा प्राधिकरणों में लम्बित दावों की बड़ी संख्या को देखते हुए श्री चौहान, श्री कृष्णास्वामी श्री एच० पी० यादव तथा अन्य माननीय सदस्यों ने सरलीकृत मुआवजा योजनाओं का स्वागत किया है। ऐसे न्यायाधिकरणों की स्थापना के बाद दावों का निश्चित रूप से शीघ्र निपटान होगा। यदि दावाकर्त्ताओं को यह स्वीकार्य हुआ, तो यह अच्छी बात होगी कि अब पुराने मामले को नई योजना के आधार पर सुलझाया जा सकेगा। इसका अर्थ है कि जिन व्यक्तियों के मामले पुलिस में दर्ज हैं और जो मुआवजे की राशि की प्रतिक्षा कर रहे हैं, अपने मामलों को प्राधिकरण को आवेदन कर वापिस कर सकते हैं। ऐसा करने के उपरान्त वे मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं।

वाहन की पहचान हो जाने वाले मामलों में मुआवजा राशि 50,000 रुपये निर्धारित की गई है। पीड़ित की आयु और आय के आधार पर अधिक राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। श्री चौहान, श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, श्री सुल्तानपुरी और श्री मीणा ने चालकों को बेहतर प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता का उल्लेख किया है। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि राज्य सरकारों को मोटर चालन प्रशिक्षण विधायकों को बढ़ावा देने की सलाह दी है। हमारे मंत्रालय ने कुछ राज्यों को अपनी प्रशिक्षण सुविधाओं की अद्यतन बनाने के लिए मोटर चालन अनुरूपक अनुरूपक दिए हैं।

श्री पटेल ने चाहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की उचित निगरानी की जानी चाहिए; पीड़ितों के उपचार का

दायित्व चिकित्सकों पर डाला जाना चाहिए और चालकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित की जानी चाहिए।

मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि जहां तक राजमार्ग निगरानी योजना का संबंध है, हमने इस योजना को बहुत ही सीमित स्तर पर पहले ही शुरू कर दिया है तथा इस योजना के अन्तर्गत दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों तथा सड़क पर अन्य दुर्घटना ग्रस्त पीड़ितों को हटाने के लिए राज्यों को पिंक एण्ड कैरी क्रेन तथा एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गए हैं। मुझे आशा है कि आप इस कार्य में सामान्य नागरिकों को प्रोत्साहन दे सकते हैं या शामिल कर सकते हैं। यदि यह स्वीकार्य है, तो हम अधिक राजमार्गों पर निगरानी कर पाएंगे।

जहां तक चालकों पर दायित्व डालने का प्रश्न है माननीय सदस्य ने यह नोट किया होगा कि इस विधेयक के 134वीं धारा के 41 वें खंड में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अन्तर्गत केवल मोटर मालिकों पर ही यह दायित्व नहीं डाला गया है बल्कि प्रत्येक चिकित्सक या अस्पताल में आन डयूटी चिकित्सक का यह दायित्व है कि वे घायल व्यक्ति को बिना प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं पूरी किए हुए तुरन्त चिकित्सा से उपलब्ध कराएं इस संशोधन के द्वारा यह सभी पंजीकृत चिकित्सकों का कानूनी दायित्व है कि वे घायल व्यक्तियों का शीघ्र इलाज करें। मेरे विचार से यह बात संसद के अधिकतर माननीय सदस्यों के लिए चिन्ता का विषय था।

जहां तक न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का सबंध है, अधिकतर माननीय सदस्यों ने दसवीं ग्रास का सुझाव दिया था। हमने अनुभव किया है कि इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ग्रामीण लोगों में युवकों के लिए रोजगार पाने का यह आसान तरीका है अन्यथा, अनेक युवक रोजगार प्राप्त नहीं कर पायेंगे।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : इस संबंध में न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जा सकती है।

श्री जगदीश टाईटलर : आपके आने के पहले मैंने अनेक प्रश्नों का अवाब दे दिया था तथा मैंने उन्हें नोट भी किया है। माननीय सदस्यों ने ये बातें कहीं हैं। व्यावहारिक रूप से इन बातों को राज्य-सरकारों द्वारा सुलझाया जा सकता है। यह राज्य का विषय है। मैंने कहा "इस संसद से इस सभा के माननीय सदस्यों से स्पष्ट संदेश गया है; माननीय सदस्य इस संबंध में ऐसा अनुभव करते हैं" मैं सभी मुख्य मंत्रियों तथा परिवहन मंत्रियों को व्यक्तिगत रूप से लिखूंगा। जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया। हम परिवहन विकास परिषद अगली की बैठक में इसे कार्यसूची में शामिल करेंगे मेरा मानना है कि आपने जिन बातों का उल्लेख किया है वे सही हैं तथा हम उस पर विचार करेंगे।

सीट वेल्ट और पुरानी मोटर गाड़ियों को व्यर्थ घोषित करने संबंधी प्रावधानों के अनुसार, अप्रेल 1994 से सभी मोटर गाड़ियों में सुरक्षात्मक सेफ्टी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जहां तक पुरानी मोटर गाड़ियों को नष्ट करने का प्रश्न है, सरकारी विभाग अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अपनी पुरानी मोटरगाड़ियों को व्यर्थ घोषित कर सकते हैं। परन्तु यह आवश्यकता अनुभव की गई है कि पुरानी मोटर गाड़ियों को सड़क पर से पूरी तरह हटा लिया जाय। हालांकि मोटर वेकिल्स कानून की धारा 59 में ऐसे प्रावधान विद्यमान हैं, परन्तु इन प्रावधानों को विभिन्न आर्थिक कारणों से लागू नहीं किया जा सका है। लेकिन अस सरकार गंभीरतापूर्वक इन प्रावधानों को विशेषरूप से व्यावसायिक मोटरगाड़ियों पर लागू करने पर विचार कर रही है।

श्री पटेल ने भी सुझाव दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर समरूप पथ-संकेतों प्रयोग होना चाहिए। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मोटर वेकिल्स कानून अन्तर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित है।

माननीय सदस्य यह भी जानना चाहते थे कि क्या दुपहिए वाहनों के लिए हेलमेल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि इस संशोधन द्वारा ऐसा किया जा रहा है।

श्री श्रवण कुमार पटेल, श्री पी० एस० चेतन चौहान, श्री भेरु लाल मीणा, श्री चन्द्रेश पटेल तथा श्री अमल दत्ता ने लाइसेंस, पंजीकरण तथा विभिन्न राज्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने कम्प्यूटरीकृत करने की आवश्यकता का उल्लेख किया है। इसे परिवहन विकास परिषद् की बैठक में भी उठाया गया था तथा अद्यतन रिकार्ड रखने तथा जारी किए गए लाइसेंस तथा पंजीकृत मोटरगाड़ियों के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए सभी राज्यों से भारत सरकार की कम्प्यूटर प्रणाली 'निकनेट' का उपयोग किये जाने का सुझाव दिया गया है।

श्री यादव ने सड़क का उपयोग करने वालों के लिए सुरक्षा का उल्लेख किया है। मोटर वेकिल्स कानून के प्रावधानों के अनुसार इस मंत्रालयों को एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद गठन किया गया है तथा राज्य सरकारों को भी यह सुझाव दिया गया है कि वे इसी प्रकार की सड़क सुरक्षा परिषदों की स्थापना करें।

श्री यादव ने निश्चय ही रेड लाइन बसों की बात उठाई है। यह अफसोस की बात है कि चन्द गैर-जिम्मेदार बस मालिकों तथा बस चालकों के कारण यह योजना बदनाम हो रही है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि किसी न किसी रूप में रेड लाइन बसों के परिचालन का मामला हमारे मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। उनका मेरे मंत्रालय से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह राज्य सरकार का मामला है। हमने पहले ही राज्य सरकारों को लिखा है कि उन्हें सभी बस चालकों को प्रशिक्षित करने के कार्य का कड़ाई से पालन करना चाहिए और कानून को हाथ में लेने वाले को सजा देनी चाहिए।

श्री अमल दत्त ने कहा है कि इस विधेयक को स्थायी समिति के समक्ष भेजा जाना चाहिए था और ऐसा लगता है कि विधेयक तैयार किए जाते समय दोनों विभागों के बीच सामन्जस्य का अभाव रहा। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि संशोधन केन्द्र सरकार के सभी संबद्ध विभागों के साथ उचित विचार-विमर्श करने के पश्चात तथा राज्य सरकारों, परिवहन विशेषज्ञों व्यापार संगठनों एवं निजी व्यक्तियों से सुझाव प्राप्त करने के बाद किए गए हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा है कि विधेयक में किए गए सुधारों का उद्देश्य सड़क पर चलने वाले लोगों के हितों की रक्षा करना, मोटर वाहनों के परिचालन को संचालित करना तथा अन्य सड़क सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना है। वस्तुत: पर्यावरण मंत्रालय से विचार-विमर्श करने के पश्चात हमारे मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के वाहनों के लिए उत्सर्जन स्तर को पहले ही अधिसूचित कर दिया है।

जहां तक रेल द्वारा माल ढुलाई का सवाल है, मैं कहना चाहूंगा कि माल भेजने के लिए परिवहन का चयन करना किसी कम्पनी अथवा व्यक्ति पर निर्भर करता है। इसके लिए कोई फिरनी को बाध्य नहीं कर सकता कि सामान सड़क मार्ग से ही भेजा जाए अथवा रेल मार्ग से ही भेजा जाए।

5.00 म० प०

उन्होंने दिल्ली में मेट्रो प्रणाली स्थापित किए जाने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया। मैं बताना चाहूंगा कि कैबिनेट में इसे पहले ही पारित कर दिया है और दिल्ली में भूम्युपरि रेलगाड़ियां चलाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह कार्य अंतिम चरण में ही और मैं इस संबंध में शीघ्र ही दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलूंगा। मेरा विश्वास है कि दिल्ली में हल्की भूम्युपरि रेलगाड़ी चलाए जाने के बारे में सरकार शीघ्र ही प्रस्ताव लाएगी। यह मामला भी हमारे मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। यह रेल मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आता। अत: मेरी उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक हम लोग कोई निर्णय ले लेंगे।

श्री दत्त ने मोटर वाहनों से होने वाले प्रदूषण मामले की ओर भी ध्यान दिलाया है और न केवल यह इच्छा व्यक्त की है कि न केवल शीशा-मुक्त पेट्रोल उपलब्ध कराया जाए बल्कि इसका उल्लंघन करने वालों को सजा देने हेतु प्रभावी उपाए किए जाने की भी बात कही है। इस सम्बन्ध में, मैं कहना चाहूंगा कि पैट्रोलियम मंत्री ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि तीन वर्षों के अंदर सभी महानगरों में शीशान्मुक्त पेट्रोल उपलब्ध करा दिया जाएगा। बेशक उन्होंने कहा कि सड़कों पर और अधिक बसों को चलाया जाएगा जिससे निजी वाहनों की संख्या में कमी आएगी। अब, सरकार परिवहन क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। निजीकरण के मामले में दिल्ली में किया गया प्रयोग खूब सफल रहा है जिसमें निजी निवेशकों ने वास्तविक रूप में 200 करोड़ रुपयों का निवेश किया है तीन हजार बसें चलायी जा रही हैं जिससे पर्याप्त संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं तथा परिवहन से सम्बन्धित अन्य व्यापार भी विकसित हुए हैं। अब यात्रियों को पहले जैसे 45 मिनटों तक बस के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। उन्हें अधिक से अधिक 10 मिनटों तक इंतजार करना पड़ता है।

निश्चय ही इस विधेयक में व्यक्तियों तथा कम्पनियों दोनों के द्वारा परमिट से अधिकतम मालिकाना हक समाप्त किए जाने का प्रस्ताव है। इसी के साथ हम यह आशा करते हैं कि अधिक से अधिक बसों की सेवा उपलब्ध होगी।

श्री चटर्जी ने कुछ अच्छे मुद्दे उठाए हैं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि श्री चटर्जी ही एक मात्र ऐसे सदस्य थे, जिन्होंने सही अर्थों में मोटर यान अधिनियम पर विचार व्यक्त किया, हालांकि दूसरे सदस्यों ने भी इस पर विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो मोटर यानों की इंजन क्षमता को 35 सी० सी० से घटाकर 25 सी० सी० कर दिया गया है और दूसरी तरफ 50 सी० सी० की सीमा लादी जा रही है। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। 25 सी० सी० वाले यानों के आ जाने से उन्हें मोटर यानों की सूची में शामिल किया जा रहा है। दूसरी ओर 50 सी० सी० की सीमा निर्धारित की जा रही है ताकि गीयर रहित उच्च क्षमता वाले मोटर साइकिल की आवधारणा 13 वर्ष से कम आयु के चालकों को आकर्षित न करे। 25 सी० सी० से अधिक क्षमता वाली गाड़ी के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी।

संशोधनों में सघन क्षेत्रों में प्रतिबन्धों की व्यवस्था की गयी है।

गैर-पारम्परिक वाहनों को रियायतें देने के मामले में हमने पिछले वर्ष पहले ही कार्यवाही की है। वाहनों के लिए कोई परमिट शुल्क नहीं है और वे अपना मनपसन्द मार्ग स्वयं चुन सकते हैं। अत:, उनके लिए कोई

मार्ग निर्धारित नहीं है। वे अपनी इच्छानुसार किराया ले सकते हैं। अत:, इस प्रकार से कुछ रियायतें दी गई हैं। बाद में जो भी सुझाव आयेगा तो हम गैर-पारम्परिक ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे।

अनुमानित आय की गणना के लिए व्यवस्था की गई है। आपने उन लोगों के लिए मुआवजे की मांग की है जिनकी कोई आय नहीं है। जिन लोगों के ज्ञात आय नहीं है उनकी अनुमानित आय की गणना के लिए उपबंध किए गए हैं।

महंगाई भत्ते के सूचकांक के संबंध में मैं यही कहूंगा कि मुआवजे की दर में समय-समय पर संशोधन करने की शक्ति केन्द्रीय सरकार के पास है और हम इस पर कार्यवाही करेंगे।

निस्संदेह, आपने यह बताया था कि वाहनों की अधिकतम सीमा क्यों हटा दी जाये। अब बदली हुई परिस्थितियों में सड़क पर चलने वाले नए वाहनों के संचालन की आर्थिक व्यवहार्यता को देखते हुए मुख्यत: भारतीय परिवहन कंपनियों के लाभार्थ अधिकतम सीमा हटा दी गई है। मेरे विचार से यह कदम उठाकर हम और नई कंपनियां लगा सकेंगे जिसमें कोई जरूरी नहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही होंगी अपितु यहां भारतीय कंपनियां भी होंगी ही, क्योंकि वाहन चलाने के बारे में हम यह जानते हैं कि दिल्ली और अन्य स्थानों पर निर्धन लोग, जिन्होंने गाड़ी ले रखी हो और मेरे विचार से एक बार उसमें गड़बड़ी आ जाने पर शायद ही .....**(व्यवधान)**.....

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अभी तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ही चला हुआ है, तो नई कंपनी कैसे आयेगी ?

श्री जगदीश टाईटलर : क्यों नहीं आएगी, किसने कहा ? आप मेरी मिनस्ट्री में आइए एक दिन, वहां बैठकर देखिए कि कौन-सी कंपनी है। मल्टीनेशनल्स तो एक कहानी है।

[अनुवाद]

यह हमें डराने वाली एक घड़ी है। आप आकर देखिए कि पत्तनों और सड़कों के निजीकरण में जिसके लिए वे आ रहे हैं, कितने भारतीयों ने भाग लिया है।

श्री थामस ने यह बताया है कि राज्य अथवा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट रूटों पर परमिट के लिए विज्ञापन दिए जाने की शक्तियां वापस ली जा रही हैं। यह सही नहीं है। मैं सभा को इसके बारे में सूचित करना चाहूंगा।

प्रो॰ के॰ वी॰ थामस (एरणाकुलम) : सरकार के पास परमिट मंगाने की कोई शक्ति नहीं है।

श्री जगदीश टाईटलर : जी नहीं। धारा 68 के अंतर्गत राज्य अथवा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अब जनता की मांग पर वांछित रूटों के लिए विज्ञापन दे सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपने कामगर अधिनियम के बारे में कुछ नहीं कहा है।

श्री जगदीश टाईटलर : चालकों के काम के घंटे के बारे में केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम के उपबंधों

में प्रस्तावित संशोधनों के द्वारा इनमें सम्बंध स्थापित किया जा रहा है और इन्हें परिवहन कामगार अधिनियम के अनुरूप बनाया जा रहा है। मैं आपको इसी खंड के बारे में बताना चाह रहा था।

श्री शास्त्री ने एक प्रश्न का उल्लेख किया था अपीलीय प्राधिकरण में बाहरी सदस्यों को रखा जाए हमने यह बताया है प्राधिकरण के सदस्य ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए पात्र हों।

श्री अंसारी ने यह बताया था कि फिटनेस प्रमाणपत्र देने के लिए निजी एजेंसियों को प्राधिकृत किया गया है। मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहूंगा कि किसी राज्य ने अब तक फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने अथवा पंजीकरण रद्द करने के लिए किसी निजी एजेंसी को प्राधिकृत नहीं किया है।

जहां तक सड़कों का संबंध है, मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि कई संसद सदस्यों ने सड़कों के खराब हालत में होने के मुद्दे उठाए हैं और इससे बहुत कठिनाई भी उत्पन्न हो रही है। यह बात उस हद तक सही भी है, यद्यपि मुझे योजना आयोग के साथ-साथ वित्त मंत्रालय से भी धनराशि प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है तथापि हमें इस मामले में सफलता तो मिली ही है।

भारत आने वाली मलेशिया की एक कम्पनी का उल्लेख किया गया था। मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि मैं मलेशिया गया था और हम वहां कुछ व्यवसायियों से मिले थे। सड़क निर्माण करने वाले अनेक व्यवसायी हम से मिले। जब से हमने अपनी अर्थव्यवस्था को पूंजी निवेश के लिए खोला है तब से उन्होंने अपनी रुचि दिखाई है परन्तु अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। मैं समझता हूं कि आगामी छः माह में उन कम्पनियों की काफी संख्या हो जायेगी जो इसमें अपनी रुचि दिखायेंगी। मैंने कोई सपना नहीं देखा है बल्कि यह व्यवहारिक विचार है क्योंकि एशियाई विकास बैंक ने इस संबंध में एक अध्ययन किया है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें आप सबका हित है।

यह परियोजना 20 बिलियन डालर की है इसमें चण्डीगढ़ से दिल्ली पथकर सहित चार लेनों वाला एक्सप्रेस मार्ग और चण्डीगढ़ से दिल्ली तक की सड़कें शामिल हैं यह सड़क दिल्ली से सीधी कलकत्ता और कलकत्ता से सीधी मद्रास, मद्रास से बंगलौर, बंगलौर से मुम्बई और मुम्बई से फिर दिल्ली वापस आती है। उसके बाद यह मुम्बई से सीधी कलकत्ता तथा दिल्ली से मद्रास और वहां से केरल से होती हुई दक्षिणी भाग और तमिलनाडु तक जाती है।

यह सड़क 10,000 किलोमीटर से अधिक है जिसके लिए हमने योजना बनायी है। ऐसी भी कम्पनियां हैं जो अपने खर्च से इसका अध्ययन करना चाहती हैं। मेरे विचार से वे इसकी औपचारिकताओं पर विचार कर रहे हैं और मुझे आशा है कि अगले वर्ष तक मैं इस परियोजना को शुरू करा सकूंगा और भविष्य में कोई और इस परियोजना को पूरा करेगा। स्वतंत्रता के बाद यह देश की सबसे बड़ी परियोजना है।

मेरे विचार से इसका श्रेय प्रधानमंत्री को उनकी उदारीकरण की नीति के लिए जाता है जिसके कारण रुचि पैदा हुई है। विश्व की 21 शीर्षस्थ अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों ने इस परियोजना में रुचि दिखाई है। संसद में इस विधेयक के पुर:स्थापित होने के बाद पथकर वसूल किया जाएगा इससे पहले पथकर वसूल नहीं किया जा सकता था।

पश्चिम बंगाल में हुगली पुल जिसे हमने ही शुरू किया था इसका एक सजीव उदाहरण है यह एक बड़ी सफलता थी। इस सफलता से हमें निजीकरण की प्रेरणा मिली। आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा कैसे हुआ।

अन्त में, मैं इस चर्चा में भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद देता हूं। अब मेरा सभा से अनुरोध है कि यह विधेयक पारित किया जाए। .....(व्यवधान).....

[हिन्दी]

श्री रतिलाल वर्मा (धन्धुका) : सभापति महोदय, दिल्ली से बंबई जो एक्सप्रैस हाईवे है उसको क्या अहमदाबाद तक बढ़ाया जाएगा ? .....(व्यवधान).....

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय ने इस का उत्तर दे दिया है। उन्होंने ठोस योजना के बारे में भी बता दिया है। हमें उससे संतुष्ट होना चाहिए।

.....(व्यवधान).....

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : चीन अपने यहां एक्सप्रेस हाईवे बना रहा है। उसने पेट्रोलियम उत्पादों में बचत की है। .....(व्यवधान).....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य जो चाहते थे मंत्री महोदय ने उससे अधिक जानकारी दे दी है। अब हम विधेयक पर विचार करने वाले प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

प्रस्ताव यह है :

"कि मोटर यान अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खंड-वार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 6 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 से 64 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 से 64 विधेयक में जोड़ दिए गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

श्री जगदीश टाईटलर : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.15 म. प.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पूर्व आयुक्त के अट्ठाईसवें और उनतीसवें प्रतिवेदनों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के पांचवें, छठे, सातवें और आठवें प्रतिवेदनों के विचारार्थ प्रस्ताव

सभापति महोदय : अब हम अगली मद को लेंगे। इस पर चर्चा आरम्भ करने से पूर्व मैं सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि इस प्रस्ताव के लिए छः घंटे का समय आवंटित किया गया है। अब मंत्री महोदय प्रस्ताव पेश करें।

कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के. वी. तंग्का बालू) : श्री सीताराम केसरी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पूर्व आयुक्त के वर्ष 1986-87 और 1987-89 के अट्ठाईसवें और उनतीसवें प्रतिवेदनों, जिन्हें क्रमशः 9 मई, 1989 और 29 अगस्त, 1990 को सभा पटल पर रखा गया था और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के वर्ष 1982-83, 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के पांचवें, छठे, सातवें और आठवें प्रतिवेदनों, जिन्हें क्रमशः 5 मार्च, 1986, 26 अगस्त, 1987, 4 मई, 1988 और 21 नवम्बर, 1988 को सभा पटल पर रखा गया था, पर विचार करती है।"

हम इस माननीय सभा के प्रत्येक सत्र के अवसर पर इन प्रतिवेदनों को विचार हेतु लेने का अनुरोध करते रहे थे किन्तु अधिक कार्यभार के कारण इन प्रतिवेदनों को सभा में कब तक चर्चा के लिए लिया जाना सम्भव नहीं हो सका। इसलिए मैं इन प्रतिवेदनों पर चर्चा हेतु समय आवंटित करने पर इस सभा का आभारी हूं।

मुझे इस माननीय सभा को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार ने इन प्रतिवेदनों की प्राप्ति के तुरन्त बाद इनमें की गई सिफारिशों पर कार्यवाही आरम्भ कर दी। संविधान (पैंसठवां संशोधन) विधेयक,

1990 के अनुक्रम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पूर्ववर्ती आयोग और इसके साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के स्थान पर 12 मार्च, 1992 से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग का गठन कर दिया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी नए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास और कल्याण से सम्बंधित मुद्दों तथा मामलों की छानबीन और जांच करने हेतु विस्तृत क्रियाकलापों और सिविल-न्यायालय की शक्तियों के साथ संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत की गई है।

5.18 म. प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

महोदय, प्रतिवेदनों में की गई अन्य सिफारिशों पर सरकार ने आवश्यक कार्यवाही की है और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के पांचवे और छठे प्रतिवेदनों पर विस्तृत कार्यवाही विवरण 29.12.1989 को लोक सभा के सभापटल पर रखा गया था और आयोग के सातवें और आठवें प्रतिवेदनों पर विस्तृत कार्यवाही विवरण 18.2.1992 को लोक सभा के पटल पर रखा गया था।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु हम जो विभिन्न कल्याण और सुरक्षात्मक उपाय कर रहे हैं, यह सभा उनसे अवगत है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम और ट्राइफेट के गठन; आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सिर पर मैला ढोने की घृणित प्रथा को समाप्त करने हेतु प्रशंसनीय और महत्त्वाकांक्षी विशेष योजना; मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण और व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने हेतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक बैंक योजना के प्रावधानों में संशोधन; कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए शैक्षिक विकास के विशेष कार्यक्रमों हेतु नई योजनाओं; केन्द्र सरकार/सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों हेतु आरक्षित पदों में बकाया रिक्तियों को भरने हेतु चलाए गए विशेष भर्ती अभियानों; और जिस ढंग से बाबा साहेब डा॰ बी॰ आर॰ अम्बेडकर के शताब्दी समारोहों को मनाया गया, उससे इस माननीय सभा के सभी सदस्य अवगत है।

मुझे यह बात दोहराते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास के संबंध में सरकार की वचनबद्धता दृढ़ है और यह निरन्तर जारी रहेगी। हम उनके सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए सभी आवश्यक उपाय करना जारी रखेंगे। हम स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष के अंग के रूप में कम अधिकार प्राप्त लोगों के उत्थान के लिए वचनबद्ध हैं। कमजोर और गरीब लोगों के उत्थान के मामले में सरकार अपने उपायों पर गर्व कर सकती है। गरीब और कमजोर लोगों के विकास और उनकी ताकत से ही राष्ट्र मजबूत तथा शक्तिशाली बनता है। यही हमारा विश्वास है। हमारा लक्ष्य है। राष्ट्र को मजबूत तथा शक्तिशाली बनाना है।

मैं इस चर्चा के लिए अपना बहुमूल्य सुझाव देने के लिए इस माननीय सभा का पुन: आभार व्यक्त करता

हूं और मुझे आशा है कि इस सम्बंध में माननीय सदस्यों के बहुमूल्य सुझाव हमें मिलेंगे जिनसे इस चर्चा को लाभदायक और परिणामोन्मुखी बनाने में बहुत सहायता मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पूर्व आयुक्त के वर्ष 1986-87 और 1987-88 के अट्ठाईसवें और उनतीसवें प्रतिवेदनों, जिन्हें क्रमश: 9 मई, 1989 और 29 अगस्त, 1990 को सभा पटल पर रखा गया था और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के वर्ष 1982-93, 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के पांचवें, छठे, सातवें और आठवें प्रतिवेदनों, जिन्हें क्रमश: 5 मार्च, 1986, 26 अगस्त, 1987, 4 मई, 1988 और 21 नवम्बर, 1988 को सभा पटल पर रखा गया था, पर विचार करती है।"

श्री राम सिंह (हरिद्वार) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कल्याण मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने करीब 12 वर्षों के अंतराल के बाद 6 रिपोर्टों का विचार करने का अवसर प्रदान किया। अब समय सीमा को देखते हुये 6 प्रतिवेदनों की संस्तुतियों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की और किन-किन संस्तुतियों को स्वीकार नहीं किया, उसके क्या कारण थे, इस पर विस्तार से अगर कोई व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करना चाहेगा तो 10-15 मिनट समय कम है। मैं इस बात की अपेक्षा करूंगा कि विषय की गंभीरता को देखते हुये समय सीमा की पाबंदी ठीक नहीं है। इस 6 घंटे में सदन के सदस्यों द्वारा अपने विचार व्यक्त करना संभव न होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इन रिपोर्टों में से दो रिपोर्ट आयुक्त के बारे में हैं। इस व्यवस्था से पहले एस॰ सी॰ कमिश्नर होते थे और पूरा सालभर काम करते थे और उनके जो अनुभव होते थे, उसकी पूरी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करते थे। इसके पूर्व श्री बी॰ डी॰ शर्मा की रिपोर्ट भी इसमें शामिल है। चार रिपोर्टें आयोग की हैं। पहले एस॰ सी॰ एस॰ टी॰ कमीशन था। इन 6 रिपोर्टों पर सामूहिक रूप से विचार करने के लिये संस्तुतियों पर अलग से विचार संभव नहीं है। इस बात की कोशिश करूंगा कि विषयानुसार इन बातों पर संक्षेप रूप से चर्चा कर सकूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सबसे पहला विषय हमारे सामने एस॰ सी॰ एस॰ टी॰ का आता है परन्तु हमारे केन्द्र के अंदर जो मंत्रालय का स्ट्रक्चर है, वह बड़ा ही विचित्र है। शक्तियां इसके पास हैं नहीं और यह केवल डाक लेने या भेजने का काम करता है। उदाहरण के लिए आरक्षण का विषय है। राज्य सरकारों को यहां से निर्देश जाते हैं लेकिन वैलफेयर विभाग से नहीं जाकर डिपार्टमेंट आफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग से जाते हैं। कल्याण मंत्रालय का उस विभाग पर कोई नियंत्रण नहीं है। जमीन के ऐलोकेशन का मामला रूरल डेवलेपमेंट विभाग के पास है।

कल्याण मंत्रालय को कोई निर्देश देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। आरक्षण के मामले में कोई निर्देश देने का अधिकार उनको प्राप्त नहीं है। आप कल्याण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट का अध्ययन करें तो किसी वर्ष की रिपोर्ट में कल्याण मंत्रालय के पास समुचित आंकड़े नहीं हैं। केन्द्र की सेवाओं के आरक्षण का प्रतिशत आज तक क्या हुआ है, इसके आकंडे इस वर्ष की रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं हैं, इससे पहले की रिपोर्ट्स में उपलब्ध नहीं हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आवास तथा कृषि के लिए कहां कितनी भूमि उपलब्ध कराई गई, उसके आंकड़े इनके पास नहीं हैं। शिक्षा का प्रतिशत क्या है वह जानकारी उनके पास नहीं है क्योंकि शिक्षा का

संबंध मानव संसाधन विकास मंत्रालय से है। यह महकमा केवल एक पोस्टमैन का काम करता है। डाक भेजता है और डाक इनके पास वापस भी नहीं आती क्योंकि कोई भी इनको बाद में उत्तर देना उचित नहीं समझता। मेरा पहला निवेदन यह है कि इस महकमे को सुदृढ़ और सक्षम बनाने की आवश्यकता है। आज इनके पास अधिकार नहीं हैं। इनको अधिकार देने की आवश्यकता है। जब तक किसी महकमे के पास अधिकार नहीं होंगे तो वह अपना काम करने में सक्षम नहीं हो सकता है।

सबसे पहला सवाल हमारे सामने शिक्षा का है। यह महकमा अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षा की सुविधाएं देता है। उनको शिक्षा की सुविधाएं देने के मामले में जो स्कॉलरशिप के रेट्स हैं वह आखिरी बार 1987 में बढ़ाये गये थे 1987 के बाद स्कॉलरशिप के रेट्स नहीं बढ़ाए गए और जो रेट्स 1987 में बढ़ाए गए थे 1987 के बाद स्कॉलरशिप के रेट्स नहीं बढ़ाए गए और जो रेट्स 1987 में बढ़ाए गये थे उन्हें सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि स्कॉलरशिप के रेट्स क्या थे। कक्षा एक से पांच तक के छात्रों को केवल 12 रुपए मासिक छात्रवृत्ति मिलती है। कक्षा छह से आठ तक के छात्रों को 20 रुपए मासिक मिलता है और कक्षा नौ से दस तक के छात्रों को 30 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति मिलती है कक्षा एक से दस तक के छात्रों के लिए पैसे का प्रबंध राज्य सरकार करती है लेकिन रेट्स तय करने का नियंत्रण केन्द्र सरकार के पास है। जब तक केन्द्र उनके रेट्स रिवाइज नहीं करेगा तब तक इनकी स्कॉलरशिप नहीं बढ़ेगी। इसी प्रकार MA तक किसी अनुसूचित जाति के छात्र को केवल 65 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति मिलती है कला विषय के लिए। तकनीकी कक्षाओं के लिए 280 रुपए छात्रवृत्ति है। इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्र के लिए 280 रुपए की क्या कीमत है ? 280 रुपए उन्हें मिलते हैं जो छात्रावास में रहते हैं। दैनिक छात्रों को केवल 125 रुपए मिलते हैं। इसमें पांच कैटागरीज़ पोस्ट ग्रेजुएट की हैं, जिनको श्रेणीबद्ध किया गया है। क श्रेणी में 280 रुपए रेजिडेण्ट छात्रों को मिलते हैं और 125 रुपए दैनिक छात्रों को मिलते हैं। ख श्रेणी में 190 रुपए रेज़ीडेण्ट स्टूडेण्ट्स और 125 रुपए दैनिक छात्रों को मिलते हैं। ग श्रेणी में रेजीडेण्ट स्टूडेण्ट्स के लिए 190 रुपये और 125 रुपये दैनिक छात्रों के लिए हैं, घ श्रेणी में रेज़िडेण्ट स्टूडेण्ट्स के लिए 175 रुपए और 90 रुपए दैनिक छात्रों के लिए हैं। अंतिम श्रेणी में 115 रुपए होस्टलर्स के लिए और 65 रुपए दैनिक छात्रों के लिए हैं। आप कल्पना करें कि 65 रुपए प्राप्त करने वाले छात्र स्कॉलरशिप में अपनी किताबें कैसे खरीदेगा, कपड़े कैसे बनाएगा और छात्रावास की फीस तथा स्कूल-कालेज की फीस कैसे देगा। इस विषय को हमने बार-बार उठाया कि स्कोलरशिप के रेट्स रिवाइज कीजिए। कल्याण मंत्रालय का बहाना यह है कि योजना आयोग हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। योजना आयोग हर चीज के लिए पैसा मुहैया करा सकता है लेकिन अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उसके पास पैसा नहीं है। दूसरी बंदिश सुनिए। इन छात्रवृत्तियों को लेने के लिए कई तरह की बंदिशें हैं। कई तरह के प्रतिबंध इनके ऊपर हैं। उदाहरण के लिए दसवीं कक्षा तक जिस छात्र को छात्रवृत्ति मिलेगी उसके माता-पिता या अभिभावक की आय 1000 रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 1000 रुपए तक की आमदनी वाले व्यक्ति के बच्चे को ही स्कॉलरशिप मिलेगी दसवीं कक्षा तक।

और दसवीं कक्षा के बाद जो अंतिम पढ़ाई होती है, उसके लिये अभिभावक की आमदनी 1500 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये। आज यदि आप देखें तो स्टेट्स में एक चपरासी की तनख्वाह भी 1750 रुपये मासिक

है जिसका मतलब हुआ कि अनुसूचित जाति के एक चपरासी के बच्चे को आज न तो स्कॉलरशिप मिलेगी और न उसकी फीस माफ होगी। मैंने कई बार कहा कि इस सीमा को बढ़ाया जाये क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गयी है। सन् 1987 के बाद आज तक न तो आमदनी की सीमा को बढ़ाया गया और न दूसरी बंदिशों में राहत दी गयी।

एक तीसरी बंदिश सरकार ने और लगायी है, जो आज तक हिन्दुस्तान में किसी वर्ग के ऊपर नहीं लगायी गयी और वह बंदिश है कि जिस व्यक्ति के केवल दो बच्चे होंगे तथा जिसकी आमदनी 2 हजार रुपये से अधिक नहीं होगी, उसके बच्चों को आधी स्कॉलरशिप मिलेगी और उनकी आधी फीस माफ होगी–मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा मजाक क्यों उनके साथ किया जा रहा है और फैमिली प्लानिंग की बंदिश इन लोगों पर जुड़ने का औचित्य क्या है, जबकि किसी और मामले में ऐसी बंदिश नहीं लगायी गयी है। जब आपने फैमिली प्लानिंग की बंदिश लगा दी, आमदनी की सीमा लगा दी और स्कॉलरशिप का रेट भी इतना कम है, ऐसी हालत में इन लोगों की शिक्षा कैसे बढ़ेगी। उसी का परिणाम हमारे सामने आ रहा है।

यदि मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करूं तो सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन लोगों की शिक्षा का प्रतिशत कितना नीचे है, खात तौर से अनुसूचित जातियों की स्थिति बहुत खराब है। वर्ष 1981 की जनगणना के मुताबिक, सभी समुदायों में पुरुषों का शैक्षिक प्रतिशत 43.67 है और महिलाओं का शैक्षिक प्रतिशत 29.43 है जबकि अनुसूचित जातियों में 1981 की जनगणना के अनुसार पुरुषों का शैक्षिक प्रतिशत 21.38 है और महिलाओं का प्रतिशत 10.93 है। जनजातियों की स्थिति इससे भी खराब है क्योंकि जनजातियों के पुरुषों में 16.33 प्रतिशत और महिलाओं में 8.4 प्रतिशत लोग ही शिक्षित हैं। ऐसी स्थिति में ये लोग कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे नौकरियों में आयेंगे और कैसे नौकरियों में उनका आरक्षण पूरा होगा जब वे शिक्षित ही नहीं होंगे ?

हमारे विद्यालयों में ड्रॉप-आउट का रेट क्या है वह भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितने प्रतिशत लड़के और लड़कियां एक विशेष कक्षा तक पढ़ने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। उनकी शिक्षा का प्रतिशत जानकर आपको आश्चर्य होगा लेकिन सरकार सब कुछ जानते हुये भी कोई प्रबंधन नहीं करना चाहती। कक्षा एक से कक्षा 5 तक स्थिति यह है कि 56.43 प्रतिशत लड़के पांचवी कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं और 64.24 प्रतिशत लड़कियां पांचवीं कक्षा के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं यानी कक्षा 5 पास की और उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। उसी तरह कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की स्थिति यह है कि 74.76 प्रतिशत छात्र और 85.72 प्रतिशत छात्रायें आठवीं कक्षा पास करने के बाद स्कूल जाना छोड़ देते हैं, आगे की पढ़ाई छोड़ देते हैं। उसके बाद, डिग्री क्लासेज के लिये, 12वीं कक्षा के बाद, अनुसूचित जाति के लड़को का एडमीशन लेने का प्रतिशत 4.4 है जिसका मतलब है कि 12वीं कक्षा पास करने के बाद केवल 4.4 प्रतिशत छात्र ही डिग्री कक्षाओं में प्रवेश ले पाते हैं। उसका कारण यही है, जो मैंने आपको बताया, आर्थिक परेशानी और कुछ प्रतिबंध जो सरकार ने लगाये हैं। इन परिस्थितियों में अनुसूचित जाति के बच्चे कैसे शिक्षा प्राप्त कर पायेंगे, कैसे अनुसूचित जातियों का 15 प्रतिशत आरक्षण पूरा होगा और अनुसूचित जनजातियों का साढ़े सात प्रतिशत आरक्षण पूरा होगा ? अनुसूचित जनजातियों का ड्रॉप-आउट रेट इससे भी भयंकर है – कक्षा एक से कक्षा पांच तक की पढ़ाई के बाद 71.57

प्रतिशत लड़के और 78.43 प्रतिशत लड़कियां स्कूल जाना छोड़ देते हैं, आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और कक्षा 6 से कक्षा 8 तक पढ़ने के बाद 84.99 प्रतिशत लड़के और 91.65 प्रतिशत लड़कियां स्कूल जाना बंद कर देते हैं शिक्षा प्राप्त करना छोड़ देते हैं।

आज तक शिक्षा की यही तरक्की है जो हमने की है। जब तक हम अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा की सुविधायें नहीं बढ़ायेंगे तब तक ये जातियां आगे चलकर कैसे तरक्की कर पायेंगी। इन बंदिशों के कारण उनकी तरक्की में दिक्कतें आयेंगी और उनके सामने अनेकों परेशानियां होंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मुद्दा आरक्षण के सम्बन्ध में जोर-शोर से उठाया जा रहा है और जिस पर सारे देश में भयंकर विरोध है और एक अजीब स्थिति है, उससे सारे देश को नुकसान तो होगा ही, लेकिन जो आरक्षित तबके हैं, जो आरक्षित समुदाय हैं, उनको भयंकर नुकसान है। सामाजिक वैमनस्य, एक दूसरे के साथ टकराव, रोज के झगड़े, रोज के फसाद हो रहे हैं। इनको कैसे निपटाएं ?

आरक्षण के सम्बन्ध में इस डिपार्टमेंट की बड़ी विचित्र स्थिति है। इस समय पांच तरह के आरक्षण हैं और इन पांचों पर कल्याण विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है केन्द्रीय सेवाओं के लिए आरक्षण कौन तय करेगा, उसकी पालिसी का फोरमेशन, एक्जीक्यूशन और परफोरमेंस, इन तीनों को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनिल एंड ट्रेनिंग करेगा। वैलफेयर से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। सार्वजनिक सेवाओं के उपक्रम यानी पब्लिक अंडरटेकिंग के सम्बन्ध में डिपार्टमेंट आफ इंडस्ट्रीज करेगा। वैलफेयर से उसका कोई वास्ता नहीं है। कल्याण विभाग उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता है और यदि जानकारी प्राप्त करने के लिए चिट्ठी लिखेगा, तो उसका जवाब नहीं आएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इन पर वित्त विभाग का नियंत्रण है। इनके आरक्षण की स्थिति वित्त विभाग तय करेगा। कल्याण विभाग तय नहीं करेगा। बीमा शाखा और बीमा कम्पनियों के आरक्षण के बारे में डिपार्टमेंट आफ फायनेंस तय करेगा कल्याण विभाग नहीं करेगा और भूमि का आबंटन रूरल डिपार्टमेंट और शहरी आवासीय सुविधाएं, शहरी विकास मंत्रालय तय करेगा, कल्याण विभाग नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी सरकार ने सफाई कर्मचारियों का आयोग बनाया है। हिन्दुस्तान के अंदर हर आयोग के अध्यक्ष की स्थिति कम से कम राज्य मंत्री के बराबर है, लेकिन सफाई कर्मचारियों के आयोग के अध्यक्ष की स्थिति डिप्टी मिनिस्टर के बराबर है। उसके मैम्बर की स्थिति केवल पार्लियामेंट के मैम्बर के बराबर है। इतना डिस्क्रिमिनेशन है और आरक्षण की बड़ी विचित्र स्थिति है। आप कहते हैं कि हम एट्रोसिटीज भी दूर करेंगे और अस्पृश्यता भी दूर करेंगे। हिन्दुतान के किसी डिपार्टमेंट की कैंटीन्स में कोई आरक्षण नहीं है। लाखों कर्मचारी कैंटीन्स में काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की हजारों कैंटीन्स है। मिलिट्री की कैंटीन है। बार्डर आफ सिक्योरिटी फोर्स की कैंटीन है। हर डिपार्टमेंट की अपनी कैंटीन्स हैं। हिन्दुस्तान की किसी कैंटीन में कोई रिजर्वेशन नहीं और और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जीरो प्रतिशत आरक्षण है। एक भी अनुसूचित जाति और जन जाति का कर्मचारी इन कैंटीनों में न खाना बना सकता है, न खाना परोस सकता है, न बर्तन साफ कर सकता है और न बर्तन रख सकता है। लोएस्ट सेवा है। सबसे छोटी सेवा है। उसमें भी आज आरक्षण नहीं है और आप कहते हैं कि हम देश में समानता और समता लाएंगे, तो कैसे आएगी समानता और समता ?

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी अदालतों ने दो निर्णय दिए। एक फैसला इलाहाबाद हाइकोर्ट ने करीब दो साल पहले दिया और उसने यह व्यवस्था दी कि उत्तर प्रदेश के अंदर टैक्नीकल सर्विसेस के लिए जो बच्चों की परीक्षाएं होगी उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों को एडमीशन के लिए मैडीकल और इंजीनियरिंग में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। दोनों समाप्त कर दिए और डिपार्टमेंट से कहा कि आप अपील कीजिए। साल भर तक डिपार्टमेंट ने अपील नहीं की और साल भर के बाद जब डिपार्टमेंट ने अपील की, तो सुप्रीमकोर्ट से यह नहीं कहा कि जो हाइकोर्ट का आर्डर है उसको स्टे कर दीजिए, उसका एक्जीक्यूशन रोक दीजिए। जब हमने पूछा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, तो कहते हैं कि इसकी संभावना नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट इनमें स्टे देगा। इस विभाग की यह स्थिति है।

सुप्रीमकोर्ट के पास मंडल आयोग का मुकदमा है। उसमें शेड्यूल्ड कास्ट्स और शे० ट्राइब्स पार्टी नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि शे० का० और शे० ट्रा० की प्रमोशन्स पर बंदिश लग जाएगी। उनकी प्रमोशन में रिजर्वेशन रोक दी। यहां दस बार सवाल उठा। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हमने इसको रोक दिया है और हम कहते हैं कि इस पर रोक नहीं है तथा प्रमोशन पर आरक्षण रहेगा। बड़ी विचित्र स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तब तक कानून होता है जब तक कि पार्लियामेंट उसको बदल न दे। अगर पार्लियामेंट उस कानून को नहीं बदलती है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू रहेगा। आज सभी डिपार्टमेंट प्रमोशन में आरक्षण बन्द किए बैठे हैं। आप लाख आदेश करें, उससे कुछ नहीं होता है। वह आदेश भी डिपार्टमेंट आफ पर्सोनैल का है। आपका नहीं है। उस आदेश का कहीं भी अब तक एक्जीक्यूशन नहीं हुआ है। हर डिपार्टमेंट में प्रमोशन में जितना आरक्षण था वह रुका हुआ है। सब बैकलॉग में जमा है। इन वैकेंसियों को नहीं भरा जा रहा है। तो इस तरह का आदेश हो और सरकार इस पर चुप है, ऐसा क्यों है ?

उपाध्यक्ष महोदय, हमने बार-बार यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप यहां कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट क्यों नहीं लाते ?

आप यहां कांस्टीट्यूएंसी में अमेंडमेंट क्यों नहीं लाते ? कोई पार्टी उसका समर्थन करे या न करे लेकिन उसका विरोध नहीं करेगी। लेकिन जो कल्याण मंत्रालय है, वह उसको नहीं लाना चाहता। क्यों नहीं लाना चाहता? यह बात मेरी समझ में नहीं आती। जब तक इस आदेश में संशोधन नहीं होगा तब तक वह लागू रहेगा। उसको लागू न रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हिन्दुस्तान के अन्दर 125 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं, उनमें आप गिनती कर लीजिये कितने वाईस चांसलर शेड्यूल कास्ट के हैं। हिन्दुस्तान के अन्दर कितने गवर्नर हैं और उनमें कितने शेड्यूल कास्ट के हैं ?

पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर केवल अरूणाचल प्रदेश में एक ही शेड्यूल कास्ट का गवर्नर है और वह भी ऐसा है जिसको न अरूणाचल प्रदेश की भाषा आती है और न ही अंग्रेजी। वहां पर दो-तीन लाख की आबादी है और उनको दोनों भाषाओं का ज्ञान नहीं है। स्टेट में कितने शेड्यूल कास्ट के गवर्नर हैं, कितने एम्बेसडर शैड्यूल कास्ट के हैं, राज्यपालों को राज्यों में उनका कितना आरक्षण है ?

उपाध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान के अंदर आरक्षण कितने प्रतिशत है ? मैं आपको बताऊं कि किसी केटेगिरी में

आरक्षण पूरा नहीं है। सेवा की चारों केटेगिरी में आरक्षण में बैक लॉग है ? चतुर्थ श्रेणी तक पूरी नहीं है, तो आरक्षण कैसे पूरा होगा ? चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जनजातियों के 0.68 प्रतिशत व्यक्ति शामिल है। एक प्रतिशत भी अनुसूचित जनजातियों का चतुर्थ श्रेणी में नहीं है और आप कहते हैं कि बैक लॉग पूरा करना है। चपरासी का बैक लॉग तो आप पूरा नहीं कर सकते, दूसरी व तीसरी श्रेणी का तो पूरा नहीं कर पाते तो पहली श्रेणी का कैसे पूरा करेंगे ? इसका कारण भी है और निराकरण भी। कारण तो उसका यह है कि आज आपने केवल तय किया हुआ है कि हम फीडर केडर से 62.5 प्रतिशत लेंगे और शेष को सीधे भर्ती से लेंगे। हम यह कहते हैं कि आप 50 प्रतिशत तो फीडर केडर से लीजिये और 50 प्रतिशत को डायरेक्ट लीजिये।

मान्यवर, यदि यह आरक्षण पूरा हो जायेगा तो जो बचा है, वह सारा का सारा पूरा हो जाएगा लेकिन काम करने की नीयत हो तब न। आप आदेश दे देते हैं लेकिन उसका परिपालन नहीं होता। उस पर आगे चलकर कार्रवाई नहीं होती। इस तरह से आरक्षण की जो समस्या आज है, वह बड़ी विचित्र है। आज किसी भी प्रदेश के आंकड़े कल्याण मंत्रालय के पास नहीं हैं कि किस राज्य में कितना आरक्षण पूरा है। उनके पास किसी स्टेट के फिगर्स नहीं हैं। मैंने अपने साधनों से केवल उत्तर प्रदेश के ही फिगर्स प्राप्त किये हैं। उनके पास कोई चार्ट नहीं हैं कि उत्तर प्रदेश या अन्य किसी राज्य के अन्दर कितना आरक्षण है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो आरक्षण की स्थिति है वह हिन्दुस्तान के सारे राज्यों से भी खराब होगी, उससे ज्यादा अच्छी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के आंकड़े में सदन के सामने रखना चाहता हूं:– श्रेणी क, यानी केटेगिरी एक में 7.40 प्रतिशत है। केटेगिरी दो में शेड्यूल ट्राइब्स की 0.45 प्रतिशत, केटेगिरी तीन में शेड्यूल कास्ट की 7.12 प्रतिशत, एस॰ टी॰ की 0.37 प्रतिशत, "ग" में शेड्यूल कास्ट की 3.66 प्रतिशत और शेड्यूल ट्राइब्स की 0.42 प्रतिशत है। यह आधा प्रतिशत भी नहीं है, और राज्यों की स्थिति अधिक अच्छी नहीं है। वहां केन्द्र से भी ज्यादा खराब स्थिति है, तो यह आरक्षण कैसे पूरा होगा ? इस आरक्षण को पूरा करने के लिए केवल एक ही तरीका है कि आपको आरक्षण के संबंध में एक बहुत अच्छा बिल लाकर कानून पास करना चाहिए। तीन वर्ष में आपने वायदा किया हुआ है कि हम कानून लायेंगे और आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। ताकि कानून किसी व्यक्ति के आरक्षण से बचने का मौका न दे, लेकिन वह कानून आज तक नहीं आया है। जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक ये सेवायें, उनमें जो भर्ती हैं, वे पूरी नहीं होगी।

मान्यवर, आज सारे उद्योगों का निजीकरण हो रहा है। जितनी हमारी सार्वजनिक इण्डस्ट्री हैं, वह भी धीरे-धीरे निजीकरण की तरफ जा रही है। सरकार आश्वासन देती थी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के व्यक्तियों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा ? आज जो आरक्षण हमको मिला है, वह इसलिये मिला है क्योंकि वह सरकार का उपक्रम है। अगर निजीकरण होगा तो प्राइवेट वाले क्यों आरक्षण देंगे ? तीन रिपोर्ट सरकार के पास पेंडिंग हैं। डेढ़ साल पहले की शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास पेंडिंग पड़ी है, जिनमें यह था कि आप निजी उद्योगों में आरक्षण की व्यवस्था करें, ताकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को नौकरियों में स्थान मिल सके। लेकिन तीनों रिपोर्टों पर सरकार ने विचार किया और उनको नामंजूर कर दिया, अंतिम रिपोर्ट के क्रियान्वयन का अभी पता नहीं चला कि उस पर क्या कार्रवाई की है। लेकिन जो दो रिपोर्ट हैं उनको नामंजूर कर दिया गया है।

प्राईवेट इंडस्ट्री, जिसको आप कर्जा भी देते हैं, जमीन भी देते हैं, टैक्स में रिलीफ भी देते हैं, साधन उपलब्ध करवाते हैं, लाईसेंस भी देते हैं तो उसमें आरक्षण क्यों नहीं करते। यदि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को आरक्षण नहीं देंगे तो उनको नौकरी कैसे मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो वे बराबर कैसे आएंगे। प्राईवेट उद्योगों में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।

भूमि का आवंटन भी बहुत गंभीर विषय है। आज हिन्दुस्तान की अदालतों में सबसे ज्यादा मुकदमे भूमि संबंधी हैं खास तौर से एस० सी०, एस० टी० लोगों के। उन लोगों से जमीन छीनी जा रही है, उनकी जमीन पर नाजायज कब्जा हो रहा है। जो पट्टे एलॉट हैं, उनपर कब्जा नहीं मिलता। सरकार हर साल बताती है कि हमने कब्जा दिला दिया है। मैं मंत्री जी का शुक्रगुजार होऊंगा यदि वे किसी एक राज्य के बारे में भी बता दें कि उस राज्य में कितना टारगैट था, उसे उन्होंने कितना पूरा किया। मेरा दावा है कि किसी राज्य के बारे में कोई फिगर वैल्फेयर डिपार्टमैंट के पास नहीं है। मैंने सारी रिपोर्ट पढ़कर देखी है। किसी रिपोर्ट में इस तरह की फिगर नहीं है कि कितनी भूमि का आवंटन होनी चाहिए, कितने व्यक्तियों के लिए होना था, कितना कब्जा मिलना था और कितना मिला। आज जमीन संबंधी सारे डिस्प्यूट अदालत में पैंडिंग हैं। लोग आपस में लड़ रहे हैं। पट्टे की एलॉटमेंट होती है तो दूसरा व्यक्ति दरख्वास्त लिखवा देता है। दरख्वास्त आती है तो उसपर दस-दस साल तक मुकदमा चलता है, जमीन मिलने का सवाल ही नहीं होता। इस मामले को भी निपटाना चाहिए। कुछ ऐसा कानून पास करना चाहिए जिससे लोगों को फायदा हो सके।

एक आर्थिक उत्थान संबंधी मामला है। यह बहुत विस्तृत विषय है लेकिन मैं संक्षेप में बताता हूं। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक व्यवस्था की थी कि इस डिपार्टमैंट के अलावा जितने डिपार्टमैंटस हैं खास तौर से सर्विस डिपार्टमैंटस, उन सबमें अनुसूचित जाति, जनजाति की आबादी के मुताबिक उनको पैसा दिया जाएगा और खर्च किया जाएगा जैसे बिजली डिपार्टमैंट के लिए तय था कि आबादी के हिसाब से डिपार्टमैंट का 15 प्रतिशत पैसा अनुसूचित जाति के लिए खर्च करना पड़ेगा और साढ़े सात प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए खर्च करना पड़ेगा। शिक्षा पर खर्च करना पड़ेगा, स्कूल बनाने पड़ेंगे। लेकिन परिणाम क्या हुआ ? टोटल फिगर 00.08 प्रतिशत है। किसी भी डिपार्टमैंट ने उन जातियों पर पूरा पैसा खर्च नहीं किया। यह फिगर सरकारी रिपोर्ट की है।

जनजातियों की जमीन के संबंध में ब्रह्मदेव की रिपोर्ट, जिसपर हम विचार कर रहे हैं, में एक-एक तथ्य आंख खोलने वाला है। कितना अत्याचार उनपर होता है लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाता। आखिर ये लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। इस मामले को भी गम्भीरता से लेना चाहिए और इस संबंध में कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिससे लोग बच न पाएं।

कुछ बिन्दुओं को मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं ताकि वे प्रोसीडिंग में आ जाएं और उनपर आगे विचार हो सके। पहला बिन्दु यह है कि इस डिपार्टमैंट का स्ट्रक्चर बदलना चाहिए। आज तक जितने भी मंत्री इस विभाग में आए, शायद किसी ने यह नहीं सोचा कि इस डिपार्टमैंट में भी करने के लिए कुछ है। मैं तजुर्बे के आधार पर कहता हूं, यदि जिले में वैलफेयर डिपार्टमैंट का एक मंत्री विज़िट करने जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसे

रिसीव करने नहीं आएगा और यदि होम डिपार्टमैंट का मंत्री आएगा तो 50 गाड़ियां और 50 ऑफिसर्स उसे रिसीव करने आएंगे। जब तक इन डिपार्टमैंट को शक्तिशाली नहीं बनाएंगे तब तक इसे रखने से क्या फायदा है।

कई चीजें उलझन की हैं। एट्रोसिटीज के बारे में कई बार यहां बहस हुई। इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आपके डिपार्टमैंट के हिसाब से हरिजनों पर अत्याचार होने पर आप मुआवजा अधिक से अधिक देते हैं। उसकी फीगर्स बहुत विचित्र हैं। दूसरों को आप जो मुआवजा देते हैं, उसको आप देखें। किसी शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के व्यक्ति की अगर हत्या हो जाये तो मुआवजा 10 हजार देते हैं। हवाई जहाज की दुर्घटना में कोई आदमी मर जाये तो मुआवजा 3 लाख देते हैं। रेल दुर्घटना में कोई आदमी मर जाये तो मुआवजा 2 लाख देते हैं। और अगर रॉयट्स में कोई आदमी मर जाये तो मुआवजा मन मर्जी से देते हैं। कहीं एक लाख भी देते हैं और कहीं पांच लाख भी देते हैं। जितना आपकी हिम्मत है, उतना आप मुआवजा देते हैं लेकिन शैडयूल्ड कास्ट या शैडयूल्ट ट्राइब के किसी व्यक्ति का कत्ल हो जाये तो उसको मुआवजा 10 हजार रुपये का देते हैं। विकलांग हो जाये, हाथ पैर टूट जाये तो मुआवजा 10 हजार रुपये का देते हैं। स्थायी विकलांगता पर मुआवजा 2 हजार रुपये का देते हैं। हरिजन महिला के साथ बलात्कार होकर उसका मर्डर हो जाये तो मुआवजा 5 हजार रुपये देते हैं। यह स्थिति है। अचल सम्पत्ति नष्ट हो जाये मुआवजा देते हैं एक हजार रुपये।

अभी कुछ दिन पहले यानी कि करीब 2 साल पहले एक विचार आया कि अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लोगों पर जो अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, यह महकमा ट्रांसफर कर दिया जाये। यह महकमा गृह विभाग से वैलफेयर डिपार्टमैंट के पास आया। जो क्राइम्स के फीगर्स रजिस्टर्ड हुए, उनको देखेंगे तो आप समझ जायेंगे कि इस डिपार्टमैंट की क्या स्थिति है ? किसी भी मुलजिम को आज तक शायद ही सजा हुई है। शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब कमीशनर ने बार-बार अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया कि जितने भी मुकदमे रजिस्टर्ड हुए हैं, उनको ज्यादातर या तो कम्पाउंड कर दिया गया या वापस करा दिया गया। जो कोर्ट में केसिज गये हैं, उसमें से कितनों को सजा हुई, इनकी कोई फीगर्स किसी रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है। कारण यह है कि पुलिस डिपार्टमैंट पर, प्रॉसिक्यूशन डिपार्टमैंट पर आपका कब्जा नहीं है और जुडिशियरी पर कब्जा होने का सवाल ही नहीं उठता है। लिहाजा हार कर वह डिपार्टमैंट जो कि एट्रोसिटीज से संबंधित था, वह पुन: गृह विभाग के पास गया और फिर वहां कार्यवाही शुरू हुई। वह कार्यवाही शुरू हो गई या नहीं, मैं नहीं जानता।

आप उर्दू का कामकाज देख रहे हैं। यह आपका विषय कहां है ? आप तो वैलफेयर डिपार्टमैंट के मिनिस्टर हैं। इससे आपका क्या संबंध है ? इसे होम डिपार्टमैंट को दीजिये। जो पैसा शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स पर खर्च करना चाहिये, वह आप उर्दू पर खर्च कर रहे हैं।

आपने तीन कारपोरेशन्स बनायी। इनका अभी आपने उल्लेख भी किया। एक कारपोरेशन शैडयूल्ड कास्ट्स के वैलफेयर के लिये और एक बैकवर्ड कलासिज के लिये बनायी। माइनॉरिटीज के लिये जो कारपोरेशन बनायी, उसकी घोषणा प्रधान मंत्री जी ने लाल किले से की थी। शैडयूल्ड कास्ट्स की कारपोरेशन को 50 करोड़ रुपये से शुरू किया जबकि उनकी आबादी 15 परसैंट है, बैकवर्ड क्लासिज की कारपोरेशन को 200 करोड़ रुपये से शुरू किया जबकि उनकी आबादी 27 परसैंट है और माइनॉरिटीज की कारपोरेशन को 500 करोड़ रुपये से शुरू

किया जबकि उनकी आबादी 10 परसैंट है। कहां इन्साफ है, कहां न्याय है ? यह ऐसी स्थिति है जिस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। अगर कुछ करना चाहते हैं और दिमाग में कुछ करने की बात है तो यह झंझट क्यों पाल रहे हैं ? माइनॉरिटीज से आपके डिपार्टमैंट का क्या सम्बन्ध है ? यह होम डिपार्टमैंट में आना चाहिये। जैसे हिन्दी दूसरे डिपार्टमैंट में है, वैसे ही उर्दू को उसमें रखिये। इन सब चीजों पर बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिये और सहायता करने के लिये कुछ कदम उठाने चाहिये। आप नौजवान मंत्री हैं। इसमें कुछ अच्छा करने से आपका नाम होगा। आप इस डिपार्टमैंट को सुधारिये और इसकी काया-कलप कीजिये। विद्यार्थियों पर शुल्क और छात्रवृत्ति की बात मैंने कहीं, इसको आप बढ़ाइये और उसमें आमदनी की बंदिश को कम कीजिए।

1971 की जनगणना के मुताबिक आरक्षण का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको बढ़ाकर 18 से 23 प्रतिशत कर दिया है। मद्रास की सरकार 69 परसेण्ट कर रही है। लालू प्रसाद यादव ने 80 प्रतिशत करने की बात कही है। आप काम से काम सारे हिन्दुस्तान के अन्दर जो जनसंख्या है, उसके हिसाब से आपको शैड्यूल्ड कास्ट्स के लिए 17 प्रतिशत और शैडेयूल ट्राइब्स के आरक्षण को 8 प्रतिशत करके दोबारा निर्धारित करना चाहिए। 1970 के बाद आपने इसे बढ़ाया नहीं है। 1970 में यह 15 प्रतिशत और 7 ½ प्रतिशत आपने किया था लेकिन 1970 के बाद इसे नहीं बढ़ाया गया। इस आरक्षण को आपको बढ़ाना चाहिए।

प्रोन्नति में आरक्षण की बात मैंने कही, उसको आप ठीक कीजिए। उसमें आप यहां कांस्टीट्यूशन एमेंडमेंट का बिल लाइये, वह यहां सर्वसम्मति से पास होगा और उसमें उनका आरक्षण लागू होगा। प्रोन्नति में 50 प्रतिशत डायरैक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कैटेगरी में आरक्षण पूरा नहीं है तो प्रमोशन के लिए जो अपर कैडर है, उसके लिए जो फीडर कैडर है, जब फीडर कैडर में आरक्षण पूरा नहीं है तो अपर कैडर में कैसे पूरा हो जायेगा। इसलिए सबसे नीचे के कैडर के आरक्षण को पूरा करने के लिए आप बजाय 62.5 परसेण्ट प्रमोशन में रखने के 50 परसेण्ट प्रमोशन में रखिये और 50 परसेण्ट डायरैक्ट में रखिये। डायरैक्ट लोग आयेंगे तो आपका आरक्षण भी पूरा होगा और जो दो ग्रेड्स का मैंने हवाला दिया है, इसको आपको करना चाहिए।

एक बात और है। आज कितनी भी संस्थाऐं हैं, जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, वह सारी की सारी सेवाऐं ठेके पर दी जा रही हैं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कन्सैप्शन ही खत्म हो रहा है। आज स्वीपर्स की सेवाऐं ठेके पर दी जा रही हैं, कैण्टीन की सेवाऐं ठेके पर दी जा रही हैं, रेलवे की सेवाऐं ठेके पर दी जा रही हैं तो आपकी इस तरह से सारी सर्विसेज ठेके पर चली जायेगी तो आरक्षण कैसे पूरा होगा ? इसको पूरा करने के लिए जरूरी है कि आपको सरकारी नौकरियों में ज्यादातर लोगों को ज्यादा मौका देना चाहिए।

एक और बात बहुत विचित्र है। समाज कल्याण विभाग की जितनी संस्थाऐं चलती हैं, जो दूसरे विभाग के समकक्ष हैं, उनके कर्मचारियों और अधिकारियों के ग्रेड्स में और दूसरी संस्थाओं के ग्रेड्स में अन्तर है। उदाहरण के लिए किसी प्राइमरी स्कूल के टीचर को जो तनख्वाह मिलती है, उसके मुकाबले में वैलफेयर डिपार्टमैंट का टीचर कम तनख्वाह पाता है, वहां का चपरासी कम तनख्वाह पाता है, वहां का खाना बनाने वाला आदमी कम तनख्वाह पाता है। जितनी स्वैच्छिक संस्थाऐं हैं, जो आपसे अनुदान लेती हैं और जितनी संस्थाऐं चलती हैं, उसमें कर्मचारियों को कोई ग्रेड पूरा नहीं देता, वहां हर एक के ग्रेड्स कम हैं।

यह कुछ चीजें मुझे माननीय सदन के सामने रखनी थी। मुझे विश्वास है कि जब माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे तो इन बातों को खुलासा करके जो चीजें, जो समस्याऐं हमारे सामने हैं और जिनका इम्मीडिएटली इफैक्ट होने वाला है, उन चीजों का आप उत्तर देंगे और उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे।

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) उपाध्यक्ष जी, यह कमीशन और कमिश्नर की जो रिपोर्ट है, उसमें कमिश्नर की रिपोर्ट 1986-87 और 1987 से 1989 पर और कमीशन की रिपोर्ट 1982-83, 1983-84, 1984-85 और 1985-86 सदन के सामने मंत्रालय की तरफ से रखी गई है। इस अवसर पर मुझे बोलने का मौका मिला है तो मैं कुछ बातें सदन के सामने रखूंगा। उससे किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए।

जो वस्तुस्थिति है, उस वस्तुस्थिति को देखते हुए हमें खेद है, हम आज चिन्तित हैं कि सचमुच में यह जो हतभागा, डिप्रैस्ड क्लास है, वह ट्राइबल के लोग हैं।

कब वे मेन-स्ट्रीम में पहुंचेंगे। इतने सालों से करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। जब से हमारा देश आजाद हुआ है, तब से अब तक जो स्टाइपन्ड मिलता था, उसके आंकड़े तो मैं आपके बाद में दूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना रुपया खर्च होने के बाद भी हमारे हरिजन-आदिवासी लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दास जी, आप अपना भाषण बाद में देना।

अब सभा कल 24 अगस्त, 1994 के 11 बजे प्र० प० तक के लिए स्थगित होती है।

6.00 प्र० प०

लोक सभा बुधवार, 24 अगस्त, 1994/2 भाद्र, 1916 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।